त्रयोदश माला, खंड 36, अंक 17

गुरुवार, 14 अगस्त, 2003
23 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 36 में अंक 11 से 21 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 56
Date 8/4/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 36, तेरहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 17, गुरुवार, 14 अगस्त, 2003/23 श्रावण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 342	7-9
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 341 और 343 से 360	9-45
अतारांकित प्रश्न संख्या 3167 से 3318	45-247
सभा पटल पर रखे गए पत्र	250-251
लोक लेखा समिति	
की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण	252
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
छब्बीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	252
सभा का कार्य	253-256
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
बाल्को और माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा कर्मकारों के हितों की रक्षा करने संबंधी करार का उल्लंघन किए जाने से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदम	256-260
श्री बसुदेव आचार्य	256-257
श्री अरुण शौरी	257-260
अनुपूरक अनुदान की मांग–रेल, 2003-04	260
कार्यमंत्रणा समिति	
चौवनवां प्रतिवेदन	261
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	266
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	267-311
(एक) गंदी बस्तियां और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र (बुनियादी सुख-सुविधाएं और अपसारण) विधेयक,-जारी—*अस्वीकृत*	267-310

विषय	कॉलम
विचार करने के लिए प्रस्ताव	267
श्री पवन कुमार बंसल	267–271
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	272–280
प्रो. रासासिंह रावत	280–286
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	286–288
श्री अधीर चौधरी	288–291
श्री थावरचन्द गेहलोत	291–297
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	297–298
श्री भर्तृहरि महताब	298–303
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	303–307
श्री माणिकराव होडल्या गावित	307–308
श्री पोन राधाकृष्णन	308–309
(दो) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक – *विचाराधीन* (नई धारा 298क से 298ग का अंत:स्थापन)	310–311
विचार करने के लिए प्रस्ताव	310
श्री जी.एम. बनातवाला	310–311
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	311–360
(एक) श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए उपाय—*वापस लिया गया*	311–359
प्रो. रासासिंह रावत	311–315
श्री वरकला राधाकृष्णन	315–320
श्री थावरचन्द गेहलोत	320–327
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	327–334
श्री भर्तृहरि महताब	334–338
श्री ए.सी. जोस	338–343
श्री हन्नान मोल्लाह	343–347
श्री माणिकराव होडल्या गावित	347–348
श्री संतोष कुमार गंगवार	348–351
डा. साहिब सिंह वर्मा	352–356
श्री बसुदेव आचार्य	356–359
(दो) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण—*विचाराधीन*	360
श्री सुरेश कुरूप	360

लोक सभा

गुरुवार, 14 अगस्त, 2003/23 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैंने इस सभा की गरिमा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर सूचना दी है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष जी, *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं कर रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, हम इस गतिरोध को समाप्त करने हेतु गत कुछ दिनों से किए जा रहे निरन्तर प्रयासों के लिए आपके आभारी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सभा अर्थात् लोक सभा की गरिमा की रक्षा हेतु बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लोक सभा की समितियां केवल लोक सभा की हैं। वित्त संबंधी मांटेग्यू-चेम्स फोर्ड समिति ने 1921 में एक नीति तैयार की थी जिसके फलस्वरूप आज एक लोक लेखा समिति है जो कि लोक सभा के नियमों के अनुसार बनाई गई है। इस सभा के किसी सदस्य का आचरण, चाहे वह किसी भी दल का हो, इस सभा की किसी समिति के आचरण पर आपके और सभा द्वारा ही टिप्पणी की जा सकती है किसी अन्य के द्वारा नहीं।

अध्यक्ष महोदय, लोक लेखा समिति लोक सभा की समिति है। कौल और शकधर ने पृष्ठ-814 पर यह स्पष्ट किया हुआ है कि *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा ने यह प्रश्न सही उठाया है कि दासमुंशी क्यों बोल रहे हैं। मुझे उनको इसका उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे प्रश्न काल को निलंबित करने के लिए तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। दो सूचनाएं लोक लेखा समिति के कार्यकरण के बारे में हैं, एक सूचना डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने दी है और दूसरी श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने दी है। मुझे प्रश्न काल निलंबित करने की तीसरी सूचना कुंवर अखिलेश सिंह से प्राप्त हुई है और वह 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत सड़कों के चयन के लिए संसद सदस्यों को शामिल न करने के बारे में है। मुझे ये तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

चूंकि श्री दासमुंशी ने प्रश्न काल निलंबित करने के बारे में सूचना दी है, इसलिए मैंने उन्हें अनुमति दी है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचारों को इस विषय तक ही सीमित रखें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरी रुचि इस सभा की कार्यवाही चलाने में है। कृपया सहयोग करें। सम्पूर्ण देश हमें देख रहा है कि हम सभा में क्या कार्यवाही कर रहे हैं। अतः यह कार्यवाही हमारे द्वारा बनाए गए नियमों और प्रक्रिया के अनुसार ही चलनी चाहिए। प्रक्रिया के अंतर्गत यदि वे इस बात पर बहस करना चाहते हैं कि प्रश्न काल निलंबित क्यों किया जाना चाहिए तो मुझे यह अधिकार है कि उन्हें बोलने की अनुमति दूं और उनके तर्क सुनूं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः तत्पश्चात् मैं अपना विनिर्णय दूंगा कि प्रश्न काल निलंबित किया जाए अथवा नहीं? हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी टिप्पणी के लिए आपका आभारी हूं। 1951-52 में लोक लेखा समिति की संकल्पना यह थी कि इस समिति में केवल लोक सभा के ही सदस्य होने चाहिए। किंतु 1954 में हिदायतुल्ला के विनिर्णय के बाद से एक नई संकल्पना उभरी कि राज्य सभा के सदस्य इस समिति के एसोसिएट सदस्य हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, 'कौल और शकधर' के पृष्ठ-814 पर यह कहा गया है:

> ''जब राज्य सभा से समिति का कोई सदस्य, संविधान के उपबंधों के अंतर्गत राज्य सभा की सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो उस सेवा-निवृत्ति के कारण समिति में हुई रिक्ति-पूर्ति राज्य सभा के किसी अन्य सदस्य को नामनिर्देशित करके की जाती है। तथापि, ऐसे सदस्यों को एसोसिएट सदस्य माना जाता है किंतु उनके पास समान अधिकार होते हैं।''

महोदय, अब हम अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं, लोक लेखा समिति लोक सभा के अंतर्गत है और अध्यक्ष महोदय सभापति आपके द्वारा नियुक्त किया जाता है और सत्तापक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर सदस्य चुने जाते हैं। यहां तक कि राज्य सभा में रिक्त स्थान सत्ता पक्ष द्वारा लोक सभा में पेश किए गए प्रस्ताव से भरा जाता है और किसी सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए राज्य सभा को संदेश भेजा जाता है।

लोक लेखा समिति की यह संकल्पना है। इस विषय पर मैं किसी सार्वजनिक चर्चा की बात नहीं कर रहा हूं। महोदय, ऐसी समितियों के सही या गलत, सद्व्यवहार या दुर्व्यवहार, कर्त्तव्य या अकर्त्तव्य के कार्यों की जांच की जा सकती है और केवल लोक सभा और आपके द्वारा इस पर टिप्पणी की जा सकती है। महोदय, बहुत दुख के साथ मैं यह कह रहा हूं कि कल दूसरी सभा में एक टिप्पणी की गई है जिसमें लोक सभा के सदस्यों के आचरण पर टिप्पणी की गई है जो कि एक सार्वजनिक दस्तावेज अर्थात् समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई है *...(व्यवधान)* महोदय,* दोनों सभाओं की समिति की संरचना के इतिहास के बारे में कहने के लिए *...(व्यवधान)* मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं किसी का नाम नहीं लिया था मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। लोकतंत्र का कार्यकरण और सभा की गरिमा केवल आप पर निर्भर है, महोदय *...(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदयः मैं आपसे सहमत हूं। यदि कोई सभापति अथवा राज्य सभा के किसी अन्य सदस्य के आचरण के बारे में चर्चा करता है तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से बाहर निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः लोक सभा अध्यक्ष के सिवाय कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता है *...(व्यवधान)* मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं केवल एक बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। संसद परिसर में क्या अध्यक्ष के सिवाय कोई प्राधिकारी लोक सभा और इसकी समिति के आचरण पर टिप्पणी कर सकता है? मेरा केवल यही प्रश्न है *...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः मैंने आपके तर्क सुन लिए हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, आप सभा के संरक्षक हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर टिप्पणी करें *...(व्यवधान)*

आप राज्य सभा के सदस्य हैं। कृपया चुप रहिये *...(व्यवधान)* इस मुद्दे पर यहां राज्य सभा के किसी सदस्य को नहीं बोलना चाहिए *...(व्यवधान)* महोदय...*

यदि आप मुझे कुछ समय दें तो मैं इस विषय पर पृष्ठ-वार इसको उद्धृत कर सकता हूं। भारतीय संसद के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप किसी और तरीके से ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए प्रश्न काल को निलंबित करना कोई तरीका नहीं है। आप इसके लिए किसी अन्य तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इस पर एक चर्चा कराने को तैयार हूं। किंतु इस आधार पर प्रश्न काल निलंबित नहीं किया जा सकता है। मैंने आपकी सूचना को अस्वीकृत कर दिया है। मैंने प्रश्नकाल और स्थगन प्रस्ताव को निलंबित करने की सूचना को भी अस्वीकृत कर दिया है। मैं 'शून्य काल' के दौरान आपकी बात सुनने को तैयार हूं।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ (छिंदवाडा): महोदय, कृपया इस बात पर अपना विनिर्णय दें कि क्या यह आपका अधिकार क्षेत्र है अथवा नहीं। हम इस बात पर आपका विनिर्णय सुनना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदयः विनिर्णय देने का प्रश्न मेरे सामने नहीं है। मेरे सामने प्रश्न प्रश्नकाल को निलंबित करने का है

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

जिससे मैं सहमत नहीं हूं और प्रश्नकाल को निलंबित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं सभा की गरिमा से संबंधित कई उदाहरण दे सकता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभी को सभा की गरिमा बनाई रखनी चाहिये। इस बारे में कोई शक नहीं है। हर समय सभी को सभा की गरिमा बनाई रखनी चाहिये।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ: यदि ऐसा हो तो, राज्य सभा का कोई भी सदस्य इस सभा में नहीं बोलेगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कृपया सभा को बतायें कि यह आपका क्षेत्र है, किसी और का नहीं *...(व्यवधान)* यही मेरा कहना है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह आपका क्षेत्र है। और आपके क्षेत्र के संबंध में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी टिप्पणी नहीं कर सकते *...(व्यवधान)* यह आपका क्षेत्र है और सदस्य इस सभा के हैं। दूसरी सभा कैसे परिदृश्य में आ रही है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, कृपया बैठ जाइये। मैंने आपकी बात सुनी है। मुझे और ब्यौरे की जरूरत होगी कि यह किसने और कब किया। केवल तभी इस मामले में कुछ और कहना संभव होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल का निलम्बन किए जाने संबंधी आपकी सूचना स्वीकृत नहीं होगी। अत: किसी और तरीके से आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, प्रश्नकाल के निलम्बन के जरिये नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके मामले की वकालत के लिए तैयार हूं क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या कोई सदस्य पी.ए.सी. संबंधी मामलों पर बाहर चर्चा कर सकता है या क्या राज्य सभा के सदस्य सदन की समिति संबंधी मामलों पर चर्चा कर सकते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

अत: मैं किसी अन्य प्रावधान के तहत चर्चा की अनुमति देने को तैयार हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिये प्रश्नकाल का निलम्बन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिये क्योंकि विशिष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अपनी बात कहने दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। वह प्रश्नकाल के निलम्बन का समर्थन कर सकती हैं। आप उन्हें बोलने क्यों नहीं देते?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे संसदीय कार्य मंत्री की बात सुननी चाहिये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *...(व्यवधान)* मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन के स्थापित नियमों के मुताबिक किसी भी दूसरे सदन की प्रोसीडिंग इस सदन में रैफर नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि राज्य सभा के चेयरमैन महोदय ने यदि कोई भूल न की हो, लेकिन श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने उनके आचरण की बात उठाकर अक्षम्य अपराध किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और जो बात यहां कही गई है उसे एक्सपंज करना चाहिए *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.11 बजे

(इस समय श्री अधीर चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रश्नकाल के निलम्बन और स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें अस्वीकृत कर दी हैं। अब प्रश्नकाल शुरू होगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, बैठ जाइए। अब मैंने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू कर दी है।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 34

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी - अनुपस्थित

श्री कोडीकुनील सुरेश - अनुपस्थित

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 342

श्री रामशकल

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करके राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर चले जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय, आप जवाब दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मीडिया के माध्यम से उत्पादों की बिक्री के लिए प्रमाणन

***342. श्री रामशकलः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मीडिया के माध्यम से विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी मीडिया के माध्यम से विज्ञापित उत्पादों को उत्पाद गुणवत्ता प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किसी भी विज्ञापित उत्पाद की गुणवत्ता प्रमाणन के मानदंड सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकारी विज्ञापनों का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना और जानकारी प्रदान करना, सरकारी कार्यक्रमों, कल्याणकारी स्कीमों, नीतियों और उपलब्धियों का भी प्रचार-प्रसार करना है।

(ख) से (घ) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, जो एक सरकारी मीडिया है, का प्राथमिक उद्देश्य केवल विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर सरकार की स्कीमों, कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों का व्यापक संभव कवरेज प्रदान करना है, इसलिए उत्पाद की गुणवत्ता के प्रमाणीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

प्रसार भारती, जो एक सांविधिक स्वायत्तशासी संगठन है, के नियंत्रणाधीन आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन, विज्ञापन संहिता द्वारा शासित होते हैं। इन संहिताओं में यह प्रावधान है कि विज्ञापनदाता देश के कानूनों का अनुसरण करेंगे।

भारतीय प्रेस परिषद, जो प्रेस की एक सांविधिक स्वायत्तशासी स्व-विनियामक निकाय है, ने पत्रकारिता आचरण के मानक तैयार किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पत्रकारों के लिए "क्या करें" और "क्या न करें" का निर्धारण किया गया है। विज्ञापन क्षेत्र मुख्यतः निजी हाथों में हैं और इसका पर्यवेक्षण विज्ञापन उद्योग के एक स्व-विनियामक निकाय, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा किया जाता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री रामशकल आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामशकल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि मीडिया के माध्यम से विज्ञापित उत्पादों को उत्पाद गुणवत्ता की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कोई तरल पदार्थ है, पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ है, जिन्हें मीडिया विज्ञापन में विभिन्न चैनलों से दिखाया जाता है—क्या उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाती है। इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं।

अभी हाल ही में पेप्सी कोला एवं कोका कोला के बारे में जैसा प्रचार चल रहा है, जिनकी गुणवत्ता में कमी आती है, उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने तथा उनके उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की क्या कोई व्यवस्था है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: टेलीविजन प्रसारण बंद किया जाए। नारे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

...*(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

स्टार न्यूज की जांच

[अनुवाद]

***341. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:**
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 2003 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''श्री प्रांग्ड प्रोब इन टू स्टार न्यूज लांच्ड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या एमसीसीएल (मीडिया कान्टेन्ट एण्ड कम्यूनिकेशन लिमिटेड) की विश्वसनीयता, इसकी धनराशि की आवक अनुमानित आय और व्यय विवरण, अनुमानित लाभ और हानि तथा शेयर धारकों के समझौतों की जांच हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा/निष्कर्ष क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (घ) सरकार ने दिनांक 13 जुलाई, 2003 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''थ्री प्रांग्ड प्रोब इन टू स्टार न्यूज लांच्ड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की विषय-वस्तु की ओर ध्यान दिया है। इस मामले के तथ्य निम्नानुसार हैं:-

विदेशी समाचार और समसामयिक विषयक चैनलों के लिए नई पद्धति अपनाने हेतु चैनलों/विषय-वस्तु प्रदाताओं को दी गई तीन माह की अवधि समाप्त होने के कुछेक दिन पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मैसर्स मीडिया कॉटेंट एंड कम्यूनिकेशन सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि. से 20 जून, 2003 को एक आवेदन प्राप्त हुआ था। प्रक्रियानुसार यह आवेदन गृह मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग को भेज दिया गया था। अंतरिक्ष विभाग ने अपनी अनापत्ति भेज दी है और गृह मंत्रालय की टिप्पणी प्रतीक्षित है। दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कि 26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी सीमा लगाने की प्रबंधन एवं सम्पादकीय नियंत्रण की चिंता, जो मंत्रालय का आधार है, का उपयुक्त रूप से निवारण करने के उद्देश्य से कम्पनी के आवेदन की विस्तारपूर्वक जांच की गई है। दिनांक 24 जून, 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई, 25 जुलाई और 30 जुलाई, 2003 के पत्रों के जरिए उक्त आवेदन पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। कम्पनी ने दिनांक 25 जून, 30 जून, 3 जुलाई, 16 जुलाई, 22 जुलाई, 29 जुलाई और 31 जुलाई, 2003 के अपने पत्रों के जरिए दस्तावेज और स्पष्टीकरण उपलब्ध करा दिए हैं।

कम्पनी के पास 5 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी है और इस समय चुकता पूंजी 1 लाख रुपये है जिसमें से 26 प्रतिशत स्टार इंडिया प्रा.लि. की है। कम्पनी का चुकता पूंजी को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव है।

यह पाया गया है कि कम्पनी ने मैसर्स टच टेली कॉटेंट, मैसर्स रैंट वर्क्स (इंडिया) प्रा. लि., मैसर्स हयूजेज इलेट्रोनिक कम्युनिकेशन लि., मैसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, मैसर्स भारती ब्राड बैण्ड, मैसर्स स्टार न्यूज ब्राडकास्ट लि., मैसर्स स्टार टेलीविजन प्रोडक्शन लि. आदि जैसी अन्य कई कम्पनियों के साथ अवसंरचनात्मक सुविधा, समाचार संकलन संयोजकता संबंधी उपस्कर, उत्पादन एवं उत्पादनोत्तर सुविधाओं, वी-सैट उपग्रह और आप्टीकल फाइबर बैण्ड विड्थ, ब्राड नाम ''स्टार न्यूज'' का प्रयोग, चैनल पर विज्ञापन समय की बिक्री तथा विवरण अधिकार का आवंटन आदि की व्यवस्था हेतु करार किए हैं।

इस समय विदेशी निवेशकारी कम्पनी स्टार इंडिया प्रा.लि. (स.आई.पी.एल.) है और 26 प्रतिशत इक्विटी का निवेश करने के लिए स्टार न्यूज ब्रॉडकास्ट लि. (एस.एन.बी.एल.) हेतु एफ.आई.पी.बी. का एक प्रस्ताव लम्बित है। एक बार एफ.आई.पी.बी. के प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाने पर स्टार इंडिया प्रा.लि. द्वारा अपनी अंशधारिता भारतीय अंशधारकों को बेचने का प्रस्ताव है। इसलिए कम्पनी की अंशधारिता और संरचना को अभी भी सुदृढ़ बनाना है।

विशेषकर समाचार और समसामयिक विषयक चैनलों की अपलिंकिंग के संबंध में विदेशी इक्विटी मानकों/दिशा-निर्देशों की जांच करने और उल्लंघनों को रोकने के लिए उनको सख्त बनाने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तथा दिशा-निर्देशों के अक्षरशः अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 15 जुलाई, 2003 को एक अन्तर-मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है। यह समूह ऐसी किसी खामी को दूर करने के उपायों की चर्चा करेगा जिसके रहते कोई कम्पनी विदेशी इक्विटी मानकों को मात देते हुए हेरा-फेरी कर सकती है।

घाटे में चल रही कंपनियां

*343. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा रेल-टेल जैसे विविध वाणिज्यिक कार्यकलापों हेतु स्थापित अनेक कंपनियों/संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कोई भी निकाय मूल निवेश के न्यूनतम अंश के बराबर भी लाभ प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या लाभ न कमाने वाली इन कंपनियों में से कुछ को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) विविध वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कंपनियों की स्थापना की गई है:

(1) *इरकान इन्टरनेशनल लि.* इसकी स्थापना 1976 में मुख्यतः रेलों से संबंधित कार्य तथा भारत और विदेशों में निर्माण कार्य करने के लिए की गई थी।

(2) *राइट्स लि.* की स्थापना 1974 में मुख्यतः भारत और विदेशों में रेलों और अन्य क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं के विकास के लिए इंजीनियरी, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी।

(3) *भारतीय रेल वित्त निगम लि.* की स्थापना 1986 में मुख्यतः भारत अथवा विदेशों के किसी भी भाग में खरीद करने, विक्रय, पट्टे पर देने संबंधी कारोबार करने के लिए धन उधार लेने के लिए की गई थी।

(4) *भारतीय कंटेनर निगम लि.* की स्थापना 1988 में मुख्यतः भारत और विदेशों में मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट आपरेटर, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कार्गो के सामान्य-वाहक संबंधी व्यवसाय करने के लिए की गई थी।

(5) *कोंकण रेल निगम लि.* की स्थापना 1990 में मुख्यतः कोंकण रेल के निर्माण करने और उस अवधि तक, जब तक कि कंपनी ऐसी परियोजना के कारण उत्पन्न अपनी दायिताएं पूरा नहीं करती, परिचालित करने के लिए की गई थी।

(6) *मुंबई रेल विकास निगम लि.* की स्थापना जुलाई 1999 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मुंबई शहरी विकास योजना के लिए एकीकृत योजना विकसित करने और रेल अवसंरचना संबंधी परियोजना को कार्यान्वित करना था।

(7) *भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लि.* की स्थापना 1999 में मुख्यतः रेलवे खानपान सेवाओं को पेशेवर बनाने, रेलवे खानपान सेवाओं को मजबूत और अपग्रेड करने, रेल आधारित पर्यटन और आतिथ्य व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

(8) *भारतीय रेल टेल निगम लि.* की स्थापना सितम्बर 2000 में मुख्य रूप से रेलपथ के साथ-साथ आप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) बिछाकर भारत में ब्राड बैंड टेलीकाम नेटवर्क की योजना बनाने, निर्माण करने, विकसित करने, परिचालित करने और उसके रख-रखाव करने, रेल गाड़ी नियंत्रण, परिचालन, संरक्षा और दुर्घटना/आपदा प्रबंधन प्रणालियों और नेटवर्क, अवसंरचना की अतिरिक्त/फालतू क्षमता को पट्टे पर देने और उसका अनुरक्षण करने तथा संचार-व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए की गई थी।

(9) *रेल विकास निगम लि.* की स्थापना 2003 में मुख्यतः स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके विकर्णों को चार महानगरों से जोड़ने और राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत कोई भी अन्य परियोजनाओं सहित रेल अवसंरचना की क्षमता के सृजन और उसकी वृद्धि के लिए कार्य करने के लिए की गई थी।

(ख) जी, नहीं। रेलवे द्वारा स्थापित 9 कंपनियों में से केवल 2 कंपनियों अर्थात् कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड और भारतीय रेल टेल निगम लिमिटेड ने ही वर्ष 2001-02 के दौरान अपने तुलन-पत्र में घाटा दिखाया है। कोंकण रेल निगम लिमिटेड के तुलन-पत्र में घाटा मुख्यतः निर्माण अवधि के दौरान बाजार उधारियों के वित्त प्रभारों के कारण हैं। निगम सृजित राजस्व से अपने संचालन व्ययों को पूरा करने के पश्चात् परिचालन आधिक्य सृजित करने में सक्षम है और वर्ष 2001-02 में परिचालन आधिक्य 44 करोड़ रुपए था लेकिन 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 में शुद्ध हानि क्रमशः 385 करोड़ रुपए, 381.6 करोड़ रुपए और 369.8 करोड़ रुपए है।

रेल टेल निगम लिमिटेड एक नई प्रर्वतक कंपनी है और संपत्तियां सृजित करने/अधिगृहित करने की प्रक्रिया में है। कंपनी परिचालन के अपने दूसरे वर्ष में संचालन व्यय पूरा करने के बाद 222 लाख रुपए का परिचालन आधिक्य सृजित करने में सक्षम हुई है। वर्ष 2002-03 के दौरान कंपनी को 116 लाख रुपए (अनंतिम) का शुद्ध घाटा हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन और मांग

***344. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है और कितनी मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता है;

(ख) केन्द्राधीन विद्युत संयंत्रों, राज्य स्वामित्वाधीन विद्युत संयंत्रों और निजी क्षेत्राधीन विद्युत संयंत्रों द्वारा इस समय अलग-अलग कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित विद्युत की प्रति इकाई लागत सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित विद्युत लागत की तुलना में अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत की उच्च दर उद्धृत करने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन कराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार ने इस संबंध में समान दर नीति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) देश में कुल विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता लगभग 108930 मेगावाट है। जुलाई, 2003 के दौरान 67875 मेगावाट व्यस्ततमकालीन आवश्यकता की पूर्ति की गई थी जबकि इसकी तुलना में व्यस्ततमकालीन मांग 76244 मेगावाट थी। इस प्रकार मांग व पूर्ति के बीच 8369 मेगावाट का अंतर था। इस अंतर को पूरा करने के लिए लगभग 13,500 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है।

(ख) केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र के लिए विद्युत संयंत्रों के संबंध में जुलाई, 2003 में उत्पादित विद्युत का ब्यौरा निम्नवत है-

केन्द्रीय	18888 मिलियन यूनिटें
राज्य	20881 मिलियन यूनिटें
निजी	4186 मिलियन यूनिटें
कुल	43955 मिलियन यूनिटें

(ग) से (च) विद्युत उत्पादन की यूनिट लागत परियोजना की पूंजीगत लागत, प्रौद्योगिकी, पूंजी पर रिटर्न, स्थल, ईंधन लागत, ओ एंड एम लागत, उपरिव्यय और दक्षता इत्यादि का एक परिणाम है, जो संयंत्र-दर-संयंत्र भिन्न-भिन्न होती है।

कुछ निजी परियोजनाओं, विशेषत: जो नेप्था जैसे तरल ईंधनों पर आधारित हैं, की विद्युत यूनिट लागत अधिक रही है। नेप्था जैसे तरल ईंधन की कीमत इसकी आयात कीमत संबंधी समान कीमत निर्धारण प्रणाली के कारण अधिक बढ़ी है। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग में इक्विटी पर रिटर्न को विनिमय दर सुरक्षा प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त, वित्तपोषण के उपाश्रय के अभाव में उच्च ब्याज दरों और उच्च जोखिम अवधारणा के द्वारा निजी परियोजना की विकास लागत प्रभावित हुई है। देश में निर्धारित दरों के कारण विदेशी ऋणों पर ब्याज दरें भी अधिक थीं।

(छ) विद्युत उत्पादन टैरिफ की दर समान रखना नहीं है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है। विद्युत उत्पादन की यूनिट लागत प्रौद्योगिकी, स्थल, वित्तपोषण तरीका, ईंधन इत्यादि का एक परिणाम है जो कि संयंत्र-दर-संयंत्र भिन्न-भिन्न होती है।

मनोरंजन क्षेत्र का विकास

***345. श्री मोहन रावले: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मनोरंजन क्षेत्र को सुकर बनाने हेतु मनोरंजन नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन और आकाशवाणी संबंधी कार्यक्रम के स्तर को बढ़ाने हेतु नए सिरे से जोर देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसारण माध्यमों के साथ-साथ सिनेमा के जरिये मनोरंजन से संबंधित है। यह क्षेत्र अपने विकास के लिए सांस्थानिक, कानूनी और वित्तीय व्यवस्था तथा प्रौद्योगिकीय विकास की दृष्टि में एक ऐसे परिवेश पर निर्भर करता है जो कि सृजनात्मकता और सहजता को बढ़ावा देता हो। इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली केन्द्रीय या राज्य सरकारों की नीतियों की समीक्षा करने और विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु कार्रवाई करने/उसकी सिफारिश करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है।

जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों की विषय-वस्तु का निर्माण करने और गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों का वित्त पोषण करने संबंधी स्कीमों को दसवीं योजना में शामिल किया गया है।

विगत में किए गए कुछ उपायों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के अंतर्गत मनोरंजन उद्योग को एक अनुमोदित कार्यकलाप के रूप में घोषित करना, फिल्मों और टी.वी. साफ्टवेयर के लिए विदेशी निवेश पद्धति को उदार बनाना, फिल्म बाजार का विदेशों में विकास करना, मनोरंजन कर में कमी के लिए अनुशंसा करना और कदम उठाना, बहुउद्देश्यीय परिसरों को प्रोत्साहित करना, टी.वी. चैनलों के लिए अपलिंकिंग नीति को उदार बनाना, निजी एफ.एम. प्रसारण के लिए लाइसेंस देना और निजी क्षेत्रों में 'डायरेक्ट-टु-होम' को अनुमति प्रदान करना शामिल है।

भर्ती घोटाला

***346. श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रक्षा बलों में व्याप्त भर्ती घोटाले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा बलों में भर्ती कदाचारों के मूल कारण का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कठोर भर्ती प्रणालियां बनाने और कदाचारों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) भर्ती संबंधी कोई घोटाला नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रक्षा सेनाओं की भर्ती में कदाचार से संबंधित शिकायतों के इक्के-दुक्के मामले प्राप्त हुए हैं। ये शिकायतें दलालों की गतिविधियों, प्रश्न-पत्रों के लीक होने, दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने, जाली प्रमाण-पत्रों, आदि के बारे में हैं।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भर्ती में कदाचार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच तत्काल की जाती है और मामलों की गंभीरता के अनुरूप दंड दिया जाता है। रक्षा सेनाओं में भर्ती के लिए प्रक्रिया पारदर्शी है और उम्मीदवारों के अनुकूल है। दलालों के हस्तक्षेप को रोका जाता है और रंगरूटों की असलियत का सत्यापन स्थानीय पुलिस की सहायता से किया जाता है। भर्ती की पद्धति को कड़ा करने और भर्ती प्रक्रिया में कदाचार की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(क) सेना

(1) विदेशियों और असामाजिक तत्वों की भर्ती रोकने के लिए सभी रंगरूटों के, भर्ती होने से पहले और बाद में, चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन किया जाता है।

(2) जहां भर्ती-संगठन के साथ उम्मीदवारों के सीधे संपर्क होते हैं केवल वहीं सारी भर्तियां भर्ती रैलियों के माध्यम से की जाती हैं ताकि इस पद्धति को अधिक पारदर्शी और खुला बनाया जा सके।

(3) रंगरूटों के लिए गुणात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाता है और जहां आवश्यक हो, अवांछित/अनुपयुक्त कार्मिकों को तत्काल वापस भेज दिया जाता है।

(4) विभिन्न भर्ती संघटनों में कार्यरत सिविलियन स्टाफ को जल्दी-जल्दी बदला जाता है।

(5) दूसरे चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वतंत्र जांच की पद्धति भी शुरू की गई है ताकि कदाचार को समाप्त किया जा सके।

(6) प्रश्न-पत्रों को पूरी तरह सुरक्षा में रखा जाता है और किसी भी तरह के लीकेज पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाती है।

(7) दलालों की गतिविधियों की सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए तत्काल सिविल पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दी जाती है।

(8) भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है तथा दोषियों से कठोरता से निपटा जाता है।

(ख) नौसेना

(1) लिखित और शारीरिक परीक्षा के परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाते हैं जिससे कदाचार के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती।

(2) भर्ती केन्द्रों के स्टाफ को नियमित अंतरालों के बाद बदल दिया जाता है और किसी भी प्रकार के निहित स्वार्थों को रोकने के लिए पद्धतियों की समीक्षा की जाती है।

(3) भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए प्राप्त हुए सुझावों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।

(4) नौसेना में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापनों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है कि नौसेना में भर्ती एक नि:शुल्क सेवा है और किसी भी प्रकार की कठिनाई के मामले में उम्मीदवार, नौसेना मुख्यालय में जनशक्ति योजना और भर्ती निदेशालय (डी एम पी आर) से संपर्क कर सकते हैं।

(ग) वायुसेना

(1) वायुसेना के लिए रंगरूटों का भर्ती से पहले और बाद में चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन सिविल पुलिस के माध्यम से किया जाता है।

(2) प्रश्न-पत्र तैयार करने में अत्यंत गोपनीयता बरती जाती है और प्रश्न-पत्रों के भिन्न-भिन्न सेट तैयार करके उनमें से किसी एक को परीक्षास्थल पर ही चुन लिया जाता है।

(3) स्थायी रिकार्ड रखने और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने को रोकने के लिए परीक्षाओं के दौरान उम्मीदवारों की फोटोग्राफी के लिए डिजीटल कैमरों का प्रयोग किया जाता है।

(4) कदाचार की कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर दलालों और सैन्य कार्मिकों, दोनों के विरुद्ध, कड़ी कार्रवाई की जाती है।

(5) चयन-परीक्षाओं के दौरान वायुसेना पुलिस के स्टाफ में वृद्धि करके लगातार सतर्कता बरती जाती है।

आकाशवाणी पर प्रसारण समय के संबंध में विदेशी प्रसारकों के साथ समझौता

***347. डा. एन. वेंकटस्वामी:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचार सामग्री अथवा रेडियो कार्यक्रमों के आदान-प्रदान हेतु ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन सहित विदेशी प्रसारकों को आकाशवाणी पर प्रसारण समय देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रसार भारती और बी.बी.सी. के बीच एक दूसरे के 'होमटर्फ' पर प्रसारण समय बांटने की संभावना का पता लगाने के लिए कोई बैठक हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या बी.बी.सी. ने आकाशवाणी को मनोरंजन, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु प्रसारण समय देने से इंकार कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(च) आकाशवाणी इससे किस प्रकार लाभान्वित होगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रसार भारती बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था का पता लगाने का निर्णय लिया है। तथापि, इस संबंध में प्रारंभिक पूर्वेक्षण से पता चला कि ऐसी विनिमय व्यवस्था संभव नहीं हो सकती है।

अशोध्य कर

***348. श्रीमती प्रभा राव:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 2002 के पश्चात् वर्तमान अशोध्य कर की दर में वृद्धि के बावजूद सरकार ने किसी अशोध्य कर के लिए घरेलू तेल कंपनियों को क्षतिपूर्ति न करने का निर्णय लिया है;

(ख) इस संबंध में कंपनियों को क्षतिपूर्ति किए जाने के वर्तमान प्रावधान क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा घरेलू तेल कंपनियों को इस संबंध में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(घ) क्या तेल कंपनियां इस संबंध में सरकार के निर्णय पर सहमत हो गई है; और

(ङ) अशोध्य कर के कारण घरेलू तेल कंपनियों को हुए घाटे की वे किस तरीके से पूर्ति करेंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ङ) अशोध्य करों के लिए तेल कंपनियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए 16 जनवरी, 2003 को सरकार द्वारा अधिसूचित "अशोध्य कर प्रतिपूर्ति योजना 2002" के तहत प्रतिपूर्ति निम्नलिखित के लिए उपलब्ध कराई जाती है:-

(1) स्थानीय क्षेत्र में कच्चे तेल के प्रवेश पर चुंगी कर सहित कर, उपलब्ध छूट यदि कोई हो, के अतिरिक्त; और

(2) घरेलू रिफाइनरियों के पेट्रोलियम उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अंतर कंपनी बिक्री सौदों पर कर नामतः केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी) और क्रय कर।

यथा उल्लिखित 1 अप्रैल, 2002 से तत्काल पूर्व उगाहा जा रहा था और जिसकी दर संलग्न विवरण में दी गई दरों से अनधिक थी।

यह योजना वर्ष 2002-03 के लिए प्रचालनरत थी और सरकार इस योजना को वर्ष 2003-04 के लिए समयवृद्धि प्रदान करने की जांच कर रही है।

वर्ष 2002-03 के दौरान तेल कंपनियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए पूर्वोक्त योजना के तहत 502.63 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई। 1 अप्रैल, 2002 से पहले तेल कंपनियां प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के तहत "तेल पूल खाता व्यवस्था" के माध्यम से अशोध्य करों के कारण अपने निम्न वसूलियों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करती थीं।

पूर्वोक्त योजना में प्रतिभागिता करने वाली तेल कंपनियों ने शपथपत्र दिया है कि वे इस योजना की शर्तों और निबंधनों का पालन करेंगी।

विवरण

"अशोध्य कर प्रतिपूर्ति योजना, 2002" के तहत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र रिफाइनरियों/रिफाइनरी प्रेषणों के लिए लागू अशोध्य कर

रिफाइनरी का नाम		क्रूड		उत्पाद
		प्रवेश कर %	चुंगी %	सीएसटी/क्रय कर # %
1	2	3	4	5
आई.ओ.सी.एल.				
1.	पानीपत	4.00	—	4.00
2.	मथुरा	3.00	—	4.00
3.	कोयाली	—	—	4.00
4.	हल्दिया	—	—	4.00
5.	बरौनी	2.00	—	4.00
6.	गुवाहाटी	—	—	4.00
7.	डिग्बोई	—	—	4.00

1	2	3	4	5
आई.ओ.सी.एल. की सहायक कंपनियां				
8.	बोंगाईगांव (बी आर पी एल)	—	—	4.00
9.	चेन्नई (सी पी सी एल)	—	—	4.00
10.	नरीमनम (सी पी सी एल)	—	—	4.00
एच.पी.सी.एल.				
11.	मुम्बई	—	2.25	4.00
12.	विशाख	—	—	4.00
एच.पी.सी.एल. संयुक्त उद्यम				
13.	मंगलौर (एम आर पी एल)	2.00	—	4.00
बी.पी.सी.एल.				
14.	मुम्बई	—	2.25	4.00
बी.पी.सी.एल. की सहायक कंपनियां				
15.	कोच्चि (के आर एल)	—	—	4.00
16.	नुमालीगढ़ (एन आर एल)	—	—	4.00
आर.पी.एल.				
17.	जामनगर	—	—	4.00

क्रय कर की 4% तक प्रतिपूर्ति के लिए विचार किया जाएगा।

टिप्पणी

इस योजना के तहत, प्रतिपूर्ति, करों से उत्पन्न निम्न वसूलियों तक और इस तालिका में दिए गए दरों से अनधिक दरों पर सीमित होगी। टैप आफ बिन्दुओं/डिपुओं पर हुई सी एस टी की निम्न वसूलियों के मामले में उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते उक्त उत्पाद के लिए रिफाइनरियों से प्रेषण के समय पर निम्न वसूलियां न हुई हों।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर पर रिक्त पद

***349. श्री जे.एस. बराड़:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पद काफी लम्बे समय से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते): (क) से (ग) दिनांक 30.6.2003 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक के 28 तथा पूर्णकालिक निदेशक के 75 पद रिक्त थे। इन पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये रिक्तियां विभिन्न कारणों, यथा सेवानिवृत्ति, कार्यकाल के समापन आदि से हुई हैं। इन 103 रिक्तियों में से

16 को स्थगित रखा गया है, 4 पदों पर नियुक्त उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं तथा 42 पदों के मामले में चयन का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष मामलों में चयन की प्रक्रिया चल रही है। निदेशक मण्डल स्तर के पदों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

30.6.2003 तक सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के रिक्त पदों का ब्यौरा

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्ति की तारीख
1	2	3
मुख्य कार्यपालक		
1.	अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	1.2.2002
2.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत भारी उद्योग निगम लि.	1.5.2003
3.	प्रबंध निदेशक, भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि.	1.8.2000
4.	प्रबंध निदेशक, भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि.	14.4.2001
5.	प्रबंध निदेशक, भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कं. लि.	20.2.2003
6.	प्रबंध निदेशक, ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.	2.5.2003
7.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एजूकेशनल कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि.	8.8.2001
8.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईटी एण्ड टी लि.	17.4.2000
9.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, फर्टिलाइजर कारपो. आफ इंडिया लि.	9.2.2002
10.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान केबल्स लि.	23.12.2002
11.	प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि.	20.8.2002
12.	प्रबंध निदेशक, एचएमटी मशीन टूल्स लि.	1.6.2003
13.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवास एवं शहर विकास निगम लि.	5.6.2002
14.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	1.1.2003
15.	प्रबंध निदेशक, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	2.2.2000
16.	प्रबंध निदेशक, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लि.	29.9.1997
17.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	23.5.2003
18.	प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	5.5.2000
19.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि.	1.2.2002
20.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	20.3.2002

1	2	3
21.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल जूट मैन्य. कारपोरेशन लि.	1.4.1998
22.	प्रबंध निदेशक, नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.	7.11.2002
23.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेपा लि.	1.12.2001
24.	प्रबंध निदेशक, उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	9.3.2003
25.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.	1.3.2002
26.	प्रबंध निदेशक, सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपोरेशन लि.	22.5.2000
27.	प्रबंध निदेशक, भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.	20.9.2001
28.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	9.4.2003
कार्यकारी निदेशक		
1.	सदस्य (प्रचालन), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	16.10.2001
2.	निदेशक (आयोजना), एण्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लि.	1.2.2002
3.	निदेशक (कार्मिक), भारत भारी उद्योग निगम लि.	1.6.2000
4.	निदेशक (तकनीकी), भारत यंत्र निगम लि.	1.5.1996
5.	निदेशक (उत्पादन), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपो. लि.	12.11.2002
6.	निदेशक (वित्त), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपो. लि.	12.11.2002
7.	निदेशक (वित्त), ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इण्डिया) लि.	—
8.	निदेशक (कार्मिक), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	2.2.2003
9.	निदेशक (वित्त), सीमेंट कारपो. आफ इंडिया लि.	29.10.2001
10.	निदेशक (प्रचालन), सीमेंट कारपो. आफ इण्डिया लि.	1.2.2002
11.	निदेशक (वित्त), चेन्नई पेट्रोलियम कारपो. लि.	22.11.2002
12.	निदेशक (तकनीकी), इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1.2.2003
13.	निदेशक (कार्मिक), इलेक्ट्रोनिक्स कारपो. आफ इण्डिया लि.	1.12.2002
14.	निदेशक (वित्त), फर्टिलाइजर कारपो. आफ इण्डिया लि.	13.9.2000
15.	निदेशक (वित्त), गोवा शिपयार्ड लि.	24.4.2002
16.	निदेशक (प्रचालन), गोवा शिपयार्ड लि.	14.5.2003
17.	निदेशक (कार्मिक), हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.	8.5.2002
18.	निदेशक (उत्पादन), हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.	23.9.1999
19.	निदेशक (विपणन), हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.	1.5.2001

1	2	3
20.	निदेशक (वित्त), हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.	1.12.2001
21.	निदेशक (कार्मिक), हिन्दुस्तान कापर लि.	30.11.2001
22.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान कापर लि.	29.4.2003
23.	निदेशक (वित्त), एचएमटी बियरिंग्स लि.	20.9.2001
24.	निदेशक (तकनीकी), एचएमटी बियरिंग्स लि.	20.9.2001
25.	निदेशक (विपणन), एचएमटी बियरिंग्स लि.	20.9.2001
26.	निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय विपणन), एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.	20.9.2001
27.	निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय परियोजना), एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.	20.9.2001
28.	निदेशक (वित्त), एचएमटी मशीन टूल्स लि.	20.9.2001
29.	निदेशक (तकनीकी), एचएमटी मशीन टूल्स लि.	20.9.2001
30.	निदेशक (मानव संसाधन), एचएमटी मशीन टूल्स लि.	20.9.2001
31.	निदेशक (विपणन), एचएमटी मशीन टूल्स लि.	20.9.2001
32.	निदेशक (तकनीकी), एचएमटी वाचेज लि.	20.9.2001
33.	निदेशक (वित्त), एचएमटी वाचेज लि.	20.9.2001
34.	निदेशक (मानव संसाधन), एचएमटी वाचेज लि.	20.9.2001
35.	निदेशक (विपणन), एचएमटी वाचेज लि.	20.9.2001
36.	निदेशक (तकनीकी), हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	7.6.2001
37.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.	12.6.2001
38.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लि.	26.12.2002
39.	निदेशक (वित्त), आवास एवं शहर विकास निगम लि.	14.12.2002
40.	निदेशक (नैगम आयोजना), आवास एवं शहर विकास निगम लि.	29.8.2002
41.	निदेशक (वाणिज्यिक व विपणन), भारत पर्यटन विकास निगम	1.12.2000
42.	निदेशक (वित्त), इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	6.3.2000
43.	निदेशक (सीपीएण्डपी), इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	1.7.2002
44.	निदेशक (परियोजना), इण्डियन रेलवे फाइनेंस कारपो. लि.	1.2.2003
45.	निदेशक (वित्त), इण्डियन रेलवे फाइनेंस कारपो. लि.	17.7.2001
46.	निदेशक (इंजी. एवं वाणिज्य), जेसप एण्ड कंपनी लि.	19.7.2000
47.	निदेशक (तकनीकी), महानगर टेलीफोन निगम लि.	13.11.2002

1	2	3
48.	निदेशक (वित्त), मैंगनीज ओर (इंडिया) लि.	30.7.2002
49.	निदेशक (पीएण्डपी), मैंगनीज ओर (इंडिया) लि.	1.4.2003
50.	निदेशक (वित्त), खनिज गवेषण निगम लि.	17.3.2003
51.	निदेशक (वित्त), खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.	1.5.2002
52.	निदेशक (विपणन), खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.	26.7.2002
53.	निदेशक (तकनीकी), मुम्बई रेल विकास निगम लि.	1.5.2002
54.	निदेशक (वित्त), मुम्बई रेल विकास निगम लि.	13.12.2002
55.	निदेशक (वित्त), नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	26.6.2002
56.	निदेशक (उत्पादन), नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	1.9.2002
57.	निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.	1.10.2002
58.	निदेशक (वित्त), नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.	31.7.2000
59.	निदेशक (वित्त), नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.	10.1.2003
60.	निदेशक (वित्त), नेपा लि.	1.11.2001
61.	निदेशक (पीएण्डपी), नेवेली लिग्नाईट कारपो. लि.	1.6.2003
62.	निदेशक (तकनीकी), नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	24.1.2003
63.	निदेशक (वित्त), नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लि.	11.11.2002
64.	निदेशक (मानव संसाधन), आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपो. लि.	1.5.2003
65.	निदेशक (तकनीकी), साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1.6.2003
66.	निदेशक (वित्त), स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि.	1.10.2002
67.	निदेशक (पी-ओ एण्ड एम), रेल टेल कारपो. आफ इण्डिया लि.	18.4.2002
68.	निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	25.1.2002
69.	निदेशक (इंजी.), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	31.8.2001
70.	निदेशक (तकनीकी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.	7.1.2003
71.	निदेशक (वित्त), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.	20.3.2003
72.	निदेशक (सिविल), सतलज जल विद्युत निगम लि.	7.1.2003
73.	निदेशक (कार्मिक), भारतीय राज्य वापार निगम लि.	12.6.2001
74.	निदेशक (विपणन), भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	23.6.2001
75.	निदेशक (तकनीकी), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपो. लि.	1.9.2002

[हिन्दी]

बोकारो ताप विद्युत केन्द्र में त्रासदी

***350. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत केन्द्र की "मशीन शाप" में छत गिरने की हाल की दुर्घटना में लगभग पांच श्रमिकों की मौत हो गई और लगभग बीस घायल हो गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस दुर्घटना के लिए दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रभावित लोगों को कोई वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया कराई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (च) दिनांक 23.6.2003 को दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के बोकारो "बी" थर्मल पावर स्टेशन के हैवी इक्विपमेंट रिपेयर शाप (मशीन शाप) की पूरी छत गिर गई, जिस कारण दुर्घटना के समय भवन के अंदर मौजूद 4 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई और 10 कर्मचारी घायल हो गए थे।

भवन के रख-रखाव के प्रभारी सीनियर डिवीजन इंजीनियर (सिविल), जो भवन के ढांचे की सुदृढ़ता की जांच के लिए जिम्मेदार था, को दुर्घटना के बाद निलंबित कर दिया गया था। डीवीसी ने इस घटना की जांच के लिए समिति गठित की थी। डीवीसी ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से भी इस घटना की तुरंत जांच करने को कहा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। डीवीसी को जिम्मेदारी निर्धारित करने और कार्रवाई करने को कहा गया है।

मृतक कर्मचारियों के परिवारों में से प्रत्येक को एक लाख रुपए अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है। मृतक कर्मचारियों की विधवाओं को नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गए हैं। तीन विधवाओं ने ज्वाइन भी कर लिया है।

[अनुवाद]

कंप्यूटरों की खरीद

***351. श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान टिकट बुकिंग के लिए खरीदे गये कंप्यूटरों में खराबी के कारण रेलवे को घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी डिवीजन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे की बहुविषयक समितियों द्वारा करायी गयी जांच का क्या निष्कर्ष निकला;

(घ) केंद्रीय जांच ब्यूरो को कितने मामले सौंपे गये और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकला;

(ङ) क्या रेलवे ने इन मशीनों के कार्यकरण के लिए सभी पहलुओं की जांच के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(च) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंप्यूटर आधारित टिकट मशीनों में दोषों के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कोई मामला नहीं सौंपा गया है।

(ङ) दोषपूर्ण कंप्यूटर-आधारित टिकट मशीनों की कार्य-प्रणाली के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए रेलों द्वारा पिछले तीन वर्षों में कोई समिति गठित नहीं की गयी है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत अधिनियम, 2003 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

***352. श्री कमल नाथ:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 पर हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसका निष्कर्ष क्या निकला?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) जी, हां। फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज

(फिक्की) द्वारा दिनांक 22 और 23 जुलाई, 2003 को नई दिल्ली में ''विद्युत अधिनियम, 2003 निवेश एवं विकास के अवसर'' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

इस संगोष्ठी में भाग लेने वालों ने विद्युत अधिनियम, 2003 की उदार एवं प्रगामी विशेषताओं तथा विद्युत क्षेत्र में सकारात्मक विकास पर विचार-विमर्श किया।

इस संगोष्ठी ने पणधारियों (स्टेकहोल्डरों) को अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों पर विचार-विमर्श करने तथा उसे समझने हेतु एक मंच प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य स्पर्धा का माहौल उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा सभी को विद्युत आपूर्ति करने हेतु विद्युत क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है।

समाचार प्रसारण

***353. श्री होलखोमांग हौकिप:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा किन-किन भाषाओं में समाचार प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) क्या आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारण हेतु भाषा के चयन के लिए क्या मानदंड हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग देश और विदेश के श्रोताओं के लिए अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय और अपने क्षेत्रीय समाचार एककों से प्रतिदिन 65 भारतीय भाषाओं/बोलियों और अंग्रेजी सहित विदेशी भाषाओं में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण करता है। तत्संबंधी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भाषाओं का चयन, भाषा/बोली के श्रोताओं की संख्या, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता, जनशक्ति और निधियों पर निर्भर करता है।

विवरण

उन भाषाओं/बोलियों की सूची जिनमें समाचार प्रभाग द्वारा समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जा रहे हैं

भारतीय भाषाओं/बोलियों की सूची

1. अरुणाचली
2. असमी
3. बंगाली
4. डोगरी
5. गुजराती
6. हिन्दी
7. कन्नड़
8. कश्मीरी
9. कोंकणी
10. मलयालम
11. मणीपुरी
12. मराठी
13. नेपाली
14. उड़िया
15. पंजाबी
16. संस्कृत
17. सिंधी
18. तमिल
19. तेलुगू
20. उर्दू
21. अदि
22. अंगमी
23. आवो
24. अपतानी
25. बालती

26. बोडो
27. चाखेसंग
28. चांग
29. दिमासा
30. गारो
31. गाजरी
32. ह्मार
33. इडु
34. जैंतिया
35. कबुई
36. करबी
37. खपंटी
38. खासी
39. खियामनुगम
40. कोकबोरक
41. कोणयक
42. कुकी
43. लद्दाखी
44. लेपचा
45. लोथा
46. महल
47. मावो
48. मिजो
49. मिजु मिशहमी
50. नागामसी
51. न्यीशी
52. नोक्टे
53. पैते
54. फोम
55. राजस्थानी
56. रेगंमा
57. संगतम
58. सेमा
59. तागिन
60. तांगसा
61. थाडोड
62. तंगखुल
63. वांचो
64. चिमचुंगारू
65. जेतियांग

विदेशी भाषाओं की सूची

1. अरबी
2. बलुची
3. बुर्मीशी
4. चीनी
5. दारी
6. अंग्रेजी
7. फ्रेंच
8. इंडोनेशियन
9. परशियन
10. पश्तो
11. रूसी
12. सिंहला
13. स्वाहिली
14. थाई
15. तिब्बती।

तेल बिल घाटा

***354. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2001, मार्च, 2002 और मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार तेल बिल का कुल घाटा क्रमशः कितना था;

(ख) क्या तेल बिल घाटा लगातार बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा तेल बिल घाटे को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) 2000-01 से 2002-03 की अवधि के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार थे:

मात्रा (मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	कच्चा तेल	उत्पाद	योग
2000-01	74.097	9.267	83.364
2001-02	78.706	7.009	85.715
2002-03	81.989	6.737	88.726

मूल्य (करोड़ रुपए में)

वर्ष	कच्चा तेल	उत्पाद	योग
2000-01	65,932	12,093	78,025
2001-02	60,397	7,249	67,646
2002-03	76,195	8,206	84,401

तेल आयातों/तेल आयात के बिल का मूल्य आयातों की मात्रा और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में विद्यमान मूल्यों पर निर्भर करता है। घरेलू रिफाइनरियों की मांग को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात में वृद्धि करने के कारण 2000-01 से 2002-03 की अवधि के दौरान तेल आयात की मात्रा में वृद्धि हुई।

(घ) तेल आयात बिल में कमी करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्न उपाय सम्मिलित हैं-

(I) निम्न द्वारा कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए प्रयास:

(1) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना।

(2) वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर)/उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा वर्तमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना।

(3) विशेष रूप से गहरे समुद्र और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में नए क्षेत्रों की खोज करना और उत्पादक क्षेत्रों की गहनतर परतों में भी खोज करना।

(4) नए खोजे गए क्षेत्रों का अधिक तेज विकास और उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर, उत्प्रेरण प्रचालनों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों का बढ़ा हुआ उपयोग।

(5) विदेश में रकबे प्राप्त करना।

(II) कतिपय राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में पेट्रोल में एथेनोल का मिश्रण अनिवार्य बनाना।

(III) तेल संरक्षण उपायों की जागरूकता बढ़ाना।

रेलवे संरक्षा आयुक्त पर नियंत्रण

***355. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग रेलवे संरक्षा आयुक्त को नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रण से लेकर अपने नियंत्रणाधीन लाने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) आज की तारीख तक रेल संरक्षा आयुक्त को रेल मंत्रालय के नियंत्रण में लाने का कोई विचार नहीं किया गया है। इस मामले को अप्रैल, 2003 में संसद में प्रस्तुत "भारतीय रेल पर संरक्षा संबंधी श्वेत पत्र" में पहले ही लाया जा चुका है।

भारतीय प्रसारकों को समान अवसर देना

***356. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी इक्विटी पर 26 प्रतिशत पूंजी के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विदेशी समाचार चैनलों की सेवाएं लेने संबंधी अपनी नीति पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को भारतीय प्रसारकों से समान अवसरों की मांग के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय प्रसारकों की मांग के संबंध में सभी प्रसारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह निर्णय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक बैठक में लिया गया था जिसमें उप-प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, विधि मंत्री और न्याय मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री ने भी भाग लिया था;

(ङ) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय लिये गये; और

(च) यह प्रसारकों के लिए कितने लाभप्रद होंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) विशेषकर समाचार और समसामयिक विषयक चैनलों की अपलिंकिंग के संबंध में विदेशी इक्विटी मानकों/दिशा-निर्देशों की जांच करने और उल्लंघनों को रोकने के लिए उनको सुदृढ़ बनाने तथा दिशा-निर्देशों के अक्षरश: अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 15 जुलाई, 2003 के एक आदेश द्वारा एक अन्तर-मंत्रालयीय समूह का गठन किया गया है। यह समूह यदि कोई ऐसी खामी हो जिसके रहते कोई कम्पनी विदेशी इक्विटी के मानकों को मात देते हुए हेरा-फेरी कर सकती हो तो उसे दूर करने के उपायों के बारे में विचार-विमर्श करेगा।

(ख) से (च) प्रसारकों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों के बारे में एक अभ्यावेदन दिया। उठाए गए कुछ मुद्दों के संबंध में कार्रवाई इस मंत्रालय में की जाती है। प्रसारकों की उक्त बैठक के दौरान कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, उनके अभ्यावेदन की एक प्रति मंत्रालय में प्राप्त हो गयी है और दिए गए सुझावों को नोट कर लिया गया है। यह पाया गया है कि सरकार की प्रसारण नीतियों को बदल रही परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी में हो रही उन्नति और बदल रहे समय की जरूरतों के अनुरूप निरन्तर तैयार किया जा रहा है। ऐसी उन्नति के लाभ के अवसर जनता को प्रदान करने और इसके साथ-साथ सार्वजनिक शालीनता, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में न्यूनतम आचार-संहिता सुनिश्चित करने के लिए विनियम बनाने का सरकार का सतत प्रयास रहता है।

दुष्प्रचार रोकने के लिए सीमावर्ती राज्यों के लिए पैकेज

***357. चौ. तालिब हुसैन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पड़ोसी देशों के दुष्प्रचार को रोकने के लिए सीमावर्ती राज्यों में दूरदर्शन/आकाशवाणी कार्यक्रमों को सशक्त बनाने के लिए योजनाओं का पैकेज है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान योजनाओं के ऐसे पैकेज पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ग) क्या सरकार को सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में दूरदर्शन/आकाशवाणी के अधिकारियों द्वारा धनराशि के दुरूपयोग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में दूरदर्शन और आकाशवाणी सेवाओं को सुधारने के लिए 430 करोड़ रुपये के एक पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के एक हिस्से के रूप में जम्मू एवं कश्मीर में आकाशवाणी/दूरदर्शन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 99 दूरदर्शन और 12 आकाशवाणी परियोजनाओं को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान 92 दूरदर्शन और 11 आकाशवाणी परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

सरकार ने पूर्वोत्तर में दूरदर्शन और आकाशवाणी सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए एक विशेष पैकेज के कार्यान्वयन को भी सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त स्कीमों पर दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा क्रमश: लगभग 168.4 करोड़ रुपये और 54.69 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सीमावर्ती राज्यों में दूरदर्शन/आकाशवाणी के अधिकारियों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सरकार को समय स्लाटों/कार्यक्रमों के आवंटन और निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं और इन पर निर्धारित संहितात्मक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

ओ.एन.जी.सी. द्वारा सऊदी अरब में तेल के कुंओं का अर्जन

***358. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. ने हाल ही में सऊदी अरब में तेल के कुंओं के लिए बोली लगायी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव या आफर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में सऊदी अरब में बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ओ.एन.जी.सी. ने सऊदी अरब में तेल की अर्थव्यवस्था और कारोबार की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया है;

(ङ) क्या ओ.एन.जी.सी. से अस्वीकृत स्थलों और कम संसाधन वाले क्षेत्रों की पेशकश की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इस बात की जांच के लिए कि क्या यह पेशकश ओ.एन.जी.सी. के लिए लाभकारी है, क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) को कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया गया है। हाल ही में सऊदी अरब के पेट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्रालय ने खुली बोली के माध्यम से विदेशी प्रतिभागिता के लिए 3 गैस अन्वेषण ब्लाक पहले दौर में प्रस्तावित करने हेतु निर्दिष्ट किए हैं। ब्लाकों के संबंध में डेटा सऊदी प्राधिकारियों द्वारा उन कंपनियों को दिखाया जाएगा, जो सऊदी मूल्यांकन के अनुसार अर्हता प्राप्त करती हैं।

(च) चूंकि ओ.एन.जी.सी. को कोई अनन्य प्रस्ताव नहीं किया गया है, इसलिए बोली के लिए निर्धारित ब्लाकों का मूल्यांकन उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड द्वारा उपलब्ध डेटा को ध्यान में रखते हुए तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर किया जाएगा।

कोयला, लिग्नाईट और गैस आधारित परियोजनाएं

***359. श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में एन.टी.पी.सी. की कोयला, लिग्नाईट और गैस आधारित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और परियोजना-वार वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का मूल्य क्या है;

(ग) क्या एन.टी.पी.सी. अपनी विद्युत परियोजनाओं को अनवरत रूप से कोयला, लिग्नाईट और गैस की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध कराता रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्रोत क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) आज की स्थितिनुसार एन टी पी सी की अधिष्ठापित क्षमता 21249 मे.वा. है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्तमान में एन टी पी सी के पास कोई लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना नहीं है।

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान एनटीपीसी द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों (रा.वि. बोर्डों) को आपूर्ति की गई विद्युत की औसत निम्नवत् है-

कोयला आधारित	-	128.21 पैसे/कि.वा. घंटा
गैस आधारित	-	215.65 पैसे/कि.वा. घंटा
नेप्था आधारित	-	379.69 पैसे/कि.वा. घंटा
औसत कीमत	-	147.12 पैसे/कि.वा. घंटा

(ग) और (घ) एनटीपीसी अपनी परियोजनाओं के लिए कोयला, कोयला मंत्रालय की लिंकेज समिति द्वारा स्वीकृत लिंकेज के अनुसार प्राप्त करता है जैसा कि ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। जहां तक गैस आपूर्ति का संबंध है, गैल के पास गैस की कम उपलब्धता के कारण आपूर्ति कम होती रही है।

विवरण I

एनटीपीसी की अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा

स्टेशन	राज्य	ईंधन	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
सिंगरौली	उत्तर प्रदेश	कोयला	2000
रिहंद		कोयला	1000
दादरी कोयला		कोयला	840
दादरी गैस		गैस	817
औरैया		गैस	652

1	2	3	4
ऊंचाहार		कोयला	840
टांडा		कोयला	440
फरीदाबाद	हरियाणा	गैस	430
अंता	राजस्थान	गैस	413
कोरबा	छत्तीसगढ़	कोयला	2100
विन्ध्याचल	मध्य प्रदेश	कोयला	2260
कवास	गुजरात	गैस	645
गांधार		गैस	648
रामागुंडम	आंध्र प्रदेश	कोयला	2100
सिम्हाद्री		कोयला	1000
कायमकुलम	केरल	नेप्था	350
फरक्का	पश्चिम बंगाल	कोयला	1600
तालचेर कनिहा	उड़ीसा	कोयला	1500
तालचेर		कोयला	460
कहलगांव	बिहार	कोयला	840
	कुल		20935
सेल के साथ संयुक्त उद्यम के अंतर्गत सीपीपी (दुर्गापुर 120 मेगावाट, राउरकेला-120 मेगावाट एवं भिलाई-74 मेगावाट)			314
	कुल		21249

विवरण II

स्टेशन	स्रोत	कंपनी
1	2	3
क. कोयला आधारित		
सिंगरौली	जयंत/दुधीचुआ	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
विन्ध्याचल	निघाई/दुधीचुआ	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
रिहंद	अमलोरी/दुधीचुआ	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
कोरबा	कोरबा कोलफील्ड्स	साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
रामागुंडम	रामागुंडम एरिया/बेलमपल्ली एरिया	सिंगरेनी कोलरीज कं. लि.
फरक्का	राजमहल/रानीगंज कोलफील्ड्स	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
कहलगांव	राजमहल/रानीगंज कोलफील्ड्स	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
तालचेर कनिहा एसटीपीएस	तालचेर कोलफील्ड्स की लिंगराज माइंस	महानदी कोलफील्ड्स लि.
तालचेर टीपीएस	जगन्नाथ/तालचेर कोलफील्ड्स की साऊथ बेलांडा माइन्स	महानदी कोलफील्ड्स लि.
सिम्हाद्री	तालचेर कोलफील्ड/इब वैली कोलफील्ड्स	महानदी कोलफील्ड्स लि.
एनसीटीपीपी दादरी	पिपरवार वाशरी/उत्तरी करनपुरा एरिया	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.

1	2	3
ऊंचाहार	उत्तरी करनपुरा एरिया झरिया/अदरा कोलफील्ड्स	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. भारत कूकिंग कोल लि.
टांडा	उत्तरी करनपुरा एरिया झरिया/अदरा कोलफील्ड्स	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. भारत कूकिंग कोल लि.
ख. गैस आधारित		
अंता, औरैया, दादरी, कवास, फरीदाबाद	एचबीजे पाइपलाईन	गैल (इंडिया) लि.
गांधार	गांधार गैस फील्ड	गेल (इंडिया) लि.
कायमकुलम*	कोच्ची रिफाइनरी	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.

*प्राकृतिक गैस की उपलब्धता/लिंकेज के अभाव में वर्तमान में ईंधन के रूप में नेप्था का उपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नई राष्ट्रीय विद्युत नीति

***360. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003, 10 जून, 2003 से लागू हो गया है। अधिनियम की धारा 3(1) में प्रावधान है कि कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय द्रव्य या सामग्री, जल विद्युत तथा ऊर्जा के अक्षय स्रोतों जैसे संसाधनों के इष्टतम समुपयोजन पर आधारित विद्युत प्रणाली के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श करके समय-समय पर राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार करेगी। परामर्श प्रक्रिया आरंभ हो गई है।

धारा 79(2) में यह भी प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय विद्युत नीति को तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सलाह प्रदान करेगा।

निजी एफ.एम. चैनलों पर समाचार

3167. श्री सुन्दरलाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने निजी एफ.एम. चैनलों पर समाचारों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी एफ.एम. चैनल प्रतिबंध के बावजूद अभी भी अपने अद्वितीय अंदाज में समाचारों का प्रसारण कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) लाइसेंस अनुबंध खंड-7 के मुख्य पाठ की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार ''लाइसेंस मुख्य वाहक पर श्रव्य तथा उप-वाहक पर आंकड़ों के फ्री-टु-एयर प्रसारण के लिए है तथा दोनों समाचार और सम-सामयिक विषय के कार्यक्रमों तथा संचार विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अन्य सेवाओं को छोड़कर हैं'' तथा निविदा दस्तावेज की खंड 1(क) धारा-6 के अनुसार ''लाइसेंस मुख्य वाहक पर श्रव्य तथा उप-वाहक पर आंकड़ों के फ्री-टु-एयर प्रसारण के लिए है, दोनों समाचार और सम-सामयिक विषयों को छोड़कर हैं।'' इसलिए निजी प्रसारकों को समाचार और सम-सामयिक विषयों के प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से दिनांक 11.6.2002 को प्रसार भारती से मुंबई में निजी एफ एम चैनल पर समाचार और सम-सामयिक विषयों के प्रसारण से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) मामले को कंपनी के साथ उठाया गया था, जिसने उत्तर दिया कि ऐसा अवासधानीवश हुआ तथा ऐसा दुबारा न होने को सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा उपाय किये गए हैं।

केन्द्रीय मानीटरिंग सेवा को दिल्ली स्थित रेडियो केन्द्रों नामतः रेडियो मिर्ची, 93.5 रेड एफ एम और रेडियो सिटी निजी एफ एम चैनलों को लगातार 2 दिन के लिए मानीटर करने हेतु कहा गया है। केन्द्रीय मानीटरिंग सेवा से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें बताया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 19.07.2003 और 20.07.2003 को मानीटरिंग अवधि के दौरान इन केन्द्रों द्वारा कोई समाचार कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया था। लाइसेंस अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा मानीटरिंग की जा रही है।

[अनुवाद]

मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम

3168. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और फलकनुमा क्षेत्रों को जोड़ने वाली मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दूसरा चरण निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई; और

(ग) परिचालन के लिए उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावनाएं हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। सिकन्दराबाद-काचीगुड़ा-फलकनुमा को जोड़ने वाला मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एम एम टी एस) का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ख) एम एम टी एस के चरण-1 के रूप में हैदराबाद/सिकंदराबाद-लिंगमपल्ली और सिकन्दराबाद-फलकनुमा मार्गों के अपग्रेडेशन की परियोजना 69.64 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत की गई हैं। रेलवे और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में लागत वहन की जा रही है। पूरी निधियां उपलब्ध करा दी गई हैं।

(ग) कार्य के वर्ष 2003 में पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि

3169. श्री राम टहल चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड राज्य में प्रत्येक बिजली घर के विद्युत उत्पादन क्षमता में वर्ष-वार कितनी वृद्धि दर्ज की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त राज्य में इन बिजली घरों के विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) झारखण्ड में विद्यमान विद्युत केन्द्रों की उत्पादन क्षमता में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) झारखण्ड में विद्यमान विद्युत केन्द्रों पर प्रस्तावित नई यूनिटों तथा नवीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि कार्य हेतु निर्धारित योजनाओं जिससे 10वीं योजना के दौरान लाभ प्राप्त होने हैं, के ब्यौरे इस प्रकार हैं,-

नई यूनिटें:

क्र. सं.	यूटिलिटी/परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट में)
1.	चन्द्रपुरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (टी पी पी) विस्तार, यूनिट 7 और 8/दामोदर घाटी निगम (डी वी सी)	2×250
2.	तेनुघाट टीपीपी चरण-2 यूनिट 3 और 4/तेनुघाट विद्युत निगम लि.	3×210*
3.	जोजोबरा टीपीपी/टाटा इलेक्ट्रिक कं.	1×120

नवीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि कार्य से जुड़ी योजनाएं:

क्र. सं.	योजना का नाम/संस्थापित क्षमता (मेगावाट) और यूटिलिटी	नवीकरण और आधुनिकीकरण के बाद क्षमता (मेगावाट)	लाभ/क्षमता में वृद्धि (मेगावाट)
1.	मैथान यूनिट-2 (1×20 मेगावाट) डीवीसी	23.2	3.2
2.	मैथान यूनिट-1 और 3 (2×20 मेगावाट) डीवीसी	46.4	6.4
3.	पंचेट यूनिट-1 (1×40 मेगावाट) डीवीसी	46.0	6.0

*210 मेगावाट की केवल एक यूनिट ही 10वीं योजना में शामिल।

आई.जी.एल. द्वारा कम्प्रेशरों की खरीद

3170. श्री महेश्वर सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (जी.ए.आई.एल.) भी दिल्ली में आई.जी.एल. द्वारा चलाए जा रहे सी.एन.जी. स्टेशनों में सह-भागीदार हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999 से आज तक विदेशी कंपनियों से कुल कितने कम्प्रेशरों की खरीद की गई; और

(ग) इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं। तथापि गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.) के प्रवर्तकों में से एक है।

(ख) और (ग) आई.जी.एल. ने 1999 से लगभग 72.44 करोड़ रुपये के मूल्य के 38 कम्प्रेशरों के लिए आदेश दिए हैं। 28 कम्प्रैशर पहले ही प्राप्त हो चुके हैं जिन पर आई.जी.एल. 57.65 करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है। लगभग 14.79 करोड़ रुपये के मूल्य के शेष 10 कम्प्रैशर सुपुर्दगी के विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

एझीमाला नौसेना अकादमी के लिए बुनियादी सुविधाएं

3171. श्री एम. दुराई: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार को वर्ष 2004 में शुरू होने वाली एझीमाला नौसेना अकादमी के लिए शीघ्र बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार उक्त परियोजना संबंधी अपने अनुबंध का सम्मान करने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य सरकार को एझीमाला में नौसेना अकादमी स्थापित करने के लिए 979 हेक्टेयर (लगभग 2500 एकड़) भूमि, पेय जल की पर्याप्त सप्लाई तथा कार्यात्मक चरण के दौरान निर्माण कार्य के लिए जल उपलब्ध कराना; प्यानगाड़ी रेलवे स्टेशन के लिए पहुंच सड़क तथा 5 परिधीय सड़कें और एक राष्ट्रीय राजमार्ग, मानक दक्षिणी पहुंच सड़क; और प्यांनूर रेलवे स्टेशन की अभिवृद्धि, उपलब्ध करानी थी।

(ग) और (घ) कार्य प्रगति पर है और राज्य सरकार दिए गए वचन के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। आधारभूत निर्माण-कार्यों की समीक्षा करने के लिए परियोजना प्रबंधन प्राधिकरण मुख्य सचिव, केरल सरकार की अध्यक्षता में समन्वय समिति की नियमित बैठकों का आयोजन कर रहा है।

नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाने से सिल्चर तक पाइपलाइन

3172. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाने से सिल्चर तक 675 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस समय प्रस्ताव किस चरण में है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा भूमि

3173. श्री चिंतामन वनगा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी तालुका में रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण वाली भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उन व्यक्तियों को भूमि देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो रक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने से प्रभावित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) नासिक जिले के इगतपुरी तालुका में राजस्व सर्वेक्षण संख्या 142 वाली 11.275 एकड़ भूमि तथा राजस्व सर्वेक्षण संख्या 216 वाली 6.45 एकड़ भूमि रक्षा स्वामित्व वाली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर (ख) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

कोचीन से कायमकुलम और मंगलौर तक गैस पाइपलाइन परियोजना

3174. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (जी.ए.आई.एल.) ने कोचीन से कायमकुलम और कोचीन से मंगलौर तक गैस परिवहन के लिए गैस पाइपलाइन परियोजना के संबंध में कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) परियोजना के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान में पाइपलाइन मार्ग के सर्वेक्षण, भूमि के उपभोग के अधिकार के अर्जन जैसे परियोजना-पूर्व क्रियाकलाप प्रगति पर हैं।

(ग) परियोजना चालू करने की तारीख का पता सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित किए जाने के बाद ही चलेगा।

[हिन्दी]

पुरूलिया में लंबित एल.पी.टी. परियोजना

3175. श्री बीर सिंह महतो: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के पुरूलिया क्षेत्र में बारामुण्डी में स्थित दूरदर्शन केन्द्र के अति निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर स्वीकृत निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना के संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस कार्य में तेजी लाने के लिए क्या प्रचार किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) बागमुण्डी में अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर अल्प शक्ति ट्रांसमीटर जून, 2002 से चालू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

बिना प्रदूषण फैलाए विद्युत का उत्पादन

3176. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिना प्रदूषण फैलाए विद्युत के उत्पादन के लिए अमरीकी सरकार की कुछ सरकारी एजेंसियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या इस समझौते से देश को मदद मिलने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या बिना प्रदूषण फैलाए विद्युत के उत्पादन के लिए कोई तकनीकी या वित्तीय मदद दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) जी, नहीं। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका अनुसंधान एवं विकास परियोजना के रूप में एक निस्सरण रहित कोल-फायर्ड विद्युत केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर अलग से विचार कर रहा है। इस संबंध में अब तक भारत के साथ बातचीत नहीं की गई है।

तमिलनाडु में मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाना

3177. श्री मणि शंकर अय्यर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों को भिन्न-भिन्न मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्र सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के विचार में ऐसी भिन्नता न्यायोचित है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी विषमता को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) सरकार विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को मिट्टी का तेल का आबंटन सार्वजनिक वितरण पद्धति (पी डी एस) के अंतर्गत करती हैं। तमिलनाडु सहित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र मिट्टी का तेल का आबंटन अपने पी डी एस नेटवर्क के माध्यम से करते हैं और सरकार द्वारा किए गए आबंटन के भीतर संबंधित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों आदि जैसे पी डी एस खुदरा बिक्री केन्द्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा का निर्णय करते हैं।

[हिन्दी]

विज्ञापनों से आय

3178. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अपनी आय बढ़ाने के लिए किसी ऐसी एजेंसी को नियुक्त किया है जो रेल टिकटों के पिछले हिस्से पर विज्ञापन मुद्रित करने के कार्य में शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नाम और ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) रेलवे को पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान से आज तक रेल टिकटों के पिछले हिस्से पर विज्ञापन मुद्रित करने से सरकारी और निजी एजेंसी-वार पृथक-पृथक कितनी आय है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) रेलवे ने रेल टिकटों के पीछे विज्ञापनों की छपाई के लिए किसी विज्ञापन एजेंसी को विशिष्ट तौर पर नियुक्त नहीं किया है।

(ग) इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त प्रभार

3179. श्री अधीर चौधरी: क्या **रेल मंत्री** रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के बारे में 6 मार्च, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2443 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ रेलवे स्टेशनों का चयन "माडल स्टेशन" के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनों के उन्नयन/पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण कार्य का वित्त पोषण योजना शीर्ष "पैसेंजर एमेनिटीज" के अंतर्गत जोनल रेलवे के प्रावधानों से किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या वैध ट्रेन टिकट रखने वाले यात्री सेवाओं के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किए बिना सभी यात्री सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनों विशेषकर न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में शौचालय और स्नानघर की सुविधाओं का उपयोग करने पर वैध ट्रेन टिकट रखने वाले यात्रियों को अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) उन सुविधाओं के सिवाय जिनके लिए अलग से प्रभार निर्धारित किए गए हैं, यात्री रेलवे द्वारा मुहैया कराई गई सुविधाओं का मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं।

(घ) "भुगतान करो और प्रयोग करो" शौचालय कुछ स्टेशनों पर मुहैया कराए गए हैं जो कि ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उच्च स्तर वाले हैं और संवर्धित सेवा के लिए नाममात्र का प्रभार लिया जाता है। सामान्य शौचालयों के लिए रेल प्रशासन द्वारा कोई प्रभार नहीं लिया जाता है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का विपणन लाभ

3180. डा. चरण दास महंत: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नियंत्रित मूल्य प्रणाली (ए पी एम) के विघटन के बाद डीजल और पेट्रोल की बिक्री पर सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का विपणन लाभ (मार्जिन) बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वेतन, विद्युत लागत में वृद्धि, मूल्यह्रास और प्रतिस्पर्द्धा आदि खुदरा बिक्री केन्द्रों की आर्थिक व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे कारक पेट्रोल पंप डीलरों की आर्थिक व्यवहार्यता पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां डीलरों और कम्पनी के स्वामित्व और कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) आपरेटरों की व्यवहार्यता संबंधी स्थिति का ध्यान रख रही है;

(ङ) क्या "कोको" आपरेटरों का पारिश्रमिक सिद्धांत रूप में शुरूआत में डीलरों के कमीशन का 80 प्रतिशत निर्धारित था;

(च) यदि हां, तो क्या इस सूत्र को खत्म कर दिया गया या संशोधित किया गया; और

(छ) यदि नहीं, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) की समाप्ति के बाद सरकार पेट्रोल और डीजल पर डीलरों का कमीशन नियत नहीं कर रही है। इसे अब तेल कंपनियों द्वारा नियत किया जा रहा है।

तेल कंपनियों ने पिछली बार 1.11.2002 से डीलरों के कमीशन में संशोधन किया था। इस संशोधन के अनुसार पेट्रोल पर डीलरों का कमीशन 613 रुपए प्रति कि.ली. से बढ़ाकर 639 रुपए प्रति कि.ली. कर दिया गया था और डीजल पर डीलरों का कमीशन 365 रुपए प्रति कि.ली. से बढ़ाकर 385 रुपए प्रति कि.ली. कर दिया गया था। डीलरों के कमीशन में विभिन्न घटक सम्मिलित होते हैं जिनमें अन्य घटकों के साथ-साथ वेतन और मजदूरी, विद्युत प्रभार आदि सम्मिलित हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों की निदेशक विपणन समिति द्वारा लिए गए निर्णय

3181. श्री भास्कर राव पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों की निदेशक विपणन समिति ने एफ ए आई पी टी और सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों के निदेशक विपणन द्वारा हस्ताक्षरित 17 अगस्त, 2001 के समझौते में किसी अवैध खंड के बारे में सरकार को सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मुद्दा पिछले दो वर्ष से लंबित है और निदेशक समिति इस मुद्दे को अंतिम रूप देने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं और डीलरों को परेशानी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो यह मुद्दा कानूनों के उपबंधों के अनुसार पारस्परिक रूप से कब तक निपटाया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा न्याय के लिए तथा कानून के उपबंधों के प्रति सम्मान हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) जी, नहीं। 17 अगस्त, 2001 को तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के निदेशकों (विपणन) तथा अखिल भारतीय पेट्रोलियम व्यापारी संघ (एफ ए आई पी टी) के प्रतिनिधियों के बीच चर्चाएं हुई थी, जिनमें इस विषय में सहमति हुई थी कि एक संयुक्त समिति पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्रियों से संबंधित गुणवत्ता एवं मात्रा संबंधी मुद्दों के सभी पहलुओं की जांच-पड़ताल करेगी। इसके अनुसरण में ओ एम सीज के निदेशकों (विपणन) तथा एफ ए आई पी टी के प्रतिनिधियों के बीच 21 अक्तूबर, 2002 तथा 17 फरवरी, 2003 को बैठक आयोजित की गई थी।

[हिन्दी]

रेल टिकट आरक्षण संबंधी घपला

3182. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में राजकोट मंडल के अंतर्गत जामनगर रेलवे स्टेशन पर हाल ही में किसी रेल टिकट आरक्षण के संबंध में हुए घपले का भंडाफोड़ हुआ है;

(ख) क्या वहां से नकली आरक्षण प्रपत्रों का एक गट्ठर जब्त किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस घपले में कौन-कौन अधिकारी संलिप्त पाए गए हैं और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) रेल कर्मचारियों की शिकायत पर 24.9.2002 को जामनगर में जामनगर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया। संदिग्ध व्यक्ति के ठिकाने से आरक्षण फार्मों का एक बैच मिला जिसे बाद में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की सुनवाई चल रही है। इस मामले में कोई भी रेल कर्मचारी शामिल नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

घनी आबादी वाले क्षेत्रों के पेट्रोलियम डिपो

3183. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पेट्रोलियम डिपुओं की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के आस-पास अत्यंत विस्फोटक पदार्थों को न रखने के संबंध में पर्याप्त कदम उठाये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे डिपुओं को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) आरम्भ में पेट्रोलियम डिपुओं के लिए स्थल आमतौर पर आबादी वाली जगहों से दूर चुने जाते हैं। तथापि समय के अंतराल में उस इलाके में आवासी और वाणिज्यिक संरचनाएं स्थापित हो जाती हैं जिससे उस क्षेत्र में भीड़-भाड़ हो जाती हैं।

(ख) लागू स्थापित दिशानिर्देशों, पेट्रोलियम अधिनियम और नियमावली (मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्रवर्तित), ओ आई एस डी मानकों, फैक्टरी अधिनियम आदि का पालन करते हुए डिपुओं की सुविधाओं को डिजाइन करते हुए पर्याप्त अंतर्निहित उपाय किए जाते हैं।

(ग) और (घ) तेल कंपनियां सुरक्षा परिस्थितियों, अन्य स्थल तक स्थानांतरण और कार्यनीतिक भंडारण आदि जैसे विभिन्न आधारों पर डिपुओं के स्थानांतरण की समीक्षा करती हैं। सुरक्षा परिस्थितियों सहित विभिन्न कारणों से विगत में गई डिपू बंद/स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

इंडियन आयल कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों की छंटनी

3184. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन आयल कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों की छंटनी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इंडियन आयल कंपनी लिमिटेड की कार्यकुशलता पर इस छंटनी का क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा;

(घ) सरकार द्वारा निगम की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान कितना मुनाफा अर्जित किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) अनंकेक्षित अनन्तिम अनुमान के अनुसार अप्रैल-जून, 2003 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अर्जित निवल लाभ 944.67 करोड़ रुपए था।

[अनुवाद]

बोर्ड कार्यालय में आर पी एफ अधिकारी

3185. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानून और व्यवस्था की समस्याओं के बावजूद अनेक आर पी एफ अधिकारियों को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी बोर्ड में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ''क'' श्रेणी के किसी पद का सचिवीय कार्य हेतु बोर्ड कार्यालय में स्थानान्तरित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो आर पी एफ को बोर्ड के कार्यालय में स्थानान्तरित करने का क्या औचित्य है;

(ङ) क्या इस प्रशासनिक पद को आर.बी.एस.एस. अधिकारी द्वारा संभाला जा सकता है क्योंकि पिछले अनेक वर्षों से वह इसे कुशलतापूर्वक संभाले हुए थे;

(च) यदि हां, तो क्या इस पद को प्रशासनिक हित में प्रचालन ड्यूटियों हेतु वापिस आर पी एफ में प्रत्यावर्तित किया जाएगा; और

(छ) बोर्ड के कर्मचारियों और आर पी एफ अधिकारियों/कर्मचारियों, जो अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस संवेदनशील सुरक्षा निदेशालय में काम कर रहे हैं, का स्थानान्तरण प्रशासनिक हित को देखते हुए कब तक किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) कोई भी राजपत्रित रे.सु.व. अधिकारी कार्यकाल से अधिक समय तक नहीं रखा गया है। बहरहाल, कुछ अराजपत्रित रे.सु.ब. कर्मचारियों को सुरक्षा निदेशालय की निरन्तरता तथा सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक हित में उनके कार्यकाल के बाद बोर्ड कार्यालय में रखा गया है।

(ग) और (घ) रेलवे बोर्ड स्तर पर भारतीय रेल के सुरक्षा संगठन के प्रशासन को मजबूत करने के लिए आवश्यक समझे जाने पर रे.सु.ब. पदों का समय-समय पर उपयोग किया गया है। ग्रुप 'क' का कोई पद क्षेत्रीय रेलों से फिलहाल स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) जी नहीं। अन्तरिम उपाय के रूप में, सेवाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए, रे.बो.स.से. के अधिकारियों को इन पदों पर लगाया गया था। बहरहाल, उन्हें रे.सु.ब. को वापस कर दिया गया है।

(छ) अधिक कार्यकाल वाले रे.सु.ब. कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से स्थानान्तरित किया जा रहा है।

स्थानान्तरण नियमों का क्रियान्वयन

3186. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई ऐसा निर्देश/नियम है कि सभी कार्मिकों का स्थानांतरण उनकी वर्तमान तैनाती से चार वर्ष पूरा होने के बाद किया जाएगा;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड में इन नियमों/निर्देशों का क्रियान्वयन प्रशासनिक हित में किया जाएगा;

(ग) कितने कर्मचारी चार वर्षों के बाद भी प्रशासनिक स्थापना/सुरक्षा शाखाओं में काम कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनेक कर्मचारियों की कनिष्ठ पद से वरिष्ठ पद पर प्रोन्नति की गई है किन्तु उन्हें ''प्रशासनिक हित'' के लिए इन शाखाओं में रखा गया है;

(ङ) क्या इन कर्मचारियों ने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर ली है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थानान्तरण नियमों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) उन पदों, जिन पर रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आर बी एस एस)/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा (आर बी एस सी एस) के अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं और जिनके लिए पद/अनुभाग में 5 वर्षों के कार्यकाल के निर्धारण के लिए पृथक अनुदेश हैं, को छोड़कर, रेलवे बोर्ड कार्यालय में विभिन्न तकनीकी पद ग्रेड के आधार पर तीन से पांच वर्षों के विशिष्ट कार्यकाल के लिए समय-समय पर क्षेत्रीय रेलों से स्थानांतरण पर आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भरे जाते हैं। सामान्यतः यथा निर्धारित कार्यकाल मानदण्डों का अनुसरण किया जाता है लेकिन कुछ मामलों में उन व्यक्तियों जो बोर्ड कार्यालय में पदोन्नति प्राप्त करते हैं, सहित अधिकारियों/कर्मचारियों को केवल जन हित में निर्धारित कार्यकाल से आगे बोर्ड कार्यालय में तैनात रखने की अनुमति दी जाती है।

(ङ) ऐसा कोई मामला प्रशासन के ध्यान में नहीं आया है।

(च) अधिकारियों का स्थानान्तरण/तैनाती करना एक सतत् प्रक्रिया है और आदेश जारी करते समय विभिन्न कारकों यथा जाब आवश्यकता, उपयुक्तता, सतर्कता, क्लीयरेंस, प्रशासनिक तात्कालिकता आदि को ध्यान में रखा जाता है।

कंप्यूटर आरक्षण काउंटरों की बहाली

3187. श्री अनंत गुढे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली और दिल्ली के अन्य रेलवे स्टेशनों पर आधे से अधिक आरक्षण काउंटर हर समय बंद रहते हैं जिससे आम जनता को असुविधा होती है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई दिल्ली और दिल्ली के अन्य रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटर आरक्षण केन्द्रों का भरपूर उपयोग करने हुए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी नहीं। कुछ आरक्षण काउंटरों के बन्द होने के कुछ मामले समय-समय पर ध्यान में आते हैं।

(घ) आरक्षण काउंटरों की आवश्यकता सीजन-दर-सीजन भिन्न-भिन्न होती है। वास्तव में, गैर-व्यस्त अवधि के दौरान यात्री यातायात में कमी होने के कारण आवश्यकता में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त, इंटरनेट द्वारा आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने के बाद यात्री अब घर बैठे ही आरक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी, आरक्षण के कार्यभार को देखते हुए अपेक्षित संख्या में काउंटरों को खुला रखने के प्रयास किए जाते हैं।

मंगला और कृष्णा एक्सप्रेस के वातानुकूलित डिब्बों में जल और शौचालय सुविधाएं

3188. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगला और कृष्णा एक्सप्रेस के वातानुकूलित डिब्बे रास्ते में साफ नहीं किये जाते हैं और इनके शौचालयों में पानी नहीं रहता है;

(ख) क्या मध्य जून में की गई शिकायतों के बावजूद दिल्ली आते समय मंगला एक्सप्रेस के वातानुकूलित डिब्बों में पानी नहीं रहता है और इसके शौचालय गंदे रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस चूक के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित है और वातानुकूलित डिब्बों को पूर्ण रूप से साफ रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) मंगला एक्सप्रेस और कृष्णा एक्सप्रेस के वातानुकूल सवारी डिब्बों सहित लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के सभी सवारीडिब्बों की बाह्य यात्रा शुरू करने से पहले प्राथमिक अनुरक्षण के दौरान उनके आधार पर डिपों में और वापसी यात्रा शुरू करने से पहले दूसरे छोर पर गौण अनुरक्षण डिपों में सावधानीपूर्वक सफाई की जाती है और उनमें पानी भरा जाता है। इसके अलावा, मार्गवर्ती नामित स्टेशनों पर भी इन गाड़ियों के शौचालयों की सफाई एवं पानी भरने के प्रबंध किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

1. मंगला एक्सप्रेस के लिए (एर्णाकुलम-निजामुद्दीन)

   (1) दक्षिण रेलवे पर कनकानाडी

   (2) कोंकण रेलवे पर चिपलून और मडगांव (केवल पानी भरने के लिए)

   (3) मध्य रेलवे पर इगतपुरी और भुसावल

   (4) पश्चिम मध्य रेलवे पर इटारसी (केवल पानी भरने के लिए)

   (5) उत्तर-मध्य रेलवे पर झांसी से आगरा (गाड़ी में एक सफाईवाला मुहैया कराया गया है)

2. कृष्णा एक्सप्रेस के लिए (तिरूपति से हैदराबाद)

   विजयवाड़ा में सफाई की जाती है और पानी भरा जाता है।

(ख) जी, नहीं। जून, 2003 में मंगला एक्सप्रेस के एक सवारी डिब्बे में पानी रिसने की शिकायत प्राप्त हुई थी। कमी को दूर कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। वातानुकूल सवारी डिब्बों को यात्रा शुरू करने से पहले तथा बीच रास्ते में सफाई करके साफ रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में आयुध डिपो

3189. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में विभिन्न आयुध डिपुओं से निकटतम आवासीय क्षेत्र सुरक्षित दूरी पर हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) राजस्थान में स्थित आयुध डिपुओं और प्रत्येक आयुध डिपो के सर्वाधिक निकट स्थित रिहायशी स्थानों, गांवों की दूरी का ब्यौरा इस प्रकार है:-

आयुध डिपो	अवस्थिति	निकटतम गांव	निकटतम रिहायशी स्थान/गांव/शहर से दूरी
गोलाबारूद डिपो, भरतपुर	भरतपुर	कसौदा	1 कि.मी.
19 फील्ड गोलाबारूद डिपो	जोधपुर	झांझीवाल	400 मीटर
24 फील्ड गोलाबारूद डिपो	लालगढ़ जाट्टन	किकाई चाक	400 मीटर
25 गोलाबारूद कंपनी	जस्साई	जस्साई	975 मीटर
26 गोलाबारूद कंपनी	जैसलमेर	रेवासिंह की ढाणी	1 कि.मी.
27 गोलाबारूद कंपनी	बीकानेर	जैसलमेर और सट्टासार	क्रमशः 1 और 2 कि.मी.

2. मौजूदा विनियमों के अनुसार, गोलाबारूद डिपुओं से 1145 मीटर की सुरक्षा दूरी बनाए रखी जानी अपेक्षित है। तथापि, इस बारे में निम्नलिखित सुरक्षा उपाय किए गए हैं:-

(1) सिविल प्रशासनों को अपेक्षित सुरक्षा दूरियों और आवश्यकता पड़ने पर सिविल आबादी को सुरक्षा दूरी से बाहर ले जाने की जानकारी दी गई है।

(2) सिविलियन आबादी और सम्पत्ति को क्षति से बचाने के लिए गोलाबारूद डिपुओं द्वारा गोलाबारूद भण्डारण विनियमों के अनुसार सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।

(3) उपर्युक्त डिपुओं को रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के प्रावधानों के अनुसार रक्षा निर्माण कार्य के रूप में अधिसूचित किए जाने के मामले शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

खन्ना और राजधानी एक्सप्रेस की त्रासदी का निपटान

3190. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बचाव और राहत उपाय के संवितरण के संबंध में दोहरे मानक अपनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1998 में हुई खन्ना त्रासदी और 9 सितंबर 2002 को हुई राजधानी एक्सप्रेस त्रासदी के मुआवजे के कितने मामलों का अभी निपटान किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो उनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी पीड़ितों के निकट सगे संबंधियों को तीन मांह के भीतर मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने हेतु क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दुर्घटना का नाम	निपटाए जाने वाले दावों की संख्या
खन्ना दुर्घटना	28
राजधानी रेलगाड़ी दुर्घटना	87

(घ) (1) आवेदकों या उनके वकीलों का उपस्थित न होना।

(2) वादियों द्वारा समय पर प्रलेख और साक्ष्य प्रस्तुत करने में देरी।

(3) रेल दावा अधिकरण में सदस्यों की रिक्तियां।

(ङ) रेल दावा अधिकरण एक न्यायिक निकाय है और यह रेल दावा अधिकरण अधिनियम में निहित दावों के निपटान की

सुनवाई की प्रक्रिया का अनुपालन करता है। अत: रेल दावा अधिकरण में लम्बित दावों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

किराए ढांचे में संशोधन

3191. श्री शिवाजी विठ्ठलराव काम्बले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में यात्री किराया और मालभाड़ा दरें निर्धारित करने हेतु क्या तंत्र है;

(ख) क्या हाल ही में डीजल के मूल्यों में कमी की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा रेलवे के किराये ढांचे में तदनुसार परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या डीजल के मूल्यों में वृद्धि होने पर हर बार रेलवे किराए में वृद्धि कर देती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डीजल के मूल्यों में कमी होने पर किराए में कमी करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) इनपुट की बढ़ती हुई कीमतों और रेलवे की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आतंरिक संसाधन सृजित करने हेतु यात्री किरायों और मालभाड़ा की दरों में समय-समय पर समायोजन किया जाता है।

(ख) से (ङ) हाई स्पीड डीजल की कीमतें, जो विगत में बढ़ रही थीं, हाल ही में घटी हैं। डीजल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2003-04 के दौरान किराया और मालभाड़ा दरों में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई। इस समय, डीजल की कीमतों में कमी के कारण यात्री किराए में कमी का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रेडियो में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3192. श्री राम विलास पासवान: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेडियो में विदेशी निवेश पर लागू नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार किसी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है और वित्तीय संस्थाओं को ही रेडियो स्टेशन की कुल इक्विटी का बीस प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूपर्ट मर्डोक उन्नीत स्टार टी.वी. ग्रुप द्वारा संचालित और वित्तपोषित रेडियो सिटी को कार्य करते रहने और लाइसेंस रखने की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो निर्धारित दिशानिर्देशों की अनदेखी करने और स्टार ग्रुप को देश में एक रेडियो स्टेशन चलाने और उसके प्रबंधन हेतु हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति देने संबंधी विवशताएं क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) निजी एफ एम प्रसारण सेवा की पात्रता शर्तों के अंतर्गत अपेक्षा होती है कि कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत होना चाहिए, एफ आई आई, एन आर आई, पी आई ओ और ओ सी बी द्वारा सीमित निवेश को छोड़कर संपूर्ण अंशधारिता भारतीयों की हो जो कि समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा यथा-निर्धारित अधिकतम सीमा, जिसे इस समय 20 प्रतिशत पर नियत किया गया है, के अध्यधीन होगा।

(ख) "रेडियो सिटी" नामक चैनल पहचान वाले रेडियो केन्द्रों के संचालन हेतु मैसर्स म्यूजिक ब्राडकास्ट प्रा.लि. को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

(ग) आवेदकों को रेडियो केन्द्र के संचालन एवं प्रबंधन की अनुमति देते समय दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है। मैसर्स म्यूजिक ब्राडकास्ट प्रा.लि. ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और चूंकि वे पात्रता संबंधी मापदंडों को पूरा कर रहे थे, इसलिए उन्हें नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी गयी थी और उनके सफल निविदादाता होने पर उन्हें बंगलौर, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, नागपुर और पटना में एफ एम केन्द्र चलाने के लिए लाइसेंस दिए गए थे। इस समय तक कंपनी ने बंगलौर, लखनऊ, मुम्बई और दिल्ली में केन्द्रों को चालू कर दिया है। श्री रूपर्ट मर्डोक के स्वामित्व वाले स्टार टीवी ग्रुप द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संवर्धित किए जा रहे मैसर्स म्यूजिक ब्राडकास्ट प्रा.लि. के संबंध में शिकायतें इस मंत्रालय को प्राप्त हुई हैं। कंपनी कार्य विभाग और विधि मंत्रालय के परामर्श से इन मुद्दों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जातियों को दुधारू पशु देना

3193. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले पहचान किए गए अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार को दो दुधारू पशु देने के बारे में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से स्वीकृति हेतु कोई परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने भी इस प्रयोजनार्थ अपनी सिफारिशें दी हैं;

(घ) क्या उड़ीसा में ऐसी ही परियोजना को मंजूरी दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त परियोजना मंजूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) से (ग) जी हां। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे पहचान किए गए प्रत्येक अनुसूचित जाति परिवारों को दो दुधारू पशु उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार से एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार ने प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रेषित किया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) बिहार सरकार को, उनके पास उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता की अव्ययित शेष राशि 8.04 करोड़ रु. में से, केन्द्रीय सहायता स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आगे कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता

3194. श्री ए. नरेन्द्र: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल और अन्य राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्यों से अनुदान का उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों को भेजने में विलम्ब के कारणों के साथ उपयोग प्रमाणपत्रों को शीघ्र भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आगे धनराशि की निर्मुक्ति के बारे में पूर्ववर्ती वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के लिए केवल उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त होने पर ही विचार किया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को निर्मुक्त की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2000-01 के दौरान निर्मुक्त धनराशि (रु. लाख में)	उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति की स्थिति	वर्ष 2001-02 के दौरान निर्मुक्त धनराशि (रु. लाख में)	उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति की स्थिति	वर्ष 2002-03 के दौरान निर्मुक्त धनराशि (रु. लाख में)	उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	559.25	प्राप्त	357.77	प्राप्त	247.86	प्राप्त
2.	असम	94.47	प्राप्त	32.77	प्राप्त	8.39	प्राप्त नहीं
3.	बिहार	—	—	500.00	प्राप्त नहीं	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गोवा	25.00	प्राप्त	—	—	—	—
5.	हिमाचल प्रदेश	—	—	55.02	प्राप्त नहीं	—	—
6.	जम्मू और कश्मीर	8.00	प्राप्त	42.00	प्राप्त	14.32	प्राप्त नहीं
7.	झारखंड	—	—	191.88	प्राप्त	214.08	प्राप्त नहीं
8.	कर्नाटक	110.72	प्राप्त	145.57	प्राप्त	211.69	प्राप्त
9.	महाराष्ट्र	—	—	452.84	प्राप्त नहीं	—	—
10.	मणिपुर	91.36	प्राप्त	—	—	60.20	प्राप्त
11.	राजस्थान	—	—	—	—	198.95	प्राप्त
12.	सिक्किम	—	—	0.22	प्राप्त	5.29	प्राप्त नहीं
13.	तमिलनाडु	—	—	—	—	352.81	प्राप्त नहीं
14.	त्रिपुरा	—	—	63.31	प्राप्त	242.88	प्राप्त
15.	उत्तर प्रदेश	10.20	प्राप्त	329.00	प्राप्त	1016.14	प्राप्त
16.	उत्तरांचल	—	—	25.92	प्राप्त नहीं	—	—
17.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	258.14	प्राप्त नहीं

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अस्पृश्यता/शोषण

3195. **श्री रतन लाल कटारिया:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले के गांवों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रति अस्पृश्यता और शोषण अभी भी विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन समुदायों के प्रति अस्पृश्यता और शोषण को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इन समुदायों के अस्पृश्यता और शोषण को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है और केन्द्र सरकार ने क्या कल्याणकारी उपाय सुझाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इन समुदायों के अस्पृश्यता और शोषण को समाप्त करने के लिए कर्नाटक सरकार और अन्य राज्य सरकारों को राज्य-वार अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने राज्य में अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की विशेष रूप से पहचान की है और गुलबर्गा जिला इन अभिज्ञात जिलों में से एक जिला है, जिसका ब्यौरा वर्ष 2001 के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है, जिसे संसद के दोनों सदनों में पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ग) राज्य सरकार ने इस दिशा में विभिन्न कार्रवाई की हैं- जैसे विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना करना, अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, अत्याचार/अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान करना, नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना, विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग समितियों का गठन करना, जागरूकता सृजन, अन्तरजातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन, राहत और पुनर्वास एवं कानूनी सहायता आदि का प्रावधान।

(घ) और (ङ) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, मुख्य रूप से प्रशासनिक, प्रवर्तन एवं न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करने, जागरूकता सृजन तथा प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2002-03 के दौरान, योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 4017.99 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई। कर्नाटक सरकार को भी वर्ष 2002-03 के दौरान उक्त योजना के तहत 567.50 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई। वर्ष 2002-03 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मंजूर केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत मंजूर केन्द्रीय सहायता का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (रु. लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	328.139
2.	बिहार	65.00
3.	छत्तीसगढ़	88.270
4.	गुजरात	226.621
5.	हरियाणा	27.279
6.	हिमाचल प्रदेश	4.720
7.	झारखंड	105.975
8.	कर्नाटक	567.050
9.	केरल	73.153
10.	मध्य प्रदेश	435.980
11.	महाराष्ट्र	772.523
12.	उड़ीसा	0.812
13.	राजस्थान	19.285
14.	सिक्किम	1.905
15.	तमिलनाडु	336.667
16.	उत्तर प्रदेश	886.640
17.	उत्तरांचल	22.420
18.	दादर और नागर हवेली	26.325
19.	पांडिचेरी	29.231
	कुल	4017.995

कोयला यार्ड को स्थानांतरित करना

3196. श्री अजित कुमार पांजा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उल्टडांग कोयला यार्ड, कोलकाता को तला सर्कुलर रेलवे स्टेशन, कोलकाता में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नए कोयला यार्ड का प्रस्तावित स्थल सघन आबादी वाले क्षेत्र में है, जिसके समीप तला जलापूर्ति टैंक, आर.जी. कार चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय हैं, और कोयले की लदाई-उतराई से इस क्षेत्र की जनता के सामान्य स्वास्थ्य को काफी क्षति पहुंचेगी तथा पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी पैदा होंगी;

(घ) क्या नागरिक स्वास्थ्य रक्षा समिति, कोलकाता ने प्रस्तावित कोयला यार्ड के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) हवड़ा तथा सियालदह में मौजूदा यात्री टर्मिनलों के संतृप्त होने के कारण कोलकाता क्षेत्र में तीसरे टर्मिनल की आवश्यकता है। चितपुर में नए टर्मिनल के निर्माण कार्य को 78 करोड़ रुपए की लागत पर 2003-04 के बजट में शामिल

किया गया है। चितपुर को कोलकाता महानगर क्षेत्र में एक नए यात्री टर्मिनल के निर्माण के लिए स्थान की उपलब्धता की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। इसे राज्य सरकार की मंजूरी भी प्राप्त है। इसके लिए, मौजूदा कोयला यार्ड बंद करना होगा। कोयला यार्ड को खाली करने से प्राप्त हुई जगह का इस्तेमाल चितपुर टर्मिनल का निर्माण करने के लिए किया जाएगा। चूंकि मौजूदा कोयला यार्ड बंद हो जाएगा इसलिए नजदीक ही कोयला यातायात से निपटने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। कोयले की सम्हलाई का मौजूदा तथा प्रस्तावित स्थल एक-दूसरे के सामने ही हैं। अत: दोनों स्थानों पर कोयले के लदान का समीपवर्ती क्षेत्र पर समान ही प्रभाव पड़ेगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) नागरिक स्वास्थ्य रक्षा समिति ने प्रदूषण, जो प्रस्तावित योजना यार्ड के समीपवर्ती क्षेत्र में कोयले की उतराई/लदान का परिणाम होगा, के कारण चितपुर में नए यात्री टर्मिनल के लिए उल्टडांग कोयला यार्ड को शिफ्ट करने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है।

(च) इस अभ्यावेदन की जांच की गई है। फिर भी, उल्टडांग में मौजूदा कोयला यार्ड को परिचालित रखना संभव नहीं होगा क्योंकि इस स्थान के बिना नया यात्री टर्मिनल विकसित नहीं किया जा सकता है। चितपुर में नए टर्मिनल की सुव्यवस्थित योजना को कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा भी स्वीकृत कर दिया गया है।

खराब भोजन की आपूर्ति

3197. श्री जी.जे. जावीया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर द.पू. रेलवे और दक्षिणी राज्यों की रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर खराब भोजन की आपूर्ति के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलवे इसे अपने संज्ञान में लेगा और रेलवे स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) रेलवे द्वारा शिकायतों के आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे पर वर्ष 2002-03 के दौरान खानपान सेवाओं की खराब गुणवत्ता के संबंध में विभागीय और निजी लाइसेंसधारियों दोनों के विरुद्ध कुल 56 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 22 मामले सिद्ध नहीं हो पाए हैं। शेष मामलों में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

चेतावनी	–	7
जुर्माना	–	1
अनुशासनिक कार्रवाई	–	13
जांच की जा रही है	–	13

(ग) और (घ) भारतीय रेलों ने उनके द्वारा बेस किचन से रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर भोजन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें गुणवत्तापरक कच्चा माल और ब्रांडेड उत्पादों का प्रयोग, स्वास्थ्यकर और सफाई के मानकों को निर्धारित करना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, बार-बार औचक जांच और निरीक्षण इत्यादि शामिल हैं। भारतीय रेलों पर खान-पान सेवाओं को व्यावसायिक बनाने के लिए, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम की स्थापना की है।

नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना

3198. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर केरल सरकार से केरल में नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) ने 1.8.2002 से 31 जुलाई, 2003 की अवधि के दौरान 11681 मेगावाट की कुल क्षमता की 21 विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं। इसके अलावा सी ई ए में 16 परियोजनाएं प्राप्त हुई थी जिन्हें आवश्यक सूचना/स्वीकृति प्राप्त करने के बाद भेजने हेतु परियोजना प्राधिकारियों को वापस भेज दिया गया। इन प्रस्तावों के ब्यौरे जिनमें केरल में दो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना वाले प्रस्ताव सम्मिलित हैं, विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

विवरण I

1 अगस्त, 2002 से 31 जुलाई, 2003 तक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

स्कीम/क्रियान्वयक एजेंसी का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की तारीख
1	2	3
हाइड्रो		
अलेन दुहंगान एईपी (राजस्थान स्पीनिंग एंड विविंग मिल्स लि.) हि.प्र.	2x96	20.8.2002
उहल एचइपी चरण III (एचपीएसइबी), हि.प्र.	2x50	19.9.2002
सेवा एचइपी चरण II (एनएचपीसी), जम्मू व कश्मीर	3x40	18.10.2002
तीस्ता एचइपी चरण III (एनएचपीसी), प. बं.	4x33	8.11.2002
सुबानसिरी लोअर एचइपी (एनएचपीसी) अरुणाचल प्रदेश/असम	8x250	13.1.2003
जलपुत डैम टो एचइपी मेसर्स उड़ीसा पावर कंसोर्टियम उड़ीसा/आं. प्र.	3x6 = 18 मे.वा.	31.1.2003
करछाम वांग्चू एचइपी (मेसर्स जेपी करछाम हाइड्रो कार्पो. लि.) हि.प्र.	4x250	31.3.2003
तिपाईख एचईपी (नीपको), मणिपुर	6x250	2.7.2003
कुल योग (हाइड्रो)	50x62 मे.वा.	
थर्मल		
वलथूर (पेरूंगलम) सीसीजीटी (टीएनइबी), तमिलनाडु	94	2.8.2002
ताऊ देवी लाल टीपीएस (यू-7 व 8) चरण V (पानीपत) (एचपीजीसीएल) हरियाणा	2x250 = 500 मे.वा.	8.8.2002
नैवेली टीपीएस II एक्सपैंसन (एनएलसी)	2x250 = 500 मे.वा.	19.8.2002
विंध्याचल एसटीपीएस चरण III (एनटीपीसी) मध्य प्रदेश	2x500 = 1000 मे.वा.	27.8.2002
सिपत एसटीपीएस चरण II (एनटीपीसी), छत्तीसगढ़	1x660 = 660 मे.वा.	29.8.2002
संजय गांधी टीपीएस एक्स. यू-5 (एमपीएसइबी) म.प्र.	500 मे.वा.	20.12.2002
कुटालम सीसीजीटी (टीएनईबी), तमिलनाडु	100 मे.वा.	27.12.2002

1	2	3
अनपारा 'सी' टीपीएस (यूपीआरवीयूएनएल), यूपी	2x500 = 1000 मे.वा.	16.1.2003
विजयवाड़ा टीपीएस चरण IV एपीजेनको, आं. प्र.	1x660 = 660 मे.वा.	28.2.2003
कच्छ लिग्नाइट टीपीएस एक्स. यू-IV जीइबी, गुजरात	1x75 = 75 मे.वा.	6.3.2003
मोनार्चक सीसीजीटी नीपको द्वारा त्रिपुरा में परियोजना (संशोधित प्रस्ताव)	280	24.4.2003
कहलगांव एसटीपीपी- चरण II, फेज-I एनटीपीसी द्वारा बिहार में	2x500 = 1000	13.6.2003
पारस टीपीएस महाराष्ट्र में विस्तारण	1x250 = 250	13.6.2003
कुल योग (थर्मल)	6619 मे.वा.	

विवरण II

उन स्कीमों की सूची, जिन्हें टीईसी हेतु सीईए को भेजा गया था, किन्तु जिन्हें आवश्यक सूचना/स्वीकृति प्राप्त कर भेजने हेतु परियोजना प्राधिकारियों को वापस भेज दिया गया

परियोजना के नाम/क्षमता (मे.वा.)	सीइए में प्राप्ति की तारीख/वापसी की तारीख
1	2
थर्मल स्कीम	
कोरबा (पूर्वी) टीपीएस (2×250) (छत्तीसगढ़)	8.01.03/27.1.03
कोरबा (पश्चिम) टीपीएस चरण-III ((2×250) (छत्तीसगढ़)	28.5.03/13.6.2003
सिक्का टीपीएस एक्स. यू-3 व 4 (2×250) (गुजरात)	30.7.99/7.9.99
मालवा टीपीएस चरण-II (2×500) (मध्य प्रदेश)	11/02/18.11.02
अमरकंट टीपीएस एक्स. (210) (मध्य प्रदेश)	13/11.02/4.12.02
कायमकुलम सीसीपीपी चरण-II (3×650) (केरल)	7.2.03/28.2.03
नार्थ करनपुरा एसटीपीपी (3×660) (झारखंड)	4/2001/11.6.2001
तेनुघाट टीपीएस एक्स. चरण-IV (3×210) (झारखंड)	9/02/9.10.02
चांडिल टीपीपी (2×500) (झारखंड)	9/02/9.10.02
जल विद्युत स्कीमें	
चमेरा चरण-III एचइपी (3×77) (हिमाचल प्रदेश)	19.6.03/30.6.03

1	2
सोन एचइपी (5×20) (मध्य प्रदेश)	27.3.03/21.4.03
महादयी एचइपी (2×150+2×10) (कर्नाटक)	19.7.02/13.8.02
अदीरापल्ली एचइपी (2×80+1×3) (केरल)	30.4.02/6.6.02/15.3.03
तीस्ता लो डैम एचइपी चरण-IV (4×42) (प. बंगाल)	1.1.02/3.1.02
लोअर कोपीली एचइपी (3×50) (असम)	2.6.97/21.7.97 10.8.98 (संशोधित लागत अनुमान)
कोलोडाइन एचइपी चरण-I (2×60) (मिजोरम)	6/2000/29.6.01

[हिन्दी]

इरकान द्वारा परियोजनाओं का कार्यग्रहण

3199. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इरकान द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इरकान ने हाल ही में आगरा, मथुरा और कानपुर में कोई कार्य शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जम्मू-उधमपुर रेल लाइन बिछाने का कार्य इरकान को सौंपा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत दो वर्षों अर्थात् 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा पूरे किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ग्राहक का नाम	कार्य प्रदान करने की अवधि	राशि (मिलियन रुपए में)	कार्य पूरा करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
I. 1.4.2001 से 31.3.2002 तक पूरी की गई परियोजनाएं					
1.	पूर्व रेलवे के सियादलदह-बरूईपुर खंड पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	सीएमडीए	23.8.1999	22.00	जुलाई, 2001
2.	सीएमडीए कलकत्ता के लिए पी.सी. जुड़नार तथा आर.बी. जुड़नार से ई.एम.	सीएमडीए	19.3.2001	46.50	जनवरी, 2001

1	2	3	4	5	6
	बाईपास पर बिटूमन संबंधी निर्माण कार्य				
3.	मिजोरम में शलेस, ऐज्वाल स्थित वेटनरी साइंस एंड एनीमल हसबैंडरी कालेज कैंपस का निर्माण	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, आइरोसिम्बा, मणिपुर	31.1.1997	249.80	जनवरी, 2001
4.	पूर्व रेलवे के लिए सोनारपुर पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	पूर्व रेलवे	27.1.2000	10.50	जुलाई, 2001
5.	विशाखापट्टनम-खुर्दा रोड खंड में ओएफसी इंडोर कार्य	कोर, इलाहाबाद	11.1.1999	63.00	जुलाई, 2001
6.	एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के लिए एनएससीबीआई एयरपोर्ट कलकत्ता स्थित बे संख्या 1 और 2 का पुनर्निर्माण तथा बे संख्या 10, 13, 15 और 16 के भाररहित क्षेत्र को मजबूत बनाना	एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया	10.7.1998	42.00	अगस्त, 2001
7.	सीएमडीए के लिए कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के आसपास अलग-अलग क्षेत्रों में आईपीपी-VIII के अंतर्गत प्रसूति अस्पताल एवं क्लीनिक तथा स्वास्थ्य प्रशासनिक इकाईयों का निर्माण	सीएमडीए	23.4.1999	82.00	अगस्त, 2001
8.	दक्षिण रेलवे के लिए तिरूचिरापल्ली के नजदीक ऊपरी सड़क पुल संख्या 4 का निर्माण	दक्षिण रेल	31.5.1999	27.00	अगस्त, 2001
9.	एमआरटीएस चरण-II तिरूमलाई (लूज) वेलाचारी के लिए खंड जी, एच और जे के लिए पहले से निर्मित उपसंरचना पर पीएससी बाक्स ग्रेडर वाले अधिसंरचना का निष्पादन	महानगर परिवहन परियोजना रेलवे, चेन्नै	30.7.1999	149.40	अगस्त, 2001
10.	कोर इलाहाबाद के लिए सरहिंद-नांगल उना खंड (ग्रेड 87 बी) का 25 के.वी. एसी विद्युतीकरण	कोर, इलाहाबाद	5.5.1998	87.50	अगस्त, 2001

1	2	3	4	5	6
11.	कोर/इलाहाबाद तथा रेल विद्युतीकरण/रांची के लिए बोकारो-हटिया खंड में ओएफसी इन्डोर कार्य	कोर, इलाहाबाद	12.12.1997	22.80	अगस्त, 2001
12.	भुवनेश्वर एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार	एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया, भुवनेश्वर	04.12.96	80.00	अक्तूबर, 2001
13.	सेक्टर विकास परियोजना, नोएडा	नोएडा	23.06.1998	275.00	जनवरी, 2002
14.	कुड्डलोर में टर्न-की आधार पर 4 अदद पुलों का निर्माण/पुनर्निर्माण	तमिलनाडु कृषि विकास एससीआरडीएस	25.02.1999	188.82	जनवरी, 2002
15.	आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो आफ प्लांट जेनेटिक रिर्सोसेज	एनबीपीजीआर	10.09.1996	30.60	मार्च, 2002
16.	दुर्लवपुर स्थित मेजिया थर्मल पावर परियोजना के लिए एमजीआर	दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)	18.11.1988	1079.90	मार्च, 2002
II. 1.4.2002 से 31.3.2003 तक पूरी की गई परियोजनाएं:					
1.	गंडक नदी पर रेल एवं सड़क पुल	पूर्वोत्तर रेलवे	13.01.1998	102.60	मई, 2002
2.	महाराष्ट्र चरण-1 में ऊपरी सड़क पुल	एमएसआरडीसी	फरवरी, 1998	900.00	मई, 2002
3.	पूर्व रेलवे (पुल का भाग एवं मार्ग) के लिए फतुआ में ऊपरी सड़क पुल	पूर्व रेलवे	सितम्बर, 1998	82.00	मई, 2002
4.	पाराद्वीप पोर्ट में यांत्रिकृत कोयला सम्हलाई की सुविधा	पाराद्वीप पोर्ट ट्रस्ट	02.08.1997	335.00	जून, 2002
5.	चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के लिए भारती डाक में कंटेनर टर्मिलन का आगे विस्तार	चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट	24.10.1998	53.40	जुलाई, 2002
6.	खर्दा में रेलवे तटबंध के अंतर्गत आरसीसी बाक्स का निर्माण	सिंचाई एवं जल मार्ग निदेशालय, पश्चिम बंगाल	01.12.2000	13.90	अगस्त, 2002

1	2	3	4	5	6
7.	आस्थगित भुगतान पर रेलवे लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण चरण-2	एमएसआरडीसी	01.03.1997	850.00	सितम्बर, 2002
8.	व्हाईट फिल्ड रिंग रोड पर बाहरी रिंग रोड के लिए फ्लाई ओवर	बैंगलोर विकास प्राधिकरण	24.11.2000	61.00	सितम्बर, 2002
9.	बैंगलोर में मगाडी रोड तथा तंकुर रोड के बीच बाहरी रिंग रोड का निर्माण	बैंगलोर विकास प्राधिकरण	27.01.2001	246.40	नवम्बर, 2002
10.	आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली में नेशनल एग्रीकल्चरल साईंस सेंटर कामप्लेक्स	आईसीएआर	09.06.1995	520.70	जनवरी, 2003
11.	पूर्व रेलवे के लिए फतुआ-इस्लामपुर बड़ी रेल लाइन परियोजना	पूर्व रेलवे	12.10.1998	344.10	जनवरी, 2003
12.	बैंगलोर में केवल स्टेड पुल तथा पहुंच मार्गों का निर्माण	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, दक्षिण रेलवे	15.08.1998	397.60	जनवरी, 2003
13.	न्यू टाउन, राजरहाट (संविदा-1) में भूमि विकास का कार्य	पश्चिम बंगाल आवास अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	12.11.1999	457.20	मार्च, 2003
14.	एमएपीयूएसए, गोवा में 400 केवी पीजीसीआईएल सब स्टेशन का कार्य	पीजीसीआईएल	16.03.2001	332.10	मार्च, 2003
15.	लट्टाकिया, सीरिया में एसीएफआरएम के लिए सब स्टेशन	रोलिंग मिल परियोजना के लिए अरेबियन कंपनी	12.03.2002	48.90	जून, 2002

बिहार और झारखंड के राज्य विद्युत बोर्डों को हानि

3200. **श्री राजो सिंह:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और झारखंड के राज्य विद्युत बोर्डों को इस समय प्रति वर्ष कितनी हानि हो रही है;

(ख) उपर्युक्त राज्यों में विद्युत उपभोग और स्वयं के संसाधनों से उत्पादित की जा रही विद्युत की मात्रा कितनी है;

(ग) राज्य में विद्युत की कमी को किन क्षेत्रों से पूरा किया जाता है; और

(घ) उपर्युक्त राज्य सरकारें विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए क्या प्रयास कर रही हैं और केन्द्र सरकार का इसमें कितना योगदान है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) बिहार और झारखंड के राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक हानियां और इन राज्यों में इस समय विद्युत खपत निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मुद्दे	बिहार		झारखंड	
1.	वर्ष 2001-02 (वार्षिक योजना) के दौरान अविभाजित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वाणिज्यिक हानियां	सब्सिडी के बिना 753 करोड़ रुपये			
2.	अप्रैल से जुलाई, 2003 के दौरान बिजली की खपत	राज्य का निजी उत्पादन और कुल खपत का प्रतिशत	कुल खपत	राज्य का निजी उत्पादन और कुल खपत का प्रतिशत	कुल खपत
		186 मि.यू. (10.08%)	1844 मि.यू.	905 मि.यू. (92.15%)	982 मि.यू.
3.		शेष ऊर्जा केंद्रीय सेक्टर उत्पादन स्टेशनों में राज्य के हिस्से और भूटान की चूखा हाइडल परियोजना से उपलब्ध कराई गई। इस समय केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों और चूखा एच इ पी से बिहार तथा झारखंड का कुल आबंटन क्रमशः लगभग 879 मे.वा. तथा 123 मे.वा. है।			

झारखंड का राज्य क्षेत्र में 210 मे.वा. क्षमता संवृद्धि का कार्यक्रम है। झारखंड में 120 मे.वा. और बिहार में 135 मे.वा. क्षमता संवृद्धि निजी क्षेत्र में भी प्रस्तावित है। दोनों राज्य केंद्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में भी अपने हिस्से के लिए पात्र हैं।

रेलवे आरक्षण की संपुष्टि

3201. श्री मानसिंह पटेल:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने रेलवे आरक्षण की संपुष्टि के लिए सांसदों के जाली हस्ताक्षरों वाले पत्रों की जांच के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों से आज तक सांसदों के जाली हस्ताक्षर वाले ऐसे पत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) संसद सदस्यों सहित विभिन्न स्रोतों से आरक्षण कोटा आबंटित करने के बारे में रेलवे को अनुरोध प्राप्त होते हैं और उनका दिन-प्रतिदिन के आधार पर निपटान किया जाता है। आरक्षण की पुष्टि के लिए संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की सत्यता की जांच के लिए रेलवे के पास कोई प्रणाली नहीं है। फिर भी, किसी विशिष्ट मामले में सन्देह होने पर, आवेदन की सत्यता की जांच की जाती है। इस बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

डिब्बों की सफाई

3202. श्री रघुनाथ झा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के डिब्बों की बाहरी और भीतरी सफाई नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेल डिब्बों को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) बाह्य और वापसी यात्रा शुरू करने से पहले अनुरक्षण डिपुओं पर सभी गाड़ियों के सवारी डिब्बों की अन्दर व बाहर से सफाई की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे ने सवारी डिब्बों की साफ-सफाई और अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) टर्मिनलों पर सवारी डिब्बों की बाहर से पानी और डिटरजेंट द्वारा नियमित धुलाई।

(2) टर्मिनलों पर सवारी डिब्बों के अन्दर से सफाई।

(3) विशिष्ट कीटनाशक एजेन्सियों द्वारा सवारी डिब्बों में नियमित रूप से कीटनाशकों का छिड़काव।

(4) बेस डिपो पर सवारी डिब्बों की मासिक गहन सफाई।

(5) उन्नत साफ-सफाई एजेंटों का उपयोग तथा सफाई कर्मचारियों के लिए उचित सफाई किटों की व्यवस्था।

(6) त्वरित एवं प्रभावशाली सफाई के लिए बेस डिपुओं पर उच्च दाब जैट सफाई संयंत्र और मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर मोबाइल जैट संयंत्रों का प्रयोग।

(7) नामित गाड़ियों में मार्ग में सफाई के लिए कर्मचारियों की तैनाती। वरिष्ठ अधिकारियों/पर्यवेक्षकों द्वारा समय-समय पर जांच और प्रति-जांच की जाती है और पाई गई कमियों में सुधार किया जाता है।

एन.टी.पी.सी. की वृहद विद्युत परियोजनाएं

3203. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. का विचार उन राज्यों में जहां निजी क्षेत्र ने अपनी परियोजनाओं से हाथ खींच लिया है, वृहत विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी विद्युत उत्पादकों को कुछ राज्यों में विशाल बकाया राशि को देखते हुए विद्युत संयंत्र चलाना मुश्किल कार्य लगा; और

(घ) यदि हां, तो निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों की ऐसी कार्यवाही पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) निम्नलिखित वृहत विद्युत परियोजनाएं वर्तमान में एन.टी.पी.सी. द्वारा निष्पादन के लिए निर्धारित हैं-

क्र.सं.	परियोजना और क्षमता	स्थिति
1.	तालचेर एस.टी.पी.पी. स्टेज-II (4×500 मेगावाट)	उड़ीसा
2.	रिहंद एस.टी.पी.पी. स्टेज-II (2×500 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश
3.	विंध्याचल एस.टी.पी.पी. स्टेज-III (2×500 मेगावाट)	मध्य प्रदेश
4.	सीपत एस.टी.पी.पी. स्टेज-I व II (2980 मेगावाट)	छत्तीसगढ़
5.	बाढ़ एस.टी.पी.पी. (1980 मेगावाट)	बिहार
6.	उत्तरी करनपुरा एस.टी.पी.पी. (1980 मेगावाट)	झारखण्ड

(ग) और (घ) निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के कुछ विकासकर्त्ताओं ने संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों (एस.ई.बी.) के साथ उनके सम्मुख आ रही भुगतान संबंधी समस्याओं के बारे में सूचित किया है। सरकार ने भी मामलों के निपटारे के लिए संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों आदि के साथ मामले को उठाया है ताकि इससे ऐसी और अधिक विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विकासकर्त्ताओं को सुविधा रहे।

मालगाड़ियों का धुरा भार और गति

3204. डा. वी. सरोजा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में माल गाड़ियों का धुरा भार और औसत गति विदेशी मालगाड़ियों की तुलना में कितनी है;

(ख) क्या सरकार मालगाड़ियों की गति और धुरा भार बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे लागत में कितनी बचत होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) देश में माल स्टाक का अधिकतम मानक धुरा भार बड़ी लाइन के लिए 20.32 टी और मीटर लाइन के लिए 12.2 टी है। बीओएक्सएनएचए माल डिब्बे 22.1 टी के धुरा भार के लिए बनाए गए हैं लेकिन भारतीय रेल पर रेलपथ संरचना की तंगी के कारण इनका 20.82 टी के धुरा भार पर उपयोग किया जा रहा है। 22.9 टी के धुरा भार के लिए कुछ बड़ी लाइन के माल डिब्बे डिजाइन किए गए हैं लेकिन उनका उपयोग पूर्वी भारत में कतिपय

विनिर्दिष्ट खंडों पर ही किया जा रहा है। अन्य देशों अर्थात् आस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, दक्षिण अफ्रीका और यू.एस.ए. में अधिकतम अनुमेय धुरा भार 25टी से 35.6टी के बीच भिन्न-भिन्न है। निम्नलिखित तालिका में अधिकतम अनुमेय धुरा भारों के संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय तुलना दर्शायी गई है:-

देश	अनुमानित अधिकतम अनुमेय धुरा भार (टन)
भारत	20.32टी*
आस्ट्रेलिया	35.0टी
कनाडा	32.5टी
चीन	25.0टी
दक्षिण अफ्रीका	26.0टी
यू.एस.ए.	35.6टी

*कतिपय विशिष्ट खण्डों पर 22.9 टन

भारतीय रेलों पर माल गाड़ियों की अखितम अनुमेय गति बड़ी लाइनों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर लाइन के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय रेलों पर माल गाड़ियों की औसत गति बड़ी लाइन के लिए 24.4 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर लाइन के लिए 18.4 कि.मी. प्रति घंटा है। रूस में रेल गाड़ियों की औसत गति 38.7 कि.मी. प्रति घंटा है। अन्य रेल प्रणालियों के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। फिलहाल भारतीय रेलों पर माल गाड़ियों की अधिकतम अनुमेय गति और धुरा भार बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। फिर भी, माल गाड़ियों की औसत गति में सुधार करने के उद्देश्य से बहुत से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं, जिनमें माल डिब्बों का बेहतर अभिकल्प तैयार करना, उच्च क्षमता के रेल इंजनों की शुरूआत, रेलपथ और सिगनल प्रणाली में सुधार आदि शामिल हैं।

आई.ओ.सी.एल. के एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को बी.पी.सी.एल. को अंतरित करना

3205. **श्री अनंत नायक:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न स्थानों पर आई.ओ.सी.एल. के एल.पी.जी. वितरकों के उपभोक्ताओं को बी.पी.सी.एल.एल.पी.जी. वितरकों को अंतरित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो ग्राहकों को अंतरित करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या आई.ओ.सी.एल. के कुछ अधिकारी मामले में विलम्ब कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने आदेशों का अनुपालन न करने वाले ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इस प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) ने यह सूचित किया है कि उनके एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों से भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) डिस्ट्रीब्यूटरों को ग्राहकों का अंतरण सभी मामलों में सिवाए ऐसे मामलों में जहां न्यायालय ने डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा दाखिल रिट याचिका के आधार पर ग्राहकों के अंतरण के प्रति रोक लगा दी थी, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्र

3206. **डा. डी.वी.जी. शंकर राव:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां देश के दूरवर्ती/अल्प सेवा क्षेत्र में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने संबंधी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए हैं और दूरवर्ती अल्प सेवा क्षेत्रों में निर्धारित मात्रा में एजेंसियों/खुदरा बिक्री केन्द्र खोलना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) सरकार ने निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों नामत: मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) और मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड (ई.ओ.एल.) को परिवहन ईंधनों का विपणन करने के प्राधिकार की स्वीकृति प्रदान करते समय उनके द्वारा खोले जाने वाले कुल खुदरा बिक्री केन्द्रों के कम से कम 10.9% खुदरा बिक्री केन्द्र दूरदराज और निम्न सेवा वाले क्षेत्रों में खोलने को कहा है। अब तक इन कंपनियों ने देश में कोई खुदरा बिक्री केन्द्र चालू नहीं किया है।

[हिन्दी]

समाचारों का संकलन और वितरण

3207. श्री अरुण कुमार: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में समाचारों और लेखों के संकलन और संवितरण के कार्य में कितने संगठन लगे हैं;

(ख) इनमें से कितनों को केन्द्र सरकार की मान्यता मिली हुई है;

(ग) उनको विगत तीन वर्षों से अब तक कितना अनुदान/शुल्क/ऋण उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) उन्हें मान्यता देने के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) समाचार के संकलन एवं संवितरण के कार्य में लगे संगठनों के संवाददाताओं तथा कैमरामैनों/फोटोग्राफरों को निर्धारित नियमों के अनुसार प्रत्यापन प्रदान करता है। आज की तारीख के अनुसार, पी.आई.बी. के रिकार्डों में ऐसे संगठनों की कुल संख्या 42 है।

(ग) इस मंत्रालय ने भारतीय प्रेस ट्रस्ट को उनके लंदन कार्यालय, उपग्रह चैनल तथा स्टाफ लागत के संबंध में व्ययों के प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 2000 तथा 2001 के दौरान क्रमशः 21,61,330 रुपए तथा 11,25,609 रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की थी। विगत तीन वर्षों के दौरान समाचार एजेंसियों को कोई ऋण नहीं दिया गया है। शुल्क ग्राहक एवं सेवा प्रदाता के बीच एक व्यावसायिक सौदा है जिसका सरकार द्वारा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) ''केन्द्रीय समाचार माध्यम प्रत्यापन नियम 1999'' के अनुसार भारत सरकार के मुख्यालयों में समाचार एजेंसियों सहित समाचार माध्यम संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रत्यापन प्रदान करता है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में सौर ऊर्जा

3208. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में अनुमानतः कितने लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं;

(ख) क्या सरकार सौर ऊर्जा उपकरणों को लगाने के लिए विद्यालयों, छात्रावासों, अस्पतालों, महाविद्यालयों और स्वैच्छिक संगठनों को राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान कर्नाटक को कितनी राजसहायता निर्गत की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक विशेषकर बेल्लारी में, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने का; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) यह अनुमान है कि कर्नाटक में 60,000 से भी अधिक परिवार अपनी गर्म पानी, रोशनी, जलपंपन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर जल तापन प्रणालियों, सौर घरेलू प्रणालियों, सौर लालटेनों, सौर पंपों, सौर कुकरों और सौर विद्युत संयंत्रों जैसी सौर ऊर्जा प्रणालियों का प्रयोग कर रहे हैं।

(ख) और (ग) कर्नाटक में सौर ऊर्जा कार्यक्रमों को कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास लि. (के आर ई डी एल), बंगलौर, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और कुछ बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मंत्रालय और घरेलू प्रणालियों, सड़क रोशनी प्रणालियों, सौर पंपों, विद्युत संयंत्रों, व्यक्तिगत एवं लाभ न कमाने वाले संगठनों जिनमें स्कूल, छात्रावास, अस्पताल, कालेज एवं स्वैच्छिक संगठन शामिल हैं, के लिए डिश प्रकार और सामुदायिक प्रकार के सौर कुकरों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। सौर जल तापन प्रणालियों की स्थापना के लिए इरेडा और कुछ बैंकों के माध्यम से उदार ऋण सहायता उपलब्ध है।

मंत्रालय ने कर्नाटक में वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए क्रमशः 115.15 लाख रु. और 125.45 लाख रु. की वित्तीय सहायता जारी की है।

(घ) और (ङ) कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास लि. ने वर्ष 2003-04 कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से 10,000 सौर घरेलू प्रणालियों, 1000 सौर सड़क रोशनी प्रणालियों, 100 सौर पम्पों, 50 डिश प्रकार के सौर कुकरों, समग्र

175 कि.वा.पी. क्षमता के 8 एसपीवी विद्युत संयंत्रों की स्थापना और राज्य में 50 दूरवर्ती गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव किया है। बेल्लारी जिले के लिए किसी विशेष कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं है। केआरईडीएल भी समूचे राज्य में सौर रोशनी प्रणालियों, सौर पम्पों, सौर कुकरों और सौर जलतापकों पर प्रदर्शनियां आयोजित कर रहा है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय पूल से विद्युत का आवंटन

3209. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को विद्युत का आवंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों से वास्तविक निकासी और पात्रता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2000-01 से 2002-03 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादक केन्द्रों से पात्रता/कार्यक्रम/निकासी

(आंकड़े मि.यू. में)

स्टेशन/क्षेत्र	2000-01		2001-02		2002-03				
					एबीटी अवधि से पूर्व अप्रैल-नवंबर, 2002		एबीटी अवधि के पश्चात् दिसम्बर, 2002-मार्च, 2003		
	पात्रता	आहरण	पात्रता	आहरण	पात्रता	आहरण	पात्रता	कार्यक्रम	आहरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तरी क्षेत्र									
चंडीगढ़	430.2	453.2	515.4	443.2	376.2	322.2	336.9	312.5	329.7
दिल्ली	11464.6	10020	11504.8	10443	7389.3	7223.3	3993.6	3451.4	2900.5
हरियाणा	6574.1	7524.4	5763.1	6547.7	4535.7	5043.5	2480.5	2413.7	2968.5
हिमाचल प्रदेश	1504.6	1635.6	1838.8	1680.1	1026	1055.5	794.3	733.4	916.3
जम्मू व कश्मीर	4269.6	4717.6	4898.2	5045	3458.7	3788.5	1969.1	1930.8	2044.9
पंजाब	7069	6727	7085.2	6690.8	5853.1	5537.9	3182.1	3079.3	2822.1
राजस्थान	9361	10404.9	9356.8	10126.1	6076.3	6336.2	3667.5	3515.9	3336.6
उत्तर प्रदेश	17325.2	18516.5	18903.5	18690.7	10352.1	9642.6	6047.5	5543.9	5329.7
उत्तरांचल	*	*	*	*	1135.8	1053.9	762.3	708.5	533.2
उ.क्षे.	57999.2	57999.2	59686.6	59666.6	40003.8	40003.8	23233.8	21687.4	21181.5
पश्चिमी क्षेत्र					अप्रैल-जून, 2002		जुलाई, 2002-मार्च, 2003		
छत्तीसगढ़	0	0	3330.9	887.8	414.3	481.2	2549.8	2006.25	1379.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात	12688.7	13181	13295.3	14407.2	3326.4	3428.3	9311.9	9641.3	9706.1
मध्य प्रदेश	12335.6	12263.8	8708.9	10844	2524.9	2439.9	8473.9	8863.2	9128.2
महाराष्ट्र	14155.2	14281.7	15421,9	15099.4	3754.4	3746.9	12448.3	12844.8	13988.1
गोवा	1296	749	1686.4	1205	473.1	396.8	1415	950.1	746.1
दमन व दीव	**	**	**	**	**	**	732.1	725.3	713
दादरा व नगर हवेली	**	**	**	**	**	**	1179.5	1163.4	1179.3
प.क्षे.	40475.5	40475.5	42443.4	42443.4	10493.1	10493.1	38110.5	38194.35	36841.5
दक्षिणी क्षेत्र					अप्रैल-दिसंबर, 2002		जनवरी, 2003-मार्च, 2003		
आंध्र प्रदेश	8272.5	8249.6	8317.8	8063.3	5449.3	4780.1	2034.9	1850.5	1387.5
कर्नाटक	5823	6054	5876	6472.2	4776.8	5479.1	2152.6	2118.1	2469.9
केरल	3142.2	3244.4	3173.6	3383.8	2865.6	2822.8	1262.7	1060	1296
तमिलनाडु	10364.2	10125.2	10168.9	9742.9	6865.5	6882.4	2691.6	2887.8	2979.2
गोवा	518.2	544.9	704.7	568.8	582.4	462	190.7	190.7	145.8
पांडिचेरी	—	—	—	—	983.2	876.3	363.7	392.1	357.6
द.क्षे.	282201.1	28220.1	28241	28241	21302.8	21302.8	8696.2	8499	8636
पूर्वी क्षेत्र					अप्रैल 2002-मार्च, 2003				
बिहार	4958.7	5502.1	4727.8	6258.5	4551.6	5640.2			
डीवीसी	1476.1	1298.4	1113.6	1380.2	1114.5	539.9			
झारखंड	$	$	$	$	80.7	255.8			
उड़ीसा	3358	2354.6	3548.7	809.1	3480.5	3888.4			
पश्चिम बंगाल	4081.8	2875.4	3475.9	2732	3416.7	1166.5			
सिक्किम	351.4	78.6	188.1	71.8	147.4	75.4			
मध्य प्रदेश	1468.4	2100.9	1624.8	2024.2	2135.7	2133.7			
गुजरात	259.7	370.5	287.7	358.7	353.9	362.3			
केरल	234	356.8	386.4	590.9	722.4	797.2			
तमिलनाडु	444.6	675.6	686.7	923.1	798.9	1128.4			
पांडिचेरी	#	#	#	#	59.4	91.8			
कर्नाटक	427.5	853.9	633.5	864	835	1685.6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश	293.2	455.4	454.8	615.3	402.4	343			
आंध्र प्रदेश	861.3	1325	1280.3	1721.6	1232.5	1148.1			
असम	326	493.8	659.3	655.8	739.5	914.7			
हरियाणा	0	0	115.7	132.6	82.2	78.1			
चंडीगढ़	0	0	84.7	97.3	116.8	98.4			
जम्मू व कश्मीर	0	0	46.5	49.7	114	95.6			
राजस्थान	0	0	65.9	70.4	112.8	94.3			
हिमाचल प्रदेश	0	0	37.9	33.1	114.3	95.9			
पू.क्षे.	18540.7	18640.7	19396.3	19396.3	20611.2	20611.2			
पूर्वोत्तर क्षेत्र					अप्रैल 2002-मार्च, 2003				
अरुणाचल प्रदेश	206.7	108.5	226.4	113	224.4	139.5			
असम	1350.2	1718.9	1432.6	1760.9	1594.2	1590.5			
मणिपुर	437.2	449.8	464.1	436.3	414.1	479.5			
मेघालय	260.5	43	269.5	135.3	342.5	369.6			
मिजोरम	211.4	243.3	228.4	264.5	237.2	279.1			
नागालैंड	241	227.1	264	252.9	280.3	283.6			
त्रिपुरा	354.5	270.9	289.4	311.5	395.5	340.4			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	3061.5	3061.5	3274.4	3274.4	3488.2	3488.2			

* एबीटी पूर्व अवधि में उत्तरांचल के आंकड़े उ.प्र. में शामिल हैं।

** एबीटी पूर्व अवधि में डीडी तथा डीएनएच के आंकड़े गुजरात में शामिल हैं।

$ झारखंड बिहार में शामिल है।

पांडिचेरी तमिलनाडु में शामिल है।

[अनुवाद]

रेल संपत्ति की सुरक्षा

3210. श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे ने आतंकवादियों से तथा उन लोगों से, जो रेलवे को लक्ष्य बना सकते हैं, संभावित खतरों से अपने संपत्ति तथा पटरियों की सुरक्षा में राज्य सरकारों से सक्रिय सहयोग की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल संपत्ति तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों, आसूचना एजेंसियों और रे.सु.ब. के बीच उच्च स्तरीय बैठक में अग्रिम आसूचना की आवश्यकता पर बल दिया गया था। यह विनिश्चय किया गया है कि आवश्यक निवारक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों और आसूचना एजेंसियों द्वारा रे.सु.ब. (रेल) के साथ 'कार्रवाई योग्य आसूचना' का आदान-प्रदान किया जाएगा। इसका आगे राज्यों के डी जी पी और मुख्य सचिवों के साथ अनुसरण किया गया है। रेल मंत्री जी ने भी रेल प्रणाली की संरक्षा सुनिश्चित करने में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सहयोग के लिए लिखा है।

(ग) क्षेत्रीय रेलों के प्रत्येक मंडल में राज्य पुलिस के परामर्श से भेद्य खंडों की पहचान करने के लिए समिति का गठन किया गया है और रेलपथों की सुरक्षा गश्त भी शुरू की गई है क्योंकि राज्य सरकारें यह निवारक उपाय करने की स्थिति में नहीं हैं। 15.7.2003 को उत्तरी बिहार की घटना के पश्चात् राज्य सरकारों को और सतर्क कर दिया गया है। रे.सु.ब. अधिनियम और रेल अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए संसद के समक्ष दो विधेयक रखे गए हैं ताकि रेलों और यात्रियों के सामने दिन-प्रतिदिन पेश आ रही समस्याओं की जांच और मुकदमें के बारे में रे.सु.ब. द्वारा कार्रवाई की जा सके। इससे रा.रे.पु. गंभीर अपराधों पर ध्यान देने में सक्षम होगी। रे.सु.ब. को यह प्राधिकार मिल जाने पर, रे.सु.ब. की भूमिका रेल संपत्ति की सुरक्षा करने के अलावा यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा में अधिक प्रभावी हो जाएगी।

[हिन्दी]

सेकण्ड हैण्ड विमान की खरीद

3211. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:
श्री अजय सिंह चौटाला:
श्री कोडीकुनील सुरेश:
श्री रामजी मांझी:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेकण्ड हैण्ड/परिचालन से हटाए जा चुके मिग-21 लड़ाकू विमान की खरीद रूस और अन्य सी आई एस देशों से की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और किन-किन देशों से इनकी खरीद की गई;

(ग) सेकण्ड हैण्ड/परिचालन से हटाए जा चुके मिग-21 लड़ाकू विमान की खरीद के क्या कारण हैं;

(घ) सेकण्ड हैण्ड/परिचालन से हटाए जा चुके मिग-21 विमान और नए लड़ाकू विमान की अलग-अलग लागत कितनी है;

(ङ) क्या हाल ही में श्रीनगर में दुर्घटनाग्रस्त मिग-21 विमान सेकण्ड हैण्ड विमान था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) सरकार ने सेकण्ड हैंड/परिचालन से हटाए जा चुके मिग-21 लड़ाकू विमान नहीं खरीदे हैं। तथापि, प्रशिक्षण संबंधी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेकण्ड हैंड मिग-21 प्रशिक्षक विमान खरीदे गए हैं।

(ख) 19 सेकण्ड हैंड मिग-21 प्रशिशक विमान किर्गिस्तान से तथा 8 उक्रेन से खरीदे गए हैं।

(ग) उत्पादन बंद कर दिए जाने की वजह से वैश्विक बाजार में नए मिग-21 प्रशिक्षक विमान उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेकण्ड हैंड मिग-21 प्रशिक्षक विमान शामिल करने का मार्ग अपनाना पड़ा है।

(घ) सेकण्ड हैंड मिग-21 प्रशिक्षक विमान की लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है तथा वायु श्रेष्ठता वर्ग में नए लड़ाकू विमान की लागत लगभग 190 करोड़ रुपए है।

(ङ) और (च) हाल ही में श्रीनगर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान किर्गिस्तान से खरीदा गया सेकण्ड हैंड प्रशिक्षक विमान था तथा इसकी अंतिम ओवरहालिंग हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में मार्च, 1999 में की गई थी।

[अनुवाद]

कम्पनी के स्वामित्व वाले तथा कम्पनी द्वारा परिचालित पेट्रोल पम्प

3212. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कंपनी के स्वामित्व वाले तथा कंपनी द्वारा परिचालित पेट्रोल पम्पों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को किसी राज्य से ऐसी कोई शिकायत मिली है जहां कम्पनी के स्वामित्व वाले तथा कंपनी द्वारा परिचालित पेट्रोल पम्पों पर अधिकारियों की मिलीभगत से माफिया का कब्जा हो गया हो; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 31.7.2003 की स्थिति के अनुसार देश में, 1,076 कंपनी के स्वामित्व और कंपनी के प्रचालन वाले (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्र सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा संचालित थे।

(ख) और (ग) जी, नहीं। किसी माफिया द्वारा तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मिलीभगत से कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों को हथियाने की कोई शिकायत विशेष प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूचित जातियों की सूची में कतिपय जातियों को शामिल किया जाना

3213. श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री सोहन पोटाई:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक अनुसूचित जातियों की सूची में कतिपय जातियों को शामिल करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मिले अनुरोध/प्रस्तावों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन अनुरोधों/प्रस्तावों की वर्तमान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों से अब तक के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के बारे में 82 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य/संघ क्षेत्र-वार प्राप्त उक्त प्रस्तावों की संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में उल्लिखित की गई है। 82 प्रस्तावों में से पंजाब सरकार का एक प्रस्ताव, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में शामिल किया जा चुका है। शेष प्रस्ताव स्वीकृत रूपरेखाओं के अनुसार प्रगति के अलग-अलग चरणों में हैं। प्रस्तावों को विभिन्न एजेंसियों के परामर्श से संसाधित करना अपेक्षित है, अतः इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति			
		कुल प्रस्ताव	आरजीआई को संदर्भित	एनसीएससीएसटी को संदर्भित	अजा सूची में शामिल
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	2	0	2	0
2.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	1	0	1	0
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	0	1	0
4.	गुजरात	3	0	3	0
5.	हरियाणा	4	0	4	0
6.	हिमाचल प्रदेश	2	1	1	0
7.	जम्मू और कश्मीर	3	0	3	0
8.	कर्नाटक	5	0	5	0

1	2	3	4	5	6
9.	केरल	8	6	2	0
10.	मध्य प्रदेश	9	5	4	0
11.	महाराष्ट्र	4	0	4	0
12.	मणिपुर	1	0	1	0
13.	उड़ीसा	30	21	9	0
14.	पंजाब	1	0	0	1
15.	त्रिपुरा	3	0	3	0
16.	उत्तर प्रदेश	1	1	0	0
17.	उत्तरांचल	3	3	0	0
18.	पश्चिम बंगाल	1	1	0	0
	कुल	82	38	43	1

मालभाड़ा और यात्री किराए से आमदनी

3214. डा. जसवंत सिंह यादव:
श्रीमती कुमुदिनी पटनायक:
श्री राजो सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-03 के दौरान जुलाई, 2003 तक यात्री किराए और माल भाड़े से राजस्व अर्जन के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इसमें कितनी उपलब्धि मिली;

(ख) उक्त अवधि के दौरान यात्री किराए और मालभाड़े से रेलवे को जोनवार कितने राजस्व की उगाही हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान रेलवे की जोन-वार देयता कितनी थी;

(घ) क्या राजस्व उगाही की तुलना में यह देयता अधिक हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस अंतर को समाप्त करने के लिए राजस्व सृजित करने के लिए कोई नए उपाय करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति रेलवे को माल भाड़े और यात्री किराए से होने वाली आय का कितना प्रतिशत सुरक्षा उपायों और यात्री सुविधाओं के लिए अलग-अलग रखा गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) यात्री किराए तथा माल भाड़ा से हुए राजस्व आमदनी के संबंध में वर्ष 2002-03 के दौरान और जुलाई, 2003 तक निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	यात्री		मालभाड़ा	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
2002-03	12730.00	12575.44	26658.00	26504.82
2003-04	13620.00	4296.29 (लगभग जुलाई तक)	27815.00	8201.85 (लगभग जुलाई तक)

(ख) 2002-03 के दौरान और जुलाई, 2003 तक किराए तथा मालभाड़े के माध्यम से रेलों द्वारा एकत्र किया गया राजस्व निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

रेलवे	यात्री		मालभाड़ा	
	2002-03	2003-04 जुलाई तक (लगभग)	2002-03	2003-04 जुलाई तक (लगभग)
मध्य	2621.65	589.26	4244.96	717.64
पूर्व	1151.44	268.86	2793.88	209.92
पूर्व मध्य*	—	248.00	—	786.87
पूर्व तट*	—	82.97	—	905.28
उत्तर	2380.43	640.38	4240.67	568.82
उत्तर मध्य*	—	262.10	—	458.51
पूर्वोत्तर	713.02	172.71	536.56	123.56
पूर्वोत्तर सीमा	267.27	102.02	618.57	198.41
उत्तर पश्चिम*	—	152.96	—	235.86
दक्षिण	1344.63	372.94	1271.91	386.01
दक्षिण मध्य	1207.03	376.32	2693.26	710.34
दक्षिण पूर्व	868.58	136.26	6870.27	698.34
दक्षिण पूर्व मध्य*	—	70.99	—	787.95
दक्षिण पश्चिम*	—	129.91	—	219.25
पश्चिम	1986.74	519.89	3234.74	639.94
पश्चिम मध्य*	—	158.57	—	555.15
मेट्रो	34.65	12.15	0.00	0.00
कुल	12575.44	4296.29	26504.82	8201.85

(ग) 2002-03 के दौरान तथा जुलाई, 2003 तक जोन-वार साधारण संचालन व्यय निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

रेलवे	साधारण संचालन व्यय	
	2002-03	2003-04 जुलाई तक (लगभग)
1	2	3
मध्य	4681.11	1060.63
पूर्व	3818.75	830.71
पूर्व मध्य*	—	580.93
पूर्व तट*	—	358.04
उत्तर	4827.52	1192.05
उत्तर मध्य*	—	460.69
पूर्वोत्तर	1591.56	318.98
पूर्वोत्तर सीमा	1178.70	381.68
उत्तर पश्चिम*	—	368.95
दक्षिण	2568.84	804.70
दक्षिण मध्य	2834.96	865.63
दक्षिण पूर्व	4523.64	873.14
दक्षिण पूर्व मध्य	—	309.80
दक्षिण पश्चिम*	—	176.84
पश्चिम	3570.99	880.28
पश्चिम मध्य*	—	371.01
मेट्रो	88.27	28.99
कुल	29684.34	9863.05

*नोट: सात नए जोनों के संबंध में आमदनी तथा खर्च का लेखा-जोखा 1.4.2003 से अलग-अलग रखा जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) रेलों की संपूर्ण आमदनियों को भारत के संचित निधि में जमा किया जाता है। मालभाड़ा तथा किराए से होने वाली रेलवे की आय में से सुरक्षा उपायों तथा यात्री सुविधाओं के लिए कोई निश्चित वार्षिक प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जाता है। फिर भी, रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल/आर्डर पुलिस पर खर्च को मांग 12 के अंतर्गत संचालन व्यय के भाग के रूप में राजस्व से पूरा किया जाता है और ''यात्री सुविधाओं'' के अंतर्गत मुख्य व्यय को मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए राजस्व से किए गए व्यय के अलावा रेलों के योजना परिव्यय से पूरा किया जाता है।

पुराने रेल इंजन

3215. श्री पदमसेन चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के इंजनों की संख्या कितनी है और ऐसे कितने इंजन हैं जिनके चालन की समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद वे चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे इंजनों के चालन से संभावित दुर्घटना के खतरे को देखते हुए इन इंजनों को तत्काल बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक बदले जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितनी राशि के खर्च होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) भारतीय रेलों पर 33 भाप, 4835 डीजल और 2958 विद्युत इंजन कार्य कर रहे हैं। इनमें से 33 भाप, 301 डीजल और 18 मीटर लाइन विद्युत इंजन अपनी निर्धारित आयु के बाद कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) मुख्य बड़ी लाइन के गतायु इंजनों को दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बदले जाने की संभावना है। बहरहाल, भाप इंजनों को विरासत संबंधी कारणों से और मीटर लाइन के इंजनों को बड़ी लाइन के आमान परिवर्तन के चल रहे कार्य के कारण नहीं बदला जा रहा है। फिर भी, यह सुनिश्चित किया जाता है कि रेलगाड़ी परिचालन की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी इंजनों को उनकी आयु को ध्यान में रखे बिना उन्हें अच्छी दिशा में रखा जाए।

(घ) मुख्य बड़ी लाइन के डीजल इंजनों को बदलने पर लगभग 884 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण

3216. श्री रामदास आठवले: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत करने का है जिसे कि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक केन्द्र पर आने वाले संभावित खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक केन्द्र/कार्यालय पर होने वाला संभावित प्रस्तावित व्यय निम्न प्रकार से है:-

* आंचलिक कार्यालय – 70.00 लाख रुपये
* बड़ा केन्द्र – 3.00 लाख रुपये
* छोटा केन्द्र – 1.5 लाख रुपये

(ग) प्रस्ताव को एक वर्ष में अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

डी.ए.वी.पी. द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि

3217. श्री खगेन दास: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2003 तक की अवधि के दौरान डी.ए.वी.पी. द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि तथा उसकी प्रतिशतता का भाषावार ब्यौरा क्या है;

(ख) डी.ए.वी.पी. विज्ञापन प्राप्त करने के मानदंड का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में डी.ए.वी.पी. विज्ञापन को प्रकाशित करने वाले अखबारों की भाषावार और राज्यवार संख्या कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2003 की अवधि के दौरान विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि और उसकी प्रतिशतता के भाषावार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों को प्राप्त करने हेतु, भारत सरकार की विज्ञापन नीति के अनुसार

निर्धारित मानकों तथा डी.ए.वी.पी. के साथ समाचारपत्रों के सूचीबद्ध होने संबंधी दिशा-निर्देशों को पूरा करके समाचारपत्रों और आवधिकों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ सूचीबद्ध होना अपेक्षित होता है।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों के समाचारपत्रों जिनमें विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं, उनकी भाषावार और राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 की अवधि के दौरान डी.ए.वी.पी. द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि और उसकी प्रतिशतता

क्र.सं.	भाषा	राशि का प्रतिशत	राशि रुपयों में
1	2	3	4
1.	अंग्रेजी	45.03	365301023
2.	हिन्दी	29.48	239139546
3.	उर्दू	2.94	23875821
4.	पंजाबी	1.64	13314959
5.	मराठी	4.16	33725998
6.	गुजराती	3.73	30246669
7.	सिंधी	0.12	952026
8.	असमी	0.38	3089525
9.	बंगाली	4.13	33490076
10.	उड़िया	1.45	11803940
11.	तमिल	1.88	15249856
12.	तेलुगु	0.87	7065318
13.	मलयालम	2.47	20076387
14.	कन्नड़	1.59	12918192
15.	संस्कृत	0.01	62325
16.	नेपाली	0.04	333102
17.	मिजो	0.07	602811
18.	खासी	0.01	58373
19.	कोंकणी	0.00	8196
	कुल	100.00	811314143

1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 की अवधि के दौरान डी.ए.वी.पी. द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि और उसकी प्रतिशतता

क्र.सं.	भाषा	राशि का प्रतिशत	राशि रुपयों में
1.	अंग्रेजी	47.25	349104175
2.	हिन्दी	28.04	207136419
3.	उर्दू	2.65	19547760
4.	पंजाबी	1.51	11191343
5.	मराठी	3.97	29311752
6.	गुजराती	3.48	25721667
7.	सिंधी	0.11	824761
8.	असमी	0.31	2285241
9.	बंगाली	4.48	33131796
10.	उड़िया	1.30	9635101
11.	तमिल	1.85	13661079
12.	तेलुगु	0.98	7224846
13.	मलयालम	2.34	17259402
14.	कन्नड़	1.62	11960353
15.	संस्कृत	0.00	7105
16.	नेपाली	0.03	242710
17.	मिजो	0.07	495656
18.	खासी	0.01	55888
19.	कोंकणी	0.00	5178
20.	मणिपुरी	0.00	3066
	कुल	100.00	738805298

विवरण II

भाषावार पूर्वोत्तर राज्यों के समाचार-पत्रों की संख्या जिन्हें 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान डी.ए.वी.पी. के विज्ञापन जारी किए गए

क्र.सं.	भाषा	प्रकाशनों की संख्या			
		1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
अंग्रेजी भाषा					
1.	असम	13	10	9	9
2.	मणिपुर	2	2	2	1
3.	मेघालय	2	2	2	2
4.	सिक्किम	1	1	—	—
5.	त्रिपुरा	2	3	3	2
6.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	1	—
7.	नागालैंड	—	—	—	1
हिन्दी भाषा					
8.	असम	39	28	21	23
बंगाली भाषा					
9.	त्रिपुरा	21	11	10	8
नेपाली भाषा					
10.	सिक्किम	2	2	3	4
मिजो भाषा					
11.	मणिपुर	1	1	1	1
12.	मिजोरम	1	—	—	1
खासी भाषा					
13.	मेघालय	2	2	1	1
मणिपुरी भाषा					
14.	मणिपुर	—	1	2	2
	कुल	88	64	55	55

1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 की अवधि के दौरान डी.ए.वी.पी. द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि और उसकी प्रतिशतता

क्र.सं.	भाषा	राशि का प्रतिशत	राशि रुपयों में
1.	अंग्रेजी	50.62	448597844
2.	हिन्दी	26.96	238936376
3.	उर्दू	2.01	17852923
4.	पंजाबी	1.31	11628998
5.	मराठी	3.61	31994013
6.	गुजराती	3.25	28774349
7.	सिंधी	0.10	880288
8.	असमी	0.34	2998489
9.	बंगाली	4.10	36312899
10.	उड़िया	1.33	11813068
11.	तमिल	1.61	14304425
12.	तेलुगु	0.94	8292852
13.	मलयालम	2.54	22515101
14.	कन्नड़	1.17	10390164
15.	संस्कृत	0.00	11529
16.	नेपाली	0.02	201601
17.	मिजो	0.06	529314
18.	खासी	0.00	29351
19.	कोंकणी	0.00	3451
20.	मणिपुरी	0.02	189341
	कुल	100.00	886256376

1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 की अवधि के दौरान डी.ए.वी.पी. द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि और उसकी प्रतिशतता

क्र.सं.	भाषा	राशि का प्रतिशत	राशि रुपयों में
1	2	3	4
1.	अंग्रेजी	47.56	476287064
2.	हिन्दी	28.74	287752047

1	2	3	4
3.	उर्दू	2.52	25258183
4.	पंजाबी	1.36	13624807
5.	मराठी	3.70	37012223
6.	गुजराती	3.48	34896961
7.	सिंधी	0.12	1245155
8.	असमी	0.36	3602999
9.	बंगाली	4.52	45273382
10.	उड़िया	1.44	14463596
11.	तमिल	1.72	17228958
12.	तेलुगु	0.97	9730259
13.	मलयालम	2.14	21458414
14.	कन्नड़	1.17	11729360
15.	संस्कृत	0.01	62497
16.	नेपाली	0.04	371152
17.	मिजो	0.09	924635
18.	खासी	0.00	5968
19.	कोंकणी	0.00	2734
20.	मणिपुरी	0.05	464432
	कुल	100.00	1001394826

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों के लिए स्कूल/छात्रावास

3218. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत भीमराव अम्बेडकर शिक्षा संस्थान, मुंगेली, जिला बिलासपुर नामक स्वैच्छिक संगठन ने राज्य सरकार की सिफारिश के साथ केन्द्र सरकार को एक ऐसी कार्य योजना (परियोजना) भेजी है जिसमें छात्रों और छात्राओं के लिए आवासीय स्कूल, छात्रावास बनाने और अन्य कार्यों को रोकने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और साथ ही उक्त परियोजना में क्या कमी पाई गई है;

(ग) उक्त परियोजना को स्वीकृत करने में हो रही देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) से (घ) छात्रावास और आवासीय विद्यालय खोलने के लिए डा. भीमराव अम्बेडकर शिक्षण संस्थान, मुंगेली, बिलासपुर नामक स्वैच्छिक संगठन का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार से इस मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। संगठन द्वारा प्रस्तावित परियोजना की आवर्ती और अनावर्ती लागत के ब्यौरे के अनुसार, छात्रावास और आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए सहायता अनुदान की मांग नहीं की गई है बल्कि प्रस्ताव में किराए के लिए प्रावधान को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार से यथा प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में नहीं थीं, इसलिए राज्य सरकार से निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है, जिसकी अभी प्रतीक्षा है। राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथा वर्ष 2003-04 के लिए निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन उक्त संगठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

अत्याधुनिक तकनीक वाले हेल्मेट और जैकेट की आपूर्ति

3219. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना के पायलटों और चालक दल के अन्य सदस्यों के हेल्मेट, जैकेट और चालन संबंधी अन्य साजो सामान पुरानी तकनीक वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) अत्याधुनिक तकनीक वाले हेल्मेट, जैकेट और अन्य साजो सामान मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमानों के अनुरूप अद्यतन रूपांतर ही वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय/सैन्य वायु योग्यता तथा प्रमाणन केंद्र से परामर्श करके उपलब्ध कराए जाते हैं।

[हिन्दी]

दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

3220. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेशनों और सवारी गाड़ियों में घटिया और असंतोषप्रद साफ-सफाई के मामले में मिली शिकायतों पर कराई गई जांच के परिणामस्वरूप कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक की गई कार्रवाई के क्या परिणाम निकले हैं और तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परिणामों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) स्टेशनों तथा यात्री गाड़ियों में सफाई के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और लापरवाह पाए गए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इस गतिविधि के लिए की गई विशेष कार्रवाई का ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है।

स्टेशनों तथा गाड़ियों में सफाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए विभिन्न कार्रवाईयां की जाती हैं जिनमें निगरानी तथा पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना, शौचालयों की पे एंड यूज योजना को शुरू करना, मशीनीकृत सफाई प्रक्रियाओं पर बल देना, धुलनीय एप्रेनों तथा अतिरिक्त कूड़ादानों की व्यवस्था करना, कूड़ा-करकट नियमित रूप से हटाना, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना, नालियों की मरम्मत करना, सवारी डिब्बों की मासिक गहन सफाई करना, कोचिंग डिपुओं में हाई प्रेशर जेट क्लीनिंग संयंत्रों और मार्गवर्ती संयंत्रों पर चल जेट सफाई मशीनों का इस्तेमाल करना, बेहतर तथा पर्यावरण के अनुकूल सफाई सामग्री का इस्तेमाल करना, रेल क्षेत्रों तथा गाड़ियों को साफ रखने के लिए यात्रियों को शिक्षित और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न मीडिया का इस्तेमाल करना, लंबी दूरी की गाड़ियों के मार्ग में बेहतर सफाई मुहैया कराने के लिए ''क्लीन ट्रेन स्टेशनों'' के रूप में पहचान किए गए स्टेशनों का विकास करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

मैचिंग मेटैलिक डेटोनेटर की आपूर्ति

3221. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैचिंग मेटैलिक डेटोनेटर के अभाव में 1.91 लाख ग्रेनेड बेकार हो गए हैं और इस तरह विभिन्न आर्म्स डिपो में 8.94 करोड़ रुपए के ग्रेनेड इकट्ठा हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के उत्पादन पर खर्च हुए 22.08 करोड़ रुपए बेकार हो गए हैं;

(ग) मैचिंग मेटैलिक डेटोनेटर की आपूर्ति न होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसकी कम आपूर्ति के लिए कोई जवाबदेही तय की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2003 की रिपोर्ट सं. 6 (रक्षा सेवाएं) के पैरा 9 में गुणता अनुपालित धातु के डिटोनेटरों की आपूर्ति में कमी के परिणामस्वरूप 8.94 करोड़ रुपए मूल्य के 1.91 लाख ग्रेनेडों के बेकार हो जाने तथा 11.50 लाख दोषपूर्ण डिटोनेटरों के उत्पादन पर 22.08 करोड़ रुपए व्यय होने की रिपोर्ट की गई है।

इस संबंध में यह बताया जाता है कि मैचिंग डिटोनेटरों के साथ ग्रेनेडों की आयुध निर्माणियों द्वारा आपूर्ति की गई थी जो विनिर्दिष्टियों के अनुरूप थे तथा गुणता आश्वासन महानिदेशक द्वारा स्वीकार किए गए थे। किंतु, फील्ड-परिस्थितियों में इन डिटोनेटरों के घटिया कार्य-निष्पादन के कारण सेना मुख्यालय द्वारा इन डिटोनेटरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। डिटोनेटरों के संयोजन के बाद ग्रेनेडों को उपयोग योग्य के रूप में उन्नत कर दिया जाता है इसलिए ग्रेनेडों के ऐसे भंडार को बेकार के रूप में वर्गीकृत किया जाना सही नहीं है।

इसके अलावा, परीक्षणों के आधार पर प्रयोक्ता निदेशालय से परामर्श करके 4 सेकेंड के विलंब वाले डिटोनेटरों का उत्पादन तीन वर्ष की भंडारण-अवधि के साथ अनुमोदित कर दिया गया है। आयुध निर्माणियों ने पहले ही वर्ष क्रमशः 2001-02 तथा 2002-03

के दौरान 4 सेकेंड के विलंब वाले 4 लाख तथा 3.25 लाख डिटोनेटरों की आपूर्ति कर दी है। प्रयोक्ता निदेशालय से परामर्श करके किए जा रहे परीक्षणों के स्वीकृत होने की प्रतीक्षा में 7 सेकेंड के विलंब वाले डिटोनेटरों का उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

जहां तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दोषपूर्ण/अप्रयोज्य के रूप में उल्लिखित 11.5 लाख डिटोनेटरों का संबंध है, यह बताया जाता है कि पुन: वैधीकरण परीक्षणों के आधार पर केवल 3.13 लाख डिटोनेटर (4 सेकेंड की विलंब वाले 1.86 लाख तथा 7 सेकेंड की विलंब वाले 1.27 लाख) अप्रयोज्य पाए गए थे।

चूंकि आरंभ में ग्रेनेडों की मैचिंग डिटोनेटरों के साथ आपूर्ति की गई थी, इसलिए डिटोनेटरों की कम आपूर्ति के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुलों की जांच करने के लिए मशीनों का आयात

3222. डा. अशोक पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नवीनतम उपायों से पुराने पुलों की स्थिति की जांच करने के लिए विशेष मशीनों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अत्याधुनिक मशीनों के आयात पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है; और

(घ) इन मशीनों का कब तक आयात कर लिये जाने और चालू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) रेल संरक्षा समिति की सिफारिशों के अनुपालन में, पुलों की हालत का पता लगाने के लिए आधुनिक गैर निवाशक परीक्षण उपस्कर सहित कुछ चल परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रापण का प्रस्ताव है। प्रारंभ में, उपस्कर और रेल एवं सड़क प्रयोगशालाएं लगभग 12.7 करोड़ रुपए की लागत पर 2003-04 में स्वीकृत की गई हैं। इनमें से कुछ उपस्कर आयात भी किए जा सकते हैं। इन उपस्करों के एक वर्ष की अवधि के भीतर खरीदे जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

सरकारी और गैर-सरकारी परियोजनाओं के लिए एलएनजी की आपूर्ति

3223. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार और गैर-सरकारी परियोजनाओं के लिए एल.एन.जी. की आपूर्ति के क्या मानदंड हैं;

(ख) दिनांक 1 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र से एल.एन.जी. की आपूर्ति के कितने आवदेन प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदन लंबित हैं; और

(ग) इस मांग की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखी गई है और इसके लिए 100 प्रतिशत विदेशी सीधे निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है। एलएनजी के मूल्य और इसकी आपूर्ति के मानक एलएनजी के खरीददारों और विक्रेताओं के बीच बाजार द्वारा निर्धारित होंगे। सरकार एलएनजी की आपूर्ति अथवा मूल्यों का विनियमन नहीं करती।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। वर्तमान में 119 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस के आबंटन की तुलना में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति लगभग 65 एमएमएससीएमडी मात्र है।

मध्य प्रदेश में तेल और गैस के भंडार

3224. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला:
श्री अशोक अर्गल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में विशेषकर शिवपुर और शाहडोल जिलों में हाल ही में प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने वहां सर्वेक्षण कराने के लिए कोई दल भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण दल द्वारा क्या कार्रवाई की गयी और वहां पाये गये गैस और तेल भंडारों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी नहीं। वर्तमान में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड के पास मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुर और शहडोल जिलों में आने वाले क्षेत्रों में कोई पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, 2002-03 और 2003-04 (30.6.2003 तक) के दौरान ओएनजीसी द्वारा मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बेतूल और होशंगाबाद जिलों में देलाखेरी-चावलपानी-मतकुली-रामपुर क्षेत्रों में 91 ग्राउंड लाइन किलोमीटर (जीएलके) द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े अर्जित किए गए हैं।

तमिलनाडु के लिए परिव्यय योजना

3225. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के लिए नौवीं और दसवीं योजना परिव्यय में दी गयी भारी उद्योगों से संबंधित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के लाइसेंस को हटा देने के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता की तुलना में अपने लिए अधिक उपयुक्त क्षेत्रों में भारी उद्योग स्थापित कर रहा है जिससे देश में औद्योगिक असंतुलन पैदा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति में कितना सुधार करने का विचार रखती है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते): (क) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 5 उपक्रम/इकाइयां तमिलनाडु राज्य में हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों/इकाईयों की योजनाएं व्यापक रूप से नवीकरण, प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण तथा उत्पादकता में सुधार की श्रेणी में हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों/इकाइयों के संबंध में 9वीं एवं 10वीं योजना परिव्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ख) और (ग) गैर-नीतिगत क्षेत्रों के उदारीकरण और लाइसेंस मुक्त करने के परिणामस्वरूप, प्रमोटर उद्योग/इकाईयां स्थापित करने के लिए स्थान के संबंध में स्वयं निर्णय लेते हैं। समयानुसार मांग और आपूर्ति द्वारा असन्तुलन दूर होने की आशा की जाती है।

विवरण

9वीं योजना में वास्तविक व्यय तथा 10वीं योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय के साथ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम	9वीं योजना (वास्तविक व्यय)	10वीं योजना (प्रस्तावित परिव्यय)
1.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)	226.60	70.00
	(1) हाई प्रेशर वायलर प्लांट, तिरूची		
	(2) सिमलेस स्टील ट्यूब प्लांट, तिरूची		
	(3) वायलर अनुषंगी संयंत्र, रानीपेट		
2.	एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लि. (एवाईसीएल) ट्रांसफार्मर एंड स्विच ग्रेयर यूनिट, सलाय अडयार	1.20	5.00
3.	रिचर्डसन एंड क्रूडास लि. (आरएंडसी) आरएंडसी यूनिट-कैसीमोड	0.71	0.62
4.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. (बीएससीएल) बीएससीएल सलेम वर्क्स, सलेम	29.22	1.50
5.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु. कंपनी लि. (एचपीएफ) एचपीएफ यूनिट, उटकमंड	8.72	10.00

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा

3226. श्री वाई.वी. राव: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत बढ़ते हुए उपयोग और बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर राजसहायता को बढ़ाने का है ताकि अपराम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा दिया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी, हां। सरकार को विदित है कि पारम्परिक ऊर्जा संसाधन सीमित है।

(ख) और (ग) मंत्रालय द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा के संवर्धन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2003-04 के दौरान प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	सब्सिडी के विवरण	
1	2	3	
1.	*परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र*	सामान्य श्रेणी के लिए 1800/- रु. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मरूस्थली जिले, लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक, उत्तरांचल के तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अन्य अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 2300/- रु. जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल (तराई क्षेत्र को छोड़कर) तमिलनाडु में नीलगिरी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के सदर कुर्सीग और कलिमपोंग सब-डिवीजन और सुंदरबन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए 3500/- रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं सिक्किम (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर) के लिए प्रति संयंत्र 11,700/- रु.; और असम के मैदानी क्षेत्रों में 9000/- रु. प्रति संयंत्र	
2.	*सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम*	राज्यों के लिए	पूर्वोत्तर राज्यों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों और द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा) के लिए
	सौर घरेलू प्रणाली	पूर्व कार्य लागत का 50% जो अधिकतम निम्नलिखित के अध्ययन है:	पूर्व कार्य लागत का 90% जो अधिकतम निम्नलिखित के अध्ययन है:
	मॉडल 1 (18 वाट मॉड्यूल, 1 रोशनी)	3,000/- रुपये	5000/- रुपये
	मॉडल 2 (37 वाट मॉड्यूल, 2 रोशनी)	5,500/- रुपये	10,000/- रुपये
	मॉडल 3 (37 वाट मॉड्यूल, 1 रोशनी 1 पंखा)	5,500/- रुपये	10,000/- रुपये
	मॉडल 4 (74 वाट मॉड्यूल, 2 रोशनी, 1 पंखा)	10,000/- रुपये	18,000/- रुपये
	मॉडल 5 (74 वाट मॉड्यूल, 4 रोशनी)	10,000/- रुपये	18,000/- रुपये
	सड़क रोशनी प्रणाली	11,000/- रुपये	20,000/- रुपये
	स्टैंड एलोन, एसपीवी विद्युत संयंत्र और अन्य सामुदायिक प्रणालियां	पीवी ऐरे क्षमता का 1.80 लाख रु./केडब्ल्यूपी	पीवी ऐरे क्षमता का 3.50 लाख रु./केडब्ल्यूपी

1	2	3	
3.	*एसपीवी जल पंपन कार्यक्रम*		
	पूंजीगत सब्सिडी	राज्यों के लिए एसपीवी ऐरे का 135/- रु./वाट, अधिकतम 2.50 लाख रु./प्रणाली	
		विशेष श्रेणी के राज्यों और द्वीप समूहों (संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर): अनुमोदित पूर्व कार्य लागत का अधिकतम 90%, जो अधिकतम 2.50 लाख/प्रणाली के अध्यधीन।	
	इरेडा से ऋण	बिचौलियों और उपयोगकर्त्ताओं को क्रमश: 2.5% और 5% की ब्याज दर पर ऋण	
4.	*जल पंपन पवन चक्की*	प्रति प्रणाली 20,000 से 45,000/- रु.	
5.	*लघु एरोजनरेटर एवं हाइब्रिड प्रणालियां*	2.00 लाख रु. प्रति किवा. अथवा पूर्व कार्य लागत का 50%-70%, इनमें से जो भी कम हो।	
6.	*सौर कुकर*	राज्यों के लिए	विशेष श्रेणी के राज्यों और द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर) के लिए 50%
		कुल लागत का 50% जो अधिकतम निम्नलिखित तक सीमित है:	कुल लागत का 50% जो अधिकतम निम्नलिखित तक सीमित है:
	डिश टाइप	2,500/- रुपये	2,500/- रुपये
	सामुदायिक टाइप	25,000/- रुपये	25,000/- रुपये
	स्टीम कुकिंग प्रणाली	पात्र पूंजीगत लागत का 50%	पात्र पूंजीगत लागत का 50%
7.	**बायोमास गैसीफायर**		
	क. कैप्टिव उपयोग राज्यों के लिए	तापीय अनुप्रयोगों (3 मेवा. ताप तक) के लिए 1.25 लाख रु./300 किवा. ताप	
		इलैक्ट्रिकल/यांत्रिक अनुप्रयोगों (1 मेवा. ई तक) के लिए: 1.50 लाख रुपये/100 किवाई.	
	विशेष श्रेणी के राज्य और द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर)	उपरोक्त की 20% अधिक केन्द्रीय वित्तीय सहायता	
	ख. ग्राम विद्युतीकरण परियोजना राज्यों के लिए	बायोमास संग्रहण/प्रोसेसिंग और 5 वर्षों की एमसी के प्रति 15 लाख रु./50 किवा.ई. और 1.50 लाख रु./50 किवा.ई. के मूल पैकेज मूल्य का 60% और आंतरित वायरिंग हेतु माइक्रो कैडिट के रूप में 1500 रुपये प्रति परिवार।	
	विशेष श्रेणी के राज्य और द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर)	बायोमास संग्रहण/प्रोसेसिंग और 5 वर्षों की एएमसी के प्रति 15 लाख रु./50 किवा.ई. और 1.50 लाख रु./50 किवा.ई. के मूल पैकेज मूल्य का 90% और आतंरिक वायरिंग हेतु माइक्रो कैडिट के रूप में 1500 रुपये प्रति परिवार	
	ग. विद्युत उत्पादन के लिए 100% प्रोड्यूसर गैस इंजिनों के साथ प्रदर्शन परियोजना राज्यों के लिए	100% प्रोड्यूसर गैस इंजिन के साथ बायोमास गैसीफायर के लिए 15.00 लाख रु./100 किवा.ई. और केवल 100% प्रोड्यूसर गैस इंजिन के लिए यथानुपात आधार पर 10.00 लाख रु./100 किवा.ई.	
	विशेष श्रेणी के राज्य और द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर)	उपरोक्त की 20% अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रीय वित्तीय सहायता	

1	2	3
	घ. 11 विशेष श्रेणी के राज्यों और सभी द्वीप समूहों में विद्यमान डीजल विद्युत संयंत्रों का रूपांतरण	यथानुपात आधार पर 10.00 लाख रु./100 किवा.ई.
8.	*लघु पनबिजली कार्यक्रम*	
	सरकारी क्षेत्र एसएचपी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी	
	100 किवा. तक	(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए 60,000 रुपये प्रति किवा. तक, परियोजना लागत का 90%
		(ख) अन्य सभी राज्यों और द्वीप समूहों के अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 40,000 रु. प्रति किवा. तक, परियोजना लागत का 60%
		(ग) अन्य सभी राज्यों के मैदानी और अन्य क्षेत्रों के लिए 20,000 रु. प्रति किवा. तक, परियोजना लागत का 40%
	101 किवा. से 999 किवा. तक	(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए 60 लाख रुपये तक, परियोजना लागत का 90% जमा 43250 रु. प्रति किवा.
		(ख) अन्य सभी राज्यों और द्वीप समूहों के अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 40 लाख रु. तक, परियोजना लागत का 60% जमा 28,850 रु. प्रति किवा.
		(ग) अन्य सभी राज्यों के मैदानी और अन्य क्षेत्रों के लिए 20 लाख रु. तक, परियोजना लागत का 40% जमा 14425 रु. प्रति किवा.
	1 मेवा. से 25 मेवा.	(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए 4.5 करोड़ रुपये तक, परियोजना लागत का 90% जमा 75 लाख रु. प्रति मेवा.
		(ख) अन्य सभी राज्यों और द्वीप समूहों के अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 3.0 करोड़ रु. तक, परियोजना लागत का 60% जमा 50 लाख रु. प्रति मेवा.
		(ग) अन्य सभी राज्यों के मैदानी और अन्य क्षेत्रों के लिए 1.5 करोड़ रु. तक, परियोजना लागत का 40% जमा 25 लाख रु. प्रति मेवा.
	वाणिज्यिक एसएचपी परियोजनाओं के लिए सब्सिडी	
	100 किवा. तक	(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए 30,000 रु. प्रति किवा. तक परियोजना लागत का 45%
		(ख) अन्य सभी राज्यों और द्वीप समूहों के अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20,000 रु. प्रति किवा. तक, परियोजना लागत का 30%
		(ग) अन्य सभी राज्यों के मैदानी और अन्य क्षेत्रों के लिए 10,000 रु. प्रति किवा. तक, परियोजना लागत का 20%
	101 किवा. से 999 किवा.	(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए 30 लाख रुपये तक परियोजना लागत का 45% जमा 21625 रु. प्रति किवा.

1	2	3	
		(ख) अन्य सभी राज्यों और द्वीप समूहों के अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20 लाख रु. तक, परियोजना लागत का 30% जमा 14400 रु. प्रति किवा.	
		(ग) अन्य सभी राज्यों के मैदानी और अन्य क्षेत्रों के लिए 20 लाख रु. तक, परियोजना लागत का 20% जमा 7200 रु. प्रति किवा.	
	1 मेवा. से 25 मेवा.	(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए 2.25 लाख रुपये, परियोजना लागत का 45% जमा 37.50 लाख रु. प्रति किवा.	
		(ख) अन्य सभी राज्यों और द्वीप समूहों के अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.50 करोड़ रु. तक, परियोजना लागत का 30% जमा 25 लाख रु. प्रति किवा.	
		(ग) अन्य सभी राज्यों के मैदानी और अन्य क्षेत्रों के लिए 0.75 करोड़ रु., परियोजना लागत का 20% जमा 12.5 लाख रु. प्रति मेवा.	
9.	*पवन विद्युत*		
	(1) जमीन आधारित प्रदर्शन परियोजना	3.5 करोड़ रु. प्रति मेवा. की सीमा के साथ उपस्कर लागत का 60% तक	
	(2) पवन हाइब्रिड परियोजनाएं	70 लाख रु. प्रति किवा. की सीमा के अध्यधीन उपस्कर की सम्पूर्ण लागत। इसके अलावा सुदूरवर्ती और कठिन क्षेत्रों में विकेन्द्रित विद्युतीकरण के लिए नई लाइनों को बिछाने/विद्यमान लाईनों के उन्नयन/विस्तार के लिए 90% तक	
10.	*एसपीवी ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत संयंत्र*	राज्यों के लिए: अधिकतम 2 लाख रु./किवा.पी. विशेष श्रेणी के राज्यों और द्वीप समूहों (संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर) के लिए : 2.70 लाख रु./किवा.पी.	
11.	*बायोमास विद्युत/सहउत्पादन* ब्याज सब्सिडी		
	क. खोई सहउत्पादन		
	सहकारी/सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र चीनी मिलों द्वारा परियोजनाएं 60 बार और उससे अधिक (40 से 100 बार और अधिक)	3%-6%	(लागू न्यूनतम दर = 6%)
	सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त चीनी मिलों में आईपीपी मोड में परियोजनाएं (60 से 100 बार और अधिक)	2%-4%	(लागू न्यूनतम दर = 8%)
	निजी चीनी मिलों द्वारा परियोजनाएं (60 से 100 बार और अधिक)	1%-3%	(लागू न्यूनतम दर = 8%)
	ख. बायोमास विद्युत		
	(1) कैप्टिव विद्युत सहित वाणिज्यिक सह-उत्पादन परियोजनाएं (60 से 80 और और अधिक)	2%-3%	(लागू न्यूनतम दर = 8%)

1	2	3	
	(2) कैप्टिव विद्युत सहित वाणिज्यिक कम्बस्टन परियोजनाएं (60 से 80 बार और अधिक)	2%-3%	(ब्याज सब्सिडी) (लागू न्यूनतम दर = 8%)
	(3) कैप्टिव विद्युत सहित वातावरणिक गैसीकरण	2%	(लागू न्यूनतम दर = 8%)
	(4) बायोमास विद्युत/सहउत्पादन परियोजनाएं:		
	सभी विशेष श्रेणी के राज्यों और द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर) के लिए	2% की दर पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी (लागू न्यूनतम दर 6%)	
12.	*शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से विद्युत* औद्योगिक अपशिष्टों के लिए ब्याज सब्सिडी	ब्याज की दर को 6.0% तक कम करने के लिए ब्याज सब्सिडी (लागू न्यूनतम दर = 6.0%) विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए - लागू न्यूनतम दर 4%	
13.	*सौर जल तापन प्रणालियां (एसडब्ल्यूएचएस) ब्याज सब्सिडी* बैंकों/वित्तीय संस्थाओं (आवास वित्त पोषण संगठनों सहित) के माध्यम से 5000 लीटर क्षमता तक (एसडब्ल्यूएचएस)	5% (अंतिम उपयोगकर्त्ताओं को) - व्यक्ति, संस्था, एसोसिएशन, छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, आवास समिति/विकासकर्त्ता (होटल पात्र नहीं)	
	इरेडा के माध्यम से		
	एसडब्ल्यूएचएस (कोई भी क्षमता)	लाभ न कमाने वाले संगठनों के लिए 5%	
	सौर वायु तापन प्रणालियां, विलवणीकरण प्रणालियां, सौर स्विमिंग पूल	लाभ न कमाने वाले संगठनों के लिए 7%	
14.	*ग्रामीण विद्युतीकरण*	सौर प्रकाशवोल्टीय, बायोमास गैसीफायर और लघु पनबिजली कार्यक्रमों में शामिल प्रावधानों के अनुसार	

मेवा. = मेगावाट, किवा.पी. = किलोवाट, पीक, किवा-किलोवाट एसपीवी = सौर प्रकाशवोल्टीय

[हिन्दी]

बीना तेल शोधक कारखाना

3227. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीना तेल शोधक कारखाना परियोजना का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(ग) उक्त परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त तेलशोधक कारखाने की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा मुख्य रिफाइनरी के लिए प्रक्रम संरूपण की पुनरीक्षा पेट्रोलियम उत्पादों के परिवर्तित मांग-आपूर्ति परिदृश्य तथा देश में उत्पाद विनिर्देशों में हाल ही के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए आरंभ की गई है। इस रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति करने के प्रयोजनार्थ वादीनार (गुजरात) से बीना (मध्य प्रदेश) तक देश के आर-पार कच्चा तेल पाइपलाइन के लिए

सिंगल प्वाइंट मूरिंग तथा कच्चा तेल टर्मिनल के बीच कार्य आरंभ कर दिया गया है।

(ख) परियोजना के 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) परियोजना का संशोधित लागत अनुमान सितंबर, 2001 मूल्यों पर 6,354 करोड़ रुपए है।

(घ) रिफाइनरी की परिरूपित क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है।

[अनुवाद]

भटिंडा आयुध डिपो और नागरिक जनसंख्या के बीच की दूरी

3228. श्री भान सिंह भौरा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भटिंडा छावनी और आयुध डिपो का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयुध डिपो अथवा छावनी और नागरिक जनसंख्या क्षेत्र के बीच की दूरी की कोई निर्धारित सीमा है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी सीमा निर्धारित की गयी है;

(ङ) क्या यह सच है कि भटिंडा छावनी और आयुध डिपो के विस्तार के नाम पर इन सीमाओं की उपेक्षा की जा रही है;

(च) यदि हां, तो क्या इस विस्तार के परिणामस्वरूप भटिंडा में बहुत से नागरिकों, संस्थाओं के समक्ष उनके स्थानों से हटाने का खतरा मंडरा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो प्रस्तावित विस्थापित को राहत प्रदान करने वाली सरकारी योजना का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयुध डिपो और सिविलियन क्षेत्र के बीच की दूरी का निर्धारण रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 में ही किया गया है।

(घ) यह दूरी 500 से 2000 गज के बीच की होती है।

(ङ) से (छ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भावनगर-बोटड, बोटड-अहमदाबाद आमान परिवर्तन कार्य

3229. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भावनगर-बोटड और बोटड-अहमदाबाद आमान परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) भावनगर-बोटड खंड पर बोटड-ढोला के बीच आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है। ढोला-भावनगर खण्ड पर रेलपथ को लिंक करने का कार्य प्रगति पर है तथा 2003-04 के दौरान इसके पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

बोटड-अहमदाबाद का कोई आमान परिवर्तन प्रगति पर नहीं है। बहरहाल, हाल ही में खंड का आमान परिवर्तन करने के लिए एक सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है।

नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास

3230. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आटिस, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसएबिलिटिज से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस समूह के व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पहचान पत्र जारी किये हैं और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसा ही करने का परामर्श दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) और (ख) जी, हां। आटिज्म,

प्रमस्तिक अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास जुलाई, 2000 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय न्यास का अंतिम लक्ष्य गंभीर विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक स्वरूप की सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक सुरक्षा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यास के कारपस के लिए 100 करोड़ रु. का अंशदान किया है तथा इसमें से आय का उपयोग न्यास की योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए किया जा रहा है।

आटिज्म, प्रमस्तिक अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए किए जा रहे उपायों में संरक्षकता संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए स्थानीय स्तरीय समितियों की स्थापना करना, दिवा देखभाल, राहत देखभाल तथा आवासीय देखभाल केन्द्रों को वित्तीय सहायता देना, विशेष अध्यापकों तथा गृह आधरित देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण, सूचना केन्द्रों की स्थापना एवं माता-पिता तथा परिवारों के लिए सूचना पुस्तिका का विकास एवं प्रचार, जागरूकता संबंधी अभियानों तथा सेमिनारों का आयोजना करना आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) नि:शक्त व्यक्तियों को पहचान-पत्र राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं। नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पहचान पत्रों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नि:शक्त व्यक्तियों को वैध रियायतें/लाभ प्राप्त हो सकें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकसमान दिशा-निर्देश परिचालित किए हैं और उन्हीं को इस प्रयोजन के लिए अपनाने का अनुरोध किया है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पहचान-पत्र जारी करने के लिए उचित प्राधिकारी तथा प्रक्रिया को नि:शक्त व्यक्तियों, जिन्हें पहचान-पत्र के लिए यात्रा नहीं करनी पड़े, की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करते हैं। वे सभी व्यक्ति पहचान-पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र हैं जिन्हें उचित प्राधिकारी द्वारा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में दी गई परिभाषाओं के अनुसार विकलांगता से ग्रस्त प्रमाणित किया जाता है। चिकित्सा प्रमाणपत्र एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है। किसी विवाद की स्थिति में नि:शक्त व्यक्तियों के राज्य आयुक्त अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

कोकराझार के लिए एच.पी.टी. सुविधाएं

3231. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** कोकराझार के लिए एच.पी.टी. सुविधाओं के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3732 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोकराझार में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए योजना मंजूर की गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) कोकराझार में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम को पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज में शामिल कर दिया गया है और इसको सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्याधीन कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड का पुनरुद्धार

3232. श्री रामानन्द सिंह: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के कटनी जिले के निवार में वर्ष 1965 में स्थापित वर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड को वर्ष 2000 में बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कंपनी को बंद किए जाने से हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गये है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कंपनी को निजी पक्ष के माध्यम से चलाने के विचार से मार्च 2002 में निविदा आमंत्रित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो सर्वाधिक मूल्य लगाने वाली निविदा को स्वीकार नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा श्रमिकों के व्यापक हित में किए जाने वाले कंपनी के पुनरुद्धार की प्रक्रिया में विलम्ब के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते): (क) और (ख) 16.4.1999 को बीआईएफआर ने बीएससीएल की पुनरुद्धार योजना को स्वीकृत करते हुए निवार वर्क्स सहित, घाटे में चल रही 7 (सात) रिफ्रेक्ट्री इकाईयों को (एलआरयू) जिन्हें जैव्य नहीं पाया गया, बन्द करने की सिफारिश की है। तदनुसार, 31.12.2000 से सभी एलआरयू जिनमें निवार वर्क्स भी शामिल है, को बन्द कर दिया गया है तथा इन इकाईयों के सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) योजना के अनुसार मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) चूंकि, बीआईएफआर ने एलआरयू को बन्द करने की सिफारिश की है, इसलिए इसके शीघ्र निपटारे के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(घ) और (ङ) आमंत्रित की गई निविदाओं का आरक्षित मूल्य से कम होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका। बीआईएफआर की योजना के अनुसार, निवार इकाई के पुनरुद्धार की परिकल्पना नहीं की गई है।

मध्य प्रदेश में लंबित जल विद्युत परियोजनाएं

3233. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं लंबित और अधूरी है;

(ख) क्या राज्य में अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के काम को पूरा करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करने का प्रस्ताव है जिसे गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 5 जलविद्युत परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है यथा केन्द्रीय क्षेत्र में इंदिरा सागर (1000 मेगावाट) और ओंकारेश्वर (520 मेगावाट), राज्य क्षेत्र में माधीखेडा (40 मेगावाट) और बाणसागर टोन्स चरण IV (20 मेगावाट) तथा निजी क्षेत्र में महेश्वर (400 मेगावाट)।

(ख) और (ग) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के कार्य में तेजी लाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार ने विकासकर्त्ता द्वारा अपने भागीदारों में से एक के बाहर हो जाने के कारण उत्पन्न हुई इक्विटी अन्तराल की पूर्ति के लिए प्रवर्तित किए जाने वाले बांडों के लिए बैक-अप गारंटी देने का सिद्धान्ततः निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

कानूनगो समिति

3234. श्री मोइनुल हसन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में कानूनगो समिति ने धन का अवैध रूप से अन्यत्र इस्तेमाल करने और अपने कार्यकलाप में पूंजी और विशेषज्ञता न लाने हेतु निजी कंपनी, बी.एस.ई.एस. की कड़ी आलोचना की हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने राज्य में विद्युत क्षेत्र के सुधार कार्यों की पुनर्समीक्षा के लिए वर्ष 2001 में श्री एस. कानूनगो की अध्यक्षता में स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी।

समिति की अनुशंसाएं अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् हैं-

1. परिसम्पत्ति स्थानान्तरण के समय परिसम्पत्ति के अतिमूल्यांकन को स्थगित रखना क्योंकि इसे अनावश्यक रूप से विद्युत की लागत में शामिल किया गया है जिससे वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाने का कार्य और कठिन हो गया है। उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन से संबंधित अतिमूल्यांकन को अलग ही रखा जाना जरूरी है।
2. वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाए जाने तक राजस्व अंतराल की भरपाई/वित्त पोषण के लिए संक्रमण काल के दौरान वित्तीय प्रबंध किया जाए।
3. क्षेत्र का पुनरुद्धार दक्षता में सुधार लाकर तथा लागत में कमी लाकर ही किया जा सकता है। हुक के माध्यम से गैरकानूनी तौर पर लिए गए कनेक्शनों को हटाने का अभियान चलाने के साथ-साथ उन्हें नियमित कनेक्शन में बदलने का अभियान चलाना चाहिए तथा बिल संबंधी कार्य को व्यवस्थित करना चाहिए और ऊर्जा प्रभारों की वसूली का उपाय भी किया जाना चाहिए। अनधिकृत विद्युत प्रयोग को रोकने के कार्य में लगी टीमों को पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए। एक वर्ष के अंदर 100% अर्थात् सभी उपभोक्ताओं के लिए मीटर का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।

समिति ने निजी प्रवर्तकों के लिए बेहतर प्रबंधन करने और वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

समिति की अनुशंसाओं अनुवर्ती कार्रवाई करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

एलपीजी/सीएनजी/मिट्टी का तेल/डीजल की बिक्री

3235. श्री सईदुज्जमा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मिट्टी का तेल और एलपीजी/सीएनजी की बिक्री और डीजल की घटती बिक्री में घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन घाटों का कारण मुख्यत: मिट्टी का तेल और एलपीजी का भारी आयात है और उपभोक्ताओं से पेट्रोल/डीजल और अन्य उत्पादों की बिक्री पर उच्च प्रभार लेना है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी आयात नीतियों की समीक्षा करने का और पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एलपीजी और सीएनजी की बिक्री में वृद्धि हुई है। मिट्टी तेल एक आबंटित उत्पाद है और इसलिए बिक्रियां आबंटन तक सीमित हैं। एलपीजी की बढ़ती हुई उपलब्धता से मिट्टी तेल के उपयोग को विशेष रूप से खाना पकाने के उद्देश्यों के लिए एलपीजी द्वारा क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 में डीजल की बिक्री में पहली बार नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। डीजल की बिक्री को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न थे:-

1. रक्षा, विद्युत, राज्य परिवहन उपक्रमों, समुद्री, सीमेंट, खनन, वस्त्र और ''अन्य'' (निजी) जैसे क्षेत्रों ने 2002-2003 के दौरान कम मात्रा उठाई।
2. मूल्य लाभ के कारण डीजल का प्रतिस्थापन करते हुए निजी एलडीओ और एसकेओ जैसे सस्ते वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग में वृद्धि करना।
3. सीएनजी के उपयोग में वृद्धि करना।
4. वर्ष 2001-2002 में सूखे की परिस्थितियां जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी हुई।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों ने यह सूचित किया है कि समानान्तर विपणन प्रणाली के मिट्टी तेल के आयात में वृद्धि देश में डीजल की बिक्री को प्रभावित करने का एक कारण है। वर्तमान आयात निर्यात नीति के अनुसार मिट्टी तेल एक मुक्त आयात मद है और इस नीति की समीक्षा का प्रस्ताव नहीं है।

नये जोन बनाने के बाद रेलवे की कार्यदक्षता

3236. श्री रामनायडू दग्गुबाटि: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 अप्रैल, 2003 से पांच नये जोन बनने से रेलवे की प्रचालन संबंधी कार्यदक्षता और सुरक्षा में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या नये जोन बनाने के बाद रेलवे की आय में कुछ वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस अवधि में क्या बोधगम्य परिवर्तन दिखाई पड़े हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) 1.4.2003 से भारतीय रेलों पर जून, 2003 के अंत तक कुल अनुमानत: आमदनी में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 240 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

(ग) पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में वर्ष 2003-04 की पहली तिमाही में लदान में लगभग 9.76% मिलियन टन की वृद्धि, साधारण संचालन व्यय में लगभग 718 करोड़ रुपए की कमी और परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में 18 दुर्घटनाओं की कमी ध्यान में आई है।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा

3237. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ग्रामीण ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु उद्यमिता विकास केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों में कितने उद्यमी प्रशिक्षित किये गये हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान भोपाल (मध्य प्रदेश), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) और मदुराई (तमिलनाडु) में उद्यमिता विकास केन्द्र; ऊर्जा अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (मध्य प्रदेश); भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी (असम); महाराष्ट्र औद्योगिक तकनीकी परामर्शदात्री, पुणे (महाराष्ट्र); अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश); रामाकृष्णा मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर (पश्चिम बंगाल) और रांची (झारखंड); सरदार पटेल अक्षय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, वल्लभ विद्यानगर (गुजरात); ऊर्जा संसाधन संस्थान, बंगलौर (कर्नाटक);

और उत्तर भारत तकनीकी परामर्शदात्री संगठन लि., चंडीगढ़ (पंजाब) जैसी विद्यमान संस्थाओं को अक्षय ऊर्जा उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निधियां दी गई थीं।

(ग) सूचना नीचे दी गई है:-

राज्य वर्ष	2000-01 से 2002-03 के दौरान अक्षय ऊर्जा उद्यमिता में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	330
असम	55
गुजरात	23
झारखंड	40
कर्नाटक	20
मध्य प्रदेश	127
महाराष्ट्र	57
पंजाब	166
तमिलनाडु	84
उत्तर प्रदेश	22
पश्चिम बंगाल	50

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में अपारम्परिक ऊर्जा हेतु योजनाएं

3238. श्री प्रदीप यादव: क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सारे देश में किसानों को कृषि कार्य करने हेतु अपारम्परिक ऊर्जा किट उपलब्ध कराने हेतु अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या अपारम्परिक ऊर्जा किट खरीदने हेतु कोई राज-सहायता दी जाती है; और

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) मंत्रालय, देश में बायोगैस, सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणाली और जल पंपन पवन चक्की कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिनसे कृषि और उससे संबंधित प्रयोगों में सहायता मिलती है।

(ख) इन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

वर्ष 2003-04 के दौरान बायोगैस, सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणाली और जल पंपन पवन चक्की कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

क्रम.सं.	कार्यक्रमों के नाम	सब्सिडी के विवरण
1	2	3
1.	बायोगैस संयंत्र	सामान्य श्रेणी के लिए 1800/- रु. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मरूस्थली जिलों, लघु एवं सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, उत्तरांचल के तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अन्य अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 2300/- रु. जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल (तराई क्षेत्र को छोड़कर), तमिलनाडु में नीलगिरी; पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के सदर कुर्सौंग और कलिमपोंग सब-डिवीजन और सुंदरबन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए 3500/- रु.

1	2	3
		पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं सिक्किम (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर) के लिए प्रति संयंत्र 11,700/- रु.; और
		असम के मैदानी क्षेत्रों में 9000/- रु. प्रति संयंत्र
2.	सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां	
	पूंजीगत सब्सिडी	राज्यों के लिए : अधिकतम 2.50 लाख रु./प्रणाली के साथ एसवीपी ऐरे का प्रतिवाट 135/- रु.
		विशेष श्रेणी के राज्यों और द्वीप समूहों (संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर) के लिए : अधिकतम 2.50 लाख/प्रणाली के अध्यधीन अनुमोदित पूर्व कार्य लागत का अधिकतम 90%
	इरेडा से ऋण	बिचौलियों और उपयोगकर्त्ताओं को क्रमशः 2.5% और 5% की ब्याज दर पर ऋण
3.	जल पंपन पवन चक्कियां	प्रति प्रणाली 20,000 से 45,000 रु. तक

विवरण II

वर्ष 2002-03 के दौरान बायोगैस, सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणाली और जल पंपन पवन चक्की कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार निधियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस कार्यक्रम	सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन कार्यक्रम	जल पंपन पवन चक्की कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4.28	0.00	0.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.13	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	2.52	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	2.47	0.92	0.43
8.	हरियाणा	0.16	2.45	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.22	0.00	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	0.03	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	5.73	0.00	0.00
13.	केरल	0.09	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	3.98	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	2.80	0.00	1.68
16.	मणिपुर	0.19	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.25	0.11	0.00
18.	मिजोरम	0.35	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	2.55	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	8.38	0.00
22.	राजस्थान	0.07	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.25	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.27	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.15	0.21	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.01
27.	उत्तरांचल	0.15	0.15	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	4.14	0.00	0.11
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0.00	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
31.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
32.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.03

धनबाद रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

3239. प्रो. रीता वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धनबाद रेलवे स्टेशन के उन्नयन हेतु अभी तक कितनी राशि खर्च की गई है और उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राशि किन-किन कार्यों पर खर्च की गई है;

(ग) धनबाद रेलवे स्टेशन के नवीकरण और आधुनिकीकरण के अंतर्गत अभी कितना कार्य किया जाना है और इस कार्य को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कार्यों पर कितनी अतिरिक्त राशि खर्च होने की संभावना है;

(ङ) क्या अभी तक किये गये कार्यों के संबंध में अनियमितता संबंधी किसी शिकायत का पता चला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) धनबाद स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए 2000-01 में 73.09 लाख रुपए, 2001-02 में 109.20 लाख रुपए तथा 2002-03 में 72.80 लाख रुपए खर्च किए गए थे।

(ख) और (ग) पूरे कर लिए गए कार्यों तथा चालू कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) शेष कार्यों पर 22.55 लाख रु. खर्च होने की संभावना है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	निर्माण कार्य का ब्यौरा	टिप्पणी
1	2	3
1.	वाटर प्वाइंट, पानी का निकास, टाइल्स को बदलकर प्लेटफार्म सं. 1 का सुधार करना और 2 कमरों में सुधार	पूरा हो चुका है।
2.	गटर और आर.डब्ल्यू. पाइपों और आनुषंगिक कार्यों में परिवर्तन और बदलाव करके नवीकरण	पूरा हो चुका है।
3.	विश्रामालयों और डोरमेट्रियों में सुधार करने के लिए फ्लोरिंग और सफाई संबंधी कार्य की व्यवस्था	पूरा हो चुका है।
4.	शारीरिक रूप से विकलांग यात्रियों के लिए सुविधाएं मुहैया करना	पूरा हो चुका है।
5.	विश्रामालयों डारमेट्रियों और प्रतीक्षालय में सुधार और विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रसाधन की व्यवस्था	पूरा हो चुका है।
6.	मैनुअल और कंप्यूटरीकृत स्वचालित पूछताछ प्रणाली की व्यवस्था-10 लाइनें	कार्य प्रगति पर है।
7.	ग्लेज्ड पार्टिशन वाल सम्मिलन क्षेत्र में और फाल्स सीलिंग का बदलाव	पूरा हो चुका है।
8.	नए खोले गए प्लेटफार्म सं. 1 पर द्वितीय श्रेणी का प्रतीक्षालय	कार्य प्रगति पर है।
9.	स्टेशन में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार और परिचलन क्षेत्र में सुधार और दक्षिणी साइड में नए बुकिंग कार्यालय में सुधार करना	पूरा हो चुका है।
10.	प्लेटफार्म सं. 2 और 3 पर दो खंबे वाले प्लेटफार्म शेड की व्यवस्था	पूरा हो चुका है।
11.	नए एसपीटीएम काउंटरों की व्यवस्था मौजूदा काउंटरों का नवीकरण	कार्य प्रगति पर है।
12.	आरक्षण परिसर का नवीकरण	पूरा हो चुका है।
13.	ग्रेनाईट वाली प्लेटफार्म बेंचों की व्यवस्था	कार्य प्रगति पर है।

1	2	3
14.	पीने के पानी में सुधार चरण-I के लिए स्टेशन परिसरों में जंगग्रस्त और टूटी हुई मौजूदा पाइप लाइनों को बदलना और वाल्व की व्यवस्था करना	पूरा हो चुका है।
15.	स्टेशन क्षेत्र फेज-II में जंगग्रस्त और क्षतिग्रस्त मौजूदा पाइप लाइन को बदलना और बाल्व की व्यवस्था करना	पूरा हो चुका है।
16.	विश्रामालय और आरक्षण परिसर में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 250 एमएम×200 एमएम गहरे ट्यूबवेल की व्यवस्था	कार्य प्रगति पर है।
17.	माडल स्टेशन निर्माण कार्य, यातायात को पृथक करने के लिए परिचलन क्षेत्र में सुधार करना, द्वीप और ग्रीन पैसेंजर की व्यवस्था और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पैदल पथ की व्यवस्था	पूरा हो चुका है।
18.	प्लेटफार्म सं. 2 पर धुलनीय एप्रेन की व्यवस्था	पूरा हो चुका है।
19.	प्लेटफार्म सं. 6 और 7 पर प्लेटफार्म शेड की व्यवस्था	पूरा हो चुका है।
20.	प्लेटफार्म सं. 6 और 7 पर तार और सिगनल प्रणाली संबंधी सुविधाओं का विस्तार।	कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन/आकाशवाणी के प्रशिक्षण संस्थान

3240. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों हेतु कोई नया प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) ये नये प्रशिक्षण संस्थान किस वर्ष से कार्य करना शुरू कर देंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दक्षिण पूर्व रेलवे में डीजल इंजन

3241. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे प्राधिकरण ने भाप के इंजनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के बाद दक्षिण-पूर्व रेलवे में डीजल इंजन चलाने शुरू किये हैं;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकरण ने भारी पूंजी निवेश करके स्टीम लोको शेड को डीजल लोको शेड में परिवर्तित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खड़गपुर डीजल शेड का वर्तमान चल स्टाक कितना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कम अनुरक्षण और परिचालन लागत, अधिकभार-कर्षण क्षमता तथा अत्यधिक परिचालनिक सुगमता को देखते हुए, भारतीय रेलों पर भाप इंजनों को डीजल रेल इंजनों से बदला गया है। खड़गपुर में डीजल शेड के निर्माण में 8.68 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था जिसने 1988 से कार्य करना शुरू किया।

(घ) खड़गपुर डीजल शेड में 114 डीजल इंजन खड़े किए जा सकते हैं।

कुर्ला-थाणे छह लाइन परियोजना के पक्का भवन के परिवारों का पुनर्वास

3242. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुर्ला-थाणे छह लाइन परियोजना से प्रभावित परिवारों को पुनर्वास विश्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किया जा रहा है;

(ख) क्या कुर्ला–थाणे छह लाइन परियोजना के पक्का भवन के 122 परिवारों के पुनर्वास के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो वहां के निवासियों, राज्य सरकार और रेलवे प्राधिकारियों की जुलाई, 2003 में हुई हाल की बैठक में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी स्थानीय सांसद और विधायक से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) के अंतर्गत कुर्ला–थाणे परियोजना संबंधी प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकार को अपना निर्णय अभी बताना है।

(घ) और (ङ) स्थानीय संसद सदस्य और विधायकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध दिए गए हैं:-

(1) घाटकोपर क्षेत्र में परियोजना संबंधी व्यक्नियों का पुनर्वास/पुनर्स्थापन।

(2) परियोजना संबंधी व्यक्तियों को उनके क्षेत्र के समतुल्य नि:शुल्क लागत वाला फ्लैट दिया जाए।

(3) स्थापन और पुनर्वास शीघ्र किया जाए।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा घाटकोपर में सीटीएस सं. 194ए (भाग) पर भूकंड सं. 3, 4 और 5 आबंटित किए गए है। इस भूखंड पर राज्य सरकार द्वारा इमारत का निर्माण अभी शुरू किया जाना है।

गोदावरी एक्सप्रेस का द्विशाखन

3243. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गोदावरी एक्सप्रेस का द्विशाखन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उत्तरी आंध्र के तटीय जिलों के बाद में रेलगाड़ी चलाने की कोई आवश्यकता है;

(ग) क्या दक्षिण मध्य रेलवे ने गोदावरी एक्सप्रेस, जो कि श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम तक जाती है के बाद एक रेलगाड़ी चलाये जाने के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस मामले में उत्तरी आंध्र प्रदेश के यात्रियों की सहायता हेतु क्या कदम उठाये जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केबल उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतें

3244. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकांश केबल आपरेटरों ने उपभोक्ता अधिनियम के अनेक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए केबल कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रों को स्वयं ही आपस में बांट लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये केबल आपरेटर मुख्य बैंड पर डी.डी.-एक और डी.डी.-दो का प्रसारण भी नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा केबल आपरेटरों विशेष रूप से रंगाकेबल्स, पचुकुइंया रोड, नई दिल्ली, पी.जी. केबल्स, एनडीएमसी शाप्स, आर.के. आश्रम मार्ग, नई दिल्ली और ईगल केबल नेटवर्क, अभय खण्ड-एक, इंदिरापुरम, गाजियाबाद के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) केबल आपरेटरों द्वारा भविष्य में ऐसे कार्यों को किए जाने से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या और कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (घ) केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 (इसके आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति जो केबल टेलीविजन नेटवर्क का प्रचालन कर रहा है या प्रचालन करना चाहता है उसे उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत केबल आपरेटर के रूप में पंजीकरण करवाना होता है। किसी एक क्षेत्र विशेष में प्रचालन हेतु केबल आपरेटरों

की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों तथा उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हों।

अधिनियम के खण्ड 8 के अंतर्गत प्रत्येक केबल आपरेटर मुख्य बैंड पर कम से कम दूरदर्शन के दो स्थलीय चैनलों और राज्य की एक क्षेत्रीय भाषा चैनल का पुनर्प्रसारण करेगा। उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केबल टी.वी. नेटवर्क्स पर दूरदर्शन चैनलों की मानीटरिंग के लिए व्यवस्था की गई है।

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में मुख्य सचिवों को केबल अधिनियम के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त सलाह देने के लिए लिखा है। अधीक्षक अभियन्ताओं और केन्द्र अभियन्ताओं को स्थानीय प्राधिकारियों के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है तथा केबल आपरेटरों के साथ निकट संपर्क बनाने और 'केबल टी.वी. शीर्ष छोर' का निरीक्षण और मासिक चैनल व्यवस्था रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों को दूरदर्शन चैनलों के अनिवार्य प्रसारण का उल्लंघन करने के मामलों में उपस्कर जब्त करने का अधिकार दिया गया है।

विशाखापत्तनम से हैदराबाद तक गैस पाइपलाइन

3245. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशाखापत्तनम से हैदराबाद तक गैस ले जाने वाली 600 कि.मी. लंबी पाइपलाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना पर अभी तक कुल कितनी राशि खर्च हुई है;

(ग) क्या परियोजना पर समयानुसार कार्य चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना पूरा होने की संभावित तिथि क्या है; और

(ङ) यह पाइपलाइन हैदराबाद की रसोई गैस संबंधी मांग को किस हद तक पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (घ) विशाखापत्तनम सिकंदराबाद एलपीजी पाइपलाइन 9 जुलाई, 2003 को यांत्रिक रूप से पूरी कर ली गई है। वर्तमान में इसके शुरूआत पूर्व क्रियाकलाप प्रगति में है। इस परियोजना को 27.8.2003 को चालू करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

(ख) जुलाई, 2003 की स्थिति के अनुसार गेल ने इस परियोजना पर लगभग 326 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। गेल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत 490.65 करोड़ रुपए है।

(ग) जी, हां।

(ङ) वर्तमान में, हैदराबाद में एलपीजी की मांग को पूरा करने के लिए एलपीजी का सड़क एवं रेलवे के माध्यम से परिवहन किया जाता है। इस पाइपलाइन के चालू होने से एलपीजी के परिवहन का एक ऐसा वैकल्पिक तरीका उपलब्ध होगा जो और अधिक आपूर्ति सुरक्षा उपलब्ध कराएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना

3246. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में 25,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनायें स्थापित करने की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में जल विद्युत की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(घ) कितनी परियोजनायें चल रही हैं और इनमें कब तक विद्युत उत्पादन होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीमती जयवंती मेहता): (क) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10वीं योजना के दौरान 349 मेगावाट जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि और 11वीं योजना के दौरान 8380 मेगा वाट जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनायी है। मई, 2003 में किए गए 50,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता पहल के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 30427 मेगावाट क्षमता से जुड़ी 60 योजनाओं से संबंधित प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी का कार्य विभिन्न एजेंसियों को सौंपा गया है।

(ख) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई परियोजनाएं कार्यान्वित किए जाने की योजना है। कुछ मुख्य परियोजनाएं संलग्न विवरण में सूचीबद्ध हैं।

लगभग 30,427 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता से जुड़ी 60 योजनाओं से संबंधित प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार तैयार किए जाने हैं।

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या	आई.सी. (मेगावाट)
1.	अरुणाचल प्रदेश	42	25690
2.	मणिपुर	3	407
3.	मेघालय	9	1490
4.	नागालैंड	3	970
5.	मिजोरम	3	1870
	कुल	60	30427

(ग) दिनांक 31.07.2003 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्तमान की जल विद्युत परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता 1070 मेगावाट है (जिसमें 3 मेगावाट से अधिक क्षमता की जल विद्युत स्कीमें शामिल हैं)।

(घ) वर्तमान में 359 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की 5 स्कीमें निर्माणाधीन हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं-

क्र. सं.	स्कीम का नाम	अधिष्ठापित क्षमता	प्रत्याशित लाभ
1.	मिनतदु (लेशका), स्टेज-I, मेघालय	2 × 42 = 84 मेगावाट	10वीं योजना
2.	कारबी लांगपी (लोअर बोरपानी), असम	2 × 50 = 100 मेगावाट	10वीं योजना
3.	कोपीली स्टेज-II, असम	1 × 25 = 25 मेगावाट	10वीं योजना
4.	तुरियल, मिजोरम	2 × 30 = 60 मेगावाट	10वीं योजना
5.	लोकतक डाउनस्ट्रीम	90 मेगावाट	11वीं योजना

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकसित किए जाने हेतु प्रस्तावित मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम संख्या	स्कीम का नाम/राज्य/ क्रियान्वयक एजेंसी	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1.	कामेंग, अरुणाचल प्रदेश, नीपको	4 × 150 = 600
2.	सुबानसिरी लोअर, अरुणाचल प्रदेश, एनएचपीसी	8 × 250 = 2000
3.	सुबानसिरी मिडिल, अरुणाचल प्रदेश, एनएचपीसी	8 × 200 = 1600
4.	सुबानसिरी अपर, अरुणाचल प्रदेश, एनएचपीसी	8 × 250 = 2000
5.	सियांग मिडिल, अरुणाचल प्रदेश, एनएचपीसी	4 × 250 = 1000
6.	सियांग अपर, अरुणाचल प्रदेश, एनएचपीसी	11000
7.	रंगानदी चरण-2 अरुणाचल प्रदेश, नीपको	2 × 65 = 130
8.	डिकरोंग, अरुणाचल प्रदेश, नीपको	2 × 50 = 100
9.	कोपिली जल विद्युत परियोजना, चरण-II, असम, नीपको	25
10.	लोअर कोपिली, असम, नीपको	3 × 50 = 150
11.	हिरोंग, अरुणाचल प्रदेश, नीपको	50
12.	पापुम्पम, अरुणाचल प्रदेश, नीपको	60
13.	तिपाईमुख, मणिपुर, नीपको	1500
14.	तुईवई, मिजोरम, नीपको	3 × 70 = 210
15.	बैराबी, मिजोरम, मिजोरम सरकार	2 × 40 = 80
16.	तुरियल जल विद्युत परियोजना, मिजोरम, नीपको	60
17.	त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत परियोजना, त्रिपुरा, नीपको	280
	कुल	20845

विद्युत अधिनियम, 2003

3247. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों की विद्युत शुल्क नियत करने में राज्य में राज्य विद्युत विनियामक की भूमिका समाप्त करने और शुल्क बढ़ाने से पूर्व लोगों के विचार जानने संबंधी प्रणाली को त्यागने की योजनाओं में कानूनी अड़चने आ गई हैं, चूंकि केन्द्र

सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 को अधिसूचित कर दिया है जिसकी भावना ऐसी योजनाओं के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो यह नया केन्द्रीय अधिनियम राज्यों की योजना में किस हद तक बाधा उत्पन्न करेगा;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इसका विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) विद्युत अधिनियम, 2003, 10 जून, 2003 से लागू हो चुका है। इस अधिनियम की धारा 62 में यह प्रावधान है कि विनियामक आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ निर्धारित करेंगे। अधिनियम की धारा 86(3) में यह प्रावधान है कि राज्य विनियामक आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करने तथा अपने कार्यों का निर्वहन करते समय पूरी पारदर्शिता बरतेंगे।

राज्य सरकारों ने सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन/करार (एमओयू/एमओए) में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा टैरिफ निर्धारण किए जाने की वचनबद्धता प्रदान की है।

राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति

3248. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनेक अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने हेतु एक राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस नीति को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के त्वरित विकास के लिए एक मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति विवरण तैयार किया है।

नीति विवरण के उद्देश्यों में ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के योगदान को बढ़ाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, वाणिज्यिक एवं घरेलू क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रिकृत/आफ-ग्रिड आपूर्ति उपलब्ध कराना तथा ग्रिड गुणवत्ता विद्युत उत्पादन और आपूर्ति शामिल हैं।

(ग) मंत्रालय द्वारा नीति विवरण के मसौदे को आगे के अनुमोदनों के लिए प्रस्तुत किया गया है। अनुमोदनों की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है।

लाटूर रोड-मुड़खेड लाइन

3249. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **रेल मंत्री** लाटूर रोड मुड़खेड लाइन हेतु सर्वेक्षण के बारे में 28.11.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1659 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस लाइन पर सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस लाइन पर निर्माण कार्य के कब तक शुरू और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत दिल्ली-हावड़ा मार्ग

3250. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत चयनित नई दिल्ली से हावड़ा मार्ग को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत दिल्ली-कोलकाता मार्ग पर क्षमता में कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्यों की पहचान की गई है:-

	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
(क)	चंदनपुर-गुरूप तीसरी लाइन	42.30
(ख)	गुरूप-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन	52.39
(ग)	कानपुर-चंदारी दोहरीकरण	11.85
(घ)	नई दिल्ली-तिलक ब्रिज 5वीं और 6वीं लाइन	33.74
(ङ)	कानपुर-पंकी लाइन तीसरी लाइन	63.36
(च)	अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन	230.73
(छ)	साहिबाबाद-आनंद विहार तीसरी और चौथी लाइन	49.22
(ज)	आनंद विहार यात्री टर्मिनल	83.00

कन्टेनर यातायात

3251. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राइट्स ने अनुमान लगाया है कि रेलवे द्वारा संचालित कन्टेनर यातायात वर्ष 2008 तक वर्तमान 5 लाख टी.ई.यू.एस. से बढ़कर 9 लाख टी.ई.यू.एस. हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में कन्टेनर यातायात में कॉनकॉर का हिस्सा कितना है;

(ग) क्या कॉनकॉर और रेलवे के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना है कि वर्ष 2008 तक अनुमानित 9 लाख टी.ई.यू.एस. में से उन्हें बड़ा हिस्सा प्राप्त हो;

(घ) क्या कॉनकॉर द्वारा इस क्षेत्र में प्रदर्शित विलम्ब और अन्य घाटों का लाभ उठाते हुए निजी आपरेटर भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं; और

(ङ) कॉनकॉर द्वारा अपने सभी कार्यों को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) राइट्स लि. ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लिए भारत में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/कंटेनर माल भाड़ा स्टेशनों (आईसीडी/सीएफएस) हेतु एक मास्टर योजना तैयार करने के बारे में एक अध्ययन किया है। अंतिम रिपोर्ट दिसंबर, 2002 में प्रस्तुत की गई थी। आधार वर्ष (2000-01) में देश का कुल कंटेनर यातायात 23.9 लाख बीस समतुल्य यूनिट (टीईयू) आंका गया था जिसमें से रेलों ने लगभग 5.0 लाख टीईयू की ढुलाई की। वर्ष 2014-2015 के लिए प्रक्षेपण 93.2 लाख टीईयू थी जिसमें से रेलों का हिस्सा 34.7 लाख टीईयू होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (कॉनकोर) का कंटेनर यातायात का मौजूदा हिस्सा वर्ष 2002-03 के दौरान रेल तथा सड़क द्वारा 9.29 लाख टीईयू है। इसमें से 8.21 लाख टीईयू की ढुलाई रेल द्वारा की गई थी।

(ग) कॉनकोर तथा रेलों ने रेल द्वारा 9 लाख कंटेनरों को संचालित करने के लिए पूरी तैयार कर ली है।

(घ) इस समय रेल द्वारा कंटेनर यातायात का कोई प्राइवेट आपरेटर नहीं है।

(ङ) कॉनकोर ने पूरे भारतवर्ष में फैले 51 टर्मिनलों की बृहत अवसंरचना पहले ही सृजित कर ली है। इसके अलावा, यह भारत में रेल द्वारा कंटेनर परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अधिकांश मालडिब्बों के स्वामी भी हैं। शेष मालडिब्बे भारतीय रेलों द्वारा संचालित किए जाते हैं। अपने भावी आवश्यकताओं को संभालने के लिए कॉनकोर के पास एक व्यावसायिक योजना है।

आईओसीएल और आईबीपी द्वारा किए गए साक्षात्कार

3252. श्री अधीर चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईओसीएल और आईबीपी ने सरकारी नीति/निर्देशों के विरुद्ध अपनी नीति के अनुसार साक्षात्कार लिया था और 610 उम्मीदवारों/डीलरों का चयन किया था तथा चार सौ से अधिक पेट्रोल पंपों को आरंभ किया था और जनवरी 2002 से डीलरों की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में पैनलबद्ध उम्मीदवारों के संबंध में आवश्यक क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त सभी डीलरों का चयन निरस्त किया जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली नई सामान्य डीलर चयन नीतियां जारी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने आईओसीएल और आईबीपी द्वारा लिए गए उक्त साक्षात्कारों के संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो आईओसीएल और आईबीपी द्वारा लंबित मामलों के संबंध में भ्रम को कब तक दूर कर लिया जाएगा और इस भेदभाव के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (च) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के समापन के पश्चात् इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा आईबीपी कं. लिमिटेड ने अपनी-अपनी नीतियों के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पंपों) के लिए डीलरों के चयन के लिए आवश्यक कार्यवाही की है। क्षेत्रगत जांच डीलरों के चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत उठाए जाने वाले कदमों में से एक है। इनमें से कुछ खुदरा बिक्री केन्द्र चालू कर दिए गए हैं।

अपमिश्रण रोधी प्रकोष्ठ द्वारा निरीक्षण

3253. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपमिश्रण रोधी प्रकोष्ठ रात्रि में पेट्रोल पंपों में अपमिश्रण में प्रयुक्त वाहनों और उत्पादों को पकड़ने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करता है और पेट्रोल पंपों के शेष पहलुओं की दिन के समय जांच की जाती है/की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकोष्ठ को बाट और माप मानक अधिनियम, पेट्रोलियम अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम और एमएस/एचएसडी कंट्रोल आडर 1998 में प्रावधानों के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करने हेतु निर्देश दिए हैं/सूचित किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह प्रकोष्ठ उक्त अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रकोष्ठ के अधिकारियों के आचार और व्यवहार के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण कौन सा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां। मिलावट-रोधी प्रकोष्ठ (एएसी) अधिकांशत: विभिन्न स्रोतों से एकत्र सूचना के आधार पर निरीक्षण करता है। चूंकि अधिकांश मिलावट कार्य रात में होता है इसलिए एएसी के अधिकारियों के लिए रात में भी निरीक्षण करना जरूरी हो जाता है। रात में निरीक्षण करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। तथापि रात में केवल उन्हीं खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता है, जो रात में खुले रहते हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने एएसी को एमएस और एचएसडी (प्रदाय और वितरण का विनियमन और कदाचारों का निवारण) आदेश, 1998 के उपबंधों के अंतर्गत निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया है और एएसी के अधिकारी इस आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों का कड़ाई से पालन करते हैं जिनके अंतर्गत ये नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं। एएसी के अधिकारी किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत शक्तिप्रदत्त नहीं है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। प्रकोष्ठ कानून के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करता है। यदि इस प्रकोष्ठ के किन्हीं अधिकारियों के आचरण और दुर्व्यवहार के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है, तब सरकार उपयुक्त कार्रवाई करती है।

सशर्त उपागम प्रणाली संबंधी समिति

3254. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सशर्त उपागम प्रणाली (कैस) के कार्यान्वयन हेतु एक और समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है;

(घ) सरकार के सामने सशर्त उपागम प्रणाली के कार्यान्वयन में क्या कठिनाइयां आ रही है; और

(ङ) इन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ङ) जी, हां। दिनांक 1.9.2003 से चार महानगरों में सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) लागू करने हेतु कारगर समन्वयन और तैयारियों की मानीटरिंग के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों वाली एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। समिति निम्नलिखित की बारीकी से मानीटरिंग करेंगी:-

(1) सेट टाप बाक्सों की उपलब्धता और अधिष्ठापन के लिए उनकी सुलभता।

(2) प्रशिक्षण सहित अधिष्ठापन की रूपात्मकता।

(3) सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) के कार्यान्वयन हेतु अवसंरचना एवं नेटवर्क का उन्नयन तथा उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदम।

(4) चैनलों की कीमतों और केबल टीवी उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली राशि के संबंध में पूरी जानकारी।

(5) ऐसा कोई अन्य मुद्दा जो कार्यान्वयन समिति के सदस्य उठाना चाहें।

रक्षा साइडिंग का आमान परिवर्तन

3255. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994-95 के दौरान जोधपुर-जैसलमेर मीटर गेज खण्ड का आमान परिवर्तन कराया गया था और अप्रैल, 1995 के दौरान इसे बड़ी लाइन के लिए खोल दिया गया था;

(ख) क्या रक्षा साइडिंग का आमान परिवर्तन सहायता प्राप्त साइडिंग शर्तों पर किया जाना था परन्तु रेलवे ने यह कार्य कोई जमा राशि प्राप्त किए बिना और इसकी लागत वहन करने हेतु रक्षा प्राधिकारियों से कोई औपचारक स्वीकृति प्राप्त किए बिना पूरा किया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस चूक के लिए कौन-कौन से लोग जिम्मेदार हैं;

(घ) क्या यह मामला सितम्बर, 1999 के दौरान लेखा परीक्षा में उठाया गया था जिसके पश्चात् रेलवे ने चार स्टेशनों पर रक्षा संबंधी कार्य हेतु रक्षा मंत्री को ब्याज और रख-रखाव संबंधी प्रभार के लिए 1.78 करोड़ रुपए के डेबिट के बिना 3.42 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा तथा; और

(ङ) यदि हां, तो रक्षा मंत्रालय से इस राशि को वसूल किए जाने की स्थिति क्या है और रेलवे को 5.20 करोड़ रुपए का भारी घाटा पहुंचाने वाले चूककर्त्ता अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नीति के अनुसार, आमान परिवर्तन का कार्य सहायता प्राप्त साइडिंग शर्तों पर किया जाना था। साइडिंगों के परिवर्तन पर रक्षा प्राधिकारियों से रक्षा मंत्रालय के शेयर के लिए उनकी स्वीकृति सूचित करने के लिए जून 1995 में संपर्क किया गया था। इसके लिए रक्षा प्राधिकारियों के साथ निरंतर कार्रवाई की गई थी लेकिन रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति फरवरी, 2002 में ही प्राप्त हुई। इसी बीच, मामले को लेखा परीक्षा द्वारा भी उठाया गया था।

(ङ) रक्षा प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि वर्ष 2003-04 के दौरान भुगतान किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के शेयर के भुगतान के पश्चात् विलंब से भुगतान को छोड़कर रेलवे को कोई हानि नहीं होगी।

रेलवे में सुरक्षा विभाग

3256. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के प्रत्येक मंडल में सुरक्षा विभाग कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे सुरक्षा नियमों के अनुपालन में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उसके सुरक्षा विभाग को कुशल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हाल ही में, केवल यातायात विभाग तक ही सीमित रखने के बजाए पांच मुख्य परिचालनिक विभागों से जन शक्ति लगा कर इस विभाग को व्यापक बनाने का विनिश्चय किया गया है। उस विभाग को दुर्घटनाओं अथवा संरक्षा संबंधी विफलताओं के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी अधिकार दिए गए हैं।

लम्बित रेलवे मामले

3257. श्री हरिभाई चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुशासनात्मक अपील नियमों संबंधी मामले न्यायालय के विचाराधीन मामले होते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष से सुरक्षा महानिदेशालय में विभिन्न रेलवे के कितने अनुशासनात्मक अपील नियमों संबंधी और न्यायिक मामले लम्बित हैं;

(ग) प्रशासन द्वारा कितने मामलों में विभिन्न माननीय न्यायालयों में उत्तर दायर नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सुरक्षा प्रशासन द्वारा अपनाए गए इस अप्रत्युत्तरदायी रवैया के कारण बल में भारी असन्तोष है; और

(ङ) यदि हां, तो निहित स्वार्थों के कारण इन न्यायिक मामलों में विलम्ब करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) अनुशासन एवं अपील नियमों संबंधी मामले अर्ध-न्यायिक प्रकृति को होते हैं।

(ख) अनुशासन एवं अपील नियमों संबंधी 20 मामले लंबित हैं जहां तक अदालती मामलों का संबंध है, ऐसे मामलों पर रेलों द्वारा स्वयं नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है बोर्ड कार्यालय से मार्गनिर्देश/सलाह दी जाती है।

(ग) और (घ) प्रशासन, अनुशासन एवं अपील नियमों संबंधी मामलों पर तत्काल कार्रवाई करता है और अपेक्षित सूचना प्राप्त हो जाने तथा औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद न्यायालयों में रिज्वाइंडर दायर करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सशर्त उपागम प्रणाली संबंधी टीम की टिप्पणियां

3258. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित सशर्त उपागम प्रणाली की तैयारी से संबंधित आकलन हेतु चार महानगरों में टीम भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस टीम की टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टीम ने कुछ महानगरों में यह पाया कि उपभोक्ताओं को सशर्त उपागम प्रणाली के संबंध में और जानकारी की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) की तैयारी का आंकलन करने हेतु दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै के चार महानगरों का निरीक्षण किया है और अन्य के साथ-साथ, यह पाया कि:-

(1) प्रथम चरण में सेट टाप बाक्सों की मांग आयात द्वारा पूरी की जाएगी और सेट टाप बाक्सों की अधिप्राप्ति का कार्य प्रगति पर है तथा और अधिक सेट टाप बाक्सों की प्राप्ति के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(2) स्थानीय केबल आपरेटरों के प्रशिक्षण का कार्य प्रगति पर है।

(3) स्वदेशी उद्योग ने मांग को पूरा करने के लिए अभी तक अपने को तैयार नहीं किया है।

(4) कुछ बहु प्रणाली संचालनों ने पहले ही किस्तों/उधार-खरीद/किराया आधार पर सेट टाप बाक्सों को उपलब्ध कराने की आकर्षक प्रारंभिक स्कीमों का प्रस्ताव किया है तथा यह घोषित किया है कि वे 72/- रुपये (करों के अतिरिक्त) की अधिकतम कीमत में लगभग 60 फ्री-टु-एयर चैनलों को दिखा सकेंगे।

(ग) और (घ) दिनांक 1.9.2003 से दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के तीन महानगरों में चरणबद्ध क्षेत्रवार तरीके से तथा चेन्नई में एक ही बार में सशर्त पहुंच प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है। मध्यवर्ती अवधि का उपयोग तैयारी में तेजी लाने, उपभोक्ताओं को शिक्षित करने तथा सेट टाप बाक्सों की अधिप्राप्ति एवं उपलब्धता को गहराई से मानीटर करने के लिए किया जा रहा है। दिनांक 29 जुलाई, 2003 को एक आदेश जारी करके प्रसारकों/बहु प्रणाली संचालकों, केबल आपरेटरों आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करके इस मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक ''कार्यान्वयन समिति भी गठित कर दी गयी है। यह समिति (1) सेट टाप बाक्सों की उपलब्धता और स्थापना के लिए उनकी तैयारी; (2) स्थापना की रूपात्मकता (परीक्षण सहित); (3) सशर्त पहुंच प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए आधारभूत सुविधा और नेटवर्क के उन्नयन और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों; (4) चैनलों की कीमत निर्धारित और केबल टी वी ग्राहकों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में पूरी सूचना की उपलब्धता आदि की गहराई से मानीटरिंग करेगी। इस मंत्रालय ने देश के प्रमुख दैनिकों में विज्ञापन के जरिए, इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए और विज्ञापनों के जरिए एक बहु मीडिया प्रचार

अभियान भी शुरू किया है। शुल्क कमी करने की अवधि को 30 सितंबर, 2003 तक बढ़ा दिया गया है जिससे कि वहनीय कीमतों पर सेट टाप बाक्सों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

प्रशिक्षु गुड्स गार्ड्स की द्वितीय चरण की परीक्षा

3259. श्री मोहन रावले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे भर्ती बोर्ड, भोपाल द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड, मुम्बई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तैनात किए जाने वाले प्रशिक्षु गुड्स गार्ड्स के पदों को भरने के लिए द्वितीय चरण की परीक्षा आयोजित करने के क्या कारण हैं;

(ख) रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.4.1991 के विशिष्ट निर्देशों के लागू रहने और उम्मीदवारों को मुम्बई को परीक्षा केन्द्र के रूप में चुनने का विशिष्ट विकल्प दिए जाने के बावजूद भोपाल में उक्त परीक्षा आयोजित करने के क्या कारण हैं;

(ग) अपनाई गई त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया और उक्त परीक्षा के स्थान में अचानक परिवर्तन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित उम्मीदवारों को क्या राहत दी गई है;

(घ) क्या रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल अधिसूचना सं. 1/2002 के अनुसार भर्ती को सम्पन्न करने की दृष्टि से बढ़ाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी है;

(च) यदि नहीं, तो उक्त परीक्षाओं को रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अनुसार फिर से आयोजित न करने के क्या कारण हैं; और

(छ) जोनल रेलवे द्वारा अधिवास के आधार पर राज्यवार स्थानीय भर्ती हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) रेल मंत्रालय द्वारा श्रेणी "ग" सेवाओं की समान कोटियों की संयुक्त भर्ती आयोजित करने के लिए रेल भर्ती बोर्ड, मुंबई और भोपाल दोनों को एक साथ रखा गया है, दूसरे चरण की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सीमित संख्या को देखते हुए इसे केवल भोपाल में ही आयोजित किया गया जो रोजगार सूचना में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि परीक्षा अपेक्षित सूचना और प्रचार के बाद आयोजित की गई थी।

(घ) अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड, भोपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनकी जगह पहले ही एक नए पदधारी ने कार्यभार संभाल लिया है।

(ङ) परीक्षा सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत आयोजित की गई थी जिससे पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) रेलवे केन्द्र सरकार का संगठन होने के कारण, किसी भी विशेष राज्य/क्षेत्र तक भर्ती सीमित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है।

रेडियो सिटी का संचालन

3260. श्री राम विलास पासवान: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टार टी.पी. ग्रुप प्रवर्तित रूपर्ट मार्डोच द्वारा संचालित और प्रबंधित रेडियो सिटी वर्तमान में कोलकाता में दो रेडियो स्टेशनों को अधिगृहीत करने हेतु मलेशिया के मियासट से विचार विमर्श कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख भारतीय कंपनियों को आरम्भ में लाइसेंस देने और बाद में उन्हें मार्डोच के स्वामित्व वाले स्टार टी.वी. ग्रुप जिसकी देश के प्रति निष्ठा प्रश्नसूचक है को अन्तरित करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) इस विषय पर सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) मैसर्स म्यूजिक ब्राडकास्ट प्रा.लि. ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और चूंकि वे पात्रता संबंधी मापदंडों को पूरा कर रहे थे, इसलिए उन्हें नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी गयी थी और उनके सफल निविदादाता होने पर उन्होंने बंगलौर, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, नागपुर और पटना में एफ एम केन्द्र चलाने के लिए लाइसेंस दिए गए थे। इस समय तक कंपनी ने बंगलौर, लखनऊ, मुंबई और दिल्ली में केन्द्रों को चालू कर

दिया है। श्री रूपर्ट मर्डोक के स्वामित्व वाले स्टार टी वी ग्रुप द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संवर्धित किए जा रहे मैसर्स म्यूजिक ब्राडकास्ट प्रा.लि. के संबंध में शिकायतें इस मंत्रालय को प्राप्त हुई हैं। कंपनी कार्य विभाग और विधि मंत्रालय के परामर्श से इन मुद्दों की जांच की जा रही है।

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

3261. श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार में संलिप्त दोषियों को उद्धहरणीय सजा सुनिश्चित करने के लिए देश की विधिक प्रणाली में उपयुक्त सुधारों की मांग की है जैसा कि दिनांक 17 जुलाई, 2003 के 'द हिन्दु' में समाचार छपा है;

(ख) क्या इस संबंध में विधि सचिव की अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के साथ हाल में कोई बैठक हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन सुझावों पर आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) से (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दिनांक 21.07.2003 को विधि मंत्री से मुलाकात की और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अत्याचारों में संलिप्त दोषियों को उद्धहरणीय सजा सुनिश्चित करने के लिए देश की विधिक प्रणाली में उपयुक्त सुधारों की मांग की। आयोग ने यह भी कहा कि मामलों के परीक्षण में अत्यधिक देरी के कारण वर्तमान प्रणाली इस समस्या से प्रभावी रूप से निपटने में असफल हो गई है। विधि सचिव के साथ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बैठक नहीं हुई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

चाइल्ड लाइन सर्विसेज

3262. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के समन्वय से चाइल्ड लाइन सर्विसेज आरंभ की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन स्थान-वार किन स्वैच्छिक संगठनों की पहचान की गई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार इस सुविधा को कर्नाटक के कुछ और शहरों और अन्य राज्यों को भी देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) जी, हां।

(ख) स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

(1) यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, मंगलौर, कर्नाटक।

(2) स्कूल आफ सोशल वर्क, मंगलौर, कर्नाटक।

(3) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर, कर्नाटक।

(4) बंगलौर ओनियावरा सेवा कूटा, बास्को यूवोदया, बंगलौर, कर्नाटक।

(5) एसोसिएशन फार प्रोमोशन आफ सोशल एक्शन, बंगलौर, कर्नाटक।

(ग) गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान चाइल्ड लाइन परियोजनाओं को चलाने के लिए कर्नाटक में ऊपर उल्लिखित संस्थानों को निर्मुक्त धनराशि को दर्शानेवाला ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ) चाइल्डलाइन सेवाओं का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के साथ परामर्श करके चाइल्डलाइन सेवा उपलब्ध कराने के लिए जरूरत के आकलन तथा पात्र संस्थाओं की पहचान का कार्य किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए धनराशि राज्यवार निर्धारित नहीं की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	निर्मुक्त धनराशि (रु. लाख में)			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (11.08.2003 तक)
1.	यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, मंगलौर	0	3.57	3.37	1.79
2.	स्कूल आफ सोशल वर्क, मंगलौर, कर्नाटक	0	1.42	0.98	0.51
3.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर, कर्नाटक	0	0	0.87	0
4.	बंगलौर ओनियावरा सेवा कूटा, बास्को यूवोदया, बंगलौर, कर्नाटक	0	0	1.55	0
5.	एसोसिएशन फार प्रोमोशन आफ सोशल एक्शन, बंगलौर	0	0	1.55	0

भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में आईओसीएल की हिस्सेदारी

3263. श्रीमती प्रभा राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. का प्रस्ताव भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में अपनी 4.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) आईओसीएल के हिस्से की निकासी के परिणामस्वरूप भारतीय गैस प्राधिकरण लि. का कितना घाटा पूरा करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) का गेल की इक्विटी में अपने निवेश को वसूल करने तथा परिणामस्वरूप बाजार से अपनी उधारी को कम करने का इरादा है।

(ग) आईओसी द्वारा गेल के शेयरों की बिक्री का तात्पर्य गेल के अंशधारिता प्रतिमान में परिवर्तन से है और न कि गेल के लिए किसी घाटे से।

चीन से विद्युत का आयात

3264. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. ने 9 जुलाई, 2003 को चीन के स्टेट ग्रिड कारपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में विद्युत उत्पादन तथा वितरण में इस पावर ग्रिड तथा चीनी कंपनी से कितनी मदद मिलने की संभावना है; और

(घ) इस समझौता ज्ञापन पर कार्य कब से शुरू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) समझौता ज्ञापन पारेषण प्रणाली तथा दूरसंचार के क्षेत्र में अनुभव बांटने की परिकल्पना प्रदान करता है।

(ग) समझौता ज्ञापन में विद्युत उत्पादन और वितरण शामिल नहीं है।

(घ) समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख 9.7.2003 से प्रभावी हो गया है और यह 3 वर्ष तक लागू रहेगा।

निजी एफ.एम. रेडियो सेवा

3265. श्री होलखोमांग हौकिपः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निजी एफ.एम. रेडियो सेवा की देखरेख करने हेतु वास्तविक और विधिवत् निकाय कौन से है;

(ख) क्या कोई भी निजी एफ.एम. रेडियो सेवा शुरू कर सकता है;

(ग) यदि नहीं, तो निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु स्थापित नियम क्या है और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(घ) ऐसे निजी एफ.एम. रेडियो सेवा/प्रसारण के कार्यकरण की निगरानी करने हेतु क्या तंत्र हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (घ) निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारण के लिए लाइसेंस इस मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं जोकि इसके कार्यान्वयन का भी ध्यान रखता है। जब कभी अन्तंर्मंत्रालयीय परामर्श की आवश्यकता होती है, ऐसा किया जाता है, केन्द्रों की नीलामी हेतु वर्ष 2000 में प्रस्ताव पेश किये गये थे तथा केवल सफल एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ लाइसेंस अनुबंध हस्ताक्षरित करने वाली कंपनियां ही एफ.एम. रेडियो सेवाएं प्रारंभ कर सकी थीं। पात्रता मानदंडों को पूरा करने, अन्तर्मंत्रालयीय निकासी, बैंक गारंटी प्रस्तुत करने तथा डब्ल्यू.पी.सी. प्रचालन लाइसेंस आदि प्राप्त करने के पश्चात् एफ.एम. रेडियो केन्द्रों को स्थापित करने की अनुमति दी गई थी।

[हिन्दी]

राजस्थान में आवंटित किए गए पेट्रोल पंप

3266. श्री जसवंत सिंह बिश्नोईः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में विशेषकर राजस्थान में आईबीपी द्वारा कुल कितने पेट्रोल पंप आवंटित किए गए;

(ख) राजस्थान में कितने मामलों में जिला कलेक्टरों से पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे गए;

(ग) क्या आईबीपी ने विपणन योजना का पालन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) आईबीपी कं. लिमिटेड ने वर्ष 2002-03 के दौरान राजस्थान राज्य में 14 खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किए हैं।

(ख) आईबीपी कंपनी लिमिटेड ने वर्ष 2002-03 के दौरान राजस्थान राज्य में 40 मामलों में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्रों (एनओसीज) के लिए आवेदन किया है।

(ग) और (घ) नियंत्रणमुक्त परिदृश्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना करने हेतु स्थानों की पहचान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

आकाशवाणी द्वारा गोजरी समाचार का प्रसारण करना

3267. चौ. तालिब हुसैनः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को समय-समय पर गोजरी बोलने वाले लोगों से जम्मू और श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर राज्य के आकाशवाणी स्टेशनों से गोजरी समाचार बुलेटिन (प्रातः और सायं) शुरू करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय आकाशवाणी रेडियो कश्मीर, जम्मू से 1700-1710 बजे और रेडियो कश्मीर, श्रीनगर से 1750-1800 बजे गोजरी में दो समाचार बुलेटिनों का प्रसारण कर रहा है। तथापि, वित्तीय एवं जन शक्ति संबंधी समस्याओं के कारण जम्मू एवं कश्मीर के क्षेत्रीय समाचार एककों और आकाशवाणी, दिल्ली से और अधिक गोजरी बुलेटिन प्रसारित कर पाना संभव नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाएं

3268. श्री राजो सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां इस समय टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या उन रेलवे स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जहां इस समय यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) बिहार में निम्न रेलवे स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध हैं:

कोचिंग टर्मिनल

बड़ी लाइन कोचिंग टर्मिनल

1. भागलपुर
2. जमालपुर
3. मंदारहिल
4. छपरा
5. किशनगंज
6. कटिहार
7. देहरी-आन-सोन
8. दानापुर
9. गया
10. पटना जंक्शन
11. राजेन्द्र नगर टर्मिनल
12. राजगीर
13. बक्सर
14. दिलदारनगर
15. आरा जंक्शन
16. गुलजार बाग
17. पटना साहिब
18. फतुहा
19. इस्लामपुर
20. बख्तियारपुर जंक्शन
21. मोकामा जंक्शन
22. क्यूल
23. झाझा
24. तरिघाट
25. बरौनी जंक्शन
26. मुजफ्फरपुर जंक्शन
27. सोनपुर जंक्शन
28. हाजीपुर जंक्शन
29. मानसी जंक्शन
30. रक्सौल
31. दरभंगा
32. समस्तीपुर जंक्शन
33. नरकटियागंज
34. सगौली जंक्शन

मीटर लाइन कोचिंग टर्मिनल

1. छपरा
2. कटिहार
3. जोगबनी
4. फोरबिशगंज
5. पूर्णिया
6. रक्सौल
7. दरभंगा
8. समस्तीपुर जंक्शन
9. नरकटियागंज
10. सहरसा
11. निर्मली
12. बेरागनिया
13. जयनगर
14. झांझरपुर

15. लोखा बाजार
16. भिखानाथोरी
17. बनमांखी
18. बिहारीगंज
19. पूर्णिया

मालभाड़ा टर्मिनल

बड़ी लाइन मालभाड़ा टर्मिनल

1. पीरपंती
2. सिवान
3. छपरा
4. कटिहार
5. किशनगंज
6. सासाराम जंक्शन
7. डेहरी-आन-सोन
8. सोननगर जंक्शन
9. अनुग्रह नारायण रोड
10. गया
11. दानापुर
12. फुलवारी शरीफ
13. फतुआ
14. मुकामा जंक्शन
15. बिहार शरीफ
16. लक्खीसराय
17. जमुई
18. झाझा
19. वारसलीगंज
20. आरा
21. पटना साहिब
22. दुमरांव
23. जहानाबाद
24. सीमरिया
25. नारायणपुर अनंत
26. कर्पूरीग्राम
27. बरौनी जंक्शन
28. बेगुसराय
29. हाजीपुर
30. कांती
31. रक्सौल
32. मोतीहारी
33. बेतिया
34. लहरियासराय
35. समस्तीपुर
36. चकिया

मीटर लाइन मालभाड़ा टर्मिनल

1. बरसोई
2. जोगबनी
3. फोरबेसगंज
4. पूर्णिया
5. कटिहार

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बिहार में मौजूदा टर्मिनलों को वर्तमान मालभाड़े और कोचिंग यातायात की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त माना जाता है। बिहार में सभी स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था न तो परिचालनिक दृष्टि से आवश्यक है और न ही वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण है।

[अनुवाद]

बेटिकट यात्री

3269. श्री ए. नरेन्द्र:
श्री बृजलाल खाबरी:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक रेलगाड़ियों में बेटिकट यात्रा करते हुए जोन-वार तथा राज्य-वार

कितने लोग पकड़े गए और रेलवे को इसके कारण कितनी अनुमानित हानि हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उससे राज्य-वार तथा जोन-वार कितनी धनराशि की वसूली हुई;

(ग) क्या रेलवे स्टेशनों पर खुला प्रवेश तथा निकास बिंदु होने के कारण टिकटों की उचित जांच नहीं हो पाता;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर प्रतिबंधित प्रवेश/निकास बिंदु हेतु कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) रेलगाड़ियों में बेटिकट यात्रियों को रोकने हेतु क्या अन्य कदम उठाये जा रहे हैं/उठाए जाने हैं;

(छ) क्या सरकार रेलगाड़ियों में टिकटों की जांच करने का कार्य किसी निजी कंपनी को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके परिणामस्वरूप राजस्व आय में कितनी वृद्धि होगी तथा ऐसी प्रणाली कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) बिना टिकट यात्रा करने वाले पकड़े गए यात्रियों की संख्या तथा उनसे वसूल की गई रेलवे की बकाया राशि जोन-वार संलग्न विवरण में दी गई है। राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। लेकिन रेल राजस्व में कुछ कमी हुई है परन्तु इस आधार पर हुई अनुमानित हानि का निर्धारण नहीं किया जाता।

(ग) से (ङ) यद्यपि रेलवे स्टेशनों के अपने स्थान तथा प्रकृति के कारण कई द्वार होते हैं तथापि कर्मचारियों की विवेकसम्मत तैनाती करके समुचित टिकट जांच करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। प्रशासन का प्रयास रहता है कि प्रवेश तथा निकास द्वारों की संख्या यथा-संभव सीमित की जाए और इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(च) इसके अलावा, गैर कानूनी यात्रा को रोकने के लिए *विभिन्न स्थानों पर तथा अलग-अलग अवधियों में गाड़ी कर्मचारियों* द्वारा नियमित जांचें, अचानक जांचें भी का जाती हैं। समय-समय पर रेलवे मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को भी शामिल किया जाता है। यात्रियों को बिना टिकट/अनियमित यात्रा के जोखिमों के बारे में विभिन्न मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जाता है।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रेलें	बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों की संख्या (लाख में)			रेलों द्वारा वसूल की गई बकाया राशि (करोड़ रुपए में)		
	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	22.00	25.82	27.81	28.01	33.24	37.82
पूर्व	16.38	17.26	14.08	14.91	15.11	12.45
उत्तर	36.46	40.44	44.08	42.05	48.43	54.88
पूर्वोत्तर	10.58	11.23	9.26	12.63	13.63	13.39
पूर्वोत्तर सीमा	1.90	2.16	2.63	3.16	3.41	4.48
दक्षिण	5.01	5.16	5.73	6.75	7.44	8.45
दक्षिण मध्य	10.33	11.27	11.29	17.12	18.31	18.43
दक्षिण पूर्व	8.66	9.31	9.49	9.29	10.47	11.74
पश्चिम	19.00	19.63	18.49	24.43	25.68	25.53

1	2	3	4	5	6	7
पूर्व मध्य	—	—	3.65	—	—	4.86
उत्तर पश्चिम	—	—	3.46	—	—	6.12
कुल	130.32	142.28	149.97	158.35	175.72	198.15

* पूर्व मध्य रेल तथा उत्तर पश्चिम रेल का सृजन 1.10.2002 को हुआ था।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं हेतु निधियां

3270. श्री पी.आर. खूंटे:
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार से चल रही परियोजनाओं तथा नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित और विकसित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विकलांगों के कल्याण हेतु निधियों का उपयोग न किया जाना

3271. श्री रामदास आठवले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकलांगों के कल्याण हेतु बनी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियों का एक निश्चित भाग उपयोग न किए जाने के कारण वापस करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनका शिक्षा हेतु प्रवेश में विकलांगों के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना स्कीम

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	संशोधित अनुमान के मुकाबले व्यय का प्रतिशत	बजट अनुमान के संदर्भ में बचत के कारण
1	2	3	4	5	6
1997-98	106.44	56.66	56.30	99.36	सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप) के अंतर्गत राज्य सरकारों से पर्याप्त संख्या

1	2	3	4	5	6
					में सिफारिशें नहीं मिलने के कारण, विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का विकास तथा वित्त मंत्रालय के प्रस्तावित नई योजनाओं को आगामी वित्त वर्ष के लिए आस्थगित करने के निर्देश के कारण।
1998-99	141.54	113.75	106.87	93.95	विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के विकास की योजना संशोधनाधीन थी। योजना आयोग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम की योजना का अनुमोदन नहीं होना। यह योजना बाद में राज्य क्षेत्र योजना के रूप में अनुमोदित की गई तथा निर्मुक्ति वर्ष 1999-2000 में आरंभ हुई। ''नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न योजना'' के लिए योजना आयोग का अनुमोदन वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुआ।
1999-2000	179.50	146.29	134.29	91.80	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों की अपर्याप्त सिफारिशें। भारतीय पुनर्वास परिषद की योजना के तहत बचत परिषद द्वारा प्रस्तावित भवन के निर्माण के लिए स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदन नहीं करने के कारण हुई।
2000-2001	230.10	228.20	217.04	95.11	भारतीय पुनर्वास परिषद की योजना के अंतर्गत, अनुसंधान एवं भवन अनुदानों के लिए सभी प्रकार से प्रस्ताव का नहीं प्राप्त होना। ''नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न योजना'' के तहत तैयार प्रस्तावों का कार्यान्वयन अभी आरंभ हुआ है।
2001-02	232.03	239.60	236.73	98.80	बजट अनुमान के संदर्भ में कोई बचत नहीं।

[अनुवाद]

खन्ना समिति रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

3272. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा अभी तक खन्ना समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) खन्ना समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार अभी तक कितने दरार वाले पुल तथा अन्य सुरक्षा संबंधी परिसम्पत्तियां प्रतिस्थापित की गईं/उनका नवीकरण किया गया; और

(ग) विशेष रेल सुरक्षा निधि से इस प्रयोजनार्थ अभी तक राज्य-वार कितना धन खर्च किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेल संरक्षा समीक्षा समिति-1998 ने अपनी रिपोर्ट के दोनों भागों में 278 सिफारिशें की हैं। इनमें से 248 सिफारिशों को आंशिक तौर पर अथवा पूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इनमें से 53 सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है। कुछ मामलों में बची हुई स्वीकृत/आंशिक रूप से स्वीकृति सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं जो संसाधनों की उपलब्धता और परीक्षण की सफलता पर निर्भर है।

(ख) और (ग) स्वीकृत सिफारिशों में से एक को कार्यान्वित करने के लिए रेलपथ, पुलों, सिगनल प्रणाली गियरों और चल स्टाक संबंधी गतायु परिसंपत्तियों के बदलाव/नवीकरण के बकाया कार्य को समाप्त करने तथा 6 वर्षों की अवधि में कुछ संरक्षा संबंधी उपाय बढ़ाने के लिए 1.10.2001 से एक व्यपगत न होने

वाली 17,000/- करोड़ रु. की विशेष रेल संरक्षा निधि गठित की गई है। रेल मंत्रालय द्वारा राज्य-वार खर्च का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे-वार (शुद्ध) खर्च नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

रेलवे	2001-02	2002-03	2003-04 (जून तक) लगभग	कुल शुद्ध
मध्य	264.32	346.33	9.85	620.50
पूर्व	142.34	258.23	32.86	433.43
पूर्व मध्य	—	—	7.58	7.58
पूर्व तटीय	—	—	15.27	15.27
उत्तर	244.14	360.82	20.68	625.64
उत्तर मध्य	—	—	6.50	6.50
उत्तर पूर्व	51.67	76.33	5.27	133.27
पूर्वोत्तर सीमा	17.97	119.60	9.02	146.59
उत्तर पश्चिम	—	—	5.40	5.40
दक्षिण	92.63	194.29	19.83	306.75
दक्षिण मध्य	136.30	344.46	23.90	504.66
दक्षिण पूर्व	269.83	466.25	12.86	748.94
दक्षिण पूर्व मध्य	—	—	6.69	6.69
दक्षिण पश्चिम	—	—	2.01	2.01
पश्चिम	215.08	319.98	34.03	569.09
पश्चिम मध्य	—	—	3.06	3.06
मेट्रो	—	0.03	—	0.03
रेलवे बोर्ड	—	—	90.56	90.56
कुल शुद्ध	1434.28	2486.32	305.37	4225.97

विशेष रेलवे संरक्षा निधि की स्थापना के बाद अब तक 262 डिस्ट्रेस्ड पुलों का पुनर्निर्माण/पुर्नस्थापन किया जा चुका है। विशेष रेलवे संरक्षा निधि के अंतर्गत 1.10.2001 से 31.7.03 तक बदली गई/नवीकृत संरक्षा संबंधी परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

बदली गई/नवीकृत/पुर्नस्थापित परिसंपत्तियों की सं.

परिसंपत्तियां	2001-02 (1.10.01 से 31.03.02 तक)	2002-03 (1.04.02 से 31.03.03 तक)	2003-04 (1.04.03 से 3.07.03 तक)
रेलपथ	2490 किमी	3343किमी	858किमी
पुल	280	496	140
सिगनलिंग गियरों का	75 स्टेशन	169 स्टेशन	27 स्टेशन
चल स्टॉक	159	315	21

30.6.2003 तक।

[हिन्दी]

बिहार में जल विद्युत परियोजनाएं

3273. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में एक भी केन्द्रीय जल विद्युत परियोजना लागू नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में कैमूर में 2580 मेगावाट की क्षमता वाला एक पंप स्टोरेज पलांट स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस परियोजना का प्रभार अपने हाथ में लेने तथा इसे एन.एच.पी.सी. के माध्यम से लागू कराने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त परियोजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) वर्तमान में बिहार में 25 मेगावाट से अधिक क्षमता की कोई जल विद्युत परियोजना कार्यान्वयनाधीन नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) बिहार स्टेट हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ने सूचित किया है कि उनके अनुरोध पर नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन पहले ही कैमूर क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं जांच कर चुका है और प्रत्येक 60 मेगावाट की क्षमता के साथ पम्प स्टोरेज स्कीमों के चार स्थलों को अभिज्ञात कर चुका है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने, आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने और सूचनाएं सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही इन स्कीमों को आरम्भ किया जायेगा।

[अनुवाद]

नई बोगी माउंटेड ब्रेक प्रणाली

3274. श्री भान सिंह भौरा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अंडर फ्लोर माउंटेड ब्रेक प्रणाली के स्थान पर नई बोगी माउंटेड ब्रेक प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली को कब तक लागू किए जाने की संभावना है और इस संबंध में किस प्रकार की गाड़ियों का चयन किया गया है;

(घ) इस नई प्रणाली हेतु कुल कितनी निधियों की आवश्यकता है और इस प्रयोजनार्थ चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी निधियां निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। भारतीय रेलों पर सवारी डिब्बों के उपयोग के लिए बोगी माउंटिड एयर ब्रेक प्रणाली विकसित कर ली गयी है।

(ख) और (ग) बोगी माउंटिड एयर ब्रेक प्रणाली प्रौद्योगिकी दृष्टि से अंडर फ्लोर माउंटेड एयर ब्रेक प्रणाली से उत्तम है क्योंकि यह रख-रखाव के हिसाब से अधिक विश्वसनीय और सुगम है। बोगी माउंटेड एयर ब्रेक प्रणाली वाले फिट किए गए सवारी डिब्बे 1995 में परीक्षण के लिए चलाए गए थे और संतोषजनक परिणाम प्राप्त होने के बाद रेलों ने 1999 से इस ब्रेक प्रणाली को अपनाने का विनिश्चिय किया है।

फिलहाल, एंड आन जनरेशन (ईओसी) किस्म के सवारी डिब्बों को छोड़कर, सभी सडिका डिजाइन वाले नए सवारी डिब्बों में, जो सवारी डिब्बा कारखाना (आईसीएफ) और रेल डिब्बा कारखाना (आरसीएफ), द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनमें बोगी माउंटेड एयर ब्रेक प्रणाली लगाई जा रही है। इसके अलावा, वैक्यूम ब्रेक प्रणाली वाले मौजूदा सवारी डिब्बों को धीर-धीरे बोगी माउंटेड एयर ब्रेक प्रणाली में बदला जा रहा है। मौजूदा वैक्यूम ब्रेक वाले कोचिंग स्टाक को बोगी माउंटेड एयर ब्रेक प्रणाली में बदलने का कार्य मार्च, 05 तक पूरा किए जाने की संभावना है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

(घ) इस परिवर्तन के लिए लगभग 96 करोड़ रुपए की कुल निधि की आवश्यकता होगी। चालू वित्तीय वर्ष में बोगी माउंटेड एयर ब्रेक प्रणाली के लिए 35.8 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं।

बोडो-जनजातीय क्षेत्रों के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी

3275. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बोडोलैण्ड क्षेत्र के अंतर्गत बोडो जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विशेषत: भारत-भुटान सीमा क्षेत्रों में नए आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) इस समय ढुबरी जिले के सत्रसाल में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर निर्माणाधीन है। बोडोलैण्ड स्वायत्तशासी परिषद क्षेत्र के लिए अतिरिक्त परियोजनाओं की परिकल्पना विशेष पूर्वोत्तर पैकेज के अंतर्गत की गयी है। बोडो-जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र और भारत-भुटान सीमावर्ती क्षेत्रों को असम में कोकराझार,

दुबरी और गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल में सिलीगुडी, सिक्किम में गंगटोक और अरुणाचल प्रदेश में तवांग स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में रेडियो सिग्नलों द्वारा भली-भांति कवर किया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसी आकाशवाणी परियोजना की परिकल्पना नहीं है।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

3276. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व/पश्चात् छात्रवृत्ति की योजनाएं चला रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत दसवीं योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका क्या है;

(घ) दसवीं योजना में अनुसूचित जाति को अधिकारिता संबंधी कार्यदल की सिफारिशें क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) और (ख) सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत दसवीं योजना हेतु आबंटन क्रमशः 1544.50 करोड़ रु. तथा 87.00 करोड़ रु. हैं।

(ग) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है जो पात्र छात्रों की पहचान करते हैं तथा छात्रवृत्तियों के संवितरण की व्यवस्था करते हैं तथा छात्रवृत्तियों के संवितरण की व्यवस्था करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रतिबद्ध देयता का वहन करते हैं (पिछली योजना के अंतिम वर्ष की सीमा तक)। साथ ही, मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति के मामले में प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त व्यय का 50% राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किया जाता है।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण संबंधी कार्यदल ने इन योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधनों के साथ इन्हें जारी रखने की सिफारिश की है। सुझाए गए संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ छात्रवृत्तियों और भत्तों की दरों में संशोधन, छात्रों के परिवारों की आय सीमा में संशोधन तथा वित्तपोषण पद्धति में संशोधन शामिल थे।

(ङ) इस मंत्रालय ने तदनुसार इन योजनाओं के संशोधन के लिए पहले ही कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में धनराशि का उपयोग न किया जाना

3277. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना मिली है कि मध्य प्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम ने केन्द्रीय अनुदान का उचित उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त निगम को कितना अनुदान दिया गया;

(ग) क्या जबलपुर मध्य प्रदेश के एक सार्वजनिक न्यास दयोदया गौशाला को 85 क्यूबिक मीटर के गोबर गैस संयंत्र के निर्माण के पश्चात् उसे सीधे केन्द्रीय अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी जिलों के उन गांवों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है जहां अब तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन संयंत्रों के तब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) सरकार को, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, मध्य प्रदेश में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए राज्य नोडल एजेंसी द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता का उपयोग न करने और/अथवा अनुचित उपयोग करने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) इस मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान क्रमशः 7.736 करोड़ रु., 3.805 करोड़ रु. और 5.453 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

(ग) सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र से संबंधित योजना दिनांक 1.4.2003 से राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने जबलपुर और कटनी जिलों में 22 विद्युतीकृत गांवों की पहचान की है। राज्य सरकार कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती है और मंत्रालय को प्रस्ताव भेजती है जिनके लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टाफ कालेज

3278. श्री अनन्त नायक:
श्री परसुराम माझी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित रेलवे स्टाफ कालेज की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या कुछ नए रेलवे स्टाफ कालेज खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ये नए रेलवे स्टाफ कालेज खोलने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) वडोदरा में केवल एक रेलवे स्टाफ कालेज है। इसके अलावा, पुणे, जमालपुर, नासिक, लखनऊ तथा सिकंदराबाद में पांच अन्य केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो भारतीय रेल के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कारगिल के शहीदों के परिवारजनों को पेट्रोल पंप/रसोई गैस एजेंसी हेतु भूमि

3279. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारगिल के शहीदों के परिवारजनों के पुनर्वास हेतु उन्हें पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसी देने की सरकार की योजना में भूमि की अनुपलब्धता के कारण रूकावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु कोई गंभीर कदम नहीं उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो एक वर्ष के बाद भी भूमि के अधिग्रहण में विलंब के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) ''आप्रेशन विजय'' (कारगिल) में युद्ध के दौरान शहीद हुए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पंपों) और एलपीजी *डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए सरकार की विशेष* योजना के अंतर्गत जहां लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को आबंटित 197 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 115 एलपीजी डीलरशिप चालू कर दी गई हैं वहीं ऐसी डीलरशिपों और डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के क्रमश: 21 और 6 मामले भूमि के अभाव के कारण चालू नहीं किए जा सके। इन मामलों की नियमित निगरानी किए जाने के अतिरिक्त सरकार और संबंधित तेल कंपनियों द्वारा भूमि का अधिग्रहण के लिए किए गए प्रयासों में संबंधित राज्य सरकारों को विभिन्न स्तरों पर पत्र लिखना, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बाधाओं पर चर्चा करने और उनसे सहायता प्राप्त करने के लिए उन राज्यों की राजधानियों का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा दौरे, तेल कंपनियों द्वारा मामलों पर ध्यानपूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई किया जाना आदि शामिल हैं।

जम्मू और कश्मीर में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की पहचान

3280. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की पहचान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार के साथ कोई परियोजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर सहित देश में सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली जैसे विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की पहचान की है जिनका दोहन कुछ राजकोषीय और/अथवा वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ किया जा सकता है। जम्मू एवं कश्मीर के लिए लघु पनबिजली हेतु 1207 मेगावाट और 1.29 लाख बायोगैस संयंत्रों की संभाव्यता का आकलन किया गया है।

(ग) और (घ) जम्मू एवं कश्मीर में दिनांक 31.3.2003 के अनुसार विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

जम्मू एवं कश्मीर में दिनांक 31.3.2003 के अनुसार विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत संचयी उपलब्धियों का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजना	जम्मू एवं कश्मीर में 31.3.2003 के अनुसार संचयी उपलब्धियां
1.	लघु पनबिजली (मेगावाट)	102.24
2.	बायोमास गैसीफायर (किलोवाट)	120
3.	बायोगैस संयंत्र (संख्या)	2013
4.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र (संख्या)	04
5.	सौर प्रकाशवोल्टीय पम्प (संख्या)	18
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय	
	1. सड़क रोशनी प्रणाली (संख्या)	389
	2. घरेलू रोशनी प्रणाली (संख्या)	15317
	3. सौर लालटेन (संख्या)	9202
	4. सौर विद्युत संयंत्र (किलोवाट पीक)	40
7.	सौर कुकर (संख्या)	345
8.	ऊर्जा पार्क (संख्या)	07
9.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (ब्लाकों की संख्या)	28
10.	ग्राम विद्युतीकरण (विद्युतीकृत गांवों की संख्या)	90

मुंबई में लवण युक्त भूमि का विकास

3281. **श्री किरीट सोमैया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय और इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने मुंबई में लवणयुक्त भूमि की उपलब्धता में रुचि ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को विस्तार, विकास और मलिन बस्तियों को स्थानांतरित करने हेतु लवण युक्त भूमि की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस भूमि को प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी अद्यतन स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) जी, हां। आरंभ में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने अपने-अपने तेल टर्मिनल और सुविधाओं के लिए साल्ट लैण्ड, मुंबई के कुछ भाग का अधिग्रहण करने के लिए रुचि दर्शाई थी। परन्तु, आईओसीएल वाणिज्यिक दृष्टिकोणों से उक्त भूमि में अब रुचि नहीं रखती। बी.पी.सी.एल. को इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई वाणिज्यिक निर्णय लेना होगा कि बी.पी.सी.एल. के विनिवेश के लिए कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है।

डिपुओं से पत्तन तक रेल लाइन बिछाने के लिए निजी आपरेटरों को अनुमति देना

3282. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी आपरेटरों को अपने डिपुओं से पत्तनों को जोड़ने के लिए रेल पटरी बिछाने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे निजी आपरेटरों को भाड़े पर या कुछ अन्य वाणिज्यिक शर्तों पर अपनी पटरियों के इस्तेमाल की अनुमति देगी; और

(ङ) यदि हां, तो निजी आपरेटरों से अपने डिपुओं से पत्तनों तक अपनी रेल पटरियों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) भारतीय रेलवे/पत्तन रेलवे नेटवर्क का प्रयोग करते हुए निजी डिपुओं को उनकी साइडिंगों द्वारा पत्तनों के साथ जोड़ा जा सकता है।

(घ) और (ङ) निजी डिपु मालिकों को अपनी साइडिंगों में आपरेट करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

पट्टे पर शापिंग काम्प्लेक्स

3283. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1995 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शापिंग काम्प्लेक्स को पट्टे पर देने से वसूल की गई संपूर्ण राशि को सरकारी खजाने में जमा कराया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या दो कमानों अर्थात् पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान के रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा संग्रहीत किराए की कुल राशि में से मात्र 62.53 लाख रु. (27 प्रतिशत) ही सरकारी खाते में जमा कराया गया था और शेष राशि को इन निर्देशों के विपरीत रेजीमेंट के कोष में जमा कराया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) रक्षा मंत्रालय द्वारा 1995 में जारी अनुदेशों के अनुसार केवल कृषि उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दी गई रक्षा भूमि से वसूल किया गया समस्त राजस्व सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा।

(ख) सेनाओं द्वारा एकत्रित किए गए किराए में से 62.25 लाख रुपए की राशि सरकारी खजाने में जमा करा दी गई थी तथा शेष राशि रेजिमेंट फंड में जमा कराई गई थी।

(ग) ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है।

(घ) रक्षा भूमि तथा परिसंपत्ति पर बने शापिंग काम्प्लेक्सों के प्रबंधन, राजस्व जमा कराने आदि के विनियमन के संबंध में वर्ष 2001 के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में सीटों/डिब्बों के आबंटन हेतु मानदण्ड

3284. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलगाड़ी में विभिन्न श्रेणी में सीटों/डिब्बों के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है;

(ख) क्या सरकार को रेलगाड़ियों में विशेषत: दक्षिण मध्य रेलवे से शयनयान श्रेणी, वातानुकूलित कुर्सीयान, वातानुकूलित-I, II और III श्रेणी के लिए अतिरिक्त सीटों/डिब्बों में आबंटन हेतु अनुरोध/मांग प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रेलगाड़ी-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा रेलगाड़ी-वार क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बे यातायात के स्वरूप, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मुहैया कराए जाते हैं।

(ख) से (घ) अतिरिक्त सवारी डिब्बों आदि की व्यवस्था के लिए विभिन्न क्षेत्रों से सतत आधार पर मांगें प्राप्त होती है तथा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़-भाड़ से निपटने के लिए रेलगाड़ियों में व्यवहार्य और न्यायोचित सीमा तक अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं।

''स्पीकिंग आर्डर'' देने में विलम्ब

3285. श्री हरिभाई चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों से प्रतिस्थापना के पास रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवाओं के श्रेणी ''क'', ''ख'' और ''ग'' से संबंधित लम्बित डी ए आर मामलों तथा न्यायालय मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें डी ए आर मामलों में कर्मचारियों को स्पीकिंग आर्डर नहीं दिए गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे न्यायालीय मामले कितने हैं जिनमें न्यायालय के निर्देश के अनुसार कर्मचारियों को ''स्पीकिंग आर्डर'' नहीं दिए गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसमें विलम्ब करने हेतु संबंधित अधिकारियों पर कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा गलतियों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) इस समय रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के समूह "क" तथा समूह "ख" (राजपत्रित) के अधिकारियों के विरुद्ध 2(दो) कोर्ट केस तथा 4(चार) डी ए आर मामले लंबित हैं तथा समूह "ख" (अराजपत्रित) के कर्मचारियों के विरुद्ध 1(एक) कोर्ट केस और 8(आठ) डी ए आर मामले लंबित हैं। रेलवे बोर्ड के समूह "ग" के कर्मचारियों के विरुद्ध 1(एक) कोर्ट केस तथा 5(पांच) डी ए आर मामले लंबित हैं। उपरोक्त उल्लिखित डी ए आर तथा कोर्ट केस कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं तथा इन मामलों में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में कोई आदेश/कथन आदेश डी ए आर/कोर्ट केसों के पूरा होने के बाद ही जारी किया जा सकता है। ऐसा कोई मामला नहीं है, जिससे न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन लंबित हों। इसलिए, जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार सूचना के माध्यम से प्रकाशित पदों की परीक्षा

3286. श्री मोहन रावले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार सूचना सं. 1/98 के द्वारा प्रकाशित पदों को भरा जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त आवेदनों, परीक्षा हेतु बनाए गए अभ्यर्थियों, साक्षात्कार इत्यादि का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अभ्यर्थियों से संग्रहीत परीक्षा शुल्क को उक्त परीक्षा के रद्द होने की स्थिति में लौटा दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कोई जांच की गयी है और उस परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाया गया है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) वर्ष 1997 से आज तक क्षेत्रीय रेलवे बोर्ड-मुंबई द्वारा इस रोजगार सूचना के लिए कितनी परीक्षाओं को रद्द किया गया और पुन: परीक्षाएं आयोजित की गयी; और

(झ) यदि कतिपय परीक्षाएं आयोजित की गयी थीं तो रोजगार सूचना सं. 1/98 के मामले में यही प्रणाली क्यों नहीं अपनायी गयी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मांग करने वाली रेलवे द्वारा समीक्षा करने के पश्चात् रिक्तियों को शून्य किए जाने के कारण मांगपत्र रद्द कर दिए गए थे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) रोजगार सूचना में प्रकाशित "उम्मीदवारों के लिए अनुदेश" के पैरा 3 की शर्तों के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क वापिस नहीं किया गया है।

(च) जी हां। सतर्कता जांच के परिणामस्वरूप इसमें शामिल पाए गए 5 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) कुछ नहीं।

(झ) रोजगार सूचना सं. 1/98 के मामले में परीक्षा का पुन: आयोजन न करने का कारण मांगकर्त्ता रेलवे द्वारा रिक्तियों को शून्य किया जाना था।

कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण

3287. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण सुविधा में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विशेषत: महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई आरक्षण केन्द्रों में प्रयोग में लाया जाने वाला हार्डवेयर/साफ्टवेयर पुरानी तकनीक का है जो बार-बार खराब हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे का देश में सभी आरक्षण केन्द्रों का आधुनिकीकरण करने और नवीनतम प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर/साफ्टवेयर सिस्टम लगाए जाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां। कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं का विस्तार और सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। ये सुविधाएं आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर प्रतिवर्ष कई नए स्थानों पर स्वीकृत की जाती है।

(ग) जी नहीं। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित केन्द्रों सहित सभी भारतीय रेलों के यात्री आरक्षण प्रणाली केंद्रों पर नवीनतम और सर्वाधिक उपर्युक्त प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर उपकरण लगाए गए हैं। हार्डवेयर की विफलता के संबंध में उल्लेखनीय है कि कोई बड़ी विफलता नहीं हुई थी और इस उपकरण ने 99 प्रतिशत तक सेवा निष्पादित की है।

(घ) से (च) हार्डवेयर उपकरणों को नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ समुन्नत करना एक सतत प्रक्रिया है। जबकि कभी भी हार्डवेयर उपकरण पुराना हो जाता है या अपनी जीवट आयु पूरी कर लेता है तो इसे बदल दिया जाता है।

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता दिए जाने संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा

3288. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री भास्करराव पाटील:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली अनुदान सहायता संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा हेतु सत्यम् समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिश का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली अनुदान सहायता के मानदंडों को 1 अप्रैल, 2003 से संशोधित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) और (ख) जी, हां। कमेटी की अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यों की प्रोत्साहन स्कीम के दिशानिर्देशों को दिनांक 1.4.2003 से संशोधित कर दिया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर ब्यौरा उपलब्ध है।

इंटर लाकिंग सिस्टम

3289. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न रेल पटरियों हेतु अलग-अलग इंटर लाकिंग सिस्टम अपनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब रेलवे का विचार पुराने पड़ चुके स्टैण्डर्ड-I और स्टैण्डर्ड-II सिस्टम को बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्टैण्डर्ड-I और स्टैण्डर्ड-II सिस्टम के स्थान पर कब तक स्टैण्डर्ड-III सिस्टम लाये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेलवे में इंटर लाकिंग प्रणाली के मुख्यत: तीन स्टैण्डर्ड हैं, स्टैण्डर्ड-I 50 किमी प्रति घंटा की गति तक, स्टैण्डर्ड-II 75 किमी प्रति घंटा की गति तक और स्टैण्डर्ड-III 75 किमी प्रति घंटा से अधिक की गति के लिए है। कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां संशोधित गैर इंटर-लाक या पूर्व इंटर-लाकिंग प्रणाली भी है जिसमें 15 किमी प्रति घंटा गति की अनुमति भी है।

सिगनलिंग प्रणाली के विभिन्न स्टैण्डर्डों का जोन-वार ब्यौरा (31.03.2002) नीचे दिया गया है:

रेलवे	पुरानी	स्टैण्डर्ड-I	स्टैण्डर्ड-II	स्टैण्डर्ड-III	कुल
मध्य	17	26	0	368	411
पूर्व	23	29	0	282	334
उत्तर	53	134	0	496	683
पूर्वोत्तर	47	113	0	165	325
पूर्वोत्तर सीमा	32	70	1	235	338
उत्तर-पश्चिम रेलवे	23	221	35	166	445
उत्तर-मध्य रेलवे	0	33	12	296	341
दक्षिण रेलवे	14	153	7	326	500
दक्षिण मध्य रेलवे	25	102	0	399	526
दक्षिण-पूर्व रेलवे	8	24	2	270	304
पश्चिम रेलवे	44	126	17	360	547
पूर्व तटीय रेलवे	0	22	5	202	229
पूर्व मध्य रेलवे	76	81	0	295	452
दक्षिण पश्चिम रेलवे	6	46	9	181	242
पश्चिम मध्य रेलवे	5	37	0	221	263
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	49	17	0	150	216
कुल	422	1234	88	4412	6156

(ग) से (ङ) यातायात में वृद्धि और खंड पर गति में वृद्धि के आधार पर सिगनल प्रणाली का स्टैण्डर्ड-II से स्टैण्डर्ड-III तक समुन्नयन किया जाता है।

अत्याधुनिक इंजनों का निर्यात

3290. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अत्याधुनिक डीजल और विद्युत इंजनों का उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ देशों में अत्याधुनिक विद्युत इंजनों में अपनी अभिरुचि दिखायी है;

(घ) यदि हां, तो इन देशों के नाम और अन्य ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अत्याधुनिक विद्युत इंजनों के निर्यात से सरकार द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी है; और

(च) इन इंजनों के निर्यात के माध्यम से और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु भारतीय रेल द्वारा क्या व्यापक रणनीति बनायी गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के विभिन्न करारों के तहत, डीजल रेल इंजन कारखाना (डीरेका) ने अब तक 3-फेज एसी—एसी कर्षण वाले 4000 अश्वशक्ति के 25 रेल इंजनों का निर्माण किया है तथा चितरंजन रेल इंजन कारखाने (चिरेका) ने अब तक देश में 6000 अश्वशक्ति के 3-फेज वाले 50 रेल इंजनों का निर्माण किया है। 10वीं योजना में ऐसे 125 डीजल रेल इंजनों तथा 125 बिजली रेल इंजनों का निर्माण की परिकल्पना की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारतीय रेलवे रेल इंजनों के लिए राइट्स अथवा इरकान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बाजार में भाग लेती है। उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रगतिशील समावेश, निर्माण के स्थानीकरण तथा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी बाजारों में अनुभव से भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयों को शीघ्र ही आत्मविश्वास हासिल कर लेने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पैठ बनाने में सक्षम होने की प्रत्याशा है।

एन.आर.वी.वाई. परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी

3291. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को सड़क परियोजनाओं की तर्ज पर निजी आपरेटरों को देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने किन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ग) कुल कितनी परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को दिया जाएगा;

(घ) क्या तत्संबंधी कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इन निजी क्षेत्रों के कब तक इन परियोजनाओं में शामिल होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दसवीं पंचवर्षीय योजना में आल इंडिया रेडियो का विस्तार

3292. श्री राजो सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में बिहार में कार्यरत आल इंडिया रेडियो केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थान-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में विशेषकर बिहार में कुछ और केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) बिहार राज्य में पटना और मुजफ्फरपुर स्थित दो दूरदर्शन केन्द्र तथा पटना, भागलपुर, दरभंगा, सासाराम और पूर्णिया स्थित पांच आकाशवाणी केंद्र कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में एफ एम रेडियो केन्द्रों सहित आकाशवाणी के बहत्तर एफ एम रेडियो केन्द्रों और छह मीडियम वेव रेडियो केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, 10वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में नये दूरदर्शन केन्द्रों/मौजूदा केन्द्रों के संवर्धन की 12 परियोजनाएं इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य-वार अवस्थितियां संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन, इन परियोजनाओं के 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चरणों में पूरा हो जाने की आशा है।

विवरण

क. दूरदर्शन

दूरदर्शन केन्द्र

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मौजूदा	कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं
1	2	3	4
1.	असम	गुवाहाटी गुवाहाटी (क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र) डिब्रूगढ़ सिलचर	
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद विजयवाड़ा	वारंगल*
3.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	
4.	बिहार	पटना मुजफ्फरपुर	

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़	जगदलपुर रायपुर	रायपुर (अतिरिक्त स्टूडियो)
6.	गोवा	पणजी	
7.	गुजरात	अहमदाबाद राजकोट	
8.	हरियाणा	हिसार	
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	
10.	झारखण्ड	रांची डाल्टनगंज	रांची (अतिरिक्त स्टूडियो)
11.	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर जम्मू लेह	राजौरी
12.	केरल	त्रिवेन्द्रम त्रिचूर	कालीकट*
13.	कर्नाटक	बंगलौर गुलबर्गा	
14.	मध्य प्रदेश	भोपाल इन्दौर ग्वालियर	
15.	मेघालय	शिलांग तुरा	
16.	महाराष्ट्र	मुम्बई नागपुर पुणे	
17.	मणिपुर	इम्फाल	
18.	मिजोरम	एजवाल	
19.	नागालैंड	कोहिमा	
20.	उड़ीसा	भुवनेश्वर भवानीपटना साम्बलपुर	
21.	पंजाब	जालन्धर	पटियाला*
22.	राजस्थान	जयपुर	
23.	सिक्किम		गंगटोक*
24.	तमिलनाडु	चेन्नई	कोयम्बटूर मदुरै
25.	त्रिपुरा	अगरतला	
26.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ गोरखपुर बरेली मऊ इलाहाबाद वाराणसी मथुरा	गोरखपुर (नया परिसर)
27.	उत्तरांचल	देहरादून	देहरादून (नया परिसर)
28.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता शांति निकेतन जलपाईगुड़ी	
29.	दिल्ली	दिल्ली दिल्ली (केन्द्रीय निर्माण केन्द्र)	दिल्ली (दूरदर्शन भवन-नया परिसर)
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	
31.	पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी	
32.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	

*अधिष्ठान पूर्ण।

ख. आकाशवाणी

10वीं योजना में प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र

राज्य	क्र.सं.	स्थान
1	2	3
I. नये एफ एम स्टेशन सं. 72		
आंध्र प्रदेश	1.	काकीनाडा/राजमुंदरी
	2.	करीमनगर

1	2	3
	3.	श्रीकाकुलम
अरुणाचल प्रदेश	4.	अनिनि
	5.	बोमडिला
	6.	दपोरिजो
	7.	चांगलांग
	8.	खोंसा
असम	9.	करीमगंज
	10.	लुमडिंग
	11.	गोलपारा
बिहार	12.	गया
	13.	मोतिहारी
	14.	बनका
	15.	मधुबनी
छत्तीसगढ़	16.	दांतेवारा
	17.	राजनन्दगांव
	18.	जसपुरनगर
	19.	बैकुण्ठपुर
गुजरात	20.	जामनगर
	21.	जूनागढ़
हरियाणा	22.	अम्बाला
	23.	धनबाद
	24.	दुमका
	25.	गुमला
कर्नाटक	26.	श्रंगेरी
	27.	बेल्लारी
केरल	28.	कोन्नि
मध्य प्रदेश	29.	उज्जैन
महाराष्ट्र	30.	शिरडी
	31.	ओरस
	32.	अमरावती
मणिपुर	33.	तोमेंगलांग
	34.	उखरूल
मेघालय	35.	डावकी
मिजोरम	36.	चम्फाई
	37.	तुइपंग
	38.	कोलासिब/सारचिप
नागालैंड	39.	फेक
	40.	जून्हेबोतो
	41.	वोखा
उड़ीसा	42.	देवगढ़
	43.	रायगाड़ा
	44.	रायरंगपुर
	45.	पारलाकिमिदि
पंजाब	46.	फाजिल्का
	47.	अमृतसर
राजस्थान	48.	रामगढ़
	49.	चौटन हिल
तमिलनाडु	50.	कांचीपुरम
त्रिपुरा	51.	उदयपुर
	52.	नूतन बाजार
	53.	लांगथेराई
उत्तर प्रदेश	54.	गाजीपुर
	55.	बांदा
	56.	लखीमपुर खीरी
उत्तरांचल	57.	देहरादून
	58.	हलद्वानी/कालाडुंगी

1	2	3
	59.	भटवारी
	60.	बागेश्वर
	61.	चम्पावत
	62.	गैरसेन
	63.	रूद्रप्रयाग
	64.	न्यू टिहरी
पश्चिम बंगाल	65.	दार्जिलिंग
	66.	पुरूलिया
	67.	मालदा
	68.	कूचबिहार
	69.	बर्धमान
	70.	तामलुक
	71.	बालूरघाट
जम्मू और कश्मीर	72.	भदरवाह (9वीं योजना परियोजना 10वीं योजना में पूरा किया गया)
II. नए मीडियम वेव केन्द्र	**सं. 6**	
छत्तीसगढ़	1.	मानेन्द्रगढ़
राजस्थान	2.	डूंगरपुर
उत्तरांचल	3.	धारचुला
त्रिपुरा	4.	धर्मनगर (9वीं योजना परियोजना 10वीं योजना में जारी रही)
जम्मू और कश्मीर	5.	पदुम (9वीं योजना परियोजना 10वीं योजना में जारी रही)
	6.	डिस्किट (9वीं योजना परियोजना 10वीं योजना में जारी रही)

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए अपेक्षाकृत छोटे सिलिण्डर

3293. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को सूचित किया है कि वे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उन परिवारों के लिए अपेक्षाकृत छोटे सिलिण्डरों की आपूर्ति का चयन करेंगे जिनकी आमदनी प्रतिदिन 30 रुपया है तथा जिनके लिए 14.2 कि.ग्रा. के सिलिण्डर भरवाने हेतु अपेक्षित धन बचा पाना मुश्किल होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) सरकार को केवल आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में दीपम योजना के तहत 5 कि.ग्रा. वजनी सिलेंडर जारी किए जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को दीपम योजना के लाभार्थियों के लिए 5 कि.ग्रा. वजनी सिलेंडर उपलब्ध कराने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

बिहार में ताप विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण

3294. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने विद्युत उत्पादन हेतु बरौनी और मुजफ्फरपुर स्थित ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण से संबंधित बिहार सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की खराब वित्तीय स्थिति के कारण उक्त कार्य केन्द्रीय सहायता के बगैर शुरू नहीं किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार में विद्युत संकट के मद्देनजर, उक्त स्थानों पर स्थित विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और विद्युतीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) बरौनी और मुजफ्फरपुर में अवस्थित विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर. एंड एम.) का उत्तरदायित्व बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी.एस.ई.बी.) का है। केन्द्रीय ताप विद्युत प्राधिकरण ने 10वीं योजना अवधि के दौरान जीवन विस्तार कार्यक्रम के लिए बरौनी में थर्मल पावर संयंत्र की पहचान की है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

के लिए ऋण उपलब्ध कराता है और 10वीं योजना में पावर फाइनेंस कारपोरेशन के माध्यम से ऐसे ऋणों पर त्वरित उत्पादन तथा आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 3% की दर से ब्याज सब्सिडी देता है।

[अनुवाद]

रंगिया और मुर्खोंगसेलेक के बीच आमान परिवर्तन

3295. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या रेल मंत्री रंगिया और मुर्खोंगसेलेक के बीच आमान परिवर्तन के बारे में 12.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3705 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रंगिया और मुर्खोंगसेलेक के बीच आमान परिवर्तन परियोजना को आवश्यक स्वीकृति दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(घ) उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लालकोटी रिफ्रैक्टरीज को पुनः चालू करना

3296. श्री बसुदेव आचार्य: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड की एक बंद पड़ी इकाई, लालकोटी रिफ्रैक्टरीज को पुनः चालू करने हेतु एक औद्योगिक कर्मचारी सहकारी समिति का गठन किया गया है;

(ख) क्या उक्त सहकारी समिति ने अपने माध्यम से इस कंपनी को पुनः चालू करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति भी प्राप्त हो गई है तथा इसे केन्द्र सरकार के विचारार्थ विधिवत् रूप से अग्रेषित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या औद्योगिक सहकारी समिति के माध्यम से इस कम्पनी को चलाने की अपेक्षित अनुमति देने में असमान्य विलम्ब हो रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते): (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि इस इकाई को सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा गठित एक कोपरेटिव सोसाइटी को सौंप दिया जाए। बाद में, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस इकाई का पुनरुद्धार कोपरेटिव सोसाइटी के जरिए करने के लिए कामगार कोपरेटिव को अनुमति देने के लिए एक अन्य प्रस्ताव भेजा है।

(ङ) से (छ) इकाई को "जहां से जैसी है" के आधार पर उन्हें हस्तान्तरित करने के लिए एक प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा गया था, जो नीतियों पर पूर्वाकलन करने के पश्चात् इकाई को पंजीकृत कामगार कोपरेटिव को सौंप देगी। इस संबंध में, पश्चिम बंगाल सरकार से अंतिम प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।

चीन द्वारा मैकमोहन लाइन से सटी सड़क का निर्माण

3297. श्री मोहन रावले: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीन की सेना ने हिमालयी राज्य, अरुणाचल प्रदेश से सटे पूर्वी सीमांत पर मैकमोहन लाइन के साथ-साथ सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) चीनियों के पास तिब्बत में सुविकसित सड़क संजाल है। इसके अलावा, तिब्बत के समग्र विकास तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अब संरचनात्मक ढांचे में सुधार के भाग के रूप में वे पूर्वी सीमा पर मैकमोहन रेखा के आसपास सड़क तथा रास्तों सहित वे अतिरिक्त सड़कों/पहुंच मार्गों का विकास और निर्माण कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीनियों की सड़क निर्माण गतिविधियां वर्ष 1998 से जारी हैं तथा हाल ही के दौरान कोई असाधारण गतिविधियां नहीं हुई हैं।

सरकार ने भारत-तीन के पास अरुणाचल प्रदेश में संक्रियात्मक जरूरतों को पूरा करने तथा इन दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास के

लिए हमारे सड़क संजाल के निर्माण/विकास के लिए दीर्घावधि योजनाएं बनाई हैं।

मुंबई में क्षारीय भूमि का विकास

3298. श्री किरीट सोमैया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने मुंबई में उपलब्ध क्षारीय भूमि में रुचि ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा मंत्रालय को विस्तार, विकास और मलिन बस्तियों को स्थानांतरित करने हेतु क्षारीय भूमि की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस भूमि को प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और तत्संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सशस्त्र सेनाओं की भूमि की कमी को पूरा करने तथा रक्षा भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के पुनर्वास के लिए मुंबई में भूमि की आवश्यकता है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग) ने भारतीय नौसेना को मुंबई में कुछ क्षारीय भूमि देने का प्रस्ताव किया है। इस मामले पर आगे की कार्रवाई संबंधित विभागों से पुष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करेगी।

वाणिज्यिक कम्पनियों को विलय करना

3299. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार लागत और प्रशासनिक खर्चों को कम करने हेतु कुछ विभिन्न वाणिज्यिक कम्पनियों का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी बाहरी एजेंसी को यह रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि किस प्रकार से ऐसी इकाइयों में होने वाले घाटों को रोका जाए; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में किए गए आकलन और उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंजनों का आयात

3300. श्रीमती श्यामा सिंह:
डा. चरण दास महंत:
श्री अधीर चौधरी:
श्री रघुनाथ झा:
श्री रामजी मांझी:
श्री शीश राम सिंह रवि:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती प्रभाव राव:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने जमीनी स्थितियों का आकलन किए बगैर इंजनों और वैगनों की खरीद/आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई करोड़ों रुपये के आयातित वैगन अपेक्षित उन्नत रेल लाइनों की अनुपलब्धता की वजह से अप्रयुक्त पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या ऐसी खरीदों हेतु कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी नहीं, बहरहाल, देश में ही खरीदे गए 305 तथा 22.1 टन के उच्च धुरा भार के लिए उपयुक्त बाक्सन एच ए मालडिब्बों को 20.32 टन के कम धुरा भार वाले सर्किटों पर अस्थायी रूप से लगाया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयले की ढुलाई

3301. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और जून 2003 तक रेलगाड़ियों के माध्यम से करगली कोयला धावन शाला से बोकारो थर्मल पावर स्टेशन तक कितने टन धुले हुए कोयले की ढुलाई की गई;

(ख) प्रत्येक वर्ष बोकारो थर्मल पावर स्टेशन को कोयले की ढुलाई से रेलवे द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया जाना और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन पर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) करगली धावनशाला से बोकारो थर्मल पावर स्टेशन तक कोयले की ढुलाई के लिए निर्धारित प्रति टन मालभाड़े की दर क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) करगली धुलाईशाला से बोकारो थर्मल पावर स्टेशन तक रेल द्वारा धुले हुए कोयले की ढुलाई की कुल मात्रा इस प्रकार है:

वर्ष	मात्रा (टनों में)
2000-01	-
2001-02	11134
2002-03	586093
2003-04 (जून, 03 तक)	116463

(ख) रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	मालभाड़ा (लाख रु. में)
2000-01	-
2001-02	8.95
2002-03	529.19
2003-04 (जून, 03 तक)	65.57

30 जून 2003 तक बोकारो थर्मल पावर स्टेशन से कुल बकाया राशि 377.01 लाख रु. थी।

(ग) करगली धुलाईशाला से बोकारो थर्मल पावर स्टेशन तक कोयले की ढुलाई की निर्धारित मालभाड़े की दर इस प्रकार है:-

वर्ष	प्रति टन दर (रु. में)
2000-01	-
2001-02	80.40
2002-03	84.45
2003-04	56.30

[अनुवाद]

राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों के लिए मानदंड

3302. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या है;

(ख) क्या राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों के लिए संशोधित मानदंडों पर उनके मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच चर्चा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम मंत्रालय को परिचालित किए गए संशोधित मानदंडों के आधार पर सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र पर तेल कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) वर्ष 1983 के पश्चात् स्थापित सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के अगस्त, 2000 के परिपत्र तथा भारतीय सड़क कांग्रेस संहिता आईआरसी: 12 1983 में निर्धारित मानकों को पूरा करने की जरूरत है। एमओआरटीएच अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए संशोधित मानक निर्धारित करने की प्रक्रिया में है, और इस प्रयोजनार्थ एमओआरटीएच, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) तथा तेल कंपनियों के बीच चर्चाएं हुई। एमओआरटीएच ने संशोधित मानकों का एक प्रारूप एमओपी एंड एनजी की सहमति के लिए भेजा है।

पुराने पुलों की मरम्मत

3303. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुराने पुलों की मरम्मत के लिए विशेष रेल सुरक्षा निधि (एसआरएसएफ) से निधियां आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन रेल पुलों के लिए कुल कितनी निधियां आवंटित की गई और अब तक कितनी निधियां खर्च की गई हैं;

(ग) क्या इन पुलों पर मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे रेलवे पुलों के जोन-वार स्थान कौन-कौन से है जहां पर उक्त कार्य किया जा चुका है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) विशेष रेल संरक्षा निधि (वि.रे.सं.नि.) के तहत निधियां पुल पुनर्स्थापन के बकाया कार्यों को समाप्त करने के लिए आवंटित की गई थी।

(आंकड़े करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट अनुदान	व्यय
2001-2002	61.74 (संशोधित अनुमान)	44.15
2002-2003	143.3	151.62

उपरोक्त के अलावा, 2003-04 के दौरान विशेष रेल संरक्षा निधि से पुल संबंधी कार्यों के लिए 217 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

(ग) और (घ) विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत पहचान किए गए पुल संबंधी कार्यों को 2006-07 तक पूरा किए जाने की योजना है। भारतीय रेल पर विगत दो वर्षों के दौरान विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत पूरे किए गए पुल संबंधी कार्य नीचे दिए गए हैं:-

2001-02	280
2002-03	496
2003-04	571 (लक्ष्य)

इसके अलावा, विगत दो वर्षों के दौरान मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डी आर एफ) के अंतर्गत लगभग 809 पुलों का पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन किया गया था तथा 2003-04 के दौरान 1013 पुलों को पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

मिग-21 एयरक्राफ्ट को सेवा से हटाना

3304. श्री नरेश पुगलिया:
श्री श्रीनिवास पाटील:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने दिनांक 14 जुलाई, 2003 को श्रीनगर के निकट हुई विमान दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने तक सभी मिग-21 'टाइप-69' दो सीटों वाले प्रशिक्षक विमान को सेवा से हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रीनगर के निकट मिग-21 की दुर्घटना के कारण का पता लगा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) मिग-21 विमान के विभिन्न प्रकारों का जीवनकाल कितना है और ऐसे कितने विमानों ने अपना जीवनकाल पूरा कर लिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच अदालत बिठा दी गई है और उसका कार्य प्रगति पर है।

(ङ) मिग-21 विमान के विभिन्न रूपान्तरों का जीवनकाल तथा ऐसे उन विमानों का ब्यौरा जो अपना जीवनकाल पूरा कर चुके हैं, संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	मिग-21 रूपांतर	जीवनकाल (वर्षों में)	उन विमानों की संख्या जो अपना जीवन काल पूरा कर चुके हैं
I	मिग-21 बिस	35	शून्य
II	मिग-21 एफ एल	40	10
III	मिग-21 (टाइप-96)	35	01
IV	मिग-21 ट्रैनर	35	शून्य

[हिन्दी]

बिहार में 400 ट्रांसमिशन लाइन

3305. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पूर्वी भाग में पर्याप्त विद्युत उत्पादन के बावजूद राज्य में पारेषण लाइन के न होने के कारण बिहार विद्युत आपूर्ति के संकट का सामना कर रहा है;

(ख) क्या उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच गंगा नदी के पार विद्युत पारेषण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य में 400 के.वी.ए. 220 के.वी.ए. और 132 के.वी.ए. पारेषण लाइनें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार के बीच गंगा नदी के पार विद्युत पारेषण के लिए बरौनी एवं हाथीदह के बीच 132 के.वी. का एस/सी केबल कनैक्शन प्रचालन के अधीन है और बिहार शरीफ एवं बेगूसराय के बीच 220 के.वी.डी./सी. लाईन मौजूद है, जो बेगूसराय में 220 के.वी. के उपकेन्द्र के अभाव में 132 के.वी. पर प्रवाहित है।

(ग) और (घ) बिहार के लिए अनुमोदित एवं प्रस्तावित पारेषण लाइनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

(1) पावरग्रिड लाइनें

(क) *400 केवी (अनुमोदित)*

* पूर्णिया-मुजफ्फरपुर डी/सी
* बिहारशरीफ-मुजफ्फरपुर डी/सी
* कहलगांव-बिहारशरीफ डी/सी (तीसरा व चौथा)

(ख) *400 केवी (प्रस्तावित)*

* कहलगांव-पटना
* बाढ़ में कहलगांव-पटना का लोली 2×डी/सी

(ग) *220 केवी (अनुमोदित)*

* सासाराम-आरा-खगौल 220 केवी डी/सी लाईन और
* सासाराम 400/220 केवी एस/एस

(घ) *132 केवी लाइनें*

बिहार को देय केन्द्रीय सहायता अनुदान के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा 365 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर "बिहार उप पारेषण सुदृढ़ीकरण योजना" कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत 220 केवी के पारेषण लाइन (मुजफ्फरपुर-सिवान डी/सी) के अलावा 132 केवी के अनेक लाइनों का निर्माण की भी योजना है। इस स्कीम को भाग-ए और भाग-बी के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

	भाग ए	भाग बी
	संख्या (स.कि.मी.)	संख्या (स.कि.मी.)
पारेषण लाइनें	10 (746 स.कि.मी.)	12 (487 स.कि.मी.)

(2) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड लाइनें एवं उपकेन्द्र

(क) 220 केवी (अनुमोदित)

* बेगूसराय 220/132 केवी एस/एस
* बेगूसराय-पूर्णिया 220 केवी डी/सी
* बेगूसराय-मुजफ्फरपुर टीपीएस 220 केवी डी/सी
* फतुआ-हाजीपुर 220 केवी डी/सी (टावर फेलियर) का पुनर्जीवन
* खगौल 220/132 केवी एस/एस।

[अनुवाद]

मार्ग में परिवर्तन

3306. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल और नागपुर के बीच चलाई जा रही रेलगाड़ियों को पुरानी पटरियों के कारण धीमे चलाना पड़ता है और इस प्रकार दिल्ली से दक्षिण भारत जाने वाली रेलगाड़ियों में विलम्ब हो रहा है;

(ख) क्या दिल्ली से दक्षिण भारत जाने वाले रेलगाड़ियों की गति को तेज करने के लिए किसी वैकल्पिक रेलपथ अथवा मार्ग में परिवर्तन की योजना है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। लेकिन, स्वीकृत कार्य करते समय संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुमेय समय के भीतर उपयुक्त अस्थायी गति प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हथियारों का आबंटन

3307. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों की सिफारिश पर बिना पारी के आधार पर हथियार जारी करने के कोई प्रावधान है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान 30 जून, 2003 तक रक्षा मंत्रालय द्वारा बिना पारी के आधार पर कुल कितनी राइफलें/बंदूकें और अन्य प्रकार के आग्नेयास्त्र आबंटित किए गए;

(ग) चालू वर्ष के दौरान 30 जून, 2003 तक हथियारों के आबंटन के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अलग-अलग कितने आवेदन स्वीकृत किए गए और कितने आवेदनों को रद्द किया गया; और

(ङ) आवेदनों को अलग-अलग किन आधारों पर स्वीकृत अथवा रद्द किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) संसद सदस्यों की सिफारिश पर बिना बारी के आधार पर हथियार जारी करने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, संसद सदस्यों की सिफारिशों पर, बिना बारी के आधार पर हथियार जारी करने के लिए पर्याप्त रूप से विचार किया जाता है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान 30 जून, 2003 तक बिना बारी के आधार पर 173 हथियार आबंटित किए जा चुके हैं।

(ग) 1.1.2003 से 30.6.2003 तक बिना बारी के आधार पर हथियार प्राप्त करने के लिए 356 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(घ) चालू वर्ष के दौरान 30 जून, 2003 तक आबंटन के लिए 173 आवेदन पत्रों को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी अवधि के दौरान, 208 आवेदन पत्र रद्द किए गए।

(ङ) आवेदक को खतरे की अवधारणा ही उसे बिना बारी के आधार पर हथियार आबंटित करने की सिफारिश करने का मुख्य आधार थी। इसके अलावा, राइफलों के बिना बारी के आबंटन के संबंध में उन सशस्त्र सेना कार्मिकों के मामले में विचार किया गया जो सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा गारद के रूप में पुनर्नियोजन का इरादा रखते थे।

ऐसे मामले जिनमें आवेदक के पास पहले ही हथियार थे या जिनके पास खतरे के विश्वसनीय साक्ष्य नहीं थे, रद्द कर दिए गए।

[अनुवाद]

बी.आई.एफ.आर. के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का परिसमापन

3308. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम के 25(0) के लागू हो जाने के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम बन्द कर दिए गए हैं;

(ख) औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों का परिसमापन हुआ है;

(ग) सेटलाइट टाउनशिप की स्थिति क्या है और इसकी वहां परिसम्पत्तियां कितनी हैं जहां बन्द हुई तथा परिसमापित कम्पनियों की टाउनशिप है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिना किसी संरक्षण के छोड़े गए टाउनशिप की परिसम्पत्तियों को बचाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ वार्ता करने का है ताकि क्वार्टरों में इस समय रहने वाले लोग पारस्परिक करारनामों के माध्यम से जीवनयापन कर सकें और करोड़ों रुपए मूल्य की परिसम्पत्तियां बचाई जा सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 8 उपक्रमों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(ओ) के अंतर्गत बंद किया गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों को बंद करने संबंधी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर)

की अनुशंसाओं के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 8 रुग्ण औद्योगिक उद्यमों को बंद किया जा चुका है और उनके मामले में सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की जा चुकी है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों को बंद किया जा चुका है/जिनका परिसमापन किया जा रहा है, उनकी परिसंपत्तियों में उपक्रम-विशेष की बस्ती भी शामिल है, यदि कोई हो, और इसका दायित्व यथास्थिति प्रबंधन/परिसमापक पर है।

(घ) और (ङ) ये मुद्दे केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के प्रबंधन/प्रशासनिक मंत्रालय तथा सरकारी परिसमापक, जैसी स्थिति हो, के वाणिज्यिक/प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

नेशनल रेल विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

3309. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नेशनल रेल विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु विश्व बैंक से सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर विश्व बैंक से ऋण प्रदान करने के लिए कहा जा रहा है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने मंत्रालय के प्रस्तावों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि देने की सहमति हुई है; और

(ङ) उक्त धनराशि कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) रेल मंत्रालय की राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एनआरवीवाई) के अंतर्गत कुछ अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ तीन बड़े पुलों मुंगेर, निर्मली और बोगीबील नामक पुलों के वित्तपोषण के लिए वित्त मंत्रालय के माध्यम से विश्व बैंक से बातचीत करने की योजना है।

(ग) जी नहीं। विश्व बैंक द्वारा अभी तक इस प्रस्ताव की जांच नहीं की गई है। केवल प्रारंभिक विचार-विमर्श हुए हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वक्फ बोर्ड को भूमि सौंपना

3310. श्री विष्णु पद राय: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुनियादाबाद स्थित राजस्व भूमि का काफी क्षेत्र भारतीय नौसेना को आवंटित किया गया है जिसमें गुम्बद और छप्पर वाली एक बहुत ही पुरानी मजार स्थित है;

(ख) क्या मजार में आस्था रखने वाले मुस्लिम और हिन्दू दोनों समुदाय भूमि के इस हिस्से को इसके अनुरक्षण और पूजा हेतु वक्फ बोर्ड को आवंटित करने के लिए जोर दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय नौसेना द्वारा लौटाई गई इस भूमि के अर्जन तथा इसे वक्फ बोर्ड को सौंपने हेतु कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। वक्फ बोर्ड को रक्षा भूखण्ड आबंटित किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिना चौकीदार वाले रेल समपारों पर चौकीदार लगाने हेतु केंद्रीय सड़क निधि से धनराशि

3311. श्री नरेश पुगलिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के बिना चौकीदार वाले रेल समपारों पर चौकीदार लगाने हेतु केंद्रीय सड़क निधि से कतिपय धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में इस निधि से बिना चौकीदार वाले कितने रेल समपारों में चौकीदार लगाए गए; और

(घ) इस निधि से वर्ष 2003-2004 के दौरान प्रत्येक राज्य में बिना चौकीदार वाले कितने रेल समपारों पर चौकीदार लगाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेलवे ने सड़क संबंधी संरक्षा कार्यों, अर्थात् समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुल के निर्माण तथा चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए इस्तेमाल किए जाने हेतु केन्द्रीय

सड़क निधि से कतिपय राशि प्राप्त की है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि से प्राप्त की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	राशि
2000-2001	300.00
2001-2002	300.00
2002-2003	264.00

(ग) और (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार तैनात करने की स्थिति रेलवे-वार रखी जाती है न कि राज्य-वार। विगत तीन वर्षों के दौरान चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार तैनात करने की स्थिति दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:-

रेलवे	चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार तैनात करना (संख्या)		
	2000-01	2001-02	2002-03
मध्य	0	116	45
पूर्व	9	15	10
उत्तर	9	2	0
पूर्वोत्तर	9	14	11
पूर्वोत्तर सीमा	1	26	4
दक्षिण	7	3	11
दक्षिण मध्य	12	49	8
दक्षिण पूर्व	14	53	60
पश्चिम	6	9	0
कुल	67	287	149

चालू वर्ष अर्थात् 2003-04 के दौरान, 100 चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार तैनात किये जाने का कार्यक्रम है।

ओएनजीसी की कम्युनिटी इंटरफेस स्कीम

3312. श्री मोहन रावले: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा कम्युनिटी इंटरफेस के क्षेत्र में अब तक क्या ठोस उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लोगों के लिए कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों के एक सेट पर विचार कर रहा है और बड़ी संख्या में कर्मचारियों की उपेक्षा कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिबंधित बहुसंख्यक सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर तथाकथित अग्रणी सम्मान का क्या प्रभाव पड़ा है और जहां तक कार्यरत कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य का संबंध है तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा;

(घ) क्या ई-8, ई-9 पदोन्नतियों में तदर्थवाद ने सामान्यतया सारे कर्मचारियों और विशेषरूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को प्रभावित करते हुए प्रभावी भूमिका निभाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) देश में सर्वत्र अपने प्रचालन क्षेत्रों के अंतर्गत तथा इनके चारों ओर अवस्थित स्थानों पर सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों की शुरूआत करके समुदाय तक पहुंच बनाती है। वर्ष 2001-2002 से ओएनजीसी ने इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक वर्ष अपने निवल लाभों का 0.75 प्रतिशत आबंटन करने का निर्णय लिया। ये कार्यक्रम सभी परिसंपत्तियों, बेसिनों तथा कार्य केन्द्रों द्वारा कंपनी के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियान्वित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) ओएनजीसी इस विषय में समय-समय पर निर्धारित नीतियों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार अपने सेवारत तथा सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों को ये लाभ प्रदान करती है। ओएनजीसी ने 15.10.1959 से पूर्व कर्मचारियों साथ ही 14.10.1959 उपरांत ऐसे कर्मचारियों, जो ओएनजीसी के अंतर्गत पीआरबीएस के क्रियान्वयन के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे, को राहत उपलब्ध कराने के लिए "अग्रणी सम्मान" अनुग्रह लाभ योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। जहां तक "अग्रणी सम्मान" अनुग्रह लाभ योजना के विद्यमान कर्मचारियों की मानसिक दशा पर पड़ने वाले प्रभाव का संबंध है, इसका उनसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वे सेवानिवृत्ति उपरांत एवं सेवा के अंतर्गत मृत्यु अधिवर्षिता लाभ योजना (पीआरबीएस) के लिए पात्र होते हैं।

(घ) और (ङ) ओएनजीसी ने सूचित किया है कि ओएनजीसी की एक सुपरिभाषित प्रोन्नति नीति है। ओएनजीसी ने आगे और भी सूचित किया है कि हाल ही में विभिन्न स्तरों एवं वर्गों में की गई प्रोन्नतियां इसकी प्रोन्नति नीति के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार थीं और इसलिए इनसे न तो सामान्य श्रेणी और न ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

मुंबई में लवणयुक्त भूमि का विकास

3313. श्री किरीट सोमैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय और इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने मुंबई में लवणयुक्त भूमि की उपलब्धता में रुचि ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय को विस्तार, विकास और मलिन बस्तियों को स्थानांतरित करने हेतु लवणयुक्त भूमि की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस भूमि को प्राप्त करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी अद्यतन स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने मुंबई में खाली लवणयुक्त भूमि के उपयोग के संबंध में प्रस्ताव भेजा है और इस मंत्रालय की टिप्पणी मांगी है। इस मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि लवणयुक्त भूमि को महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरित किया जाए जो इस भूमि को रेलवे भूमि सहित सार्वजनिक भूमि पर झुग्गी झोपड़ी वालों/अतिक्रमण करने वालों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रयोग कर सकती है।

निराश्रित बच्चे

3314. श्री एन.एन. कृष्ण दास: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निराश्रित बच्चों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों के अनुदान सहायता देकर निराश्रित बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के उद्देश्यों को हासिल कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन गैर-सरकारी संगठनों को पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान आबंटित/जारी वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार और गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन बच्चों के रहन-सहन का स्तर, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई और स्वच्छता आदि का अभिनिश्चय करने के लिए कोई वास्तविक जांच कराई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) से (च) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, "बेसहारा बच्चों के लिए एक समेकित कार्यक्रम" नामक स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों में अभावग्रस्तता को रोकने और सड़कों पर से उनके जीवन की वापसी को सुसाध्य बनाने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा में स्थापित करना है। हालांकि, देश में बेसहारा बच्चों की संख्या को निर्धारित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी इस स्कीम के तहत वर्ष 2002-2003 के दौरान लाभान्वित बेसहारा बच्चों की संख्या संलग्न विवरण I राज्यवार दी गई है।

स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के नियमित निरीक्षण का कार्यन्वयन दर्शाता है कि अभावग्रस्त तथा उपेक्षित बेसहारा बच्चों को आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा एवं मनोरंजन सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराने का उद्देश्य कुल मिलाकर प्राप्त किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिए किए गए नियमित निरीक्षणों का उद्देश्य, यह सुनिश्चित करना है कि इन बच्चों का जीवन-स्तर, न्यूनतम स्वीकार्य स्तर का हो। ऐसी परियोजनाएं जो इन स्तरों को पूरा नहीं करती उन्हें सहायता अनुदान स्वीकृत नहीं किए जाते।

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (11.08.2003 तक) के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2002-03 के दौरान लाभान्वित बेसहारा बच्चों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2002-03 के दौरान लाभान्वित बेसहारा बच्चों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5040
2.	असम	600
3.	बिहार	100
4.	गुजरात	7132
5.	जम्मू व कश्मीर	300
6.	कर्नाटक	1200
7.	मध्य प्रदेश	200
8.	महाराष्ट्र	1960
9.	उड़ीसा	300
10.	पंजाब	550
11.	राजस्थान	900
12.	तमिलनाडु	2500
13.	त्रिपुरा	100
14.	उत्तर प्रदेश	2850
15.	पश्चिम बंगाल	10675
16.	दिल्ली	2788
	कुल	37195

विवरण II

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (11.8.2003 तक) के दौरान बेसहारा बच्चों की परियोजनाओं को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान

निर्मुक्त राशि (रु. लाख में)

क्र.सं.	संगठन का नाम और पता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	नवजीवन बाल भवन, पूर्णानन्दमपेट, विजयवाड़ा-520003	9.34	0	14.39	3.8
2.	एसकेसीवी चिल्ड्रेन्स ट्रस्ट, संतोष भवन, प्रेस क्लब के सामने, गांधीनगर, विजयवाड़ा-520003	7.02	0	14.03	0
3.	अरबन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, इन्डिया (यूआरडीईएस), हैदराबाद-520044	1.9	0	5.99	0
4.	सोसाइटी फार इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट इन अरबन एंड रूरल एरिया, (सिदूर) 144/2 आटी, विजय नगर, कालोनी, हैदराबाद-500057	4.58	0	2.48	0
5.	गोलकुंडा अरबन एंड रूरल एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी (गार्ड), सिकन्दराबाद-500090	2.2	6.58	4.34	0

1	2	3	4	5	6
6.	जागृत एजूकेशनल एंड कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी, 1-1-16-12-ए/डी (प्लाट नं. 384) जवाहर नगर, चिक्कदपल्ली, हैदराबाद	0	4.48	4.5	2.92
7.	करुणा सोसाइटी, एच नं. 13-6-826/30 बापू नगर, मेहतीपत्तनम, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	0	0	0.84	0
8.	कोठापेट महिला मंडली, पोथुराजू चौक, कोठापेट, गुन्टूर	0	13	8.37	4.18
9.	श्री वेंकेटेश्वर महिला मंडली, डी नं. 5-8-11/3, 2/7, प्रोड़ियापेट, गुन्टूर-522002	0	13.65	7.2	3.74
10.	अरबन एंड रूरल डेवलपमेंट मिशन, ओल्ड एलआईसी बिल्डिंग, द्वितीय लाइन, पंडारीपुरम, चिलकालुरीपुरम, चिलकालुरीपेट, गुन्टूर-522616	0	0	17.5	0
11.	उषोदय युवाजन समक्षेमा संघम, चौथी लेन, गुंचूरीवरी थोटा, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश	0	0	1.48	0
12.	निर्मल ह्रदय सेवा संस्थान फिरांगीपुरम, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश	0	0.93	3.7	1.39
13.	स्टार महिला मंडली, एच नं. 5-2-295, रहीमपुरा स्ट्रीट, विलेज एंड पोस्ट-कोरटला करीम नगर, आंध्र प्रदेश	0	0	1.24	0
14.	नव भारत एजूकेशनल सोसाइटी सेवीएस कालोनी, कोठापेट धोणे, कुरनूल, आंध्र प्रदेश	0	0.73	2.82	0
15.	दक्षिण भारत रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, काम्मावरी पालेम, नादिगामा मंडल, कृष्णा जिला	0	1	3.97	1.45
16.	हिमगिरी रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, डी नं. 7/1-ए, गरिका पालेम, रनास्टलम श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश-532407	0	1	3.98	1.49
17.	विवेका एजूकेशनल फाउंडेशन, पामूर, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश	0	0.75	0	2.94
18.	नवोदय सेवा संगम, एच नं. 107, नेता जी रोड, जदचिराला, जिला महबूबनगर	0	0	2.79	1.5
19.	चाइल्ड फाउंडेशन आफ इंडिया, प्लाट नं. 120, 39-5-30, मुरलीनगर, विशाखापत्तनम	0	8.35	7.01	0
20.	विशाखा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, 1-4-14, गांधीनगर, विशाखापत्तनम	0	12.3	6.07	3.59
21.	भारती रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, डोर नं. 39-1-11/2, ईस्ट मुरलीनगर, विशाखापत्तनम	3.04	0	0	0
22.	सेवा बैंक, डी नं. 49-11-4, ललितानगर, विशाखापत्तनम	0	6.77	5.07	0
23.	सिटी एजूकेशनल सोसाइटी, एच नं. 32-41-19, रेवेन्यू कालोनी, विजयवाड़ा	0	0.74	2.97	1.48
24.	प्रियदर्शनी सर्विस आर्गनाइजेशन, डी नं. 45-56-9, शालीग्रामपुरम, विशाखापत्तनम	1	2.59	4.5	0
25.	नागेश विलेज डेवलपमेंट संस्था, वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	0	0	0.75	0
26.	श्री कृष्णदेव राय युवजन संगम दोम्मारान्दयालय लक्ष्मी नरसिम्ह् नगर, कुडप्पा, आंध्र प्रदेश	0	0.25	2.98	1.31
27.	बी आर सत्यनारायण अर्फनेज तपोवनम, चित्तूर, आंध्र प्रदेश	0	0	0.74	0

1	2	3	4	5	6
असम					
28.	इन्डियन काउंसिल फार चाइल्ड वेल्फेयर, जी एन बोरदोलोई रोड, अमबरी, न्यू गवर्नमेंट इम्पोरियम, गुवाहाटी-781001	13.2	6.79	7.05	0
29.	हिलाल संघ कम्यूनिटी सेन्टर, विलेज-तालताला, पी.ओ.-जनकल्याण बाजार, जिला करीमगंज	2.67	0	0	0
30.	सदुआ असोम ग्राम्य पुथीभराल समथ तेलियापट्टी, चांदमारी रोड, पोस्ट हलवर गांव, जिला नागांव, असम	0	0	1.23	0
31.	सेल्सियन सिस्टर्स आफ नार्थ इस्टर्न इंडिया, प्रोविन्सियल हाउस, सेन्ट मेरीज कांवेन्ट, माली गांव, गोवाहाटी, असम	0	0	0	1
32.	ग्राम विकास परिसर, रंग्लो पोस्ट जुमरपुर, जिला नागांव, असम	0	0	0.75	0
बिहार					
33.	लाल बहादुर शास्त्री ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, पटना, बिहार	0	0	1	0
गुजरात					
34.	दिशा दर्शन सेवा ट्रस्ट, 89, पूर्णकुंज सोसाइटी मेघनीनगर, अहमदाबाद	0	5.06	7.91	0
35.	अंध अपंग कल्याण केन्द्र, जनता नगर रोड, घाटलोडिया, अहमदाबाद	7.15	3.58	9.6	0
36.	अखंड ज्योति फाउंडेशन, फतेहपुरा ग्राम, बी/एच पुलिस चौकी, पालड़ी, अहमदाबाद	8.4	8.64	4.32	3.55
37.	के.एच. जानी चैरीटेबुल ट्रस्ट, ई-11, न्यू गिरधर पार्क, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद	3.15	5.85	14.53	0
38.	इंडियन काउंसिल फार सोशल वेल्फेयर, म्यूनिसिपल बाल भवन, पालडी, अहमदाबाद	9	4.5	3.53	3.45
39.	रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, ''हार्दिक'' प्रेरणा पार्क सोसाइटी, मणीनगर, अहमदाबाद	9	4.5	8.01	4.5
40.	पाटनी शेरी सेवा संघ, 1453, प्रगति चौक, रायखड़, अहमदाबाद	9	4.5	16.02	0
41.	आयुष फाउंडेशन, अहमदाबाद, गुजरात	0	0.74	2.97	0
42.	डा. भीमराव चैरिटेबल ट्रस्ट, बी आर जनरल हास्पिटल, कल्पीनगर, अहमदाबाद	0	0	0.75	0
43.	बड़ौता सिटीजन्स काउंसिल, सयाजी बाग, बड़ौदा	4.81	3.43	6.84	3.72
44.	विकास ज्योति ट्रस्ट, नगरवाड़ा, चोर रास्ता, बड़ौदा	8.87	6.14	4.37	4.37
45.	शिशु मिलाप, 1, श्रीहरि अपार्टमेंट्स अलकापुरी, बड़ौदा	4.19	3.32	3.32	0
46.	सहयोग चैरीटेबल ट्रस्ट, सी/14-15, भाग्योदय कम्पलेक्स, गरवा रिफाइनरी रोड, बड़ोदरा	0	7.39	0	13.51
47.	श्री पुर्जित मेमोरियल ट्रस्ट, 2/5, प्रकाश सोसाइटी, राजकोट	10.89	4.67	7.98	4.66
48.	नवसर्जन जेवियर सेल फार ह्यूमन डेवलपमेंट, रिंग रोड, सूरत	1.6	3.73	2.14	2.14

1	2	3	4	5	6
हरियाणा					
49.	अखिल भारतीय स्वामी अज्ञान देव समाज उत्थान समिति, रोहतक	0	0.25	0	0
जम्मू और कश्मीर					
50.	वासुधैव कुटुम्बकम वेल्फेयर सोसाइटी, नेहा घर, काछी चावनी जम्मू (तवी)-180001	5.37	5.96	3.61	2.23
कर्नाटक					
51.	यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, (वाईएमसीए) 66 इनफैंट्री रोड, बंगलौर-560001	8.02	6.94	6.71	4.39
52.	माइथरी सर्व सेवा समिति, नं. 373, हैन्ड्रेड फीड रोड, हाल द्वितीय स्टेज इंदिरानगर, बंगलौर	0	0	0.71	0
53.	बस्वा कार्य समिति, कोटग्योल, पोस्ट निट्टूर (वी) तालुगा-भालकी, जिला बिदर, कर्नाटक	0	0	1.25	0
54.	श्री मैत्री महिला मंडली, श्री मैत्री एसोसिएशन, शुगर फैक्टरी रोड, दोड्डाबथी पोस्ट, देवनगेर जिला	8.99	8.98	8.98	4.49
55.	श्री शक्ति एसोसिएशन, गुट्टूर, हरिहर, देवनगेर जिला	10.84	8.98	8.33	4.46
56.	अन्नपूर्णा एसोसिएशन, चिन्तामणि नगर, हरिहर, देवनगेर, कर्नाटक	0	0	2.45	1.48
57.	शारदा निकेतन, शारदा रोड, रूपा नगर ए.के. हाली, मैसूर, कर्नाटक	0	0	0.75	0
केरल					
58.	एसोसिएशन फार वेल्फेयर आफ हैंडीकैप्ड, पी.बी. नं. 59, 17/194-ए, एम स्वायर कम्प्लेक्स, पावामणी रोड, कालीकट-673001	3.31	7.68	0	0
59.	त्रिवेन्द्रम डान बोस्को वीडू सोसाइटी, कालीपंकुलम रोड, टीसी 41/2065, मानकौड, तिरूवनन्तपुरम-695009	1.21	0	0	0
मध्य प्रदेश					
60.	सेवा भारती आराधन, सरदारपुरा, उज्जैन	0	0	1.38	0.88
61.	सेवा भारती, मध्य भारत, भोपाल	0	0	0.06	0
महाराष्ट्र					
62.	सलाम बालक ट्रस्ट, पीटी वेल्फेयर सेन्टर, आशा सदन, मार्ग उमरखादी, मुम्बई	12.38	5.87	4.5	4.5
63.	सोसाइटी अंडर टेकिंग फार पुवर पीपुल्स ओनस फार रिहैबिलिटेशन (सपोर्ट), शांताक्रुज (ईस्ट), मुंबई	0.21	1.8	0.9	0
64.	दी वात्सल्य फाउंडेशन, किंग जार्ज V मेमोरियल, डा. मोसेज रोड, मंबई	6.78	5.51	5.19	0
65.	टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोसल सर्विस पी.बी. नं. 8313, सीयन-ट्रांबे रोड, देवनार, मुंबई	1.06	0	2.42	0
66.	चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, नानाचौक, म्यूनिसिपल, फरेरे ब्रिज, मुम्बई	14.41	2.64	2.61	0

1	2	3	4	5	6
67.	अपंग व निराधार बहुद्देश्यीय कल्याणकारी संस्था, जिंगाबाड़ी टोकली रोड, नागपुर	36.73	8.02	16.17	4.09
68.	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गांव, तालुक मुखेड़, नानदेड़	0	0	1.24	0
69.	खातून माइनारिची वीमेन्स सोशल वेल्फेयर एजूकेशनल सोसाइटी, 534 एम एच वी कालोनी, माले गांव, नासिक	0	0.74	0	0
मेघालय					
70.	इम्पल्स एनजीओ नेटवर्क, लोअर लोचूमियर, हार्सियों बिल्डिंग के नजदीक, शिलांग	0	0.25	0	0
मणिपुर					
71.	मणिपुर महिला कल्याण समिति, डी एम रोड, देवलालैंड, इम्फाल	11.6	0	0	0
72.	सोसल डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन काउंसिल, फाउदेन, मामांगलेकाई, वीपीओ फाउदेन, थाउबल	0	0	0.74	2.23
मिजोरम					
73.	बैप्टिस्ट चर्चा आफ मिजोरम बैप्टिस्ट हाउस, अपर खट्टा, एम जी रोड, आइजोल	1.06	0	0	0
उड़ीसा					
74.	उड़ीसा स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेल्फेयर, क्वाटर नं. टाइप-6 एमआर-2, यूनिट-6, भुवनेश्वर	5.09	0	0	0
75.	रूचिका सोसल सर्विस आर्गनाइजेशन, जी-6 गंगानगर यूनिट-4, भुवनेश्वर	5.12	5.52	4.96	0
पंजाब					
76.	गुरु नानक चैरिटेबुल ट्रस्ट, गुरमत भवन, मुल्लानपुर मंडी, लुधियाना	6.38	6.18	6.03	0
77.	ग्रामीण विकास कल्याण सोसाइटी, कुंदन सिनेमा के नजदीक, आजीमगढ़, अबोहर, फिरोजपुर	0	17.1	7.94	0
राजस्थान					
78.	इंडिया इंस्टीट्यूट आफ डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, 1, लक्ष्मीपथ, हथरोई, जयपुर	8.05	12.95	11.24	0
79.	जल कला साहित्य मंच संस्थान, एफ-70, शंकर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर	4.32	14.47	11.34	0
80.	आदिवासी सांस्कृतिक सेवा संस्थान ई-32, सरस्वती नगर, सेक्टर-6 के सामने, मालवीय नगर, जयपुर	0	0	0.5	0
तमिलनाडु					
81.	इंडियन काउंसिल फार चाइल्ड वेल्फेयर, नं. 5, तृतीय मेन रोड, वेस्ट सिनोइ नगर, चेन्नई	7.88	0	10.11	0
82.	मणियाला मजारेल्लो मलागीर नलवज्वू मध्यम सोसल सर्विस सोसाइटी, 29, पेदरियार कोइल स्ट्रीट, चेन्नई	8.5	8.4	8.76	0

1	2	3	4	5	6
83.	आशा निवास सोसल सर्विस सेन्टर, 9, रूटलैंड गेट, चेन्नई	8.47	8.06	11.23	0
84.	एशियन यूथ सेन्टर, एल-8, अन्नानगर ईस्ट, चेन्नई	2.44	2.44	3.79	2.74
85.	नेशक्कम-स्ट्रीट एलफीन्स एजूकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स), प्रथम क्रास स्ट्रीट, नुगमबक्कम, चेन्नई	8.43	0	0	0
86.	डान बोस्को अन्बू इल्लम सोसल सर्विस सोसाइटी, 16, मलप्पन स्ट्रीट, मन्ना डी, चेन्नई	10.1	8.98	10.41	0
87.	चेन्नई महाबोधि सोसाइटी, 2/145, रेलवे स्टेशन रोड, चेन्नई	0	0	1.25	0
88.	डान बोस्को अन्बू इल्लम सोसल सर्विस सोसाइटी, कोयम्बटूर	8.94	8.52	4.5	4.5
89.	मदुरई नान फार्मल एजूकेशन सोसाइटी, एजूकेशन सेन्टर, मुम्बई	1.31	0	0	0
90.	तिरूचिरापल्ली मल्टी पर्पस सोसल सर्विस सोसाइटी, तिरूचिरापल्ली	0	0.74	0	0
त्रिपुरा					
91.	ए.आर.के. साइंस एंड सोसल आर्गनाइजेशन, जोगेन्द्र नगर, अगरतला	0	5.44	3	0
92.	विवेकानन्दन युवा महामंडल ब्रिज चाउमोहानी, विशालगढ़	0	0.25	0	0
उत्तर प्रदेश					
93.	सर्वोदय विकलांग सेवा संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	0	0	1.5	0
94.	ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, 82 बी/4, ए रसूलाबाद, इलाहाबाद	9	9	9	4.5
95.	शहीद मेमोरियल सोसाइटी, ई-1698, राजाजीपुरम, लखनऊ	13.17	13.31	13.1	0
96.	उत्तर प्रदेश काउंसिल फार चाइल्ड वेल्फेयर, 2, राणाप्रताप मार्ग, मोती महल, लखनऊ	9	8.39	0	11.94
97.	सेन्ट मेरी इन्टरकंटीनेन्टल चाइल्ड एंड वीमेन वेल्फेयर आर्गनाइजेशन आफ इंडिया, सी-228 तालकटोरा आवास विकास कालोनी, राजाजीपुरम, लखनऊ	13.5	12.11	13.06	0
98.	समाज सेवा संस्थान, 414, 238 सराय माली खान चौक, लखनऊ	8.5	8.5	8.5	4.25
99.	सोसल एंड इकोनामिक इंस्टीट्यूशन, गौरव सी-2116, इंदिरा नगर, लखनऊ	7.4	0	15.28	3.7
100.	बोधि सत्व बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति, 68/363, चितवापुर, लखनऊ	0	0	0	0
101.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, 504/21 डी, टैगोर मार्ग, डालीगंज, लखनऊ	1.67	4.1	4.01	2.05
102.	भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास समिति, 105, नारायणपुरी, कृष्णानगर, लखनऊ	0	0	0.75	0
103.	सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, ग्राम व पोस्ट-अलीपुर, जिला हरदोई	9.85	12.51	8.72	0
पश्चिम बंगाल					
104.	वीमेन्स कोआर्डिनेटिंग काउंसिल, 5/1, रेड क्रास प्लेस कलकत्ता	4.17	0	20.09	0
105.	चिल्ड्रेन्स राइट डेवलपमेंट सर्विस, बी-25, अरविन्दो पार्क, पुरवा पुतियारी, कलकत्ता	4.5	9	9	0

1	2	3	4	5	6
106.	सेन्टर फार सोसल डेवलपमेंट, 68 बैरक रोड, बैरकपुर, 24 परगना (नार्थ)	3.56	5.99	8.53	0
107.	ह्यूमेनिटी एसोसिएशन, 34ए, शशिभूषण डे स्ट्रीट, कलकत्ता	5.68	4.03	11.37	0
108.	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, राजगढ़िया हाउस, 7, सिवर साइटी रोड, बैरकपुर, 24 परगना (नार्थ)	5.91	8.82	8.12	0
109.	इंस्टीट्यूट आफ साइकोलोजीकल एंड एजूकेशनल रिसर्च (आईपीईआर), 27, सर्कस एवेन्यू, कलकत्ता-700009	13.17	12.25	6.71	4.97
110.	लिबरल एसोसिएशन फार मोवमेंट आफ पीपुल्स (लाम्प), 66, सूर्या सेन स्ट्रीट, कलकत्ता	19.91	6.28	19.48	0
111.	बंगाल मास एजूकेशन सोसाइटी, 99/आईएफ, विधान सराही, कलकत्ता	9.33	8.51	9.45	0
112.	फोरम आफ कम्यूनिटीज यूनाइटेड आफ सर्विस, 6, तिलजारा रोड, कलकत्ता	4.7	9.31	10.16	0
113.	विकास भारती वेल्फेयर सोसाइटी, 20/1बी, लालबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता	8.14	7.92	8.98	0
114.	तिलजाला सेड, 6सी राइफल रेंज रोड, कलकत्ता	0	1.74	7.6	0
115.	विवेकानन्द एजूकेशन सोसाइटी, 13/3, कालीचरणदत्त रोड, कलकत्ता	2.92	7.92	7.02	4.03
116.	वेस्ट बंगाल काउंसिल फार चाइल्ड वेल्फेयर, 42 रमेश मित्रा रोड, कलकत्ता	16.1	27.16	21.9	0
117.	सांग आफ यूनिटी एंड लिबर्टी, 5/3, गोप लेन, कलकत्ता	19.91	6.66	16.32	0
118.	जन शिक्षा प्रचार केन्द्र 57बी, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता	0	16.75	15.04	0
119.	यूनाइटेड बस्ती डेवलपमेंट एसोसिएशन, 6/1ए, दिल्ली सीमपुर रोड, कलकत्ता	0	9.85	6.96	0
120.	सोसाइटी टू एजूकेशन एंड इनवायरमेंट डेवलपमेंट, 150, जी.टी. रोड़, साऊथ हावड़ा	9.24	7.38	8.1	0
121.	पीपुल्स यूनियन फार डेवलपमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन, 30/3ए, एनएस दत्त रोड, हावड़ा	9.65	9.37	9.84	0
122.	हरिजन सेवक संघ, 97/3, नस्कर पारा रोड, घुरून, हावड़ा	0	1.06	3.39	0
123.	नेशनल काउंसिल आफ वीमेन इन इंडिया, 166, वीपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट, कलकत्ता	6.48	0	0	0
124.	गन उन्नयन परिषद, 10, गोमेश लेन, कलकत्ता	5.71	13.38	8.93	0
125.	प्रांतिक जन विकास समिति, ईसी-163, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता	5.4	8.21	8.35	0
126.	कलकत्ता सोसल प्रोजेक्ट, 172/3, रास बिहारी एवेन्यू, पोस्ट रास बिहारी, कलकत्ता	5.34	2.56	8.31	0
127.	वेस्ट बंगाल सिड्यूल कास्ट ट्राइब्स एंड माइनोरिटी वेल्फेयर, 90-ए/1बी, सुरेन सरकार रोड, कोलकाता	0	0	7.3	4.98
128.	उत्थी फाउंडेशन इंडिया, पी-125, मैट्रोपोलिटन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सेक्टर-ए, पोस्ट-धापा, 24 परगना (साउथ)	0	3.57	0	0

1	2	3	4	5	6
चंडीगढ़					
129.	यूथ टेक्नीकल ट्रेनिंग सेंटर सोसाइटी रूम नं. 13, करुणा सदन, सेक्टर, 11बी चंडीगढ़	9	0	0	7.37
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली					
130.	सेवा भारती, केशव सेवा केन्द्र, कलन्दर कालोनी, दिलशाद विहार, दिल्ली	3	1.58	6.57	0
131.	सलाम बालक ट्रस्ट, ए-12/5, वसन्त विहार, नई दिल्ली	8.89	12.42	18.38	0
132.	प्रयास एफ-आई-एक्स, डीडीए फ्लैट्स, जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन के नजदीक, दिल्ली	30.93	21.34	28.08	0
133.	बाल सहयोग, कर्नाटक सर्कस, नई दिल्ली	7.21	0	11.79	0
134.	इंडियन काउंसिल फार चाइल्ड वेल्फेयर, 4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली	4.08	0	3.47	4.8
135.	एसोसिएशन फार सोसल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेटिव एक्शन बाई यूथ्स (आश्रय), बस्ती विकास केन्द्र टैगोर रोड, कमला मार्केट, नई दिल्ली	0	1.13	0	0
136.	डान बोस्को आसालयम, ओल्ड नजफगढ़ रोड, पालम गांव, दिल्ली	0	0.74	5.74	0
137.	भारतीय परिवर्धन संस्था, डी बस्ती विकास केन्द्र, नन्द नगरी, दिल्ली	0	0	0.74	0.74

सेट टाप बाक्स की उपलब्धता

3315. श्री टी. गोविन्दन:
श्री जे.एस. बराड़:
श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री अधीर चौधरी:
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्री विनय कुमार सोराके:
श्री सईदुज्जमा:
डा. चरण दास महंत:
श्री भास्करराव पाटील:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेट टाप बाक्स केबल आपरेटरों के पास ही उपलब्ध होंगे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प देने तथा केबल आपरेटरों की एकाधिकारवादी गतिविधियों को रोकने हेतु सेट टाप बाक्स को खुले बाजार में उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) बाजार में सेट टाप बाक्स उपलब्ध कराने हेतु क्या समय सीमा तैयार की गई है;

(च) क्या सरकार का प्रस्ताव संयुक्त परिवारों में एक ही घर में रह रहे और एक से अधिक टी.वी. रखने वाले समूह उपभोक्ताओं हेतु कोई प्रावधान करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उपभोक्ताओं के पास डी.टी.एल. जैसे अन्य कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (छ) सेट टाप बाक्स उपभोक्ता को उसके केबल आपरेटर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यदि उपभोक्ता एक ही बहु प्रणाली संचालक के केबल आपरेटर के सेवा क्षेत्र में चला जाता है, तो वह अपने सेट टाप बाक्स को अपने नए स्थान पर केबल आपरेटर द्वारा चालू करा सकेगा। यदि बहुत प्रणाली संचालक बदल जाता है तो उपभोक्ता अपने केबल आपरेटर को सेट टाप बाक्स वापस कर सकता है और अपने नए स्थान पर केबल आपरेटर से एक नया सेट टाप बाक्स खरीद/किराए पर ले सकता है।

शुरू में सेट टाप बाक्सों का आयात बहु प्रणाली संचालकों द्वारा किया जाएगा। तदनुसार स्वदेशी उत्पादन में तेजी आने की आशा है।

(ज) जी, हां। डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवा संचालन हेतु दिशानिर्देश सरकार द्वारा मार्च 2001 में जारी किए गए थे और अभी तक चार आवेदन प्राप्त हुए हैं। डायरेक्ट-टु-होम और सशर्त पहुंच प्रणाली के दोनों विकल्प उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे।

[हिन्दी]

मीडिया नीति के लिए मंत्री समूह

3316. श्री अधीर चौधरी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ बदलाव लाने के लिए मीडिया नीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए एक मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समूह द्वारा अपना कार्य कब से शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसा बदलाव लाने के बाद मीडिया को कितनी राहत मिलने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

संयुक्त अभ्यास

3317. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और अमरीका एवं भारत और कंपनी के बीच अब तक कितने संयुक्त नौसेना, वायुसेना और सैन्य अभ्यास हुए हैं;

(ख) इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय सेना और इजराइली सेना का कोई संयुक्त अभ्यास करने का कोई प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) भारत और अमेरिका की सेनाओं ने 2002 तथा 2003 के दौरान अभी तक चार अभ्यास किए हैं, जबकि दोनों देशों की नौसेनाओं ने 1992 से 2003 तक छह बड़े अभ्यासों में भाग लिया है। भारतीय वायु सेना ने 2002 तथा 2003 के दौरान अब तक 5 अभ्यासों में भाग लिया है जिसमें से तीन अभ्यासों में दोनों देशों की सेनाएं शामिल थीं। जुलाई, 2002 में कोच्चि में पोर्ट काल के दौरान भारत तथा जर्मनी के नौसेना पोतों के बीच हुए एक यात्रा अभ्यास को छोड़कर, भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने जर्मनी की सशस्त्र सेनाओं के साथ कोई अभ्यास नहीं किया है।

(ख) इस संबंध में विशिष्ट ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्र के हित में नहीं होगा।

(ग) जी, नहीं।

बी.एस.सी.एल. में कर्मचारियों के सांविधिक देय

3318. श्री सुनील खां: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार/कंपनी द्वारा ऐसे विनिवेश किए जाने से पहले बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों से संबंधित भविष्य निधि, उपदान, भविष्य निधि और उपदान पर ब्याज, वेतन/मजदूरी में संशोधन की बकाया धनराशि जैसे सांविधिक देयों का परिसमापन किया जाएगा;

(ख) यदि नहीं, तो कर्मचारियों को इन भुगतानों को किस तरह से किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ऐसे विनिवेश से पहले कर्मचारियों से संबंधित देनदारियों का परिसमापन कर बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड की आस्तियों का इकाइवार पुनर्मूल्यांकन कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या कतिपय समाचार पत्रों में हाल में प्रकाशित रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले सूचना के प्रकाशन के अनुसार ऐसे विनिवेश से पूर्व बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड की इकाइयों की आस्तियों/उपकरणों की बिक्री के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते): (क) से (ग) सरकार बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों के बकायों का भुगतान करने के लिए समय-समय पर निधियां

मुहैया करती रही है। हालांकि, सरकार विनिवेश के समय कर्मचारियों के ग्राह्य बकायों के भुगतान का ध्यान रखेगी।

(घ) और (ङ) ईकाइवार परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन विनिवेश के एक आवश्यक घटक के रूप में किया जाता है। हालांकि, बी.आई.एफ.आर. की पुनरुद्धार योजना के अनुसार, कुछ परिसम्पत्तियों का निपटान किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। ...*(व्यवधान)* राज्य सभा के चेयरमैन के बारे में यहां जो कमेंट्स किया है, ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: महोदय, हमने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप गड़बड़ी भी करेंगे और नोटिस भी देंगे। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे प्वाइंट आफ आर्डर सुनने दें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे उनके व्यवस्था के प्रश्न को अवश्य सुनना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, उनके वहां दी हुई रूलिंग के बारे में यहां जो कमेंट्स किए गए, वे बिलकुल गलत, अशोभनीय और अक्षम्य अपराध है। ...*(व्यवधान)* राज्य सभा के चेयरमैन का रूलिंग यहां डिसकस हो और यहां की रूलिंग वहां डिसकस हो, यह नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)* इस तरह से कहीं डिसकस नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)* यहां जो कुछ चेयरमैन के बारे में कहा है, उस पर आप अपनी रूलिंग दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02 बजे

(इस समय श्री के.एच. मुनियप्पा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, आप अपनी रूलिंग दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): महोदय, इस तरह से यहां चर्चा होगी? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): लोक सभा के प्राधिकार का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा स्थगित होने से पूर्व श्रीमती सुषमा स्वराज ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनकी मंशा यह थी कि कुछ शब्द दूसरे सदन के सदस्य के विरुद्ध बोले गए और दूसरे सदन के सभापति के विरुद्ध भी कुछ कहा गया था।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: क्या दूसरे हाउस के खिलाफ इस तरह बोलेंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः उनकी यह राय है। यह मैं नहीं कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यदि ऐसा कुछ भी है तो मैं निश्चित रूप से उसे सभा के कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। यह नियम 352 और 354 के अनुसार है जिसे मैंने देखा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः डा. विजय कुमार मल्होत्रा, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? कृपया उसे दोहराएं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, राज्य सभा के चेयरमैन की रूलिंग के बारे में आपने कह दिया। *...(व्यवधान)* पीएसी के बारे में आपने जो रूलिंग देनी थी, वह आप देंगे या नहीं, यह मेरा कहना है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी-अपनी जगहों पर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में किसी नारे को सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः दूरदर्शन प्रसारण बंद किया जाए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) सेना अधिनियम, 1950 की धारा 193क के अंतर्गत सेना (संशोधन) नियम, 2003, जो 24 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 08(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7942/2003]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7943/2003]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7944/2003]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): महोदय, मैं आयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7945/2003]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7946/2003]

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7947/2003]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) जुलाई, 1999 से जून, 2000 तक की अवधि के लिए कमिश्नर फार लिंग्विस्टिक्स माइनारिटीज इन इंडिया के 38वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन के व्याख्यात्मक टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7948/2003]

अपराह्न 12.05 बजे

लोक लेखा समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह (जालौर): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) "सालारजंग म्यूजियम" के बारे में छठा प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा)।

(2) "जनता क्लोथ स्कीम" के बारे में सातवां प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा)।

(3) "संघ सरकार विनियोग लेखे (दूरसंचार सेवाएं - 1994-95)" के बारे में नौवां प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा)।

(4) "संघ सरकार विनियोग लेखे (रेल-1996-97)" के बारे में इक्तीसवां प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.5½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के रक्षा मंत्रालय के संबंध में रक्षा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सैन्य भागीदारी अनुपात नीति और संदर्श के बारे में 17वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठक के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.5$^{3}/_{4}$ बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करती हूं कि सोमवार, 18 अगस्त, 2003 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. वर्ष 2003-2004 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान।
3. विनियोग (रेल) संख्या 4 विधेयक, 2003 का पुरः स्थापन, विचार और पारित करना।
4. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

(1) वाणिज्य पोत-परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2003

(2) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2003

(3) रेल (संशोधन) विधेयक, 2003

(4) विदेशी (संशोधन) विधेयक, 2003

5. भारत के महा-रजिस्ट्रार के कार्यालय में कम्प्यूटर के पद के लिए वेतनमानों के संबंध में सी.ए. संदर्भ संख्या 1/1998 के लिए माध्यस्थ्य पंचाट की निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, श्री सुनी खां, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री बसु देव आचार्य, डा. वी. सरोजा, श्री एस. मुरूगेसन, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय तथा प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा भी लिखित निवेदन किए गए हैं। इन सभी निवेदनों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

...*(व्यवधान)*

***श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:-

*सभा पटल पर रखा माना गया।

1. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता की स्थिति के कारण काजू फैक्ट्रियों के बंद होने के कारण लगभग 5 लाख काजू कामगारों, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं को रोजगार से हटा दिया गया है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध है।
2. केन्द्र सरकार द्वारा नारियल जटा उद्योग के विकास हेतु सभी प्रकार की राजसहायता बंद किए जाने के कारण इस उद्योग के लगभग छह लाख कामगार बेरोजगार हो गए हैं। कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को इस प्राचीन कुटीर उद्योग को बर्बादी से बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

***श्री सुनील खां** (दुर्गापुर): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:-

(1) पश्चिम बंगाल में नदियों के तटबंध के कटाव से गम्भीर स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे कि जन-धन की हानि हो रही है। पश्चिम बंगाल में दामोदर, गंगा और अन्य नदियों में तल अपकर्षण की आवश्यकता है।

(2) एच.एफ.सी.एल. दुर्गापुर एकक के क्वाटरों की मूल्य निर्धारण समस्या के शीघ्र निपटान की आवश्यकता है।

***श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:-

(1) माल्दा, मुर्शिदाबाद, हुगली, हावड़ा और अन्य जिलों में गंगा नदी के भारी कटाव के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। पानी में डूबे कई गांवों और धान के खेतों में भारी दरारें पड़ गयी हैं। हजारों लोग कठिनाई में हैं। सरकार द्वारा तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।

(2) उत्तर प्रदेश में दलितों पर हमले में 70 लोग घायल हो गए और वहां व्यापक असंतोष और तनाव है, इस पर अवश्य चर्चा की जानी चाहिए।

***श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

(1) भारत आपथाल्मिक उन्नास लिमिटेड, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल देश में फिलिंट बटन का विनिर्माण करने वाली एकमात्र इकाई है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने इस कंपनी को बंद करने का आदेश दिया है

*सभा पटल पर रखा माना गया।

क्योंकि जी.ओ.आई. अपने पुनरुद्धार हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असफल रही है। इस यूनिट का 29 करोड़ रुपये के निवेश से पुनरुद्धार किया जा सकता है। जी.ओ.आई. को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा पारित आदेश की समीक्षा हेतु ए.ए.आई.एफ.आर. से सम्पर्क करना चाहिए।

(2) संथाली भाषा देश की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। यह भाषा एक करोड़ लोगों से भी अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसका अपना साहित्य है और इस भाषा को विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इस भाषा को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इस भाषा को संवैधानिक संशोधन विधेयक लाकर संविधान की आठवीं सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

***डा. वी. सरोजा** (रासीपुरम): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:-

(1) महिला आरक्षण विधेयक को बिना किसी देरी के पारित करने की आवश्यकता।

(2) दिनांक 7 अगस्त, 2003 के 'दि हिन्दू' में ''डी आर डी ओ मैन क्वेशचण्ड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर चर्चा की आवश्यकता।

***श्री एस. मुरूगेसन** (तेनकासी): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को भी शामिल किया जाए:-

(1) चैन्नई और कन्याकुमारी के बीच रेल लाइन का पूर्ण विद्युतीकरण करने की आवश्यकता।

(2) चैन्नई और कन्याकुमारी के बीच लोकहित में भारी यातायात और इस मार्ग पर सभी रेलगाड़ियों के अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए रेल लाइन के दोहरीकरण की आवश्यकता।

[हिन्दी]

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ने की कृपा की जाये:-

1. दामोदर घाटी निगम के बोकारो थर्मल पावर स्टेशन 'ए' प्लांट जो करीब दो वर्षों से बंद है, को शीघ्र चालू कराने और दामोदर घाटी निगम में करीब दस वर्षों से मृत कर्मचारियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लम्बित मामला एवं प्रबंधन की हठधर्मिता के कारण भूखे मर रहे आश्रितों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान कराने की अपेक्षा।

2. भारतीय इस्पात प्राधिकरण के सभी अनुषंगी कंपनियों, खासकर बोकारो स्टील प्लांट में कार्य में तैनाती के दौरान मृत्यु के अलावा नौकरी अवधि के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने और ऐसे लम्बित मामले का शीघ्र निष्पादन करने की अपेक्षा।

***प्रो. रासासिंह रावत** (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें-

1. अजमेर (राजस्थान) की आर्थिक व्यवस्था के मूल आधार लोको एवं कैरीज कारखानों (रेलवे) को ब्राडगेज के अनुरूप अधिकाधिक कार्य दिए जाने तथा रेलवे कर्मचारियों की छंटनी नहीं किए जाने की आवश्यकता।

2. अजमेर के तारागढ़ स्थित एच.पी.टी. टीवी ट्रांसमीटर के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराकर चालू किए जाने की आवश्यकता।

अपराह्न 12.06 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बाल्को और माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा कर्मकारों के हितों की रक्षा करने संबंधी करार का उल्लंघन किए जाने से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अगली मद श्री बसुदेव आचार्य द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं विनिवेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर

*सभा पटल पर रखा माना गया।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

''बाल्को और माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड' के प्रबंधन द्वारा कर्मकारों के हितों की रक्षा करने संबंधी करार का उल्लंघन किए जाने से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम।''

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप सभा पटल पर वक्तव्य रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): महोदय, मैं सभा पटल पर वक्तव्य रखता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वक्तव्य को सभा पटल पर रखा जाता है।

...*(व्यवधान)*

***श्री अरुण शौरी:** महोदय, अनुकूल बिक्री के सभी मामलों में कर्मचारियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनुकूल साझीदार के साथ सम्पन्न सौदा करारों में पर्याप्त उपबन्ध किए जाते हैं। बाल्को के उपबन्धों के संबंध में यह सुनिश्चित किया गया था कि लागू विनियमनों तथा कानून के अनुसरण में बर्खास्तगी अथवा सेवा समाप्ति को छोड़कर समापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक किसी प्रकार की कोई छंटनी नहीं की जाएगी, यह कि कार्य बल में किसी भी प्रकार की पुनर्संरचना कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा की गई सिफारिश के तरीके से ही क्रियान्वित की जाएगी और कम्पनी के कर्मचारियों की संख्या में किसी प्रकार की कमी करने की दशा में अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी अपने कर्मचारियों को ऐसी शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प की पेशकश करेगा जो विनिवेश से ठीक पहले कम्पनी द्वारा प्रदान की जा रही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से कम अनुकूल न हो। करार को किसी प्रकार भंग करने के लिए दण्ड देने के भी पर्याप्त उपबंध मौजूद हैं। इसके अलावा, करार के विधिक अंश में यह भी कहा गया है कि अनुकूल साझीदार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा सामाजिक रूप से उपेक्षित अन्य वर्गों के व्यक्तियों को नौकरी के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के हर संभव प्रयास करेगा और यह कि कम्पनी के कर्मचारियों की संख्या में किसी प्रकार की कमी करने की दशा में अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की छंटनी अन्त में हो। कम्पनी के कर्मचारियों को, कम्पनी की इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत तक बेचने का उपबन्ध भी जोड़ा गया था। माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के मामले में, शेयरधारक करार में यह व्यवस्था की गई है कि करार की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक, तब तक कोई छंटनी नहीं की जाएगी जब तक प्रभावित कर्मचारियों को ऐसे लाभ प्रदान न कर दिए जाएं जो विनिवेश से ठीक पहले कम्पनी द्वारा प्रदान की जा रही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अथवा कानून के अधीन उपलब्ध लाभ से अधिक न हों।

बाल्को के मामले में सौदा करार 2 मार्च, 2001 को सम्पन्न किया गया था और कर्मचारियों को हित-संरक्षण प्रदान करने के लिए ये उपबन्ध 1 मार्च, 2004 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होते रहेंगे। माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के मामले में यह करार 31 जनवरी, 2000 को सम्पन्न किया गया था। कर्मचारियों की छंटनी न करने का उपबन्ध करार की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था। भारत सरकार ने सौदा करारों में उपलब्ध विक्रय विकल्प की प्रक्रिया के माध्यम से 28 नवम्बर, 2002 को 25.995 प्रतिशत की समस्त अवशिष्ट इक्विटी बेच दी और वह कम्पनी से बाहर हो गई।

माननीय प्रधानमंत्री के साथ 18 अक्तूबर, 2002 को आयोजित केन्द्रीय श्रमिक संघ की बैठक के दौरान श्रमिक संघ के कुछ नेताओं ने शिकायत की थी कि भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड और माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के कामगारों को न्यायोचित व्यवहार किए बिना हटाया गया है/छंटनी की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि श्रमिक संघों, नियोक्ताओं तथा सरकार के प्रतिनिधियों से युक्त एक छोटे से दल का गठन इन उद्योगों का दौरा करने तथा इस मसले की जांच-पड़ताल करने के लिए किया जाएगा। तदनुसार, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री हासुभाई धावे, भारत नियोक्ता परिसंघ के महासचिव शरद एस. पाटिल, विनिवेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री संजीव एस. अहलुवालिया और श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री के. चन्द्रामाली से युक्त एक दल का गठन किया गया है। इस दल ने अभी तक 13-14 फरवरी, 2003 को बाल्को के मुख्यालय/कोरबा स्थित फैक्टरी और 29 अप्रैल, 2003 को एमएफआईएल की मुम्बई में स्थित एक इकाई का दौरा किया है। समिति की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

बाल्को के मामले में विनिवेश मंत्री के प्रतिनिधि ने यह बताया है कि ऐसे कोई महत्वपूर्ण श्रम संबंधी विवाद नहीं थे जिनकी पहचान विनिवेश के संबंध में अनसुलझे होने के रूप में की जा सके। विनिवेश के बाद कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की गई स्वैच्छिक

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7949/2003।

[श्री अरुण शौरी]

सेवानिवृत्ति योजना का लाभ पांच किस्तों में दिया जा रहा है क्योंकि मार्च तथा अप्रैल, 2001 में विनिवेश के तत्काल बाद 67 दिवसीय हड़ताल होने के कारण कम्पनी नकदी धन के अभाव का सामना कर रही थी। तथापि, कर्मचारियों के साथ परामर्श करने के बाद कम्पनी ने पांच/छः किस्तों में देय एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरम्भ की थी और उसके बाद विलम्बित अदायगियों पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज का भी भुगतान किया है। विनिवेश के तत्काल बाद प्रबंधन ने उस वेतन समझौते पर बातचीत की जो 1999 से लम्बित पड़ा था। दस वर्ष की सामान्य अवधि की तुलना में इस समझौते को केवल पांच वर्ष के लिए सीमित किया गया और इस समझौते के कारण कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ। माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के मामले में कम्पनी के प्रबंधन ने इस बात से इंकार किया है कि विनिवेश के बाद कम्पनी द्वारा प्रदान की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जिसमें 853 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना दी गई, किसी भी प्रकार से अनिवार्य थी। जैसा कि कम्पनी द्वारा बताया गया है, विनिवेश के बाद क्रियान्वित की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना विनिवेश से पूर्व मानक से अधिक लाभकारी थी। कर्मचारियों के साथ नए प्रबंधन के साथ सहमत नए वेतन समझौते के अंतर्गत विनिवेश के बाद, वेतन के औसत स्तर में, विनिवेश के समय 6,200 रुपए प्रतिमाह के स्तर से 8,000 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी हुई है। माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि अनुकूल साझीदार ने परिसम्पत्तियां बेची हैं और शेयर धारक करार की शर्तों के उल्लंघन के मामले को तथ्य का पता लगाने वाली समिति द्वारा देखा जाएगा।

विनिवेश के बाद बाल्को तथा एमएफआईएल, दोनों के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। सरकार को यह बताया गया है कि बाल्को के मामले में एल्युमिनियम की मौजूदा एक लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता में 6,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 4 गुना विस्तार किया जाएगा। उत्पादित एल्युमिनियम के विभिन्न आदान सामग्रियों की लागत कम की गई है जिसके परिणामस्वरूप प्रति मिट्रिक टन की विनिर्माण लागत 38,672 रुपए से घटकर 25,597 रुपए प्रति मिट्रिक टन हो गई है। क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए गर्म धातु का उत्पादन दिसम्बर, 2002 में 8,490 मिट्रिक टन के शिखर पर पहुंच गया, जो आरम्भ से लेकर अब तक दूसरा उच्चतम है और 1986 के बाद उच्चतम है। इसके परिणामस्वरूप, लाभ के स्तर में भी वृद्धि हुई है। विनिवेश से पूर्व, एमएफआईएल एक घाटे में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। अनुकूल साझीदार ने वित्तीय पुनर्संरचना के लिए निधियां लगाई हैं और उसने सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और आधुनिकीकरण पर लगभग 12 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विनिवेश के बाद इसकी बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में, कम्पनी ने बिक्री में 52 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। अनुकूल साझीदार ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड के समक्ष यह कहा है कि यह कम्पनी दिसम्बर, 2002 के अन्त तक लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी बन जाएगी और यह कि दिसम्बर, 2007 तक इसका निवल मूल्य सकारात्मक हो जाएगा। इन कम्पनियों के कार्य-निष्पादन में आया सुधार यह दर्शाता है कि इनकी कार्य-कुशलता में भारी वृद्धि हुई है और ये कंपनियां अब प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम हैं, जो रोजगार के अवसर जुटाने की बात को सुनिश्चित करने का एकमात्र स्थायी रास्ता है।

अध्यक्ष महोदयः श्री बसुदेव आचार्य जी, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, पहले आप सभा में व्यवस्था कायम करें। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री का ध्यान कैसे आकृष्ट कर सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बसुदेव आचार्य जी, आप मंत्री जी से प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं मद संख्या 12 को लेता हूं। श्री नीतीश कुमार जी।

अपराह्न 12.08 बजे

अनुपूरक अनुदान की मांग—रेल, 2003-04

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं वर्ष 2003-04 के बजट (रेल) के बारे में अनुपूरक अनुदान की मांग को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7943ए/2003]

अपराह्न 12.09 बजे

कार्यमंत्रणा समिति

चौवनवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 54वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी-अपनी जगह पर जाइये, मुझे सदन का कार्य निपटाना है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मदें हैं, जिनका निपटान किया जाना है। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं एक बार फिर आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी-अपनी जगह पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा के समक्ष महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य है। मैं आप सभी से अपने-अपने स्थान पर जाने के लिए अनुरोध करता हूं। हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विचार करना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कल, हमने इस महत्वपूर्ण कार्य को नहीं लिया था। मैं आज इसे लेने का इच्छुक हूं। कृपया सहयोग कीजिए। देश के वित्त से संबंधित इस महत्वपूर्ण कार्य पर चर्चा करने की परंपरा रही है। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंट्री डिमांड्स देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे पास कराइये। ...*(व्यवधान)* इनके बिना सारे देश का काम रुक जायेगा। ...*(व्यवधान)* आप सप्लीमैंट्री डिमांड्स पर चर्चा शुरू कराइये। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, आप सप्लीमैंट्री डिमांड्स पर चर्चा शुरू कराइये। ...*(व्यवधान)* ये केवल राजनीति कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पिछली बार, अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं की गई थी। आज मैं अनुदानों की मांगों पर चर्चा कराना चाहता हूं। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। सरकारी कार्य होने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। यह आवश्यक है कि हम सभा में किए जाने वाले वित्तीय कार्य को होने दें। यह परंपरा नहीं है। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 1.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): अध्यक्ष महोदय, प्रातः विवाद का एक मुद्दा उठाया गया था। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः हां, मैं आपको अनुमति देने के लिए तैयार हूं परन्तु कृपया आप अपने स्थान से बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरीः महोदय, प्रातः विवाद था एक मुद्दा उठाया गया था।

अध्यक्ष महोदयः प्रातः किसने विवाद का मुद्दा उठाया था?

श्री अधीर चौधरीः हमारे दल से श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने एक मुद्दा उठाया था और आपने यह स्वीकार किया था कि उनके तर्क में कुछ प्रासंगिकता है।

अध्यक्ष महोदयः मैंने स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार किया था।

श्री अधीर चौधरीः परन्तु आपने मुद्दे को सुलझाया नहीं है। इसीलिए हम उत्तेजित हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः क्या आप चाहते हैं कि यह मुद्दा सुलझाया जाए?

श्री अधीर चौधरीः आपने इस मुद्दे पर अपना विनिर्णय नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी बात काफी धैर्यपूर्वक सुनी है। इस सभा में कोई भी आपकी टिप्पणियों पर प्रश्न नहीं उठा सकता परन्तु मैं नियम 354 के अधीन आपका संरक्षण चाहता हूं। नियम 354 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य सभा की कार्यवाही को उद्धृत करने की अनुज्ञा देते हैं, जिसे मैंने उद्धृत नहीं किया है- तो ऐसा करना प्रक्रिया संबंधी व्यवस्था के विरुद्ध नहीं होगा। नियम 354 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पहले से ही एक निर्णय है कि इस पर इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है। नियम 354 के अधीन इसकी अनुमति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः डा. विजय कुमार मल्होत्रा, मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्राः महोदय, राज्य सभा में दिए गए सभापति के निर्णय पर कहीं भी चर्चा अथवा टिप्पणी नहीं की जा सकती। मैं यही बात कहना चाहता था। ...*(व्यवधान)* यह अक्षम्य है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, मेरा मात्र इसी बात पर विवाद था कि क्या इस सभा की शक्तियां भंग हो गयी हैं। मेरा यही कहना था। जब मैंने सूचना दी थी, तो मुझे नियम 354 के तहत अनुमति मिली थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मेरे विचार से यह मुद्दा समाप्त हो गया है। मैं निर्णय भी दे चुका हूं।

अपराह्न 1.32 बजे

(इस समय, श्री अधीर चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.33 बजे

(इस समय, श्री समीक लाहिरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, कृपया आप इस मुद्दे पर अपना निर्णय दें। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर-पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार संबंधी सूचना दी है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मैंने प्रिविलेज मोशन सबमिट किया है, मुझे उसकी अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)* **मेरे साथ 6 सासदों ने भी प्रिविलेज मोशन सबमिट किया है।** ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.34 बजे

(इस समय, श्रीमती कांति सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.34 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों को काफी समय से नहीं निपटाया गया है। हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के अधिकार का अतिक्रमण करना नहीं चाहते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा को जारी रखा जाए। हम सहयोग करेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): धन्यवाद। बड़ी मुश्किल से सद्बुद्धि आई। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब और प्रवोक न करें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, दुर्भाग्यवश वह संसदीय लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी की परम्परा को नहीं समझते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आइए, हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा प्रारम्भ करें। हम पहले ही, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों को दो बार टाल चुके हैं। इसलिए, अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को चर्चा के लिए लेंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 22 को लेते हैं। श्री डेन्जिन बी. एटकिन्सन।

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 6 अगस्त, 2003 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी संगठनों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 6 अगस्त, 2003 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, विधेयक पुर:स्थापन के लिए लिए जाएंगे:

श्री एच.जी. रामुलू	–	उपस्थित नहीं
डा. एस. जगतरक्षकन	–	उपस्थित नहीं
श्री विजय संकेश्वर	–	उपस्थित नहीं
डा. नीतिश सेन गुप्ता	–	उपस्थित नहीं
श्री इकबाल अहमद सरडगी	–	उपस्थित नहीं

अपराह्न 2.05 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(एक) गंदी बस्तियां और झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र (बुनियादी सुख-सुविधाएं और अपसारण) विधेयक, *—जारी —अस्वीकृत*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा रामदास आठवले द्वारा 25 जुलाई, 2003 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी बोल रहे थे। वह उपस्थित नहीं हैं। अब श्री पवन कुमार बंसल बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): माननीय उपाध्यक्ष जी, यह विधेयक जो श्री रामदास आठवले जी ने पेश किया है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है और जब मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि यह सरकार गरीबों का हित अपने मन में नहीं रखती है और इनकी सोच में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। गरीब इस देश में कैसे रहता है, क्या उसकी दिक्कते हैं, क्या मुश्किलाते हैं, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। ये लोग अपनी नीतियों में बड़े-बड़े लोगों का तो ध्यान रखते हैं लेकिन देश का गरीब आदमी कहां बसता है, कैसे रहता है, किन परिस्थितियों में जीता है, यह इन्हें मालूम नहीं है। यह बात यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि अफसोस इस बात का है कि स्लम्स में, झुग्गी-झोंपड़ियों में लोग कैसे रहते हैं यह इन्हें मालूम नहीं है। वहां पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है और जीने की बुनियादी सहूलियतें वहां नहीं हैं। वहां बीमारी और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं।

पिछले दिनों इन्होंने दिल्ली और चंडीगढ़ में, जहां से मैं आता हूं झुग्गी-झोंपड़ियों को उजाड़ने का काम अपने जिम्मे लिया है। इन्होंने सोचा कि उन लोगों की गरीबी दूर नहीं कर सकते, उन्हें सुविधा नहीं दे सकते तो चुन-चुन कर उन लोगों की झुग्गी-झोंपड़ियों को गिरा दिया जाए। इससे उन लोगों को बहुत तकलीफों को सामना करना पड़ा है और उनकी तकलीफों और दुःख-दर्द का हिसाब लगाया नहीं जा सकता है। हम मानते हैं कि शहरों की सुंदरता बरकरार रखना जरूरी है लेकिन उसका समाधान गरीबों के घर गिराकर नहीं किया जा सकता है। हमारे मन में आशंका यह आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके अफसरान जानते हैं कि वे लोग हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे हैं और गरीबों के उत्थान के लिए, उनके दुःख-दर्द को समझने के लिए कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है और शायद यह काम उनको सबक सिखाने के लिए किया गया है।

उपाध्यक्ष जी, एक-दो घर या पचास घर नहीं बल्कि पूरी की पूरी कालोनियां पिछले दिनों उजाड़ दी गयी हैं। आप अतीत में जाएं तो हम इस बात को बार-बार कहते रहे हैं कि आवास योजना अच्छी बननी चाहिए और लोगों का जो हक बनता है उन्हें दिया जाना चाहिए। उन लगों को छोटे-छोटे मकान या जमीन दी जाए, जहां वे अपने रहने की व्यवस्था कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि यह देश एक है और सबको अधिकार है कि वह देश के किसी भी भाग में जाकर बस सकता है। मान लीजिए कि कहीं पर फैक्टरी लगनी है और वहां जाकर मजदूर निर्माण का कार्य करता है और आलीशान मकान या फैक्टरी बनाता है और देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान करता है तो उन मजदूरों का भी अधिकार बनता है कि उनका भी एक छोटा सा मकान हो। वे लोग ऐसे ही नहीं बस गये हैं। उनके बीच में भी दलाल पैदा हो गये हैं जो उनको जमीन बेचकर वहां बसाते रहे हैं और उनको विश्वास दिलाते रहे हैं कि वे कहीं पर स्थाई रूप से बस जाएंगे।

इंदिरा आवास योजना के तहत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यह बात अपने हाथ में ली थी कि कितने लोगों को मकान की जरूरत है और उनके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से मकान बनाए जाएं और उनको रहने के लिए छत दी जाए। लेकिन आज उसके विपरीत हो रहा है। शायद यह सरकार सोच रही है कि अगर उनके मकान या झुग्गी गिरा दी जाएंगी तो वे मजदूर लोग भाग जाएंगे क्योंकि ये सब कांग्रेस के वोट बैंक हैं। जहां तक वोट बैंक का सवाल है और अगर वह है भी तो गलत क्या है? जो लोग अपने बहुत से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनको विधान सभा या लोक सभा में चुनकर भेजते हैं तो उनका भी तो कोई हक बनता है। किसने आपको वोट दिया, किसने नहीं दिया, यह देखकर कार्रवाई करना गरीबों के साथ अन्याय करना है। मुझे यह कहने के लिए इसलिए विवश होना पड़ रहा है क्योंकि उन्हीं जगहों को चुना गया है जहां गरीब लोग चुनावों को प्रभावित करते हैं और रिलीफ के नाम पर या दूसरे तरीके से उनका शोषण किया जाता है और उन्हें नीची नजरों से देखा जाता है।

आज मन की इस सोच को बदलने की जरूरत है। यह सरकार अगर दावा करती है कि वह गरीबों के लिए सोचती है, तो मैं चाहूंगा कि यहां मंत्री महोदय खड़े होकर इस बात को कहें कि हम इस बिल के महत्व को समझते हैं और अगर ऐसा है, तो इस बिल को पास करवायें। इस बिल के माध्यम से माननीय सदस्य ने कहा है कि झुग्गी-झोपड़ी कलस्टर्स में बुनियादी सहूलियत

के नाम पर कोई चीज नहीं है। गन्दे पानी के बीच में लोग रहते हैं और उनको पीने का पानी तक नहीं मिलता है। पानी की निकासी तक का कोई इन्तजाम नहीं है। बिजली तक की व्यवस्था नहीं है और स्कूल व अस्पताल की तो बात ही अलग है।

अस्पताल के बारे में मैं अपने क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोगों ने बहुत कोशिश करके एक-एक डाक्टर की आठ डिसपैंसरीज बनवाई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी। अब उनको भी गिरा दिया गया है। वहां मंदिर थे, गुरुद्वारे थे। मंदिर के नाम पर उधर के साथी भड़क उठते हैं। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि अगर झुग्गी-झौंपड़ी में मंदिर हैं, तो उन मंदिरों को भी इज्जत के साथ देखना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत कार्य उन क्षेत्रों में हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार किस बात पर दावा करती है, किस बात पर कहती है कि हम गरीबों के रक्षक हैं और गरीबों के हित में सोचते हैं और उनके लिए ही कार्य करते हैं। इस सदन में इस बिल के माध्यम से, जो श्री रामदास आठवले जी ने प्रस्तुत किया है, हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है। यह देश सिर्फ अमीरों का ही देश नहीं है, गरीबों का भी देश है। अकसर यहां पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं 'यहां पर एक इंडिया है और दूसरा भारत है।' वह कौन सा भारत है और उस भारत के लिए आप क्या सोचते हैं। बाहर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहने से क्या देश में सब कुछ हो जाता है। उस भारत में बसने वाले लोग, गरीब इंसान जिनके पास सिर छुपाने तक के लिए जगह नहीं है, वे मेहनत करके, मजदूरी करके एक-दो रुपए में अपना पेट पालते हैं। वे बहुत नहीं, तो कम से कम इतना इन्तजाम कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में मकान एक ऐसी चीज है, अगर हम देश में सर्वे करवायें, तो पायेंगे कि जिन लोगों की अच्छी तनख्वाहें हैं, वे भी शायद अपना मकान नहीं खरीद सकते हैं। मैं उन लोगों की बात कह रहा हूं, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सर्दियों के दिनों में भी सड़कों पर सोते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे सारी जिन्दगी ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे।

[अनुवाद]

क्या वे जब तक पृथ्वी पर रहेंगे तब तक ऐसा ही जीवन व्यतीत करने के लिए अभिशप्त हैं? उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। इन लोगों के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मात्र बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। हमने इस सरकार को दुराग्रही और गरीबों की आवश्यकता के प्रति असंवेदनशील देखा है।

[हिन्दी]

मैं आपके जरिए दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप हम लोगों को यह विश्वास दिलायें कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है। देश में सर्वे करवा कर बहुत-बहुत रिपोर्ट्स अर्बन मंत्रालय की ओर से हमें प्राप्त होती हैं। एसे-ऐसे चमकीले कागज होते हैं, पता नहीं कहां से फोटो लेकर छापे जाते हैं। सरकार के चार साल पूरे हो गए हैं और इतने बड़े-बड़े इश्तिहार अखबारों में आ जाते हैं। यह भी देखने में आ रहा है कि अगर एक व्यक्ति आज एक मंत्रालय में है और कल दूसरे मंत्रालय में हैं और 365 दिन हो गए हैं, तो बहुत बड़ी-बड़ी किताबें छापी जाती हैं कि उन्होंने यह काम कर दिया। अगर उनका हिसाब लगाया जाए, तो पता चलेगा कि उतने पैसे से गरीब इंसानों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता था। इस दिशा में नहीं सोचा जा रहा है। मैं चाहूंगा कि जो काम पहले शुरू हुआ था, उस पर ध्यान देने की जरूरत है और उसको आगे ले जाने की जरूरत है।

आज यह देखने की जरूरत है कि गरीबों के विकास के लिए क्या किया जाए और इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यूनियन टैरेटरीज केन्द्र सरकार के अधीन हैं और दिल्ली को हम स्टेटहुड का दर्जा देने की बात कहते हैं, लेकिन यह अधिकार भी हम चुने हुए नुमाइंदों को नहीं देते हैं, जो वहां एसेम्बली में बैठे हैं। उस सरकार को भी नहीं देते हैं, जो यह फैसला कर सके। ऐसी स्थिति होने पर वहां की सरकार को मजबूर होकर कहना पड़ा कि हम केन्द्र की सरकार से मांग करते हैं कि उनके मकान न गिराए जायें। लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं सुना। यही स्थिति मेरे क्षेत्र में भी है। हम लोगों के कहने पर हमारी बात को किसी ने नहीं सुना। अगर हमने यह कह दिया कि केन्द्र की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, तो बहुत बड़े-बड़े बयान दिए गए कि यह नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ समय के बाद आपने देखा जो आपकी राय और मंशा थी वह आपके काम नहीं आएगी क्योंकि लोग आपके खिलाफ आवाज बुलन्द करके खड़े होने लगे हैं कि आप उनके साथ यह ज्यादती कर रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ? यहां से स्वामी साहब गए। उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद यह गिराना बंद कर दिया जाएगा। मैं उस बात से खुश हूं। दूसरे दिन आडवाणी साहब गए। उन्होंने जाकर ऐलान किया कि यह गिराना बंद कर दिया जाएगा। क्या यह सिद्ध नहीं हो जाता कि जो बात हम पहले कह रहे थे कि आप गिरा रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से हिदायत थी, आपकी तरफ से इशारा था, आप उस वक्त गरीबों के घर गिराते रहे। जब आपने देखा कि बात आपके उलट पड़ रही है, आपको विवश होना पड़ा और आपने उस बात को रोका। हमें खुशी है कि बात वहीं की वहीं रुक गई लेकिन रुकने से बहुत कुछ नहीं हो गया। जरूरत इस बात की है कि आप इस बात का सर्वेक्षण कीजिए कि कितने लोगों को वहां से बेघर कर दिया गया? आपको यह देखने की जरूरत थी कि गरीब मां-बाप के छोटे बच्चे, एक वर्ष के बच्चे, दो वर्ष के बच्चे, जोर की गर्मी पड़ रही है, वे ईंटों के ऊपर क्यों सो रहे हैं? एक महिला को बाहर ईंटों पर बच्चे को जन्म भी देना पड़ा क्योंकि उसके पास

[श्री पवन कुमार बंसल]

कोई जगह नहीं थी। आज भी मैं समझता हूं कि यदि आपके अन्दर इंसानियत है तो आप इसे देखें। मैं यहां जो एक-एक बात कह रहा हूं, वे फैक्ट्स हैं। आप वहां जाकर वैरिफाई कर सकते हैं। हम यहीं रिकवैस्ट करना चाहते हैं कि आप इस बात पर राजनीति नहीं करें। लोगों के साथ ऐसे अन्याय हुआ है। जिन को इस ढंग से गिरा दिया गया, आप उनके साथ न्याय करें। जो कानून बहुत वर्षों पहले बनाया गया था कि वे कट-आफ डेट है चंडीगढ़ में 8 दिसम्बर, 1996 तक, उस समय तक जो लोग वहां बसे हैं, उनको मकान दे दिए जाएंगे, उस पर भी अब रोक लगा दी गई है। आप उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आज हम आपसे यह मांग करते हैं कि उनकी स्कीम के तहत सहायता की जाए जो इन्दिरा गांधी जी ने बनायी थी। जैसा मैंने पहले कहा था उस वक्त सर्वेक्षण के बाद श्री राजीव गांधी ने इस बात पर जोर देकर कहा कि हाउसिंग प्राबलम बहुत बड़ी है। इसे देखते हुए उस समय ज्यादा अनुदान दिया गया था लेकिन आज उस पर रोक लगी है। केन्द्र सरकार के कनसालिडेटिड फंड आफ इंडिया में चंडीगढ़ से पैसा कहीं ज्यादा आता है। इसके मुकाबले उन पर कितना खर्च होता है? हम यह मांग करना चाहेंगे कि उसे देखते हुए जितना वहां के लोगों का अधिकार बनता है, उनको मकान दे दिए जाएं, अच्छे बना कर दे दिए जाएं। हर वक्त यही इल्जाम लगता है कि हम उनकी बात करते हैं।

इस बिल में यह भी कहा गया है कि लार्जर इंटरस्ट के लिए ऐसी जगहों को साफ-सुथरा रखा जाए और वहां के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि यदि कहीं ऐसी कालोनियां हैं तो सरकार का जिम्मा होगा। उसमें यह बात भी है कि उनका एक एनफोरसिबल राइट हो कि वह इस बात के लिए मांग कर सकें और हासिल कर सकें, उन्हें जगह-जगह जाने में परेशानी न हो, उनको अपना अधिकार कानून के तहत मिल जाए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस बात को मान कर इस विधेयक को पास कराएगी।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आपकी स्पीच पूरी नहीं हुई थी इसलिए आपको पहले बोलने का मौका मिलना चाहिए था। मैंने आपका नाम पुकारा था लेकिन आप यहां उपस्थित नहीं थे।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): इनको बाद में बोलने का मौका देना चाहिए था क्योंकि इनका नाम पुकारा था और यह उपस्थित नहीं थे। आप इन्हें कुछ तो सजा दिया करो।

उपाध्यक्ष महोदय: आप ऐसा मत कहिए। जब आपकी बोलने की बारी आएगी उस समय यह भी इंटरप्शन करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): *आप गरीबों के सवाल को सुनिए और उस पर अमल करिए। गरीबों का सवाल आपकी समझ में नहीं आएगा लेकिन हम उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे।*

उपाध्यक्ष महोदय, श्री गोपाल सिंह नेपाली हिन्दुस्तान के मशहूर कवि हुए हैं। मैं उनकी कविता से इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपने भाषण की शुरूआत करता हूं।

हिन्दी के मशहूर कवि श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की अध्यक्षता में दिल्ली में एक कवि सम्मेलन हो रहा था। उसमें कविवर गोपाल सिंह नेपाली ने अपनी कविता पढ़ी ''चन्द्र किरणों से महलों की दीवार चमकती रहती है, चांदनी झोंपड़ी से लिपट रात भर सिसकती रहती है'' उस समय एक कविवर की यह वाणी थी। तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू उस कवि सम्मेलन में उपस्थित थे। वह इस कविता की पंक्ति सुन कर वहां से चल पड़े। मतलब, कवि की वाणी में क्या पीड़ा है? श्री गोपाल सिंह नेपाली ने कहा ''दिन गए, बरस गए, यातना गई नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही'' फिर कहा कि ''श्याम की बंसी बजी, राम का धनुष चढ़ा, बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गई नहीं'' हिन्दुस्तान में एक से एक महामानव हुये हैं। भगवान बुद्ध ने सभी को ज्ञान का उपदेश दिया, राम के धनुष में अपार क्षमता थी, भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई। फिर भी गरीबी हटी नहीं, घटी नहीं, रुकी नहीं और गरीबी बढ़ रही है, निर्धनता कम नहीं हुई। एक पीड़ा है और इसी पीड़ा का बखान इस विधेयक में किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पांडवों के जमाने में हस्तिनापुर मुगल सल्तनत के समय दिल्ली राजधानी थी लेकिन अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता में बनाई। सन् 1912 में वे राजधानी दिल्ली ले आये। उस समय दिल्ली की आबादी 4 लाख थी जो आज बढ़कर एक करोड़ 44 लाख हो गई है। इतनी ज्यादा आबादी में वृद्धि का कारण है? गांव के गरीब और मेहनतकश लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता, वे महानगरों की ओर भागते हैं, शहरों की तरफ आते हैं। चाहे महानगर मुम्बई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे चैन्नई हो या दिल्ली हो, गरीब आदमी रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आते हैं। लेकिन इन गरीब लोगों के लिये मिनिमम वेजेज का कोई कानून नहीं है। उसे जीने के लिये हजार-बारह सौ रुपया महीने का मिलता है और वे बेचारे रोजगार में शामिल हो जाते हैं। कोई फैक्टरी में काम करता है, कोई बड़े आदमी के घर पर काम करता है, कोई फर्स पोंछने का काम करता है लेकिन दिल्ली जैसे शहर में उसे हजार-बारह सौ रुपये मिलेगा, रहने के लिये जगह कहां से पायेगा? लोग कहते हैं—रोटी, कपड़ा और मकान। ये जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें हैं। जब उसे काम मिलता है तो ये सब चीजें हजार-बारह सौ रुपये में कहां से मिलेंगी। एक कमरा किराया

पर लेने से एक हजार रुपया खर्च हो जाता है। फिर वह कोई खाली जमीन देखकर झुग्गी-झोंपनी डाल लेता है। कहीं से प्लास्टिक टांगकर जिन्दगी गुजर-बसर कर रहा होता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि गरीबों और मेहनतकश लोगों के प्रति जरा भी ममता है तो कितने लोग दिनभर मजदूरी करके रात में फुटपाथ पर सो रहे होते हैं। वे लोग पानी पीकर या कुछ खाकर गुजारा कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं ऐसे लोगों का सर्वेक्षण करती? स्वास्थ्य विभाग और फूड प्रोसैसिंग विभाग के अफसर बड़े-बड़े वेतन खा रहे हैं जबकि एन.जी.ओ. ने पेय पदार्थ में जहरीला पदार्थ का पता लगाया है। उसी प्रकार गरीबी उन्मूलन, शहरी गरीब उन्मूलन, झुग्गी-झोंपड़ी विभाग, डीडीए में घोटाला पर घोटाला हो रहा है जबकि गरीब आदमी फुटपाथ पर सो रहे हैं। क्या भारत सरकार के पास इसका कोई हिसाब-किताब है? उसे रहने के लिये कहीं कोई आश्रय नहीं है और रात में पुलिस उन्हें लावारिस जानकर धारा 109 में जेल में बंद करने पर आमदा होती है। उन लोगों का कोई घर-द्वार नहीं है, रहने का कोई स्थान नहीं है और पुलिस 109 दफा लगाकर जेल भेज देती है, क्या यही सरकार का कानून है? जब दिल्ली में जहां-तहां ये गरीब और मेहनतकश लोग बस गये, सरकार द्वारा कहा गया—दिल्ली को सुन्दर बनाओ, झुग्गी-झोंपड़ी को उजाड़ो।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में वजीरपुर एक जगह है। वह रेल विभाग की जमीन पर बसा हुआ है। ममता जी जब रेल मंत्री थी, रेल विभाग के अफसरों का हुक्म हुआ कि यह जमीन खाली कराई जाये। वहां बुलडोजर भेजे गये। इतनी पुलिस लगाई गई, लगता था मानो हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है। गरीब लोगों के घर ढहाने के लिये बुलडोजर मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह धरने पर बैठ गये। एक अस्वस्थ व्यक्ति धरने पर बैठने जा रहा है और हम लोग मैदान में लड़ने-भिड़ने वाले घर पर बैठे रहें, यह कैसे हो सकता था। हम बुलडोजर के आगे जाकर खड़े हो गये, धरना दिया। हजारों लोग इकट्ठे हो गये, वह बुलडोजर का काम रुक गया, अभी भी रुका हुआ है। क्या फिर कानून बन जायेगा? उसी तरह से लक्ष्मीपुर मौहल्ला है। वहां पता चला कि बुलडोजर से तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहां वह दौड़े-दौड़े गये, लेकिन उनके वहां जाते-जाते भी पांच-सात घरों को तोड़ दिया। उनके बाल-बच्चे सड़क पर पड़े हैं, बेचारी बुढ़िया कलेजा पीट रही है। उसका सारा सामान, पोथी-पिटारी बाहर फेंक दिया। किसी बड़े आदमी को भी ऐसे उसके घर से निकाल बाहर कर दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। गरीब आदमी ने किसी तरह से रहने के लिए झुग्गी-झोंपड़ी की छांह बना ली है, लेकिन उसे बुलडोजर लगाकर, पुलिस लगाकर, फौज लगाकर ढहाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह अमानवीय काम है। यह गरीबों के प्रति दुश्मनी वाला काम है। सरकार बिना कोई विकल्प दिये हुए ऐसा कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान देने की जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं, यह हम सरकार से पूछना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने सुना है कि सरकार नेशनल स्लम पालिसी बनाने जा रही है। कहां है वह नेशनल स्लम पालिसी? एक राष्ट्रीय गंदी बस्ती नीति बननी चाहिए, जिससे मेहनतकश, मजदूर लोग, जिन्होंने दिल्ली को बनाया, जिनके द्वारा मेहनत करने से ईंटें बनती हैं, मेहनत, मजदूरी करने से सड़कें बनती हैं, जिनके पसीना बहाने से कारखानें चलते हैं, फैक्टरियां चलती हैं। जितना उत्पादन का काम होता है, चाहे कारखाना हो, किसानी हो, सब में मेहनतकश लोगों के द्वारा मेहनत करने से उत्पादन होता है। मेहनत करने वाले लोग, जिन्होंने दिल्ली को बनाया, उनके लिए कहते हैं कि उनके घर को ढहाओ, दिल्ली को सुन्दर बनाओ। दिल्ली को सुन्दर बनाने के लिए उन्हीं को यहां से हटाने, विदा करने, जुल्म और अत्याचार ढहाने और उसकी झुग्गी-झोंपड़ियां तोड़ने का काम हो रहा है। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं, जो अखबारों में आते रहते हैं। लेकिन गरीब की कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। उसी जमीन पर कई बड़े आदमी, जो मंत्रिमंडल के भी सदस्य हैं, सरकारी जमीन में उनके घर बने हुए हैं। लेकिन सरकारी अफसर उन्हें सलाम-सलाम कर रहे हैं और जो मेहनत, मजदूरी करने वाले गरीब आदमी वहां बसे हुए हैं, उन्हें निकालो, बाहर करो, उनके घर उजाड़ो, यह क्या नीति चल रही है। सरकार क्या नीति चला रही है। मेहनत करने वाले गरीब लोगों से सरकार को इतनी नफरत क्यों है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन्होंने दिल्ली का निर्माण किया, यदि ऐसे मेहनतकश लोग दिल्ली से चले जायेंगे तो यहां सभी बड़े आदमियों का रहना और जीना दूभर हो जायेगा। उनका घर बुहारने वाला कोई नहीं मिलेगा, उनके काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा, उनकी सेवा-सुश्रुसा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। उनके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। लेकिन उन लोगों से इन्हें इतनी घृणा है और उन्हें हटाकर दिल्ली को सुन्दर बनाओ, यह सरकार की दमनकारी पालिसी है। यह सरकार का कायदे का काम नहीं है, यह अमानवीय काम है। इनकी राष्ट्रीय स्लम पालिसी का क्या हुआ। आज हर शहर पर दबाव बढ़ रहा है, गांवों से लोग आ रहे हैं, वे कहां रहेंगे। उनकी कितनी आमदनी है। वे भाड़े का मकान लेकर कैसे रह पायेंगे। उनके रहन-सहन का, पीने के पानी का क्या इंतजाम होगा। एक बार सुनने में आया कि कोई आल्टरनेटिव उपाय हो रहा है। गरीबों को रहने के लिए जमीन दी जा रही है। जो लोग मेहनत, मजदूरी उत्तम नगर में कर रहे हैं, उन्हें नरेला में बसाया जा रहा है। नरेला में न उनके लिए स्कूल है, न पीने का पानी है और न अन्य कोई इंतजाम हैं। उन्हें जो वेतन मिलेगा उसका सारा पैसा बसों में आने-जाने में चला जायेगा। वे लोग कैसे रहेंगे और कैसे मजदूरी करेंगे। सरकार के पास कोई सुविचारित नीति नहीं है। यदि उन्हें कोई आल्टरनेटिव

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

जगह दिये बिना हटाया जाता है तो यह गरीबों पर जुल्म और अत्याचार होगा। मेहनतकश लोगों पर ऐसा अन्याय पृथ्वी पर नहीं हो सकता। रोटी, कपड़ा, मकान, अस्पताल, पढ़ाई, दवाई, आवागमन, पीने का पानी आदि सब इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए झुग्गी-झोंपड़ियों को उजाड़ने की नीति बनाती है और वाहवाही लूटती है। कहते हैं हम दिल्ली को सुन्दर बना रहे हैं, बुलडोजर और फौज लगाकर उस जगह पर बड़े लोग पुरुषार्थ का परिचय देते हैं। यह कितना गलत काम हो रहा है। इस सब पर क्यों नियंत्रण नहीं होता। इन सब इंतजामों को करने के बजाय सरकार क्यों आंख मूंदकर बैठी है और क्यों इन लोगों के प्रति शत्रुता का भाव रखती है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण होंगे, जिनमें बड़े लोग सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, उन्होंने वहां महल खड़े किये हुए हैं। यहां कई टोलियां हैं जिनके बड़े आदमी वहां रहते हैं। उसमें कोई झांक नहीं सकता। किसका दिल है वहां जाने का? वहां लोग जाकर सलाम करेंगे लेकिन गरीब आदमी के खिलाफ सरकार के सारे कानून और अभियान होते हैं। गरीबों के साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार हो रहा है। सरकार की नीति झुग्गी-झोंपड़ियों को तोड़ने वाली है। जैसे रावण के दस मुंह थे, उसी प्रकार से इस सरकार के भी दस मुंह हैं। गरीब सरकार के पास जाएं तो कहते हैं कि डीडीए कर रहा है। वहां जाएं तो कहते हैं कि एनडीएमसी का काम है। वहां जाएं तो कहते हैं कि एम.सी.डी. के पास जाएं। वहां जाएं तो कहते हैं कि भारत सरकार का शहरी विकास विभाग कर रहा है। वहां जाएं तो कहेंगे कि दिल्ली सरकार या राज्य सरकार का काम है। कहां-कहां से अत्याचार और अन्याय हो रहा है—राक्षस के दस मुंह हैं। गरीब यहां से वहां भटकता रहता है, दर्ख्वास्त देता रहता है। कोई सुनवाई नहीं होती है। राशन कार्ड बनाने पर भी रोक लगा दी। सरकार कहने के लिए अंत्योदय योजना और विभिन्न जाली योजनाएं चला रही है लेकिन गरीबों को अनाज नहीं मिलता है। उनका नाम ही नहीं डाल रहे हैं। आफिस और कचहरी में कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं-कहीं कार्ड मिल जाता है लेकिन वह भी 500 रुपये या एक हजार रुपये घूस देने से मिलता है। गरीबों की हिफाजत के लिए रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं है। जो मेहनतकश लोग काम करने के लिए आते हैं, दिल्ली को सुन्दर बनाते हैं, वे कहां रहेंगे? उनके लिए सरकार की तरफ से योजना होनी चाहिए। सरकार को किसी रूप में सर्वे कराकर देखना चाहिए कि कितने लोग बसे हुए हैं, और उनके रहने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। जो मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको अगर हम 30 किलोमीटर दूर पुनर्वास दे रहे हैं तो कैसे वह काम करने आएगा, कहां से बस भाड़ा देगा? इस पर सरकार का कोई सुविचारित निर्णय नहीं होता। इस कारण गरीबों पर मार पड़ती है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस विधेयक को सरकार पारित करे। राष्ट्रीय स्लम नीति क्या है, वह सरकार बताए कि गरीब आदमी कहां जाएगा। हिन्दुस्तान के सभी लोगों की जुबान पर मशहूर कवि इकबाल की कविता की ये पंक्तियां रहती हैं-

"सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा,"

मगर वहां गरीब आदमी क्या कहता है-

"सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा,

रहने को घर नहीं है, हिन्दोस्तां हमारा"

इकबाल की क्या सोच थी कि रहने को घर नहीं है और हिन्दुस्तान हमारा है। गरीब आदमी की वस्तुस्थिति क्या है वह किस हालत में रह रहा है यह इसमें बताया गया है वह कह रहा है कि रहने को घर नहीं है। इसी हिन्दुस्तान में जन्म लिया, यहां मेहनत करके पसीना बहा रहा है, लेकिन रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है, छांह नहीं है। दूसरी तरफ एक आदमी के एक दर्जन मकान हैं, भवन पर भवन हैं, अपार्टमेंट हैं। गर्म जगह में ठंड वाला अपार्टमेंट है और ठंडी जगह में गर्म वाला अपार्टमेंट है। फिर उसमें ठंडा पानी अलग आता है और गरम पानी अलग आता है, कुल्ले वाला पानी अलग आता है। पेशाब आएगा एक पाव और उस पर पांच-दस लीटर पानी बहा देते हैं। एक तरफ पेशाब धोने के लिए पानी है और दूसरी तरफ गरीबों को पीने के लिए पानी नहीं है। उनके बच्चों के नहाने के लिए पानी नहीं है। एक तरफ पानी का प्रबंध नहीं है और दूसरी तरफ अट्टालिकाएं और महल बन रहे हैं जहां इटैलियन मार्बल लग रहा है जो बहुत चमक वाला और बढ़िया होता है। झुग्गी-झोंपड़ियों में प्लास्टिक के ढेर और उसमें जैसे-तैसे बाल-बच्चे और सारा परिवार रह रहा है जो कीड़े-मकौड़ों की तरह जीवन जी रहे हैं। यह चलने वाला नहीं है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था-

"होश करो दिल्ली के देवो होश करो।
अब न यह मनमानी चलने वाली है,
खाली करो सिंहासन! कि जनता आती है।"

इसलिए जो गरीब और मेहनतकश लोग हैं, जो पसीना बहाते हैं, जो निर्माण और उत्पादन का काम करते हैं, उनके भोजन, कपड़ा और मकान की हिफाजत करने के लिए सरकार को एक कंप्रिहेन्सिव पालिसी बनानी चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए, नहीं तो यह अन्याय और जुल्म चलने वाला नहीं है। एक तरफ तो-

"स्वानों को मिलता दूध-भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं।"

आदमी का लड़का है, उसे दूध पीने के लिए नहीं और दूसरी ओर कुत्ते का पिल्ला दूध-भात खा रहा है। आदमी की कोई हिफाजत नहीं। यह चलने वाला नहीं है और ऐसा हम चलने नहीं देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए नैशनल स्लम पालिसी के अंतर्गत यह होना चाहिए कि तब तक गरीबों को नहीं उजाड़ेंगे जब तक कि उनके रहने की वैकल्पिक (आल्टरनेटिव) व्यवस्था निकट में ही नहीं कर देंगे। जिस मोहल्ले में वह रह रहा है, उसी के निकट जब तक उसके रहने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक उसे उजाड़ा नहीं जाएगा, ऐसी नीति बननी चाहिए।

महोदय, एक दिन मैं नरेला में गया। वहां मैंने देखा कि एक जगह तामड़ी रखी है, उसके पास ही जेरीकैन रखी है। उसी के साथ बाल्टी रखी है और इस प्रकार से अनेक बर्तन वहां एक लाइन में लगे हैं। मैंने पूछा कि यहां क्या घी अथवा तेल बंट रहा है, जो इस प्रकार से लाइन बर्तन रखे हुए हैं? मुझे बताया गया कि पीने के पानी के लिए ये बर्तन लगे हुए हैं। यह कितनी खराब स्थिति है कि एक तरफ बोतल बंद पानी 10 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है, दूध 10 रुपए लीटर में बिक रहा है और दूसरी तरफ लोगों को पीने के पानी का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। लाइन लगी हुई है, कोई हिफाजत करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई इंतजाम करने वाला नहीं है। कौन इंतजाम करेगा? यदि सरकार में कर्त्तव्य-बोध हो, तो उसे देखना चाहिए कि हमारी देश की जनता को पीने के पानी का इंतजाम करने की कमिटमेंट है, जनता के बाल-बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करना है, कोई बीमारी हो गई है,तो उसकी दवा-दारु का इंतजाम करना है, उसके रहेन का निकट में इंतजाम करना है, उसके आवागमन की व्यवस्था करनी है। इन सबके बिना काम नहीं चलेगा। यदि इन सबका इंतजाम नहीं होगा, तो मारकट्टा पार्टी आएगी। जब लोगों में समाजवाद और पार्लियामेंट से विश्वास उठ जाएगा, तो सभी के लिए कठिनाई पैदा होगी। यह सवाल गरीबों का सवाल है और जैसे दर्पण साफ होता है, वैसे ही यह साफ नजर आ रहा है। उनकी इन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत: आपने पटना में गन्दी बस्ती सुधार का सारा पैसा शादी में लगा दिया जिसके कारण वहां बहुत दुर्दशा हो रही है। यह सब आपकी सरकार के रहते हुए हुआ। इसलिए आपको तो इस प्रकार का भाषण देने का कोई नैतिक हक नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, राम विलास पासवान बहुत दावा करते हैं कि हम दूसरे अम्बेडकर हैं। अब ये इधर आ गए हैं। पहले जब ये उधर हुआ करते थे, तो इन्हें शाहनवाज हुसैन से तोल दिया गया और इसी प्रकार शरद यादव जी को भी शाहनवाज हुसैन से तोल दिया गया। इस प्रकार से इन बड़े नेताओं का मान हुआ कि एक बड़े नेता शरद यादव जी का विभाग छीन कर शाहनवाज हुसैन को दे दिया और दूसरे बड़े नेता राम विलास पासवान का विभाग छीनकर उन्हें बैठा ही दिया गया। आज अपने को दूसरा अम्बेडकर कहने वाले बड़े नेताओं की ऐसी दुर्दशा है कि वे मार खाकर इधर आ गए हैं। आप लोगों की क्या दुर्दशा है, अकेले में जब हम मिलते हैं, तब आप लोग अपनी दर्दनाक स्थिति हमें बताते हैं। रामजी माझी की क्या दुर्दशा है, जब इनके समर्थक एम.पी. की यह दुर्दशा है, तब आम जनता की, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की क्या दुर्दशा होगी वह अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। यह बंधुआ मजदूरी कैसे चल रही है, इस प्रकार से अगर बंधुआ मजदूरी चलेगी, तो गरीब का भला कैसे होगा। कड़िया मुंडा को ऐसा विभाग दे दिया, जो उनके मतलब का नहीं है। इसका कोई उपाय नहीं है। किस परिस्थिति में, पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के जनजाति के कितने लोग जीते हुए हैं और कितने लोगों को मंत्री बनाया है, वह देखें।

श्री थावरचन्द गेहलोत: देश की आजादी के बाद, पहली बार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के 11 मंत्री, वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल में हैं। इस प्रकार से पहले किसी और सरकार में इतने अधिक मंत्री बने हों, तो बताएं और हमारी पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद 26 मंत्री हैं। कभी किसी गवर्नमेंट में इतने बड़े पैमाने पर इन वर्गों के मंत्री रहे हों, तो बताएं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैं अनुसूचित जाति का हूं, राष्ट्रीय सैक्रेट्री हूं और व्हिप भी हूं तथा पार्टी में मेरा सम्मानजनक स्थान है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपकी क्या स्थिति है, आपका नंबर क्यों नहीं आ रहा है, मुझे इस बात की चिन्ता है। बड़ी दुर्दशा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, मेरे ख्याल में अब आपका टाइम हो गया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, यह गरीबों का विषय है। गरीबों की बात इन्हें सुनने को कहां मिलती है, ये लोग बड़े आदमी हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ये बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं आप देखिए, यहां मिनिस्टर बैठे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, ये सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत: मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 साल तक मैं झुग्गी-झोंपड़ी में रहा हूं, क्योंकि नागदा ग्रेसी मिल में मेरे पिता जी नौकरी करते थे। ...*(व्यवधान)* जितना मैं इन्हें जानता हूं, उतना कोई नहीं जानता। आप महल में रहने वाले हो, केवल भाषण देते हो और * आपको ये सब करने का अधिकार नहीं बचा है। ...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस तरह इंटरफीयर करते रहेंगे तो आपका भाषण खत्म नहीं होगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमारे यहां एक कहावत है - जाके पैर न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस पीड़ा के बाद भी आपको यहां गरीबों की पीड़ा के बारे में बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आप अगर बोलेंगे तो उसी दिन आपका टिकट कट जाएगा। इसलिए गरीबों के बारे में इधर से बोलना पड़ता है। *...(व्यवधान)* आपने कितने गरीबों को दिल्ली से उजड़वाया, जब से आपकी हुकूमत आई है। *...(व्यवधान)*

मैं मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि जब से आपकी हुकूमत आई तब से आपने दिल्ली में कितनी झुग्गी-झोंपड़ियों को उजड़वाया। डीडीए, एमसीडी, आपके विभाग ने, सुन्दर बनाओ के सपने ने क्या किया और कितना किया? उसका हिसाब बता दीजिए तो उनकी आंख खुल जाएगी, नहीं तो* आपका कौन सा हिसाब है? पीड़ा सहन कर रहे हैं, जहर के घूंट पी रहे हैं और उधर वाजिब बात बोलने की इजाजत नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, आपके बाद रासा सिंह रावत जी को बोलना है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: रावत जी बोलेंगे, लेकिन उनकी बात सुनेगा कौन? *...(व्यवधान)* दिखाने के लिए बोलेंगे, लेकिन उधर सुनवाई कहां हैं। ये निश्चय कर चुके हैं कि गरीबों को खत्म होना ही है, मेहनतकश से इन्हें कोई मोह नहीं है, कोई लाभ नहीं है, इसलिए हमें सब बात कहनी पड़ती है। झुग्गी-झोंपड़ियां केवल यहां नहीं बल्कि मुंबई, चेन्नई और अन्य शहरों में भी है। कलकत्ता में जो राष्ट्रीय पालिसी सरकार की होगी, वह देश के सभी नगरों में लागू होगी कि खबरदार, गरीब कहीं बसा हुआ है तो उसे उजाड़ेंगे नहीं। यदि उस जगह स्कूल, अस्पताल, कोई ऐसी योजना सरकार की बननी हो तो आप उसे वहां से हटा सकते हैं, लेकिन हटाने से पहले उसके निकट, उसका वैकल्पिक प्रबंध किए बिना वहां से नहीं हटाया जाएगा, यह पालिसी आप बनाएं और उसकी हिफाजत करें। जिस मोहल्ले में गरीबों को बसाया जा रहा है, उनके लिए वहां पीने का पानी, पढ़ने और आदि का इंतजाम भी होना चाहिए। सरकार में बहुत चालाकी है, वह अनधिकृत कालोनियों को रेगुलराइज करना नहीं चाहती और वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, उसके लिए बिजली, सड़क, पानी, पढ़ाई एवं दवा आदि का इंतजाम नहीं करना है। सब के लिए कह दिया - अनधिकृत कालोनी। क्या होता है, जहां हमारे नागरिक बस गए वह हो गई कालोनी, अनधिकृत की परिभाषा कहां से आई, कौन इसे बनाने वाला है, जो आदमी बस गए उनकी हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर दो-चार दिन के लिए कहीं मेला लगता है तो उस जगह पर पीने का पानी, सफाई आदि का प्रबंध किया जाता है, लेकिन सरकार को मानवता के प्रति साधारण संस्कृति नहीं है, जो बस गए उसे कहते हैं कि अनधिकृत है। इसलिए अनधिकृत कालोनी को खत्म किया जाए। जहां लोग बस गए वहां यातायात, सड़क, स्वास्थ्य, पढ़ाई, दवा, बिजली आदि का इंतजाम होना चाहिए। मैं इन सवालों पर सरकार से स्पष्ट वक्तव्य और निर्णय चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: इस पर सरकार का निर्णय आएगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम वोट करा देंगे तो उसमें आप लोगों की पोल खुल जायेगी, आप लोगों का भाण्डा फूट जायेगा। आप सब लोग गरीब लोगों के खिलाफ हाथ उठा दीजिएगा, आप लोगों को ऊपर से निदेश है कि आप लोग इसे मत होने देना, इसलिए अपना भाण्डा मत फुटाइवाये, आप हमसे अपनी बखिया मत उधड़वाइये, नहीं तो यह सरकार मान जाये और बताये कि किसी झुग्गी-झोंपड़ी को उजाड़ेंगे नहीं और उनके पुनर्वास का इन्तजाम करेंगे और उन्हें सारी सहूलियतें दी जाएंगी, तब इस विधेयक को पास किया जाये, नहीं तो ये लोग खिलाफत करेंगे और इनका भाण्डा फूट जायेगा तो गरीबों का कैसे भला होगा, कैसे इन्तजाम होगा। इसीलिए हमने, इस सवाल को उठाया ताकि सरकार इसका स्पेसिफिक उत्तर दे।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने गरीब आदमी की बात सुनी। उन लोगों को छटपटाहट लगी हुई है, लेकिन उस छटपटाहट के बाद भी मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं।

> गरीब की आवाज गूंजेगी और यह देश होगा अंगार तले,
> पूंजीशाही जब जागेगी, मानवता की काली बिन्दी, तार-तार हो जायेगी।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री आठवले जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव गंदी बस्तियां और झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्र (बुनियादी सुख-सुविधाएं और अपसारण) विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूं, लेकिन जिस ढंग से हमारे विपक्ष के वक्तागण मगर के आंसू बहाकर गरीबों के प्रति असत्य हमदर्दी दिखाकर नाटक रचने का अभिनय कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के ही कारण झुग्गी-झोंपड़ियों की इस प्रकार की दयनीय स्थिति हुई है।

गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, सुनेगा उसकी खुदा तो तुझे जड़ से खो देगा। उस गरीब को सबसे ज्यादा बिहार राज्य के अन्दर सताया जा रहा है, बिहार राज्य के अन्दर उन गरीबों की जमीनें छीनी जा रहा हैं, गरीबों को वहां से जुड़ा जा रहा है और वहीं गरीब आकर दिल्ली के अन्दर, कलकत्ता के अन्दर झुग्गी-झोंपड़ियों के अन्दर रहने को विवश हो रहा है। आखिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात का आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, हर सरकार का दायित्व है, आज हम सभी चाहते हैं कि हमारी राजधानी अन्य देशों की राजधानियों की तरह साफ-सुथरी रहे, स्वच्छ रहे, सुन्दर रहे, दुनिया के लोग यहां आयें और भारत की राजधानी की और यहां के बड़े नगरों की प्रशंसा करें। पवन बंसल जी चले गये हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन 45 साल तक जिस पार्टी का इस देश के अन्दर शासन रहा और झुग्गी-झोंपड़ियों की जनसंख्या दिन दूनी, रात चौगुनी बढ़ाने में जिनका सहयोग रहा। आज वही लोग 4-5 साल से आने वाली एन.डी.ए. की सरकार के मत्थे सारा दोष मढ़ रहे हैं। अगर 45 सालों में जिन लोगों के हाथों में देश के हुकूमत की बागडोर थी, अगर वे गांवों के अन्दर स्वराज सही अर्थों में लाते, गांवों में आदमी को रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था वहीं पर करते, जनसंख्या के ऊपर सही ढंग से नियंत्रण लगाने का प्रयत्न करते, गांव के आदमी को गांव के अन्दर ही रोजगार देते, सारी सुविधाएं देते तो गांव का आदमी वहां से उजड़कर पेट की आग बुझाने के लिए शहरों के नारकीय जीवन को बिताने के लिए झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने को विवश नहीं होता। लेकिन उन लोगों ने उस समय कुछ नहीं किया और आज जब यह सारी वीभत्स रूप धारण कर रहा है, शहरों के अन्दर एक तरफ गगनचुम्बी अट्टालिकाएं हैं और दूसरी तरफ उन्हीं अट्टालिकाओं को बनाने वाले लोग, गरीब आदमी उन झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने को विवश हैं। आखिर यह भेद पैदा करने वाले कौन हैं, इस भेदभाव को पैदा करे वाले, जन्म देने वाले कौन लोग हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं? मैं समझता हूं कि सब लोगों को गम्भीरता से इस बात पर विचार करना पड़ेगा।

माननीय आठवले जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि झुग्गी-झोंपड़ियों के अन्दर बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़ी चिन्तनीय स्थिति है। अभी हमारे माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी बहुत सुन्दर बात अपने ढंग से कह रहे थे, लेकिन उन्होंने दोहे की एक लाइन ही पढ़ी, मैं उसे पूरा कर देता हूं:

'श्वानों को मिलता दूध यहां, भूखे बालक अकुलाते हैं,
मां की छाती से चिपक, वे सिसक-सिसक रह जाते हैं।'

एक तरफ तो अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग हैं, उनकी कारें है और उनकी कारों में कुत्ते घूमते हैं और कुत्तों को दूध मिलता है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हटो व्योम से, मेघ पथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत: उन बेचारे बच्चों को दूध पीने को नहीं मिलता है, इसलिए वे मां की छाती से चिपक कर सिसक-सिसक कर रह जाते हैं। झुग्गी-झोंपड़ियों का जीवन बड़ा दयनीय है, हम सब लोगों के लिए चिन्तनीय है। मैं एन.डी.ए. सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब से हर सरकार आई है, उसने शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के माध्यम से झुग्गी-झोंपिड़यों को हटाकर उन्हें अच्छी बस्तियों में बसाकर, उनका पुनर्वास किया। जो 300-400 अनधिकृत झुग्गी-झोंपड़ियां बस्तियां थीं, उनको नियमित करके उनमें पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, डिस्पेंसरियों की सुविधा, बच्चों के लिए विद्यालयों आदि की सारी सुविधायें पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। लेकिन ''जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी''-जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसा ही नजर आता है, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ज्ञासु राज प्रिय प्रजा दुखारि, तेहि नृप होई नरक अधिकारी।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): पहले राज किसका था? रघुवंश जी भूल गये कि हम लोगों के आने से पहले एक सरकार में वे भी मंत्री थे। उस सरकार ने क्या किया? एक-डेढ़ साल तक वह सरकार रही, उस सरकार में उन लोगों ने क्या किया?

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप दूसरे प्वाइंट पर आइये।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.51 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए]

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वास्तव में जो गंदी बस्तियों में, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी सभी प्रकार की मानवीय सुविधायें उपलब्ध कराई जायें। सामान्य बस्तियों के अंदर जैसे नगर-निगम, नगर परिषद, नगरपालिका, नगर सुधार न्यास, विकास प्राधिकरण आदि एजेंसियां हैं, उन्हें सारी बुनियादी सुविधाएं दिलवाई जानी चाहिए। वे जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जब तक वे वहां रह रहे हैं तब तक उन्हें पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपम्प हो, बिजली पहुंचाने की समुचित व्यवस्था हो। इसके साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल हो अन्यथा आज उन झुग्गी झोंपड़ियों में

[प्रो. रासासिंह रावत]

रहने वाले लोगों को तपेदिक, हैजा उल्टी-दस्त तथा ऐनीमिया जैसी बीमारियां उनके अंदर घर कर रही हैं। कुपोषण के कारण उनके बच्चों का जीवन दूभर हो रहा है। पढ़ने के लिए जो विद्यालय होने चाहिए, वे विद्यालय भी वहां नहीं हैं। मैं एक दूसरे पर दोष नहीं दूंगा क्योंकि अगर मैं एक पक्ष की ओर अंगुली करूंगा तो तीन अंगुलियां मेरी तरफ आयेंगी। जो लोग विपक्ष में हैं, वे "दोष पराया देखी करि, जलिए हसन्त-हसन्त दर्शन अपन चिंत ही न आई जिनका आदि न अंत।" उनको अपने दोष ही नहीं दिखाई देते जिन दोषों का न आदि और न अंत है। इन सारी परिस्थितियों को पैदा करने वाले जिम्मेदार समाज में बड़े-बड़े नगरों में झुग्गी-झोंपड़ियों को पैदा करने वाले, कौन नहीं जानता कि दिल्ली के अंदर एक पार्टी विशेष के नेता लोग जिन्होंने इन झुग्गी-झोंपड़ियों के लोगों को कहा कि तुम चिंता मत करो, बस जाओ रेलवे की जमीन के अंदर, सरकारी जमीन पर बस जाओ। हम तुम्हारा सारा ध्यान रखेंगे। उन्होंने नेताओं का संरक्षण प्राप्त है क्योंकि वे उनके वोट बैंक है। इसलिए ये झुग्गी-झोंपड़ियां तेजी से पनपी हैं। आज वे लोग हारे हुए हैं लेकिन उनके किए हुए कुकर्त्तव्य का फल राजधानी दिल्ली को भोगना पड़ रहा है। दिल्ली ही नहीं चाहे कोलकाता हो, मुम्बई हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, अहमदाबाद हो, पटना हो या जयपुर हो, जहां-जहां पर नगर हैं वहां एक तरफ से गगनचुंबी अट्टालिकायें हैं, बड़ी शानदार कालोनियां हैं, पाश कालोनियां हैं और दूसरी तरफ झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों का जीवन वास्तव में नारकीय है। जबकि इन अट्टालिकाओं को बनाने वाले, साफ-सुथरी व्यवस्था करने वाले मजदूर के रूप में जीवनयापन करने वाले लोग इन्हीं झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले होते हैं। इसलिए जहां तक इस प्रस्ताव का मानवीय पक्ष है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जो कांग्रेस के वक्ता भी बोले तथा बाद में विपक्ष के वक्ता बोले, उन्होंने जिस ढंग से इस सरकार को दोष देने का प्रयत्न किया, मैं समझता हूं कि यह समय दोष देने या एक दूसरे के मीन मेख निकालने का नहीं है। आज हम सबको संकल्पबद्ध होकर काम करना चाहिए। कल हम स्वाधीनता की पावन जयंती मनायेंगे, तिरंगा ध्वज फहरायेंगे। ऐसे समय में संकल्प लेने की आवश्यकता है। जब तक इन झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले व्यक्ति को खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े, रोशनी के लिए बिजली और पढ़ने के लिए विद्यालय आदि सारी व्यवस्थायें नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वास्तव में तभी हम लोगों का स्वाधीनता दिवस मनाना और अपने आपको जनप्रतिनिधि कहना सार्थक हो सकेगा।

झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोगों को हटाया जाता है। उन्हें हटाया जाना आवश्यक है क्योंकि हमने देखा है कि जहां से रेलगाड़ी जाती है, उसके बिल्कुल पास ही लोग बसे हुए हैं, वहीं उनके बच्चे खेलते रहते हैं, उनका जीवन हमेशा संकट में रहता है, कब वे मौत के मुंह में चले जाएं। ऐसी स्थिति में जब सरकार कहती है कि यहां से हटो, आपको दूसरी जगह जमीन दे रहे हैं, मकान बना कर दे रहे हैं तो ठेकेदार लोग उनको शोषण करते हैं, उनको कहते हैं कि आप यहीं बसे रहो। जो नए मकान बनाए जाते हैं, उनको बेच दिया जाता है जिससे गंदा वातावरण बन जाता है। हमें ऐसे ठेकेदारों से सावधान रहना होगा और निश्चय करना होगा, जो अच्छा है, उसे अच्छा कहना होगा और जो बुरा है, उसे बुरा कहना होगा। जिन लोगों ने रेलवे की जमीन का अतिक्रमण कर लिया है, खेल के मैदानों का अतिक्रमण कर लिया है, विद्यालयों का अतिक्रमण कर लिया है, उनको वहां से हटाना होगा। लेकिन उनको जहां बसाया जाए, वहां उनकी रोजी-रोटी की क्या व्यवस्था होगी, यह सब पहले देखकर उनको हटाया जाना चाहिए ताकि वे लोग सुखद और सुविधाप्रद जीवन जी सकें। आखिर वे भी इंसान हैं, उनको भी जीने का अधिकार है, वे भी इस देश के नागरिक हैं।

यह बिल आंशिक रूप से सही है लेकिन यदि इसके पीछे केवल आलोचना की भावना है तो मैं समझता हूं कि इसका वह भाव नहीं है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आगे आने वाले समय में झुग्गी-झोंपड़ियां तमाम नगरों के लिए एक प्रकार से काला दाग हैं। उस काले दाग को दूर करने के लिए झुग्गी-झोंपड़ी के निवासियों को अच्छी कालोनियों में बसाने के लिए, अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए, वहां सारी मानवीय सुविधाएं, उपलब्ध कराने के लिए विधेयक लाएं। उस प्रस्ताव का हम निश्चित रूप से समर्थन करेंगे। सरकार की मंशा यही है कि गरीबों का भला हो, गरीबों को रोजगार मिले, उनको हटाया नहीं जाए और यदि हटाया जाए तो कहीं और उनके रहने की व्यवस्था की जाए। आज हुडको, एलआईजी, एमआईजी, अनेक ऐसी आवास योजनाएं बन रही हैं जिनके द्वारा काम हो रहा है। मुझे कहते हुए दुख है, चंडीगढ़ हो चाहे दिल्ली हो, आज दिल्ली का नगर निगम कांग्रेस के हाथ में है और पिछले दिनों वहां करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पचास करोड़ रुपये का पता नहीं है कि झुग्गी-झोंपड़ी के विकास के नाम पर, सफाई, पानी आदि के नाम पर वे कहां खर्च किए गए। आज दिल्ली में न पानी है, न बिजली है और न ही झुग्गी-झोंपड़ी में सफाई की व्यवस्था है। नगर निगम और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यह सरकार यूं कर रही है। अगर यह सरकार कर रही है तो आपका नगर निगम क्या कर रहा है, आपकी दिल्ली सरकार क्या कर रहा है। एक-दूसरे के ऊपर दोष देने के स्थान पर आत्मालोचन करते हुए हमें संकल्प लेना होगा कि झुग्गी-झोंपड़ी को खत्म करना होगा, यह बड़े-बड़े नगरों के लिए समस्या पैदा करने वाली है। इसलिए उन लोगों को अन्यत्र बसाया जाए, कालोनियों को विकसित किया जाए और उनको मानवीय सुविधा प्रदान की जाए। इसके साथ-साथ उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए।

लोग शहरों में न आएं, इसके लिए गांवों को स्वावलम्बी बनाया जाए। खादी और ग्रामोद्योग व्यवस्था, लघु उद्योग व्यवस्था गांवों में हो, उनको ऐसे रोजगार प्रदान किए जाएं, वहीं पर उनको धंधा प्रदान किया जाए, वहीं उनके लिए छोटी-छोटी फैक्ट्रियां लगाई जाएं, उनको लोन की सुविधा देकर, हाथ से काम करने वाले कुटीर उद्योग प्रारंभ किए जाएं ताकि वे लोग गांवों में रहते हुए सुख का जीवन जी सकें और वहां से शहरों में आने और झुग्गी-झोंपड़ी में रहने के लिए मजबूर न हों, इसके लिए सोचना पड़ेगा।

बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा।

अपराह्न 3.00 बजे

आज विकास के अवसर बहुत कम बढ़ रहे हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन लोगों तक परिवार नियोजन के साधन नहीं पहुंच पाते। अशिक्षित होने के कारण जनसंख्या कम होने के क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी जानकारी उनको प्राप्त नहीं हो पाती। जनसंख्या कम करने के प्रचार-प्रसार के साधन उन तक नहीं पहुंच पाते। वे सोचते हैं कि भगवान का दिया हुआ है और इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उनको भी जीने का अधिकार है। जिसने भी इस भारत की भूमि पर जन्म लिया है, उन सबको जीने का अधिकार है। हम सबका और सरकार का कर्त्तव्य है कि सब लोगों को रोजी-रोटी और मकान मिले और रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान। इस प्रकार से हम रोजी-रोटी, मकान और रोजगार की समस्या का भी निदान कर सकें, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए।

आठवले जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक की भावना अच्छी है लेकिन यह सांगोपांग विधेयक नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार सांगोपांग विधेयक लाए और हमारी राजधानी साफ-सुथरी रहे। मैं अभी लंदन, पेरिस और न्यूयार्क गया था। वहां मैंने देखा कि वहां पर्यावरण कितना साफ-सुथरा, स्वस्थ और सुंदर है। वहां गंदगी का नामोनिशान नहीं है, झुग्गी-झोंपड़ियां नहीं हैं। हम चाहते हैं कि यहां पर भी ऐसे ही पर्यावरण स्वच्छ, स्वच्छ और सुंदर तथा हरे-भरे वृक्ष और बाग-बगीचे हों। हम चाहते हैं कि भारत की शान दिल्ली साफ-सुथरी रहे और चाहे कोलकाता हो या चेन्नई हो, बंगलौर जो सिटी आफ गार्डन्स कहलाता है, वैसे ही दिल्ली भी साफ-सुथरी रहे, झुग्गी-झोंपड़ी न हों। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा।

राजनीतिज्ञों को प्रयास करना होगा कि अनधिकृत झुग्गी-झोंपिड़यों को वोट की राजनीति की खातिर प्रोत्साहित न करें अपितु खुले वातावरण के अंदर चाहे उनको छोटे मकान ही दिए, जाएं, लेकिन खुले और स्वच्छ वातावरण में उनके मकान हों, जिससे उनको जीने की प्रेरणा, मिले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अंत में मैं एक कविता कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की,
एक-दूसरे से न मिल सकें, यही विडम्बना है जीवन की।

ज्ञान और कर्त्तव्य का परस्पर समन्वय किया जाना चाहिए ताकि इन समस्याओं का निराकरण राष्ट्रीय हित में हो सके।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): सभापति महोदय, विधेयक में राज्य विशेषकर कल्याणकारी राज्य पर नागरिकों को कुछ मूलभूत सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने की सांविधिक बाध्यता की आशा की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति-निदेशक तत्व दिए गए हैं। इनमें प्रतिपादित किया गया है कि जनता को सामाजिक के साथ ही साथ आर्थिक संरक्षक दिया गया है। लेकिन हमारी सांविधिक बाध्यता बहुत ही सीमित है। जब राज्य कुछ सुख-सुविधाएं जैसे पानी अथवा स्वास्थ्य सुरक्षा अथवा शैक्षिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है, तो ये किसी सामाजिक विधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं। राज्य सरकारें और भारत सरकार आदेशों तथा विनियमों के जरिए इन कार्यों को करती हैं। यदि सरकार इन बाध्यताओं को पूरा करने में किसी प्रकार की कोताही बरतती है तो नागरिकों को इसके विरुद्ध कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। वे न्याय पालिका उपचार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्हें याचिका दायर करनी होती है और तत्पश्चात् अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। यदि उन्हें ये सुख-सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो उन्हें इनके अभाव में ही जीवन-यापन करना होता है। नगरों में भी अब यही स्थिति व्याप्त है। कई युवा विशेषकर शिक्षित युवा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। वे अच्छा जीवनयापन करना चाहते हैं। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ शहरों में आने पर वे स्वयं को झुग्गी-झोंपड़ियों में पाते हैं। उन्हें रोजगार की तलाश करनी होती है।

वे आश्रय की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते हैं। जानवरों तक के लिए छत होती है परन्तु मनुष्य के लिए छत नहीं मिल रही है। वे कष्ट उठा रहे हैं। वे मौसम की मार झेल रहे हैं। इसीलिए राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार प्रत्येक बजट में उनके विकास की आयोजनाएं बना रही हैं। लेकिन आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाएं पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो पाईं और लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। सामाजिक सुरक्षा के प्रयोजन से आबंटित विशाल धनराशि का समुचित रूप से उपयोग नहीं हुआ। इसी वजह से भारत गंदी बस्तियों से जुड़ी विश्व की सबसे बड़ी समस्या का सामना करने वाले देशों में से एक है।

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

महोदय, यह उचित समय है जब सरकार को नागरिकों के इस सांविधिक अधिकार का दायित्व वहन करना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में वे रहते हों वहां आश्रय का अधिकार हो और उन्हें पानी, बिजली तथा सड़क सुविधाओं को पाने का अधिकार मिले। इनसे यह प्रदर्शित होता है कि प्रशासन उचित रूप से कार्य कर रहा है और समाज सभ्य है। व्यक्तियों में यह देखने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि वे अन्य व्यक्तियों के समान ही जीवन-यापन कर रहे हैं। समाज में यह भावना बलवती होनी चाहिए। हम यह देख रहे हैं कि प्रत्येक शहर में आलीशान भवनों के निर्माण में बड़ी धनराशि, चाहे अवैध अथवा वैध रीतियों से उपार्जित हों, व्यय की जा रही है, लेकिन इसी के साथ ही उन्हें अपने दैनिक जीवन में सस्ते कर्मचारियों की आवश्यकता होती है ये वे लोग हैं जो गन्दी बस्तियों से शहरों की ओर आते हैं। गन्दी बस्तियों के ये व्यक्ति जो सभ्रांन्त क्षेत्रों में आते हैं वे सेवा कार्यों के लिए आ रहे हैं। वे अपनी आजीविका अर्जन के लिए धनिकों पर निर्भर हैं। लेकिन इसी के साथी ही वे गन्दे क्षेत्रों से रोगों और अन्य गन्दी बातों को भी जाने-अनजाने इन क्षेत्रों में ले जाते हैं। अतः हमें इन बातों पर समुचित ध्यान देना चाहिए। यदि गन्दी बस्तियों का समुचित विकास किया जाये, उनमें आधारभूत सुख-सुविधाएं हैं। और रोगमुक्त हों, तो सभ्रान्त क्षेत्रों के वे लोग भी स्वस्थ जीवन-यापन कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि एक क्षेत्र के व्यक्ति अमानवीय दशाओं में जीवन-यापन करते हैं वहीं दूसरे क्षेत्र में व्यक्तियों के पास सभी प्रकार की सुख-समृद्धि है और वे अपने स्वास्थ्य पर काफी राशि भी व्यय कर रहे हैं।

तब झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों को आटो रिक्शा चालक, लारी चालक, छोटे-मोटे विक्रेता और फेरी वालों का कार्य करना पड़ता है। इन्हें अपनी आजीविका शहरों में अर्जित करनी होती है क्योंकि उनके निवास स्थानों पर उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। जहां कहीं भी रेलवे सम्पत्ति अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा ऐसी निजी सम्पत्तियां जो समुचित रूप से संरक्षित नहीं हैं, उन पर ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और वहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। जब हम चुनाव अभियान पर जाते हैं तो हम कुछ वायदे करते हैं। हम वायदा करते हैं कि हम सड़क बनवा देंगे अथवा इस क्षेत्र विशेष को नियमित कर देंगे। हमें मालूम है चेन्नै, मुम्बई और दिल्ली जैसे शहर इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मैं अनुरोध करता हूं कि शहरी विकास मंत्रालय को संभ्रान्त कोलानी बसाते समय समुचित योजना बनानी चाहिए और यह ध्यान देना चाहिए कि इन संभ्रान्त क्षेत्रों के निवासियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार अवसरों, चाहे आटो रिक्शा चालक, लारी चालक अथवा घरेलू नौकरों के अवसर हों, पर आश्रितों के लिए प्रथक स्थान का निर्माण किया जाए। इन व्यक्तियों के लिए संभ्रान्त क्षेत्रों की सीमा में ही वास क्षेत्र होना चाहिए। हमें इस तरह की सोच विकसित करनी पड़ेगी। हमने बाजार परिसरों का निर्माण किया है परन्तु इसी के साथ हम इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि इन बाजार परिसरों में नौकरों के समान रहने वाले अथवा घरों में काम करने वालों को क्या बुनियादी सुख-सुविधाएं मिल रही है।

हम उनके लिए समुचित रूप से योजनाएं नहीं बना रहे हैं। इस समय शहरी क्षेत्रों में कई बहुमंजिला आवासीय कालोनियां अस्तित्व में आ रही हैं और घरेलू कार्य करने वालों को भी उनमें रहने के लिए समुचित स्थान नहीं है। अतः जब कस्बों और शहरों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं उस समय शहरी विकास मंत्रालय को यह देखना चाहिए कि ऐसी कालोनियों में घरेलू नौकरों की भांति कार्य करने वाले आम व्यक्तियों को रहने के लिए भी इन आवासीय कालोनियों में प्रथक स्थान है। कस्बों और शहरों के विकास की योजनाएं बनाते समय इस प्रकार के उपबंध किए जाने चाहिए। इसी से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

इसके अभाव में, छोटे-मोटे कार्य करने वालों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जिसके कारण वे कार्यस्थलों के निकट आने के लिए कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमण करते हैं और वे इन अतिक्रमित क्षेत्रों में बिना किसी बुनियादी सुविधा के बस जाते हैं। लेकिन, यदि हम नगरीयकरण के एक भाग के रूप में यह सुविधाएं उपलब्ध कराएं तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

महोदय, सम्पूर्ण विश्व की नजरें हमारे देश के विकास पर हैं। हमारे नगरों का विस्तार हो रहा है लेकिन सभी व्यक्तियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। मानवाधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है। एकमात्र समुचित नियोजन और निष्पादन द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): सभापति महोदय, जो विधेयक श्री रामदास आठवले ने पुर:स्थापित किया है, वह झुग्गी-झोपड़ी में व्याप्त वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस विधेयक में हमारे समाज के संवेदनशील लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई है। अतः विधेयक के विषयवस्तु की प्रशंसा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए।

महोदय, यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के लगातार कम होने के कारण हम ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्रों में सतत पलायन देख रहे हैं। इसीलिए गंदी बस्ती क्षेत्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तथापि, हमारे देश की बढ़ती समस्याओं का हल ढूंढने के लिए अभी तक कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की गई है।

महोदय, प्रथम-पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया था कि गंदी बस्तियां हमारे देश के लिए लज्जा की बात है। किन्तु फिर भी हम अपने देश से इस लज्जा को नहीं मिटा पाए हैं। गंदी बस्तियों और झुग्गियों में अनवरत विस्तार हो रहा है। यदि हम दसवीं पंचवर्षीय योजना को देखें तो यह कहा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी जनसंख्या 285.35 मिलियन है। जो देश की कुल आबादी का 27.78 प्रतिशत है। यद्यपि देश की कुल जनसंख्या में वर्ष 1991-2001 के दौरान 27.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, शहरी जनसंख्या में 31.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ है कि शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। किन्तु जहां तक गरीबी के अनुपात का संबंध है यह उत्सुकता का विषय है कि वर्ष 1973-74 में शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 49 प्रतिशत था और वर्ष 1993-94 में इसमें 32.4 प्रतिशत की कमी हुई है। यदि हम इसे पूर्ण रूप से देखें तो यह देखना आश्चर्यजनक है कि वर्ष 1973-74 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे की संयुक्त जनसंख्या 60 प्रतिशत थी और वर्ष 1993-94 में जह जनसंख्या 76 प्रतिशत के आसपास थी।

इसका अर्थ है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी के अनुपात में वृद्धि हो रही है। किन्तु शहरी क्षेत्रों के संयुक्त अनुपात को देखते हुए गरीबी के अनुपात में कमी नहीं आई है। इसलिए गन्दी बस्तियों और झुग्गी क्षेत्रों के बढ़ते विस्तार के कारण बढ़ती गन्दगी को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिए कि कोई व्यापक योजना तैयार की जाए।

हम जानते हैं कि नगर पालिकाएं अथवा शहरी स्थानीय निकायें शहरी जनसंख्या के लिए बुनियादी सुविधाओं की देखभाल करेंगी। किन्तु यह भी सच है कि शहरी क्षेत्रों में धनराशि का आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत अधिक होता है। शहरी क्षेत्रों में धनराशि का आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों में धनराशि के आवंटन के समान कभी नहीं हो सकता। तथापि, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में सुविधा देने हेतु और अधिक धनराशि आवंटित की जाएगी। शहरी झुग्गी और झोंपड़ी क्षेत्र अनेक बीमारियों का अधिकेन्द्र बन गए हैं जिनका मेरे मित्र ने पहले ही उल्लेख किया है। गंदी बस्ती संबंधी नीति में ही नहीं बल्कि अन्यथा भी यह कहा गया है कि गंदी बस्ती क्षेत्र का पता लगाने से पूर्व पुनर्वास अभियान का अनुपालन किया जाना चाहिए। किन्तु जो हमने दिल्ली में देखा है वह यह है। पुनर्वास हेतु व्यवस्था किए बिना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तोड़-फोड़ अभियान चलाया गया था। इससे सैंकड़ों लोग सुविधाओं के बिना अंधकार में चले गए हैं। उन्हें खुले आकाश के तले रहने पर विवश कर दिया गया है।

तथापि, उच्चतम न्यायालय की एक टिप्पणी ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि कोई पुनर्स्थापन अभियान शुरू करने से पहले पुनर्वास को सुनिश्चित किया जाए। तथापि, ऐसा मतदाताओं को मताधिकार न देने के इरादे से किया गया था। यह भारत के लोगों का मौलिक अधिकार है। हमें अपने मताधिकार का हक है। किन्तु उन गंदी बस्तियों को तोड़ने के कारण सैंकड़ों लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित हो गए हैं। यह भी हमारे राष्ट्र के लिए लज्जा की बात है। ऐसा दिल्ली के क्षेत्रों में मतदान पद्धति को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर किया गया था। विशेष रूप से जो लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माने जाते थे उन्हें वहां से हटा दिया गया और उन्हें जानबूझकर झुग्गी-झोपड़ी से इस दूर फेंक दिया गया। इसलिए गंदी बस्ती संबंधी नीति झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए अपेक्षित सुविधाओं के अनुरूप तैयार की जाए।

यह देखा गया है कि झुग्गीवासी आज की दुनिया में अत्यधिक गम्भीर और भारी समस्या का सामना कर रहे हैं। जब हम अनिवासी लोगों के लिए स्थान की व्यवस्था कर रहे हैं। किन्तु हम उन गरीब लोगों के लिए ऐसे स्थान की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं जो अपनी जीविका के लिए शहरों की ओर आ रहे हैं। ये लोग आवास की समस्या का सामना कर रहे हैं। वे आर्थिक, सामाजिक और एकान्त की समस्या का सामना कर रहे हैं।

महोदय, एन एच डी पी आदि जैसी अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं। ये योजनाएं, छोटे नगरों और कस्बों में उचित रूप से कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं क्योंकि लघु शहरी निकाय इन सुविधाओं के लिए अपेक्षित निधि प्रदान करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए, केन्द्र सरकार को ठीक ढंग से एन एच डी पी आदि जैसे निकाय अपनाकर केन्द्र सरकार को इस नीति का अनुपालन करना चाहिए। इस संबंध में एक उचित निगरानी निकाय तैयार की जानी चाहिए। उचित निगरानी बिना धन के दुर्विनियोजन की गुंजाइश होगी, जो उन गंदी बस्ती वासियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

हम छोटे शहरों के हैं और छोटे शहरों की समस्याओं को जानते हैं। यह पाया गया है कि बड़े शहरों में रोजगार के अवसर छोटे शहरों में उपलब्ध अवसरों से अधिक हैं। यदि आप दिल्ली के मामले को लें तो आपको पता चलेगा कि गंदी बस्तियों में रोजगार के अवसर छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को उपलब्ध रोजगार के अवसरों से अधिक हैं। अतः छोटे शहरों को पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे उन सुविधाओं का उपयोग कर सकें, जिनसे उन्हें और अधिक सुविधाएं जैसे जलमल व्यवस्था, बिजली, शौचालय आदि मिलेंगी।

अतः मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि गंदी बस्ती निवास क्षेत्रों में गिरती स्थिति को देखते हुए सरकार को समग्रतावादी

[श्री अधीर चौधरी]

दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्य श्री राम दास आठवले ने "गंदी-बस्तियां और झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्र (बुनियादी सुख-सुविधाएं और अपसारण) विधेयक, 2001" प्रस्तुत किया है। मैं भावनात्मक और आंशिक रूप से इससे सहमत हूं लेकिन इस विधेयक से कतई सहमत नहीं हूं। जिन माननीय सदस्यों ने सदन में इस विधेयक का समर्थन किया है, मेरा ऐसा मानना है कि उन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को पढ़ा नहीं है। वे व्यस्तता के बाद सदन में कहीं से आए होंगे क्योंकि उन्होंने यहां अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करना था और बोलना था इसलिए बोलने लगे। एक माननीय सदस्य डा. रघुवंश प्रसाद सिंह वहां बैठे थे। मुझे विशेष रूप से उनसे यह शिकायत है कि वह सामान्यत: संबंधित विषय पर बोलते हैं लेकिन आज उन्होंने इस विधेयक का समर्थन करके यह प्रदर्शित किया कि वह विरोधी पक्ष के हैं और विरोधी पक्ष के किसी माननीय सदस्य ने कोई विधेयक प्रस्तुत किया है इसलिए उसका समर्थन किया जाए।

मैं इस विधेयक के उद्देश्य और धाराएं पढ़ कर उनसे कहना चाहूंगा कि वह जब बाद में इधर आए तो बताएं कि उनका इस बारे में क्या कहना है? यह विधेयक केवल महानगरों और केन्द्र शासित राज्यों के लिए है। यदि केवल इन क्षेत्रों में यह विधेयक लागू करने की बात सोची जाएगी तो बाकी देश के दूसरे हिस्सों में जो करोड़ों लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन-यापन करते हैं, उनके साथ अन्याय होगा।

मैं इस विधेयक की धारा 6 को पढ़ना चाहूंगा :

"सक्षम प्राधिकारी किसी सरकारी भूमि पर कोई झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती बनने नहीं देगा और यदि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पहले उक्त भूमि पर कोई गंदी बस्ती है, तो सक्षम प्राधिकारी उस रीति से, जो विहित की जाएं, उसे हटा देगा।"

अब जो बन गये हैं, इस विधेयक के बाद या तो आप बनने नहीं देंगे और यदि बन गये तो उन्हें हटा देंगे। मेरा कहना है कि यदि वैकल्पिक व्यवस्था हो गई होती तो इस प्रकार से उल्लेख करना इस वर्ग के लोगों के साथ अन्याय होगा। पहली बात यह है कि आज अतिक्रमण क्यों होता है? 10-12-15-20 साल हो जाते हैं, तब उस अतिक्रमण की ओर सक्षम अधिकारी ध्यान देता है। यदि तुनक मिजाज होता है तो तुरंत आदेश दे देता है कि ये कब्जे हटा दो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, इस प्रकार के विधेयक समर्थन योग्य नहीं हैं। विधेयक की धारा-7 में लिखा है:-

"जहां सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी गन्दी बस्ती की स्थिति से निपटने का सबसे संतोषप्रद तरीका क्षेत्र के सभी भवनों को गिराना है, तो वह प्राधिकारी राजपत्र में अधिसूचित किये गये एक आदेश द्वारा उक्त क्षेत्र को अपसारण क्षेत्र घोषित करेगा, अर्थात् ऐसा क्षेत्र जहां से इस अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सभी भवनों को हटा दिया जायेगा"

यह धारा-6 का एकदम उलटा है। अगर उसने पहले इस प्रकार से कोई भवन अतिक्रमण करके बना लिया है और किसी सक्षम अधिकारी का समाधान हो जाता है कि यह गलत बना हुआ है, उसे हटा देना चाहिये, तो वह अवसारण के लिये अधिसूचना जारी कर देगा और राजपत्र में जारी होने तक जितने भवन कितने ही साल पहले बने हों, उन्हें हटा देगा। मैं उन माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने इसके समर्थन में ये बातें कही हैं कि क्या इस प्रकार का प्रावधान होने के बाद उन लोगों को न्याय मिलेगा जिन्होंने मजबूरी में गंदी बस्तियों, नदी-नालों के किनारे अपनी झुग्गी-झोंपड़ी बना दी, क्या उन्हें हटा दिया जाये। इस सीधे-सादे आदेश से हिटलरशाही का प्रावधान हो गया। यदि किसी ने भी इसका समर्थन किया है तो वह निन्दनीय है। मैं उन माननीय सदस्यों के वक्तव्यों की निन्दा करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के हित संरक्षण संबंधी विधेयक पढ़कर उनके हितों को समझना चाहिये और तब समर्थन करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं धारा-8 को पढ़कर सुनाता हूं जिसमें लिखा हुआ है:-

"सक्षम प्राधिकारी, किसी गन्दी बस्ती क्षेत्र को अपसारण क्षेत्र घोषित किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, उस रीति से, जो विहित की जाये, गंदी बस्ती अपसारण आदेश करेगा और समुचित सरकार को स्वीकृति के लिये आदेश भेजेगा और यदि समुचित सरकार आदेश की पुष्टि कर देती है तो आदेश, ऐसी पुष्टि किये जाने की तारीख से प्रवर्तित होगा।"

सभापति महोदय, इन तीनों धाराओं के माध्यम से जिन लोगों ने गंदी बस्तियों में अपने टूटे-फुटे आवास बना लिये हैं, वे इस विधेयक के लागू होने के बाद, अधिनियम बनने के बाद तोड़ दिये जायेंगे। मुझे यह भी कहना पड़ रहा है कि आपके और आपके

समर्थन से जो सरकारें चल रही हैं, उन्होंने इसी प्रकार के काम किये हैं और आपने उनका समर्थन किया है। देश को आजाद हुये 56 साल हो गये हैं। यहां एक बार नहीं अनेक ऐसे अवसर आये हैं। आपातकाल को हम लोगों ने भुगता है। शायद आप भी लाइन में होंगे। आपातकाल में बुलडोजरों ने गंदी बस्तियों को तोड़ा और आपने और आपके दल ने उसका समर्थन किया। माननीय बंसल जी कह रहे थे। संयोग से मैं भी उस समय चंडीगढ़ में एक बैठक के सिलसिले में गया हुआ था। मैं भारतीय जनता पार्टी के एस.सी. वर्ग की बैठक में भाग लेने के लिये गया हुआ था। मैंने अपने लोगों से पूछा कि क्या मामला है। मुझे बताया गया कि नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है, मेयर कांग्रेस का है, कांग्रेस परिषद् के आदेशानुसार वे तोड़े गये हैं। यदि श्री बंसल यहां होते तो मैं उनसे पूछता कि क्या यह ठीक बात थी। वह वहां गंदी बस्तियों को तुड़वाने की बात करते हैं और यहां आकर भाषण करते हैं। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस प्रकार से उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई देता है, वह दिखाई नहीं देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैंने आपको बताया था कि मैं अनुसूचित जाति वर्ग का हूं। मेरे पिता जी नागदा ग्रासिम फैक्टरी में नौकरी करते थे। फैक्टरी का क्वार्टर सीनियोरटी के हिसाब से मिलता है। हमें 10-12 साल तक क्वार्टर नहीं मिला। मैं झुग्गी-झोंपड़ी में रहा हूं। हमारी झोंपड़ी नाले के किनारे बनी हुई थी। हम लालटेन में पढ़ते थे। हालांकि, उस समय वहां लाइट नहीं होती थी, परंतु बिरला फैक्टरी ने अपनी कालोनी में लाइट लगा रखी थी। हमने वहां लालटेन में पढ़ाई की है। हमने वह सब देखा है। आप उच्च वर्ग के हैं, उच्चस्थ डेकोरेटिड मकान में रहे हैं।* वह उपदेश हमने सुने। परंतु जब हम देखते हैं कि आप और आपके दल के नेता क्या करते हैं और इस प्रकार के वर्गों की सुख-सुविधाओं का कितना ध्यान रखते हैं, जब हम यह अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि हिन्दुस्तान में जितने राज्य हैं, उन सब राज्यों में नीचे से तीसरे-चौथे नम्बर पर आपका बिहार आता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप लोग समाजवादी विचारों के हैं, परंतु क्या समाजवादी विचारों के लोग और श्रद्धेय लोहिया जी ऐसा कह गये थे कि करोड़ों रुपये शादी में खर्च करो। अगर इसी प्रकार की योजनाओं को आप कार्यान्वित करते रहोगे तो थोड़े दिनों के बाद लोहिया जी का नाम लेने वाले आप लोग जनता को भ्रमित करके अपने से दूर कर दोगे। मेरा निवेदन है कि वास्तव में जो लोहिया जी की सोच थी, श्री दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी, गांधी जी की सोच थी, बाबासाहेब अम्बेडकर जी की सोच इन वर्गों के प्रति थी। यदि उस सोच को आप लोग कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे, तभी ये वर्ग ठीक से अपने हितों का संरक्षण कर पायेंगे अन्यथा नहीं कर पायेंगे।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि इसमें जो-जो बातें कही गई हैं, उन सब कानूनों पर विभिन्न कानूनों के माध्यम से राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार के माध्यम से अमल हो। उन कानूनों पर कर्त्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से अमल करने की आवश्यकता है। जिन संस्थाओं के हाथ में गंदी बस्ती उन्मूलन का काम है, उनके हाथ में वहां लाइट की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था का अधिकार है। आज उन स्थानीय निकायों या उन संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से सक्षम करने की आवश्यकता है और यह काम आप, हम सब तथा राज्य सरकारें मिलकर कर सकती हैं। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सरकार ने एक नहीं, अनेकों ऐसे कदम इन वर्गों के हितों के लिए उठाये हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुडको के माध्यम से इन्दिरा आवास योजना की बात आई। आदरणीय इन्दिरा गांधी जी ने इन्दिरा आवास के नाम से एक योजना चलाई थी। उस योजना को यह सरकार निरंतर कार्यान्वित कर रही है और जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से हम इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। इस योजना में पिछले चार वर्षों की तुलना में आज की तारीख में और श्री नरसिंहराव जी की सरकार की तुलना में हम चार सौ गुना वृद्धि कर रहे हैं और उसके माध्यम से इन्दिरा आवास योजना चल रही है। इतना ही नहीं, हमें यह महसूस हो रहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, उन्हें आवास बनाकर देने की आवश्यकता है। हुडको के माध्यम से केन्द्र सरकार ने साठ लाख मकान बनाकर पिछले वर्ष इन वर्गों के लोगों को दिये हैं और सस्ती ब्याज पर उन्हें लांग टर्म ऋण दे रहे हैं। उन्हें सब्सिडी और अनुदान भी दे रहे हैं। मैं पिछले इतिहास में जाना नहीं चाहता, लेकिन पिछली सरकारें भी इस प्रकार के कदम उठा सकती थीं, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

सभापति महोदय, झुग्गी-झोंपड़ियों में लाइट की व्यवस्था के लिए अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने उसकी परिभाषा परिवर्तित करने का प्रावधान करते हुए एक विधेयक बनाया है। उसमें व्यवस्था है कि जब तक अनुसूचित जाति वर्ग या गंदी बस्ती क्षेत्र में लाइट नहीं जायेगी, तब तक वह ग्राम विद्युतीकृत हुआ नहीं माना जायेगा। इस तरह से परिभाषा में ही परिवर्तन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल यही है कि जिन गंदी बस्तियों में लाइट की व्यवस्था नहीं है, अगर वहां लाइट जायेगी, तभी हम यह मानेंगे कि वह ग्राम विद्युतीकृत हुआ है - ऐसा कदम इस सरकार ने उठाया है। मैं एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाएं यहां बता सकता हूं। गंदी बस्ती

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

उन्मूलन योजना अलग है और अंत्यावासी सहकारी विकास योजना अलग है। 11वें वित्त आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार उसमें पैसा देती है। नगरीय क्षेत्रों में गंदी बस्ती उन्मूलन जोना के अंतर्गत जहां ऐसी बस्तियां हैं, जहां डामरीकृत सड़के नहीं हैं या सीमेंट, कंक्रीट की रोड्स नहीं है।

महोदय, स्थानीय निकाय, चाहे वह नगर पालिका है, नगर परिषद् है, वह कोई प्रस्ताव भेजे, तो केन्द्र सरकार उसको पैसा देती है और वह पैसा अनुदान के रूप में देती है। उससे पैसा वापस नहीं लेती है। इन गन्दी बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शहरी जल आवर्धन योजना कार्यान्वित की जा रही है। पहली बार इस प्रकार की योजना केन्द्र सरकार ने लागू की है। इस योजना के अंतर्गत केवल 5 प्रतिशत पैसा स्थानीय निकाय, चाहे वह नगर पालिका हो या नगर निगम हो, उसे देना पड़ता है और इस योजना के अंतर्गत नल-जल की व्यवस्था करने हेतु 95 प्रतिशत धन केन्द्र सरकार की ओर से उपदान के रूप में दिया जाता है। इस योजना से देश के अनेक शहरों को लाभ हुआ है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में ही कम से कम सात-आठ नगर पंचायतें ऐसी हैं, जिनकी एक-एक सवा-सवा करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। उन्हें केवल ढाई-तीन लाख रुपया देना पड़ा है। स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय, चाहे वह नगर पालिका है, नगर पंचायत है, कोई भी पांच प्रतिशत धन दे दे, तो केन्द्र सरकार से एक करोड़ या 95 लाख रुपए पेजल आवर्धन योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। यह मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीण जल संवर्धन हेतु शहरी क्षेत्रों की तरह ही स्वजलधारा योजना चलाई गई है। जहां हरिजन बस्तियां हैं, जहां गन्दी बस्तियां हैं, आदिवासियों की बस्तियां हैं, जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है, वहां यदि स्थानीय नागरिकों की समिति या स्थानीय स्वायत्तसासी निकाय पेयजल उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो उन्हें पांच प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार को देना पड़ेगा और 95 प्रतिशत धन केन्द्र सरकार देगी। चाहे फिर वह पंचायत हो, नगर पालिका हो, कोई भी स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय हो, वह पांच प्रतिशत पैसा देगा, तो केन्द्र सरकार उसे इस कार्य हेतु 95 प्रतिशत पैसा देगी। जहां सामान्य नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद् या ग्राम पंचायत है, वहां उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 10 प्रतिशत धन केन्द्र सरकार को देना होगा और उन्हें स्वजलधारा योजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 90 प्रतिशत धन केन्द्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस प्रकार से ऐसी बस्तियों में, झुग्गी-झोंपड़ियों में, गन्दे नालों के किनारे रहने वाले क्षेत्रों में, सड़क बनाने के लिए, नाले को पक्का करने के काम के लिए, नाले की बदबू से पास में रह रहे लोगों को बचाने हेतु, नाले की बाऊंड्री वाल बनाकर लोगों को बचाने हेतु पैसा देने का काम केन्द्र सरकार कर रही है। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से भिन्न-भिन्न प्रकार की योनजाएं चलाई जा रही हैं। इस प्रकार की योजनाएं यदि आजादी के पांच-सात वर्ष के बाद ही चलाई गई होती, तो आज देश में गन्दी बस्तियां दिखाई ही नहीं देती।

महोदय, एक समय था जब गरीबों का नाम लेकर, गरीबों को ही हटा दिया गया। आप सब लोग देखते रहे, समर्थन करते रहे। उन्नति के नाम पर अन्याय, अत्याचार और शोषण होता रहा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उसका प्रतिफल उनको मिल गया। भाषण देकर अपने काम की इतिश्री नहीं समझनी चाहिए। यदि वास्तव में नियमों और कानूनों में और संशोधन की गुंजाइश समझते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए। यह बात ठीक है कि नियम और कानूनों में प्रावधान हैं, परन्तु ईमानदारी से उन्हें पालन करने में कहीं न कहीं कोई दिक्कत आती है, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, कर्मचारी और अधिकारियों के कारण, उनकी लापरवाही के कारण होती है या उनके पालन में ढिलाई आती है, यदि कहीं ऐसा दिखाई देता है, खामियां दिखाई देती हैं या यह समझा जाता है कि वर्तमान नियमों और कानूनों को और कठोर बनाने की जरूरत है, तो उन्हें आगे आना चाहिए।

महोदय, जैसे शासकीय भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण करता है, तो उसी समय से उसे रोकना चाहिए और यदि नहीं रोका जा रहा है, उसका कब्जा हो गया है, तो फिर जिस अधिकारी के कार्यकाल में वह अतिक्रमण हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कड़ा प्रावधान कर दिया जाए, तो यह रुक जाएगा। कोई अतिक्रमण कर रहा है, नींव खोद रहा है, बांस-बल्ली गाढ़ रहा है, टीन-टप्पर ठोक रहा है, उसी समय उसे रोकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि कोई नेता मीडियेटर बन कर आ जाता है और जो अतिक्रमण कर रहा है, उससे 5 हजार रुपए ले लेता है। तीन हजार उस अधिकारी को दे देता है जिसके क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है और दो हजार नेता खुद लेता है और सरकारी भूमि पर बड़ी आसानी से अतिक्रमण होने दिया जाता है और रातोंरात, देखते-देखते झुग्गी-झोंपड़ियां खड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार अवैध रूप से बनाई गई बस्तियां, गन्दी बस्तियों का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार की जगह और जमीनों हेतु व्यवस्थित ढंग से मास्टरप्लान बनाकर, डिजाइन तैयार कर, एस्टीमेट बनाकर, ले-आउट तैयार कर, उन्हें पट्टे पर देने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। मैं भी वर्ष 1990 से 1992 के बीच में मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुका हूं। हमने उस समय इस प्रकार की योजना बनाई थी और गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को आश्वस्त किया था कि हम आपको यहां से अन्यत्र व्यवस्थित जमीन देकर पक्के मकान बनाकर, यहां आपने अगर 10×12 फीट का अतिक्रमण कर रखा है, टीम-टप्पर ठोककर टैम्परोरी झोंपड़ा बना रखा है तो हम आपको व्यवस्थित मकान बनाकर देंगे और

हमने इस प्रकार के एक नहीं, 100-100 व्यवस्थित मकान एक साथ बनाइकर लाइन से दिये थे, पीने के पानी की व्यवस्था पाइप लाइन के द्वारा की और वहां मार्केटिंग के लिए कुछ दुकानें बनाईं, चौपाल बनाई, सामुदायिक भवन बनाया, सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों को करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई और पंचायत अगर बन सकती है तो वह बनाने की कोशिश की, स्कूल बनाये। इस प्रकार के एक नहीं, अनेक कार्ययोजना बनाकर स्थानों का चयन करके गन्दी बस्तियों को अच्छी बस्तियों में परिवर्तित करने का काम किया है।

मैं अपेक्षा करता हूं कि जो नियम कायदे कानून बने हैं, वे इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि जो वर्तमान प्रावधान हैं, उनमें सुधार करने की दृष्टि से सरकार कोई ऐसा कानून लाये, कानून को सख्त करे ताकि इस वर्ग के लोगों का हित संरक्षण हो सके।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, सम्माननीय संसद सदस्य श्री रामदास आठवले जी जो झुग्गी-झोंपड़ी के संबंध में एक विधेयक लाए हैं, इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

झुग्गी-झोंपड़ी के बारे में दर्द पुराना दर्द है, यह आज का दर्द नहीं है। यह पुरानी कहानी है, दर्द भरी कहानी है, यह आज की कहानी नहीं है। यह दर्द भी बहुत पुराना है, लेकिन अभी तक अच्छी तरह से इलाज करने के लिए डाक्टर नहीं मिला है। अभी भी जो सामने डाक्टर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा डाक्टर होगा, लेकिन मुझे इनसे आशा नहीं है, बिल्कुल आशा नहीं है। आपने जैसा बोला है, इनको सम्भालने के लिए ईश्वर ही एक है, दूसरा इस भूमि पर कोई भी नहीं है।

यह दर्द कैसा हो गया है, शुरू से आर्थिक नीति बिगड़ने से, ग्रामीण लोग शहरों में पेट भरने के लिए आये हैं, ये शहरों के लोग नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। ये मेरे गांव से आये हैं, आपके गांव से आये हैं। देहात में लोग रहते हैं, उनका वहां पेट नहीं भरता तो ये लोग पेट भरने के लिए शहरों में आये हैं। अतिक्रमण करके झुग्गी-झोंपड़ी में न पानी है, न कपड़ा है, न मकान है, इस तरह से ये लोग रहते हैं। यह झुग्गी-झोंपड़ी का सवाल नहीं है, आप तो जानकार आदमी हैं, यह एक राष्ट्रीय सवाल पैदा हो गया है। इस राष्ट्रीय सवाल के बारे में सब को मिलकर देखना जरूरी है। इधर के लोगों को और उधर के लोगों को यह देखना जरूरी है, क्योंकि यह बहुत बड़ी बीमारी है। अतिक्रमण क्यों होता है, अतिक्रमण कैसे होता है, इस बारे में भी सोचना है और अतिक्रमण के बाद उनको हटाना, बाहर फेंकना भी बराबर नहीं है। यह मानुषिक आधार पर भी ठीक नहीं है, इसलिए दूसरी जगह उनको बैठाने के लिए नजदीक से नजदीक उन्हें भेजना चाहिए, क्योंकि उनके काम-धन्धे और रोजी-रोजी के लिए हर रोज का सवाल है, इसलिए इन्हें 12-14 मील तक बैठाना भी ठीक नहीं है, उन्हें नजदीक से नजदीक जगह देखनी चाहिए। महानगरपालिका में अन्य शहरों को भी शामिल कर दिया है, मेरी आपके माध्यम से विनती है कि इस बारे में जो नगरपालिका हैं, 20-25 हजार की बस्ती के जो शहर हैं, उन्हें भी इसमें शामिल करना जरूरी है। उनकी समस्या भी ऐसी है, इसलिए उनके मकान को जो अतिक्रमण किया है, उनको भी सुविधा कर दी जाये। कपड़े की व्यवस्था हो, रोजी-रोटी मिल जाये, शिक्षा की व्यवस्था हो जाये, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाये। मेरे पास कार है लेकिन उनके पास साइकिल तो होनी चाहिए। मैं खुद संसद सदस्य होते हुए भी, मेरी नगरपालिका में एक नगराते क्षेत्र है जिन्होंने मुझे झुग्गी-झोंपड़ी के लिए तीन छोटे-छोटे प्लाट 15×20 के दिये हैं। मैं आज भी वहीं रहता हूं। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे घर आइये और देखिये कि मैं कहां रहता हूं। मेरे रहने से वहां कुछ सुविधा हो गयी है। वहां विनती करके या झगड़ा वगैरह करके कुछ सुधार हो गया है। एक माननीय सदस्य की लड़की उधर है। ये भी वहीं से आते हैं। वहां अब कुछ अच्छी व्यवस्था हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि काम करने से ही सब ठीक होता है लेकिन इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। मन में काम करने की भावना होनी चाहिए। सरकार के मन में नीति बनाने की जरूरत है। मेरी प्रार्थना है कि झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जानी चाहिए। क्या कलम है, क्या धारा है, जैसे स्वामी बाल्मीकि जी राम-राम की जगह मरा-मरा बोल रहे थे लेकिन फिर भी उसमें राम नाम था। मराठी में एक कहावत है—खड़ बड़हे अंदुरि करती, कणशोधाया ते फिरती, परिअंति निराश होती, लवकरही ते सोउतली सदनाला, गणगोत जसे आपनाला, यानी चूहा खाने के लिए घर में इधर-उधर भागता है लेकिन जब उसे घर में अनाज नहीं मिलता तो वह घर छोड़कर चला जाता है, वैसे ही गरीब आदमी के सगे-संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं। गरीबी के कारण गरीब लोग देहात से शहर में चले जाते हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। इस खराब हालत को सुधारने के लिए आप इस बिल को लेकर आए हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पानी, बिजली, सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी न्यूनतम मुलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। जैसाकि कुछ पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा है कि इस विधेयक में मूल कमी यह है कि यह अपने आप में निगमों और संघ राज्य क्षेत्रों तक ही सीमित है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इस बिल पर दो और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। उसके बाद मंत्री जी का उत्तर होगा। यदि सब माननीय सदस्य सहमत हों तो इस बिल का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: जैसाकि उल्लेख किया गया है कि यह विधेयक उस माननीय सदस्य द्वारा लाया गया है, जो मुम्बई के रहने वाले हैं, और इस सभा के सदस्य होने के नाते वे अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए दिल्ली में रहते हैं। शायद उनके दिमाग में यही बात थी जिससे उन्होंने केवल निगमों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सोचा। बेहतर तो यही होता कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को इस विधेयक में सम्मिलित कर लिया जाता।

मैं मानव की मूलभूत जरूरतों—भोजन, वस्त्र और आवास- पर आना चाहता हूं। एक दशक पूर्व यानी नब्बे के दशक में, संयुक्त राष्ट्र ने 1991 से कई शिखर सम्मेलन आयोजित किए।

तदुपरान्त, छह या सात वर्षों में कई शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए। मुझे ऐसे सम्मेलनों में प्रतिनिधि मंडल के रूप में भाग लेने का विशेषाधिकार मिला। एक शिखर सम्मेलन समाज संबंधी शिखर सम्मेलन था जो कोपेनहेगेन में आयोजित किया गया था, दूसरा खाद्य संबंधी शिखर सम्मेलन रोम में आयोजित किया गया था और तीसरा काहिरा में पर्यावास या आवास संबंधी सम्मेलन आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित ये तीनों ही शिखर सम्मेलन शिखर स्तरीय सम्मेलन थे।

जिस समस्या पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वह केवल इसी देश तक सीमित नहीं है और न ही यह कतिपय निगमों या संघ राज्य क्षेत्रों तक सीमित है। यह पूरे विश्व की समस्या है। लोगों का पलायन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर हो रहा है, लोग विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह मानव संसाधन का पलायन है, यह लोगों का पलायन है और इससे विभिन्न शहरी क्षेत्रों में ढेर सारी समस्याएं खड़ी होती हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक महिला शिखर सम्मेलन बीजिंग में भी आयोजित किया गया था। दूसरा सम्मेलन आबादी पर भी आयोजित किया गया था।

जब मैं यहां भोजन, वस्त्र और आवास पर कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो मुझे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वह सब कुछ याद है जो इस सभा के किसी माननीय सदस्य ने कहा है। मुझे वह दिन भी याद है कि मैं किस दिन इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, आज 14 अगस्त है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। मुझे भारत छोड़ो आन्दोलन का वह संकल्प भी याद है जो 8 अगस्त, 1942 वर्ष को पेश किया गया था और वह भाषण भी जो गोवारिया टैंकफिल में दिया गया था। वहां कहा गया था: स्वतंत्रता और आजादी केवल प्रबुद्ध, ज्ञान सम्पन्न और संभ्रान्त लोगों के लिए ही नहीं होगी, बल्कि यह खेत-खलिहान में काम करने वाले मेहनतकश लोगों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों, अधिकार से वंचित लोगों के लिए भी होगी जो अपने स्वयं के विषयों पर अपनी आवाज उठा सकेंगे। एक तरह से इस विधेयक में हमें यह भी बताया गया है कि हमने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं और कितनी अभी और करनी हैं।

संविधान में बहुत ही स्पष्टरूप से कहा गया है कि हमने अपने आपको "एक कल्याणकारी राज्य" दिया है। मैं "कल्याणकारी राज्य" शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि भोजन, वस्त्र और आवास मुहैया कराने का दायित्व सरकार पर है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है, अधिकारों से वंचित लोगों को ये सभी चीजें मुहैया कराने की जिम्मेवारी कल्याणकारी राज्य की होती है।

लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन हो रहा है। इसके कई कारण हैं, किन्तु मूलरूप से दो कारण हैं। पहला यह कि वे पेट के लिए पलायन करते है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सालभर पर्याप्त रोजगार नहीं मिलता है, जबकि उन्हें रोजी-रोटी के लिए सालभर रोजगार की जरूरत है। वहां के लोगों को हमेशा शहरी क्षेत्रों में पलायन की प्रवृत्ति होती है जहां वे अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें और रोजगार पा सकें। दूसरा यह कि रोजगार की यह समस्या उन क्षेत्रों के सर्वहारा या अपने पेट के लिए प्रतिदिन मदूरी के लिए संघर्ष न करने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मध्यम वर्गीय लोग भी अपनी जीविका और बेहतर नागरिक सुविधा के लिए गांवों से शहरों में पलायन करते हैं। ये ही दो मुख्य कारण हैं जिनसे लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन होता है।

नागरिक सुविधा क्या है, हमारे पास आवास की बेहतर सुविधा है, पानी की बेहतर आपूर्ति है, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा है और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था है। ये चार चीजें ग्रामीणों के दिमाग में हमेशा होती हैं, अर्थात् यदि वे शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं, तो उन्हें बेहतर नागरिक सुविधा मिलेगी जो गांवों में नहीं होती हैं।

पिछले 56 वर्षों में हमने क्या हासिल किया है? ढेर सारे प्रस्ताव क्रियान्वित किए जा रहे हैं। जैसाकि कहा गया है, इंदिरा

आवास योजना इस देश के वंचित लोगों के लिए है। इसलिए रा.ज.ग. सरकार के शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए भी एक अलग से आवास नीति लाई है। यह है बाल्मीकि-अम्बेडकर आवास योजना। यह नीति है जिसमें मैं समझता हूं कि थोड़े सुधार की जरूरत है। पांच से आठ महीने का समय गुजर चुका है, इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी समीक्षा की जरूरत है। यह पता लगाने के लिए यह योजना कैसे क्रियान्वित की जा रही है और इसे क्रियान्वित करने में क्या कठिनाई है? शहरों में गरीबों की पहचान की जाती है, किन्तु इस आवास नीति के क्रियान्वयन की जांच करानी होती है, क्योंकि बाल्मीकि-अम्बेडकर आवास योजना के माध्यम से जो पैसे दिए जा रहे हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए उनके शेयर काफी अधिक होते हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास निःशुल्क दिए जाते हैं और राज्य सरकार 4000 या 5000 एक सीमित राशि वहन करती है। किन्तु, बाल्मीकि-अम्बेडकर आवास योजना के तहत लाभार्थी को 20,000 नहीं तो कम-से-कम 12 हजार से 15 हजार रुपये की राशि खर्च करनी पड़ती है अर्थात् उसे चालीस फीसदी राशि खर्च करनी पड़ती है। बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना में मुख्य कठिनाई या अड़चन यही है जिससे शहरी क्षेत्रों में इसको व्यापक समर्थन नहीं मिल पा रहा है। मैं समझता हूं कि इस पर थोड़े से विचार की जरूरत है।

सड़कें भी विकसित की जा रही हैं, यह न केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बल्कि अन्य कई योजनाओं के अंतर्गत भी विकसित की जा रही है। राजग सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बजटीय समर्थन कम-से-कम 60 फीसदी राशि मुहैया करा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं निश्चय ही राज्य का विषय है और राज्य को ही इसे विकसित करना होता है। पेयजल के संबंध में न केवल स्वजल धारा के लिए वरन् बड़ी संख्या में ट्यूबवेल लगाने के लिए भी पर्याप्त धनराशि प्रदान की जा रही है।

जब आप आज की स्थिति की तुलना 25 अथवा 30 वर्ष पहले की स्थिति से करें, 1970 के दशक के शुरूआत की बात करें तो निश्चित रूप से काफी विकास हुआ है। तो भी प्रवास हो रहा है और मनिल बस्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। फिर भी, मेरा यह सुझाव होगा कि पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए और बाहरी सहायता अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता की आवश्यकता है ताकि शहरी क्षेत्रों में आवास, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं और भोजन प्रदान किया जा सके। ऐसा ही एक संगठन डी.एफ.आई.डी. है जो ऐसी सहायताएं प्रदान कर रहा है।

जैसी कि अब चर्चा हो रही है, एक विधेयक बनाया जा रहा है। नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों की अनदेखी करके जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सीधे तौर पर धन प्रदान करने वाला है जिससे ब्याज घटक दो या तीन प्रतिशत कम हो जाएगा है। इस प्रकार से मेरा आग्रह यह होगा कि शहरी स्थानीय निकाओं को केन्द्र सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सीधे तौर पर ऐसी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ताकि वे आवास विशेष रूप से झुग्गी-झोंपड़ियों के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को आरंभ कर सकें।

श्रमिकों का पलायन इस देश तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, यह एक सार्वभौमिक परिघटना है। मुझे विभिन्न देशों की विभिन्न राज्यों की राजधानियों का दौरा करने का अवसर मिला है। जब मैं कारकस गया था, मैंने वहां झुग्गियां देखी थीं। वहां का प्रशासन इस देश के प्रशासन से पूरी तरह से भिन्न था। मैंने अटलांटा में मलिन बस्तियां देखी हैं, मैंने रोम में मलिन बस्तियां देखी हैं, मैंने केचरो में भी झुग्गी-बस्तियां देखी हैं। मैं चार विभिन्न देश, जो चार विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, की चार राजधानियों का जिक्र कर रहा हूं। झुग्गी-बस्तियां सर्वत्र हैं। यह सच नहीं है कि झुग्गी-बस्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

पेरिस में भी झुग्गी-बस्तियां हैं। फिर भी, वहां की झुग्गी-बस्तियों और यहां की झुग्गी-बस्तियों में अन्तर है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का आना, विकासशील देशों से विकसित देशों में लोगों के आने से झुग्गी-बस्तियां अस्तित्व में आ रही हैं और यह परिदृश्य विदेशों में भी है। फिर भी, आज की चर्चा का विषय यह है कि गत वर्षों में बस्ती, झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों को कतिपय मूलभूत सुविधाएं कैसे प्रदान की जाएं।

लेकिन हमें झुग्गी-बस्तियों की वृद्धि का कारण पता लगाना चाहिए और उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। इन झुग्गी-बस्तियों के उभरने में सर्वप्रथम कौन दोषी है? मैं इसे इस तरह से कहूंगा। अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में झुग्गी-बस्तियों के उभरने में मुख्य दोषी सरकार है। यह सरकार का कर्त्तव्य होता है कि वह अपने विभिन्न स्कंधों, चाहे न सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हों अथवा अन्य विभागों की संपत्ति की रक्षा करे। इन सम्पत्तियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये वही क्षेत्र हैं जहां अतिक्रमण हुआ है, जहां पर झुग्गी-बस्तियों का विकास हुआ है।

मैं यह कहूंगा कि अव्यवस्थित शहरी योजना से सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है। एक कल्याणकारी राज्य में हमारा प्रयास इस संघर्ष को कम-से-कम करने का होना चाहिए। ऐसा कैसे किया जा सकता है? समाज में हमारा यह स्वभाव होता है कि हम अकेले निर्वाह नहीं कर सकते। हमें सहायता करने वाले चाहिए। हमें सहायता की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न कार्यों के लिए

[श्री भर्तुहरि महताब]

विभिन्न लोगों की आवश्यकता होती है। मजदूरी के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी हमें बहुत से हाथों की आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें लोगों की आवश्यकता होती है। आज, शहरी क्षेत्रों में लोग देश के विभिन्न भागों से आते है। लोगों के इस प्रवाह को रोकने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है- एक है उन विशिष्ट स्थानों का चयन जहां कम-लागत वाले भवनों का निर्माण कराया गया है और वहां इन लोगों को बसाया जा सके, और दूसरा है परिवहन की ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जिनका उपयोग करके वे लोग यथासंभव कम समय में शहर में आ-जा सकें। झुग्गी बस्तियों को हटाने के स्थान पर इनमें मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती तो किसी को भी विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।

संक्षेप में, मैं यह कहूंगा कि इस विधेयक में बहुत-सी शुद्धियां की जानी है। जिस तरह से इस विधेयक को तैयार किया गया है उससे सभा में व्यक्त किये जा रहे उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत सावधानीपूर्वक मैं यह कहूंगा कि मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, यह एक बहुत विचारोत्तेजक विधान है जो हमारे प्रतिष्ठित सहकर्मी श्री रामदास आठवले लेकर आये हैं। मैं इस विधेयक के सभी प्रावधानों से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। इससे पहले कि मैं इस पर चर्चा आरंभ करूं, मैं खंड 6, 7 और 8 पर कड़ी आपत्तियां प्रकट करूंगा।

मैं श्री थारचन्द गेहलोत की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि यदि खंड 6, 7 और 8 इस विधेयक के अंग बने रहे तो इस विधेयक का लक्ष्य ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए, मैं इस विधेयक को अपना पूरा समर्थन नहीं दे रहा हूं और इन तीन खंडों पर अपनी कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूं। फिर भी, मैं इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करता हूं। यह एक ऐसी चर्चा है जिसमें हम राजनैतिक विषयों पर बात करना पसंद नहीं करते जैसा कि पूर्व वक्ता श्री थावरचन्द गेहलोत सफलतापूर्वक कर चुके हैं। कांग्रेस ने क्या किया और भा.ज.पा. ने क्या किया, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्त के 56 वर्षों के बाद हम मलिन बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को आवास की बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

इस संबंध में मैं सरकार से एक अपील करूंगा। यह एक अतीत है और सुझाव है। सरकार को एक कृतक बल की नियुक्ति करनी चाहिए जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री स्वयं करें और इस समस्या से प्रभावित सभी राज्यों को समितियों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिए और इस समस्या से प्रभावित सभी नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का उपसमितियों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिए। कृतक बल के एक कोष का विकास करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनानी चाहिए जो पूरी तरह से केन्द्र सरकार के बजट पर निर्भर न हो बल्कि विभिन्न स्रोतों से राजस्व संग्रहण पर निर्भर हो।

कृतक बल को एक व्यापक नीति-योजना पर विचार करना चाहिए जिससे कि; (क) मौजूदा ढांचे को आधुनिक बनाया जा सके; (ख) वैकल्पिक आवास निर्मित किये जा सकें; और (ग) यह सुनिश्चित किया जा सके कि झुग्गी बस्तियों की बढ़ती संख्या के मूल कारण को ही समाप्त कर दिया जाए। तत्पश्चात् इस संबंध में एक राष्ट्रीय पहल की जा सकती है। सभापति महोदय, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वह इसलिए कि मुझे दो बार हावड़ा निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा में प्रतिनिधित्व करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी झुग्गी-बस्ती है, यदि भारत की नहीं तो एशिया की सबसे अच्छी झुग्गी-बस्ती है जिसे पिल्खाना बस्ती के नाम से जाना जाता है जहां 90 प्रतिशत गरीब मुसलमान हैं और दस प्रतिशत गरीब दलित हैं। डोमीनीक लेपियार की फिल्म और उनके द्वारा रचित पुस्तक 65 सिटी आफ ज्वाय की उत्पत्ति इन्हीं झुग्गी-बस्तियों से हुई थी। यह पुस्तक सभी झुग्गी-बस्तियों उनकी स्थिति उनका मूल कारण कि उनका विस्तार क्यों हो रहा है, उनकी समस्याओं इत्यादि का गहन अध्ययन है।

पहली समस्या निरक्षरता है, दूसरी समस्या उस प्रकार की गतिविधियां हैं जिनकी अनुमति समाज नहीं देता, तीसरी समस्या स्वास्थ्य और सफाई की घटिया स्थितियां हैं और चौथी समस्या मजदूर वर्ग की आवास स्थिति की है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का लगभग 90 प्रतिशत भाग झुग्गी-बस्तियों में रहता है। श्रमिक वर्ग के अन्य क्षेत्र भी असंगठित क्षेत्र में हैं। चूंकि प्रबंधन उन्हें आवासीय सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकता, अथवा उन्हें ऐसे भत्ते प्रदान नहीं कर सकती जो किसी परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक होते हैं; इन परिवारों के पास इन झुग्गी-बस्तियों में बसने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं होता। सच बोला जाए तो ये झुग्गी-बस्तियां केवल संबंधित राज्यों का सिरदर्द नहीं होती वरन्, इन झुग्गी बस्तियों में रहने वालों का भी सिरदर्द होती हैं कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा।

अपराह्न 4.06 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, वर्ष 1967-68 में बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन आरंभ हुआ था। उस समय में कोलकाता विश्वविद्यालय में छात्र नेता था। मुझे अच्छी तरह याद है यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं वरन् यह झुग्गी-बस्तियों से आरंभ हुआ था।

उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कलकत्ता का दौरा किया था। जब वह दिल्ली वापस आयीं, उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण (सी.एम.डी.ए.) नामक एक संकल्पना प्रदान की। पांच वर्षों के भीतर, पैकेज-दर-पैकेज सफाई, पेयजल की आपूर्ति की प्रक्रिया कलकत्ता महानगरीय जोन के भीतर और बाहर विकसित होने लगी।

फिर भी मेरा यह दावा है कि वहां नगरों में भीड़-भाड़ के आने से समस्या का समाधान नहीं हो सका है जैसाकि श्री भर्तृहरि महताब ने ठीक ही कहा है, यह आश्रय की भागदौड़ है। वे जो चाहे करते हैं, वे जूते पालिश, सब्जी बेचना, अंशकालिक फेरीवालों आदि सब कुछ करते हैं। जब उन्हें यह लगता है कि उनके आश्रय के लिए कुछ नहीं बचा, तो वे चले क्यों नहीं जाते? इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि यदि आप सामाजिक आंकड़े लें तो सबसे गरीब मुसलमान, दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिसंख्यक लोग ही ऐसी झुग्गी-बस्तियों में रह रहे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि उनका चुनाव के दौरान जुबानी वायदों को छोड़कर समाज द्वारा और किसी सरकार द्वारा ध्यान नहीं रखा जाता।

माननीय सभापति महोदय, यह एक पुरानी समस्या है। मैं इन मलिन बस्तियों के कुछ बच्चों को जानता हूं जो स्कूलों और कालेजों के सितारे बने। मैं इन मलिन बस्तियों के कुछ कलाकारों को भी जानता हूं जो समाज के सितारे बने। मैं दुर्दान्त अपराधियों को भी जानता हूं। मैं दुर्दान्त लोगों को भी जानता हूं जो नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं। ये भी इन मलिन बस्तियों से हैं। इसलिए, मैं विधेयक के इन सभी खण्डों से सहमत नहीं हूं किंतु मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। यह किसी राज्य विशेष का मामला नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मामला है। मैं आपको बता सकता हूं कि लोग कितने अच्छे हैं। मुझे एक घटना याद है, 6 दिसम्बर की घटना जब मस्जिद गिराई गई थी। सबने कहा था कि झगड़ा होगा। मुम्बई शहर में, जबकि बुद्धिजीवियों ने कुछ और दावा किया था, झगड़ा हुआ। परन्तु हावड़ा के जी.टी. रोड में कोई भी साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई हालांकि सड़क के बांयी ओर मुस्लिमों की मलिन बस्तियां थी और दूसरी ओर दलितों की और कुछ हिंदुओं की मलिन बस्तिया थीं। वे इतनी अच्छे हैं, उन्हें समस्या का पता था, वे ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं हुए जो समाज और राज्य को नुकसान पहुंचाए। मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु को यह बताया था। उन्होंने कितना अच्छा बर्ताव किया। यह एशिया की सबसे बड़ी मुस्लिम बस्ती है- पिलखाना, और एक भी व्यक्ति ने अपनी हाथ में तलवार नहीं उठाई। फिर भी उनका ध्यान नहीं रखा गया।

मैं एक नेता का आभारी हूं जो इस सभा में नहीं हैं। वह और कोई नहीं बल्कि श्री मधु दंडवते हैं, वह अल्पावधि के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। मैंने मलिन बस्तियों की भयानक स्थिति के बारे में उनसे बात की और कहा कि कम से कम पेयजल को सुनिश्चित करें। केवल वही थे जो लड़े और तुरंत पेयजल की व्यवस्था के लिए 20 करोड़ रुपए की सहायता दी और मलिन बस्तियों में लोगों को पीने का पानी मिला। हम इस मुद्दे पर दलगत आधार पर चर्चा नहीं करेंगे। चाहे आप सभा में उस तरफ बैठें और चाहे हम सभा के इस तरफ बैठें परन्तु हम सबको मुद्दे को समझना चाहिए।

मैं माननीय उप राष्ट्रपति श्री शेखावत की बुद्धिमत्ता को मानता हूं। मैं उनके साथ एक समारोह के लिए गोवा जा रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि हमें दलगत भावनाओं को भूलकर देश में केवल तीन चीजों का समाधान करना चाहिए, यदि हम ऐसा करें तो यह देश विश्व में सबसे शक्तिशाली होगा। मैंने उनसे पूछा कि वे कौन सी चीजें हैं। उन्होंने कहा कि वह पूरा जीवन राजनीति में रहे और उन्होंने महसूस किया कि चाहे भाजपा हो अथवा कांग्रेस हो, हमें तीन चीजों का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक है जनसंख्या दूसरी है भ्रष्टाचार और तीसरी है शिक्षा। उन्होंने कहा कि यदि हम संयुक्त रूप से कार्य करें और कोई तरीका निकालें तो यह देश और शक्तिशाली बनेगा और मैं उस विचार का पूर्णतया समर्थन करता हूं। मैंने उप राष्ट्रपति की इस भावना से अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी को अवगत करा दिया है।

इन तीन बुनियादी मुद्दों पर हममें एकता होनी चाहिए और हमें उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए। जनसंख्या पहली चीज है, यह समाज को शहर की ओर भागने के लिए विवश कर रही है। जब तक सामाजिक सुविधाओं के साथ परिवार नियोजन अथवा जनसंख्या नियंत्रण का कार्य नहीं किया जाता तब तक समस्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब तक शिक्षा के अवसर प्रदान करके जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जाता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। क्या हम इस देश में किशोर श्रम को रोक सकते हैं नहीं।

मैं जानता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोग कहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं बल्कि उन्हें चाय की दुकानों पर ग्लास, कप और प्लेट धोने दो और अपने परिवार के लिए पैसा लाने दो। यह एक सामाजिक व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था में यदि आप यह दिखा सकते हैं कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं और वह भूखे भी नहीं रहेगा तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं। यदि आप इस विवादित मुद्दे का समाधान नहीं कर सकते तो मलिन बस्तियों के विस्तार की समस्या अथवा मलिन बस्तियों के लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

मैंने कुछ शहरों का जिक्र किया है जहां मलिन बस्तियां हैं। हमारे यहां हावड़ा में पिलखाना हैं, हमारे यहां टिकिया पाड़ा,

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

नजीर गंज, चारा बस्ती, भोड बागान, फूल बागान भी हैं जो भारत की सबसे बड़ी बस्तियां हैं। मैंने सर्वेक्षण किया और पाया कि 90 प्रतिशत गरीब मुस्लिम हैं। कर्नाटक को छोड़कर अहमदाबाद, सूरत, पुणे, मुम्बई, पटना, मुजफ्फरपुर, चेन्नै और कोयम्बटूर शहरों में प्रतिवर्ष मलिन बस्तियां बढ़ रही हैं और इस सामाजिक अध्ययन से पता चलता है। हमारे यहां केवल इन चार महानगरों में ही नहीं बल्कि लखनऊ और इलाहाबाद में भी मलिन बस्तियां हैं। लोग शहरों की ओर भागते हैं और वहीं रूक जाते हैं। वे वापस नहीं जाते। यदि वे सरकार की खाली भूमि पर भी रहते हैं उन्हें बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए जबकि विधेयक में इसका उल्लेख किया गया है। मैं उस विचार से सहमत नहीं हूं क्योंकि वे वहां मजा करने के लिए नहीं आए थे, वे वहां रोटी कमाने के लिए आए थे। हमारी सरकार के तौर पर चाहे राज्य सरकार हो अथवा केन्द्र सरकार हो, उनकी भूख शांत करने की जिम्मेदारी है। जब तक वैकल्पिक आश्रय की व्यवस्था नहीं होती तब तक हमें उन्हें बाहर नहीं फेंकना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार रेल मंत्री हैं। वह हमारे राज्य में अपना रेलवे नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। मलिन बस्तियों के सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशनों के निकट रह रहे हैं। हमें गत छः माह से उन्हें वैकल्पिक आश्रय स्थल के लिए समझाना पड़ा। कुछ चीजों की व्यवस्था की गई और तब बेदखली की प्रक्रिया शुरू हुई। इसलिए मैं श्री थावरचन्द गेहलोत द्वारा व्यक्त किए गए कुछ विचारों से सहमत हूं। मेरी प्रबल धारणा है कि सभी समाज शास्त्रियों, सामुदायिक नेताओं, मेयर और नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को विश्वास में लेकर एक कृतिक बल का गठन किया जाना चाहिए। यदि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाए तो इसको ऐसी स्थिति बदलने में बहुत महत्व दिया जाएगा। जिससे कि इस समस्या से निपटा जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार): सभापति महोदय, आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं श्री रामदास आठवले द्वारा 25 जुलाई, 2003 को प्रस्तुत विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने यहां सभी माननीय सदस्यों के भाषण सुने। गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को सुख-सुविधाएं देने के संबंध में यह प्रस्ताव है। देश की हर राजधानी की गंदी बस्तियां में गरीब लोग आकर बसते हैं। उनमें बहुत से स्थानीय लोग भी होते हैं लेकिन वहां की नगरपालिका, महानगरपालिका और पंचायतें उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। ठन गरीब लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती। वे लोग बिल्डर्स से प्लाट महंगे होने के कारण खरीद नहीं पाते। इसलिए उन्हें जहां जगह मिलती है वहां वे छोटी सी झुग्गी बना कर रहते हैं। जैसा महाराष्ट्र सरकार ने उनकी तरफ उचित ध्यान देकर सुविधाएं देने की कोशिश की वैसा ही दूसरे राज्यों में भी किया जाए। गरीब बस्तियों में स्वच्छ पीने का पानी, बिजली और सड़कें बनाने के लिए बहुत कम सहायता दी जाती है। नगरपालिका और महानगरपालिका भी इस तरफ ध्यान नहीं देती। बहुत से लोग बाहर से भी आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस बिल पर अलाट किया गया समय समाप्त हो रहा है। यदि सदन सहमत हो तो दस मिनट के लिए समय और बढ़ा दिया जाए। माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें क्योंकि मंत्री जी का भी जवाब आना है।

अनेक माननीय सदस्य: हम सब की इस पर सहमति है।

श्री माणिकराव होडल्या गावित: मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जैसे हुडको की योजना है, इन्दिरा आवास की योजना है। उसे ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जाए। राज्य सरकार और महानगरपालिका की ओर से झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की व्यवस्था करनी चाहिए। देश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना लागू हुई है। कुछ ऐसी बस्तियां भी हैं जो गांव से अलग हैं। जिन क्षेत्रों में लोग झुग्गी-झोंपड़ी बना कर रहते हैं वहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यक्रम लागू करने चाहिए।

मुझे इस पर बहुत कुछ बोलना था लेकिन आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं इसलिए इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव रखे मैं उनके साथ अपने आप को जोड़ता हूं। गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों की तरफ सरकार ध्यान दे और उनके लिए अच्छी योजनाएं बनाए क्योंकि वे भी देश के निवासी हैं। इसे देखते हुए उनके लिए कार्यक्रम बनाने चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): माननीय सभापति महोदय और माननीय सदस्यगण, श्री रामदास आठवले ने इस विधेयक का प्रस्ताव किया है। मैं उन्हें विधेयक का प्रस्ताव करने के लिए धन्यवाद देता हूं और चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य महानगरों में गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार महानगरों में सभी झुग्गी-झोंपड़ियों को पहले से ही

मूलभूत सुविधाएं दे रही है। हम गंदी बस्तियों में रहने वालों को अधिक सुविधाएं यथा पानी, बिजली, स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं इत्यादि भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम गंदी बस्तियों में रहने वालों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए भी सारे प्रयास कर रहे हैं।

यहां मैं उल्लेख कर दूं कि जहां तक राज्यों में महानगरों का प्रश्न है, वे संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रविष्टि 5, 6, 17, 18 और 53 के अंतर्गत आते हैं। अत: मेरे विचार से इस संबंध में विधान बनाने में यह सभा सक्षम नहीं होगी।

श्री पवन कुमार बंसल: क्या आप सक्षमता वाली अपनी बात कृपया दुहरा सकते हैं?

श्री पोन राधाकृष्णन: मैंने कहा कि यह विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रविष्टि 5, 6, 17, 18 और 53 के अंतर्गत आता है।

श्री पवन कुमार बंसल: अतएव, भारत सरकार को गंदी बस्तियों में रहने वालों के विषय में कुछ करने को नहीं है।

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदय, हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। किन्तु जहां तक मामला विधान के संबंध में है, यह सक्षम नहीं है। मैंने सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को नोट कर लिया है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उन्होंने संघ राज्य क्षेत्र के विषय में क्या किया है जो विशेषत: उनके प्रभार में है। संघ राज्य क्षेत्रों की सभी क्षेत्रों में हमेशा उपेक्षा की गयी है।

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदय, सभी संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को हम बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना और राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास निधि से धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को नोट कर लिया है। हमारा मंत्रालय इन सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

श्री पवन कुमार बंसल: इतनी महत्वपूर्ण चर्चा का ऐसा उत्तर!

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले-उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है:

"कि गंदी-बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में जल, विद्युत, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं जैसी न्यूनतम बुनियादी सुख-सुविधाओं तथा व्यापक जनहित में ऐसे क्षेत्रों के अपसारण तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब हम मद सं. 29 लेंगे। श्री विलास मुत्तेमवार-उपस्थित नहीं हैं।

मद सं. 30 श्री कोलूर बसवनागौड़-उपस्थित नहीं हैं।

मद सं. 31, श्री जी.एम. बनातवाला।

अपराह्न 4.25 बजे

(दो) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—*विचाराधीन*

(नई धारा 298क से 298ग का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय आज 14 अगस्त है। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है। मैं आपके माध्यम से यहां उपस्थित सभी लोगों को और पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

महोदय, मैंने जो विधेयक अभी पेश किया है वह वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है। यह विधेयक बहुत सरल और बहुत महत्वपूर्ण तथा ज्वलंत विषय से संबंधित है। हम सब वाकिफ हैं कि वक्फ की जायदाद पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है। वक्फ की जायदाद पर न केवल बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है बल्कि ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह अतिक्रमण बिना किसी डर के हो रहा है। यह आवश्यक है कि हम इस महत्वपूर्ण मसले से निपटें।

महोदय, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण को गंभीरता से लेना चाहिए। पहले तो यह धर्म के विरुद्ध अपराध है। वक्फ और वक्फ संपत्तियों अल्लाह को समर्पित हैं अत: उससे हमेशा के लिए जुड़ी हुई हैं। इस बात से भी वक्फ की पवित्रता को समझा जा सकता है कि वाकिफ जो वक्फ का गठन करता है वह भी वक्फ संपत्ति

[श्री जी.एम. बनातवाला]

को वापस नहीं ले सकता। इसे हमारे धर्म तथा हमारे कानून में भी अनुमति प्राप्त नहीं है। अतः यह धर्म के विरुद्ध गंभीर अपराध है।

वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण समाज के प्रति भी एक गंभीर अपराध है। वक्फ का गठन धार्मिक या परमार्थ उद्‌देश्य के लिए होता है। वक्फ का गठन किसी वर्ग, जाति या धर्म के भेदभाव के बिना समाज के लाभ के लिए परमार्थ उद्‌देश्यों के लिए किया जाता है। वे धर्म, वर्ग, जाति या नस्ल के आधार पर भेदभाव के बिना समाज की सेवा करते हैं। पूरे समाज की सेवा तथा लाभ के लिए वक्फ का गठन किया जा सकता है। वह चिकित्सा संबंधी सेवा या गरीबी उपशमन या परमार्थ उद्देश्य के लिए बनाया जा सकता है।

अतः हमारा कहना है कि वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि यह समाज के लिए अपराध है। इस प्रकार के अतिक्रमण से वक्फ के समाज के हितों को पूरा करने के उद्देश्य और क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है।

सभापति महोदय: श्री बनातवाला आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला: जी हां, मैं अपना भाषण अगली बार जारी रखूंगा।

अपराह्न 4.31 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए उपाय-वापस लिया गया—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए उपाय के संबंध में दिनांक 1 अगस्त, 2003 को श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे की चर्चा आरंभ करेंगे।

अब, प्रो. रासा सिंह रावत बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति महोदय, मैं श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा 1 अगस्त, 2003 को पेश किए गए संकल्प पर लगभग दो सप्ताह पूर्व अपने विचार व्यक्त कर रहा था। उस समय भी मैंने कहा था कि यद्यपि यह शब्दों की संरचना की दृष्टि से काफी लुभावना संकल्प प्रतीत होता है, तथापि इसके पीछे जो भावना है, वह केवल मात्र सरकार पर दोषारोपण करने की है।

महोदय, जहां तक श्रमिकों के कल्याण की बात है, हम सब चाहते हैं और एन.डी.ए. सरकार चाहती है कि श्रमिकों का कल्याण हो, उन्हें संरक्षण प्राप्त हो और साथ-साथ जो सुविधाएं हैं, वे सब उन्हें प्राप्त हों। उस समय आचार्य जी ने ऐसा नक्शा खींचा था कि एन.डी.ए. की सरकार श्रमिकों के लिए कुछ नहीं कर रही है। वास्तव में यह ठीक है कि आज सार्वजनिक रूप से श्रमिक संगठनों के कारण, बार-बार हड़ताल के कारण जो स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण बंगाल, जो औद्योगिकीकरण की दृष्टि से सबसे आगे था, अग्रणी राज्य था, वहां से बड़े-बड़े उद्योगपति, अपने-अपने उद्योग धंधे दूसरे राज्यों में ले जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि बंगाल और केरल में कोई पूंजी निवेश नहीं करना चाहता। इसी श्रमिक समस्या के कारण मान्यवर कहा गया था कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचों कि तार ही टूट जाएं और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि सुर ही बजना बन्द हो जाए। ठीक इसी प्रकार श्रमिकों को संरक्षण प्राप्त हो, लेकिन उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए।

सभापति महोदय, डब्ल्यू.टी.ओ. के ऊपर, पहले जो सरकार थी, उसने सहमति दी, हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के बाद हमारी ऐसी स्थिति बन गई कि हमें इसे स्वीकार करना पड़ा। पहले की सरकार ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की नीति को स्वीकार किया और जब इन सब बातों को अपना लिया तो अब उसे अपनाने के बाद, वे ही लोग कह रहे हैं कि यह भी और वह भी-ये सब बातें कैसे चलेंगी? आज हम देखते हैं कि यद्यपि चीन की चीजें विश्व के बाजार में सस्ती मिल रही हैं। इसका कारण यह है कि चीन में श्रम सस्ता है और वहां के नियम बहुत सरल हैं। हमारे यहां नियम बहुत जटिल हैं। यही कारण है कि चीन में तैयार किया हुआ माल हमारे यहां तैयार किए माल से काफी सस्ता होता है। इसीलिए विश्व बाजार में चीन का माल सस्ता है। हमें भी विश्व बाजार में स्थान प्राप्त करने के लिए इस दृष्टि से सोचना और देखना पड़ेगा। अतः श्रमिकों को संरक्षण देने के साथ-साथ, हमारे कार्य करने में वे कितना सहयोग देते हैं, वे कितने उपयोगी सिद्ध होते हैं, उनसे कितनी उत्पादन में वृद्धि होती है, इन सभी चीजों को देखते हुए श्रमिक नीतियां ऐसी बनानी होंगी जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके।

महोदय, वर्तमान समय में हमारे श्रमिक कानून कुछ जटिल हैं, लेकिन सरकार उनका सरलीकरण करने का प्रयास कर रही है। जो असंगठित श्रमिकों की बात कही गई है, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर, चूना भट्टा

में काम करने वाले, अन्य फुटकर रोजगार में लगे मजदूर, वे सब असंगठित हैं। उनका शोषण हो रहा है।

महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि देश में कुल मजदूरों की संख्या 40 करोड़ है। इनमें से 2.8 करोड़ श्रमिक ऐसे हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है। इनमें भी 1.9 करोड़ श्रमिक वे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वे केन्द्र में हों या प्रदेश सरकार में हों। केवल 87 लाख संगठित श्रमिक निजी क्षेत्रों के अंदर लगे हुए हैं जिनके ऊपर हमारे सब कानून लागू होते हैं। उनको इन कानूनों से सभी प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। वे लोग ही इन कानूनों का लाभ उठा रहे हैं। इनमें प्रावीडेंट फंड, बोनस, छुट्टियों का नकदीकरण, ई.एस.आई. की सुविधा, ये सारी की सारी सुविधाएं केवल 87 लाख संगठित श्रमिकों को, जो निजी क्षेत्र में हैं, उन्हें मिल रही हैं। सारी सुविधाएं केवल इन 87 लाख संगठित श्रमिक, जो निजी क्षेत्र में हैं या 1.9 करोड़ जो सरकारी रोजगार में हैं, वे ही उठा रहे हैं, फिर भी हमारे श्रम कानून केवल उन्हीं लोगों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के अन्दर, जैसा मैंने कहा कि लगभग 35 करोड़ लोग हैं। जहां संगठित श्रमिकों को पांच हजार से दस हजार रुपये तक की तनख्वाह प्रतिमाह मिलती है, वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक हजार रुपये, 1500 रुपये भी मुश्किल से मिलते हैं, नहीं तो इससे भी कम पैसा मिलता है, उन्हें मुश्किल से तनख्वाह दी जाती है, उनका वेतन कम, सुविधाएं कम, भत्ते बिल्कुल नहीं, शोषण अलग, कई दफा तनख्वाह भी नहीं मिलती, उनका कोई हिसाब-किताब नहीं, इस तरह उन बेचारों की बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं एन.डी.ए. सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने पिछले दिनों जो भवन निर्माण में लगे हुए श्रमिक हैं और कृषि क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों के लिए कई कानून बनाये हैं। जो पुराने कानून बने हुए हैं, उनमें भी सरकार संशोधन कर रही है और उनका सरलीकरण करने का प्रयास कर रही है।

एक तरफ ट्रेड यूनियन का जो कानून है, जिसमें बाहर के नेता लोग नेतागिरी करते थे, उनका उत्पादन से कोई लेना-देना नहीं था और जब चाहे तब झंडा ऊंचा करके हड़ताल करने के लिए श्रमिकों को उकसाते थे, ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्दर भी संशोधन करने का सरकार प्रयास कर रही है। मैं समझता हूं कि जहां श्रमिकों को सही बात के लिए संरक्षण प्राप्त हो, वहीं पर जहां उत्पादन की बात है, वहां हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय उत्पादन की भी वृद्धि हो और राष्ट्र आगे बढ़े इसके लिए भी सब का प्रयास होना चाहिए। देश में पूंजी की कमी है और श्रम का बाहुल्य है तो पूंजी की कमी कैसे दूर की जाये और जो श्रम बाहुल्य है, उसका पूरा उपयोग कैसे हो, इन दोनों के अन्दर समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। अगर हमें दोनों में समन्वय स्थापित करना है तो फिर हमें हड़तालों से दूर रहना पड़ेगा।

अभी सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया, हालांकि वह निर्णय अति के ऊपर चला गया है, अति सर्वत्र वर्जयते, अति हर चीज की बुरी होती है। लेकिन न्यायोचित हकों के लिए अगर श्रमिक मांग करते हैं तो मांग करने का उनको अधिकार होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक हड़तालों पर जाना और चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हों, यह जो नारा लगाते हैं, यह देश के लिए घातक है। होना तो यह चाहिए कि राष्ट्रहित में काम करेंगे और काम के बदले पूरा दाम लेंगे, तब तो ठीक है। इसलिए मैं समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने हड़ताल पर जो पाबन्दी लगाई है, वह अति देखते हुए ही लगाई है। इसमें श्रमिक संगठन और उनको संरक्षण देने वाले जो विभिन्न राजनैतिक दल हैं, वे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और अपने-अपने अधीन या अपने-अपने संरक्षण या विचारधारा के अनुसार जो कार्य करने वाले श्रमिक संगठन हैं, उनको प्रेरणा देंगे कि वे श्रमिकों के हित के लिए संघर्ष करें, श्रमिकों के हकों के लिए लड़ें, श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास करें, वहीं पर राष्ट्र का उत्पादन बढ़ाने के लिए, राष्ट्री की बहबूदी के लिए भी पूरा प्रयास करें, यह उनका प्रयास होना चाहिए।

इस बिल के अन्दर माननीय आचार्य जी ने सामाजिक सुरक्षा की बात कही है, सामाजिक सुरक्षा में कमी नहीं आनी चाहिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा। जो असंगठित श्रमिक हैं, उनके लिए भविष्यनिधि योजना लागू की जाये। उनकी ब्याज दर पिछले दिनों वास्तव में कम हो गई थी। मैं कई एडेड संस्थाओं के संगठनों का पदाधिकारी हूं, मुझे जानकारी प्राप्त है कि पहले उनके प्रोविडेंट फंड पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता था, लेकिन अब उनका ब्याज एकदम नौ प्रतिशत हो गया है, जबकि सेवानिवृत्ति के बाद उनका एकमात्र सहारा प्रोविडेंट फंड होता है, उन्हें कोई पेंशन वगैरह भी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए प्रोविडेंट फंड के अन्दर जो ब्याज में कमी की गई है, सरकार से प्रार्थना है कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का कष्ट करे। श्रमिकों का जो बकाया है, उसका तो अवश्य भुगतान होना चाहिए, चाहे निजी क्षेत्र में हो या अन्य जगह हो। जहां शोषण हो रहा है, उसे रोकने का प्रयास होना चाहिए और ई.एस.आई. हास्पिटल्स को मजबूत बनाना चाहिए।

बीड़ी उद्योग में जो गन्दी बस्तियां हैं, समाज के अन्दर झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं, लेकिन वहां पर ऐसी अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां होती हैं कि जिनमें उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, उन्हें टी.बी. हो जाती है, स्लम के पास गन्दी नालियां बह रही हैं, वहां बैठकर उनके बच्चे और बड़े लोग सब बीड़ी बनाने का काम करते हैं। बीड़ी उद्योग की स्थिति भी बड़ी दयनीय है, उनकी भी सुरक्षा के बारे में काम होना चाहिए, उन्हें हास्पिटल की, ई.एस.आई. की सुविधा मिले और उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा प्राप्त हो। छात्रवृत्तियां प्राप्त हों,

[प्रो. रासा सिंह रावत]

इलाज की सुविधा हो तथा उनको प्रोविडेंट फंड मिले। बीड़ी उद्योगपति करोड़पति बन जाते हैं लेकिन बेचारे मजदूर, मजदूर ही रह जाते हैं। हमें उनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले, भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी कानूनों का निर्माण यह सरकार कर रही है। एक राष्ट्रीय श्रम आयोग भी बनाया गया है। इस बारे में आयोग निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में अपनी अभिशंसाएं प्रस्तुत करेगा। हम आई.एल.ओ. यानी इंटरनैशनल लेबर आर्गनाइजेशन के भी सदस्य हैं। सारे विश्व में इस प्रकार के जो कानून बने हुए हैं, उनसे हम बंधे हुए हैं। इसलिए श्रमिकों का कल्याण हो, उत्पादन में वृद्धि हो, राष्ट्र का हितवर्धन हो और ये सब कुछ हो जाता है तो ठीक है अन्यथा केवल हड़तालों को प्रोत्साहित करना राष्ट्रहित में उपयुक्त नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सभापति महोदय, मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं। अब इस दिन का भी महत्व है। ठीक 56 वर्ष पूर्व जब 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी तो मुझे अपने गांव में मध्यरात्रि 12 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सौभाग्य मिला था।

महोदय, स्वतंत्रता से पूर्व हम ब्रिटिश गुलामी के विरुद्ध लड़ रहे थे और वह लड़ाई सदियों तक चली। अंततः हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ब्रिटिश तो देश से चले गए थे। अब 56 वर्ष बाद, हम कहां खड़े हैं? संविधान के कार्यकरण के कारण ऐसी स्थिति आ गई है जहां इस देश के श्रमिक गुलाम बन गए हैं।

संकल्प के संदर्भ में, मैं उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय का उल्लेख करना चाहूंगा। जिस समय यह संकल्प प्रस्तुत किया गया तो स्थिति अलग थी, लेकिन तदुपरांत स्थिति बदल गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय निश्चित ही स्वतंत्रता आंदोलन पर एक कलंक है। यह मानवाधिकारों पर भी एक हमला है स्थिति का उल्लेख करने से पूर्व मैं यह स्वीकार करना चाहूंगा कि हमारी न्यायपालिका ने हमारे संविधान का पालन कराने हेतु बहुत सेवाएं प्रदान की है। न्यायपालिका ने अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं। उस न्यायपालिका ने आपातकाल के दौरान रूख अपनाए हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि श्रमिकों के अधिकारों पर निरंतर हमले हो रहे हैं, न केवल न्यायपालिका द्वारा बल्कि कार्यपालिका द्वारा भी हमले किये जा रहे हैं।

यह संकल्प कार्यपालिका द्वारा किसी न किसी प्रकार से श्रमिकों के अधिकारों पर अतिक्रमण के बारे में बिलकुल स्पष्ट है। हाल ही में किया गया हमला भविष्य निधि पर ब्याज दर में कमी करके किया गया था। सरकारी कर्मचारियों को तीस वर्षों की सेवा के बाद भविष्य निधि के रूप में धनराशि मिलती है। सरकारी कर्मचारी इस राशि को सहकारी बैंक या तालुक कोष में रखते हैं और उस पर उन्हें ब्याज मिलता है। यह ब्याज अधिकांश समय इस राष्ट्र की सेवा में बिता चुके गरीब लोगों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बनता है और यह उनके लिए वरदान है। लेकिन इस सरकार ने बैंकों में अपनी भविष्य निधि राशि जमा करने वाले कर्मकारों को दिए जाने वाले ब्याज को 12 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक घटाने का कठोर निर्णय लिया। क्या इसका कोई औचित्य है? मैं सरकार से पछूंगा: ''आपको किस बात से उन गरीब कर्मचारियों को दिए जाने वाले ब्याज में कमी करने के लिए बाध्य किया जो अपनी राशियों को सरकारी कोष में सावधि निक्षेपों के रूप में जमा कर चुके थे।''

इसलिए भी श्रमिक का मूल अधिकार सामूहिक सौदेबाजी के लिए है। यह नई बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय में यह कहा गया है कि श्रमिकों को हड़ताल करने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। यह सही वक्तव्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान सहित मैं उस वक्तव्य को चुनौती देता हूं।

हमने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 पारित किया है। यह संविधि अभी भी लागू है। इस अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, श्रमिकों को 14 दिनों का नोटिस देने के बाद, हड़ताल करने का अधिकार है। यह अधिकार अधिनियम में है। यह निर्णय इसी सभा का है। इस सभा ने औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित किया है। इस संविधि में यह उपबंध है कि श्रमिकों को सौदेबाजी करने और हड़ताल करने का अधिकार है। औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा श्रमिकों को दिए गए उस अधिकार पर दुख व्यक्त करते हुए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने उस अधिनियम के उपबंधों को समझे बिना स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी है कि श्रमिकों को हड़ताल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उन्हें यह सूचना कहां से मिली? कर्मकारों को अधिकार है। वे गुलाम नहीं है। इस देश में उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। अब तमिलनाडु सरकार द्वारा कर्मचारियों के अधिकारों पर लगातार हमला हो रहा है। हाल ही में, समाचार में यह बताया गया था कि सरकार ने अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अध्यादेश जारी किया है। उस अध्यादेश द्वारा कर्मचारियों का कार्य का अधिकार वापस ले लिया गया है। उनके सारे भत्ते बंद कर दिए गए हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी सांविधिक अध्यादेश के उपबंधों द्वारा-बिलकुल मनमाने तरीके से-संघों की मान्यता भी वापस ले ली गई

है। अतः, कार्यपालिका पक्ष और न्यायपालिका पक्ष दोनों की तरफ से श्रमिकों के अधिकारों पर अविरोध हमला हो रहा है।

अपराह्न 4.47 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

श्रमिकों ने ये अधिकार स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान तथा तदुपरांत संघर्षों और कानूनी अधिकारों के संघर्षों द्वारा प्राप्त किए हैं। यह वरदान नहीं है। यह कार्यपालिका या न्यायपालिका द्वारा दी गई रियायत नहीं है। श्रमिकों ने उन अधिकारों को अपने सामूहिक बल और सामूहिक सौदाकारी द्वारा अर्जित की है। श्रमिकों द्वारा संघर्षों के माध्यम से प्राप्त इन मौलिक अधिकारों को पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं रोक सकती।

उच्चतम न्यायालय से जो बात मैं पूछूंगा वह यही है। क्या मेरे उनसे प्रश्न पूछते समय उनका अंतःकरण प्रोत्साहित होगा कि न्यायालयों में करोड़ों मामले क्यों लंबित हैं? उच्च न्यायालयों, सत्र न्यायालयों, मुफस्सल न्यायालयों में अब भी हजारों, और लाखों मामले लंबित हैं। गरीब नागरिक को मुकदमें की स्थिति से गुजरना होता है। उसे न्याय नहीं मिल रहा है। न्यायालयों ने इन लंबित मामलों पर निर्णय नहीं लिए हैं। उनका विवेक कहां है? अब जब श्रमिकों की हड़ताल होती है, जब गरीब व्यक्तियों को संघर्ष करना पड़ रहा है तो उन्हें आड़े हाथों लिया जाता है। यह उच्चतम न्यायालय की दलील है। अब मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से पूछता हूं: ''जब आप लंबित लाखों याचिकाओं पर निर्णय नहीं ले रहे हैं तो आपका विवेक कहां है? इन सभी में नागरिकों के अधिकार हैं। इन सभी में लोगों के अधिकार हैं और आप वहां इन मामलों के निर्णय लेने के लिए न्यायाधीशों के रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन वे मामले दशकों से आपके समक्ष लंबित हैं।''

अब मैंने सारे न्यायालयों से आंकड़े एकत्रित करके एक उत्तर दिया है। मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। उन आंकड़ों के अनुसार इन न्यायाधीशों के समक्ष 25 से 35 वर्षों से उक्त मामले लंबित हैं। उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। गरीब नागरिक को तकलीफ उठानी पड़ती है। उन्हें इसकी चिंता नहीं है। लेकिन उन्हें इसकी चिंता है कि श्रमिक हड़ताल का सहारा लेते हैं। वे यह देखेंगे कि गरीब व्यक्तियों को श्रमिकों की हड़ताल के कारण परेशान होना पड़ता है। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि श्रमिकों के हड़ताल करने का अधिकार है और यह हमारी लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है और यह कि उन्हें थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। जब श्रमिक हड़ताल का सहारा लेते हैं, तो इससे कुछ व्यक्तियों पर असर पड़ेगा। यह हमारे लोकतांत्रिक कार्यकरण का अभिन्न हिस्सा है। क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इस ब्रह्मांड में नहीं रहे हैं? क्या वे स्वर्ग से आए हैं?

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, इस संकल्प के लिए आबंटित दो घंटे का समय आबंटित किया गया है। वह समय समाप्त हो गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसकी जानकारी मुझे भी है।

सभापति महोदय: अब हमें इस समय को एक घंटे बढ़ाना होगा। यह सभा के विवेक पर है कि समय एक घंटे तक बढ़ाया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: ठीक है, आप इसे जारी रख सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अब मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार देने के लिए या सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार देने के लिए विधान लेकर आई उन्हें वह अधिकार दिया जाना जरूरी है। उन्हें वह अधिकार प्रदान किया जाना जरूरी है। इस आधार पर मैं इस संकल्प के लिए एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि न केवल सामाजिक सुरक्षा बल्कि कर्मकारों को हड़ताल करने के सामूहिक तरीकों के रूप में श्रमिकों को हड़ताल पर जाने का मूल अधिकार भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। अतः मैं आपके संकल्प के लिए संशोधन प्रस्तुत करता हूं। मैं इस प्रभाव से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि काम पर हड़ताल करने का मूल अधिकार भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, और आपको उच्चतम न्यायालय के इस अनोखे निर्णय को रद्द करने के लिए विधान लाना चाहिए जो कि इन लोगों द्वारा दिया गया अन्यायपूर्ण निर्णय है तथा मानव इतिहास में काला दिवस है। सभ्य मनुष्यों की बात करना वास्तव में हास्यास्पद है। सभ्य संसार में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी, श्रमिक को कार्य का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार है। उन्हें अधिकार या सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार है। यह लगभग सभी सभ्यताओं में है। परन्तु हमें पता चला है कि कर्मकारों को हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)* उनका कहना है कि कर्मकारों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। वे दास हैं। उन्हें दासों की तरह रहना होगा। यह अधिनियम सभी श्रम अभिसमयों का गम्भीर अपमान है जिसमें कहा गया है कि काम करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हड़ताल करने का अधिकार एक सामूहिक अधिकार है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने वापस ले लिया है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार इस संबंध में अतिशीघ्र एक कानून लाए ताकि कर्मकारों

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

को अपनी शिकायतें दूर करवाने हेतु सामूहिक मोल-तोल करने का अधिकार मिल सके। हम दासता नहीं ला सकते। हम बहादुर लोग है जिन्होंने अंग्रेजी हुकुमत और ब्रिटिश दासता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब हमें न्यायपालिका के विरुद्ध लड़ना है जिसने ऐसा निर्णय दिया, जो कि कर्मकारों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, कुछ अभिव्यक्तियां उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है। कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां हैं। हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि यह असंसदीय है अथवा नहीं। हम इसका अध्ययन करेंगे।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): वह सिर्फ निर्णय की आलोचना कर रहे हैं न्यायाधीशों की नहीं।

प्रो. रासा सिंह रावत: कृपया इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: न्यायाधीशों की भी आलोचना की जा सकती है। आलोचना निश्चित रूप से उचित होनी चाहिए। मैं किसी न्यायाधीश विशेष के विरुद्ध कोई मंशा जाहिर नहीं कर रहा हूं। मैं न्यायाधीश की आलोचना कर सकता हूं। मैं किसी न्यायाधीश विशेष के विरुद्ध कोई गलत मंशा जाहिर नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं कहता हूं कि आम स्थिति में हम किसी न्यायाधीश की आलोचना कर सकते हैं। हम निर्णय की आलोचना कर सकते हैं। मैं एक वकील हूं और मुझे स्थिति का पता है। इस प्रकार मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आलोचना कर रहा हूं।

मुझे न्यायाधीशों के प्रति बिना किसी दुर्भावना के उनकी आलोचना करने का अधिकार है। कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। मैं किसी न्यायाधीश विशेष के विरुद्ध कोई दुर्भावना प्रकट नहीं कर रहा हूं।

अब, असंगठित कर्मकारों के लिए भविष्य निधि की 12 प्रतिशत ब्याज दर को निश्चित तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। जहां तक बोनस भुगतान के संबंध में बोनस की अधिकतम सीमा का सवाल है, बोनस की अधिकतम सीमा तय करने का कोई औचित्य नहीं है। कर्मकारों के हित में इसे भी वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, नियोक्ताओं और सरकार की प्रवृत्ति सांविधिक देयताओं के भुगतान को वापस लेने की रही है। सांविधिक देयताएं इस सभा द्वारा पारित कानून का परिणाम हैं क्योंकि कर्मकारों ने उनकी मांग की थी और उन्होंने इन सांविधिक देयताओं को प्राप्त करने हेतु संघर्ष किया था। आपको उन्हें वापस नहीं लेना चाहिए। इसलिए, मैं सरकार से इन सभी सांविधिक देयताओं को पुनः बहाल करने का अनुरोध करता हूं।

जहां तक कृषि श्रमिकों का प्रश्न है, हमने केरल में कृषि श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी पहले ही लागू कर दी है। कृषि श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी लागू करने हेतु एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए। बंधुआ मजदूरों का प्रश्न आज का मुख्य प्रश्न है, परन्तु उन्हें आवश्यक रूप से वे प्राथमिक अधिकार मिलने ही चाहिए जिनके लिए श्रमिक हकदार हैं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बंधुआ मजदूरों को प्राथमिक अधिकार देने हेतु एक व्यापक कानून लाए। यह अन्य मुद्दा है।

जहां तक असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का प्रश्न है, भविष्य निधि योजना के तहत उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए तथा यह प्रावधान होना चाहिए कि उनकी भविष्य निधि में सरकार भी अंशदान करे। अब, इन सभी मामलों में केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, पहले उसे उच्चतम न्यायालय के निर्णय से निपटना होगा और दूसरा संकल्प में उल्लिखित अधिकारों को बहाल करना होगा। इस प्रकार, मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सभी मांगों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी। एक व्यापक कानून लाएगी तथा श्रम संबंधी कानून को अद्यतन बनाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने श्रमिकों के हितों के बारे में जो संकल्प सदन में पेश किया है, इसमें लगभग आठ बिंदुओं पर सुधार करने की भावना व्यक्त की गई है। वास्तव में जो बिन्दु यहां दर्शाए गए हैं, उन सभी पर किसी न किसी प्रकार से आज भी कानूनी प्रावधान हैं। परंतु उनका अमल ठीक से नहीं होने के कारण जितने भी बिंदु हैं, उनमें जो-जो विषय हैं, उनमें कहीं न कहीं गड़बड़ी है, जिसे ठीक करने की आवश्यकता महसूस होती है इसलिए भावनात्मक रूप से मैं आपके इस संकल्प का समर्थन करता हूं। जैसा आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसके संबंध में कोई उपाय किया जाना चाहिए। मैं भी महसूस करता हूं कि उपाय करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिस-जिस संस्थान में या क्षेत्र में श्रमिक काम करते हैं, उन सभी के लिए योजनाएं, नियम और कानून बने हुए हैं, लेकिन उन पर ठीक से अमल नहीं हो पा रहा है।

अपराह्न 5.00 बजे

विशेषकर असंगठित श्रमिकों के क्षेत्र में जो भविष्य-निधि का कानून है वह लागू नहीं हो पा रहा है और उसके अभाव में असंगठित श्रमिक कभी 30 दिन, कभी 10 दिन काम करते हैं और कभी उनको एक दिन भी काम नहीं मिलता है। अगर वे काम करते भी हैं तो उनके ऊपर ठीक से श्रम-कानून लागू नहीं होते हैं। यह भी चिंता का विषय है और इस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि जो श्रमिक 30 दिन काम करता है वह भविष्य-निधि का पात्र हो जाता है लेकिन मालिक लोग बीच में ब्रेक कर देते हैं और 30 दिन काम के पूरा नहीं होने देते। इस तरह से जो कानून में खामियां हैं और अगर खामियां नहीं भी हैं तो मालिक लोग काम का ब्रेक दिखाकर गड़बड़ी करने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं जिस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

फिर आपने भविष्य-निधि पर ब्याज-दर वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से कम की हैं। श्रमिकों की भविष्य-निधि पर ब्याज-दर 12 प्रतिशत रखने की बात कही है, भावनात्मक तौर पर मैं भी हां कर सकता हूं लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि भारत का श्रमिक भी देश-हित को सर्वोपरि मानता है। यह बात अलग है कि कुछ संस्थाएं जो श्रमिक क्षेत्र में काम करती हैं, वह अपना ही हित चाहती हैं, श्रमिकों का हित नहीं चाहती हैं। भले ही वह संस्थान जिसमें वे श्रमिक काम कर रहे हैं बीमार होकर बंद ही हो जाएं। वह इसकी चिंता नहीं करती हैं। वे केवल अपना फायदा हो, यह सोच रखने वाली संस्थाएं हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे श्रम मंत्री माननीय साहिब सिंह वर्मा जी ने अलग से प्रावधान करके जो ब्याज दरें बैंकों ने निर्धारित की हैं उससे ज्यादा पैसा विभाग से देकर भविष्य निधि की ब्याज दर को उच्च ब्याज दर के रूप में आज भी रखा है। अपेक्षा तो यह की जाती है कि इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। लम्बे समय से भविष्य निधि उनकी कट रही है और रिटायरमेंट के बाद भविष्य निधि ही उसके भविष्य का आधार होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो काम लेने वाले मालिक हैं नियमानुसार उसको भी जितना पैसा श्रमिक का कटता है उसमें कुछ राशि मालिक को भी मिलानी पड़ती है लेकिन वे नहीं मिलाते हैं। ऐसे मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है लेकिन अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। इस बात को ठीक करने की आवश्यकता है। ब्याज दर तो केन्द्र सरकार ने बढ़ाकर दी है और वह इसके लिए बधाई की पात्र है लेकिन इस दिशा में कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। इस बात में मैं आपकी बात से भावनात्मक सहमति व्यक्त करता हूं।

बोनस भुगतान की बात आपने कही है। अधिकतम बोनस देने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्यतः 8.33 प्रतिशत बोनस देने का प्रावधान है लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि इससे ज्यादा बोनस नहीं देना चाहिए। बिरला की फैक्टरी नागदा में है जहां मैं निवास करता हूं। वहां 33 प्रतिशत, 35 प्रतिशत, 38 प्रतिशत ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): बोनस देने हेतु एक सीमा है। वे जितना कहा गया है उससे अधिक का भुगतान नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: मैं जानता हूं कि जो आप कह रहे हैं। वह 8.33 प्रतिशत पर प्रतिबंध की बात है लेकिन ट्रेड-यूनियन और मालिक मिलकर प्रतिशत में वृद्धि करना चाहें तो कोई रोक नहीं है। उस संस्थान में मैं काम कर चुका हूं। वहां आपकी इंटक ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: बोनस की ऊपरी सीमा निर्धारित है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: 20 प्रतिशत है लेकिन अनुग्रह राशि के माध्यम से मालिक और ट्रेड-यूनियन सहमत हों तो कोई रोक-टोक नहीं है। मैं नागदा का उदाहरण देना चाहता हूं जहां 38-39 प्रतिशत बोनस मिलता है। इसी प्रकार वहां भारत कामर्स इन्डस्ट्री थी, उसमें भी मिलता था। एक्स-ग्रेशिया 30 प्रतिशत से ऊपर देते थे। बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं, जहां ज्यादा लाभ होता है और वे अपना कर्त्तव्य समझकर श्रमिकों को देते थे। अनलिमिटेड या 20 परसेंट कर दिया जाए, तो बहुत सारे संस्थान रुग्ण होने की स्थिति में भी इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, तो वे संस्थान बंद हो जायेंगे। मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि सारे देश में रुग्ण उद्योगों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। आप नागदा आए थे, मैंने आपका भाषण सुना था और यहां भी सुनता हूं, परन्तु जिस प्रकार की सोच इस देश के ट्रेड यूनियनों की है, उस सोच के कारण देश में औद्योगिक मंदी का वातावरण छाता जा रहा है। उद्योग बन्द होने की स्थिति में आ रहे हैं और बहुत सारे उद्योग तो बन्द हो गए हैं तथा जो कुछ बचे हुए हैं, वे लड़खड़ाते हुए बीमार मिल की तरह चल रहे हैं। 8.33 प्रतिशत या 20 प्रतिशत की बात अलग है, बहुत से संस्थानों में बोनस नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति हर जगह पैदा हो गई है। श्रमिक क्षेत्र में जो ट्रेड यूनियन्स काम करती हैं, उनको भी बैठकर इस बारे में विचार-विमर्श करना चाहिए। जैसे मैं भारतीय मजदूर संघ से संबंधित हूं। हम कहते हैं, - ''देशहित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

दाम''। हम कर्त्तव्य और निष्ठा से काम करते थे। हम मजदूर के हित में आन्दोलन करते थे, भाषण देते थे और हड़ताल आदि करवाने में सहभागी भी होते थे। मैं वहां डैस्क वर्कर के रूप में काम करता था और मुझे साल में स्पेशल इन्क्रीमेंट भी मिलता था। इस प्रकार की सोच मजदूर क्षेत्रों में होना आवश्यक है। हम इन बिन्दुओं पर सरकार से ही अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वही अपेक्षा हम श्रमिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक संगठनों से भी करना चाहेंगे। श्रमिक संगठनों से बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार की लापरवाही होती है या कहीं कानून का दुरुपयोग होता है और उसने इस देश की अर्थ-व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। इस औद्योगिक मंदी के कारण हम देखते हैं कि कहीं भी श्रमिक आन्दोलन करने की स्थिति में नहीं है। मैं कहता हूं कि एटक हो या सीटू, इन संगठनों की सोच ने सारे देश की स्थिति को खराब किया है। आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लें या बिहार का उदाहरण लें या केरल का उदाहरण ले लें, मैं केरल भी गया हूं और आप भी गए होंगे। केरल में कालीकट में बिरला फैक्ट्री थी, पल्प डिवीजन था, स्टैपल फाइबर डिवीजन था। मैं सन् 1968 में नौकरी करने के लिए गया था, परन्तु हर साल हड़ताल होने के कारण उस डिवीजन में ताला लगवा दिया गया। ऐसे अनेक संस्थान हैं, जिनका देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता था, श्रमिकों के परिवार पलते थे, परन्तु हड़ताल होने के कारण बन्द हो गए हैं। इससे देश का वातावरण बिगड़ता था और इस प्रकार के वातावरण को ठीक करने का काम आपका और हमारा तथा श्रमिक संगठनों के क्षेत्रों में काम करने वाले संस्थान अर्थात् ट्रेड यूनियनों को करने की आवश्यकता है। उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए।

''श्रमिकों का बकाया'' - मैं मानता हूं कि बकाया को प्राप्त करने का कानून है। बकाया नहीं रहना चाहिए। अगर किसी मालिक या संस्थान से पैसा लेना है, तो उसका भुगतान तुरन्त होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड से पैसा लेने पर दस प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। पैसा उसका है और यह कहीं नहीं लिखा है कि वहां से पैसा लेने पर दस प्रतिशत कमीशन देना होगा। इसी प्रकार रिटायर होने पर प्रोवीडेंट फंड से पैसा लेने जाता है, तो उस पर कमीशन तय होता होगा। इस प्रकार की स्थिति को रोकना चाहिए और इसका उपाय करना चाहिए। कानून वर्तमान में पर्याप्त हैं, परन्तु इस प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के उपाय करने चाहिए। ट्रेड यूनियन्स, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बैठ कर इस बारे में व्यवस्था करनी चाहिए।

इसी प्रकार आपने स्वास्थ्य सेवा की बात कही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना की क्या स्थिति है। ये छुट्टी देने वाले संस्थान हो गए हैं। मजदूर भी वहां इलाज कराने के लिए नहीं जाता है। वह इलाज कहीं और कराता है। कर्मचारी डाक्टर के पास जाकर कहता है कि मुझे ड्यूटी पर नहीं जाना है। डाक्टर एक स्लिप लिखकर देता है और साथ में सात दिन की छुट्टी भी दे देता है। डाक्टरों को पैसा देकर उससे ऊपर के अस्पताल में या किसी प्राइवेट अस्पताल में रैफर करा लेता है। कुल मिलाकर यह हो गया है कि सरकार का पैसा खर्च हो रहा है और मजदूरों का भी पैसा कटता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना असफल हो रही है। नागदा, उज्जैन और इन्दौर में देख लो। चाहे किसी शहर में चले जाओ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस पर कभी विचार करना चाहिए। वहां स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्याप्त साधन हैं, बड़े-बड़े अस्पताल हैं, अच्छे-अच्छे उपकरण हैं लेकिन वहां डाक्टर क्लर्क की जाब करने के आदी हो गए हैं। उनको मालूम है कि कोई श्रमिक आएगा, यदि उसे किसी शादी-ब्याह में जाना है या दूसरे किसी काम से छुट्टी पर जाना है तो वह छुट्टी लेगा, पेड लीव लेगा। इधर वह बीमारी की छुट्टी भी लेगा और उस छुट्टी के पैसे भी ले लेगा और उधर पेड लीव के पैसे भी ले लेगा। इस प्रकार की बेइमानी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये स्वास्थ्य सेवाएं जो श्रमिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के हितों के लिए हैं, वे सब चौपट हो गई हैं। इसमें कहीं न कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। देश के सभी राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिल्कुल इस स्थिति में आ गई हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। कभी न कभी कटु बोल कर श्रमिकों को समझाने की आवश्यकता है। एक तरफा शोषण करो और संस्था को चौपट करो फिर आन्दोलन करो। मिल चालू होनी चाहिए, यह चालू होना चाहिए, वह चालू होना चाहिए, यह दे दो, वह दे दो, इस प्रकार का वातावरण सारे देश में पैदा हो रहा है। मैं महसूस करता हूं कि कई राज्य ऐसे हैं जहां ट्रेड यूनियनों ने गलत तरीके अपनाए जिससे औद्योगिक संस्थान उठ कर जा रहे हैं और नए संस्थान खुल नहीं रहे हैं। यहां कोई आना नहीं चाहता। मुझे याद है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री विदेशों में गए और वहां जाकर पूंजी निवेश के लिए आग्रह किया और कहा कि हमारे यहां उद्योग खोलो। उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी हैं। यदि मेरी जानकारी गलत नहीं है तो ज्योति बसु जी वहां गए, केरल के मुख्यमंत्री गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी गए और वहां जाकर कहा कि हमारे क्षेत्र में उद्योग लगाओ। इस पर उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि आपके यहां की ट्रेड यूनियन झगड़ेबाजी करती है। उसके कारण हम यहां नहीं आएंगे। जब यहां डिसइनवैस्टमैंट की बात होती है तो बहुत जबर्दस्त विरोध होता है लेकिन विदेश में जाकर कहते हैं कि हमारे यहां उद्योग लगाओ। वहां पता नहीं क्या-क्या शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां निजी क्षेत्र में कोई संस्था चली गई तो मैंने अनुभव किया और 8-10 संस्थानों का रिकार्ड उठा कर देखा जैसे माडर्न फूड है। मैं कमेटी की तरफ से उसका निरीक्षण करने के लिए दो बार

गया। मैंने देखा कि निजी क्षेत्र में जाने के बाद वहां के लोगों का वेतनमान बढ़ गया, सुख-सुविधाएं बढ़ गई, वहां का प्रोडक्शन बढ़ गया। ऐसे अनेक संस्थान हैं। क्या हम इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि देश के हित में, श्रमिकों के हित में, देश की जनता के हित में यह उचित है? यदि उचित है तो कई मामलों में इस कदम की सराहना करनी चाहिए, समर्थन करना चाहिए। दो-चार संस्थान ऐसे हो सकते हैं जो देश की एमर्जेंसी सेवाओं के लिए आवश्यक हों। उन्हें छोड़ कर बाकी सब मामलों में इस प्रकार के कदम उठाने पर विचार करना चाहिए।

कृषि श्रमिकों के कल्याण की बात कही गई, न्यूनतम मजदूरी की बात कही गई। सभापति महोदय, आप अच्छे ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना है, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी है, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए हैं, लोहे का काम करने वालों के लिए हैं। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना है। उस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित कलैक्टर समय-समय पर सर्वे करते हैं, जांच-पड़ताल करते हैं, मूल्य वृद्धि का अध्ययन करते हैं, वह कम हुई है या ज्यादा हुई है, उसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करते हैं। अधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का सामान्यत: आदेश देकर पालन करने की कोशिश करते हैं अर्थात् जो न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, वह उसे निर्धारित करते ह और आदेश जारी करते हैं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इतना वेतन मिलेगा, यह दैनिक मजदूरी मिलेगी। परन्तु यह बात सही है कि चाहे कृषि क्षेत्र में कोई काम करता हो या लेबर के रूप में काम करता हो या किसी संस्थान में काम करता हो, उसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, वह उसे नहीं दी जा रही है। उसका पालन होना चाहिए। इस दिशा में आपको और हम सब को प्रयास करने की आवश्यकता है। अब पालन करने के लिये भी प्रावधान हैं। क्षेत्रीय इंस्पैक्टर बने हुये हैं, तहसील स्तर पर हैं, जिला पंचायतों में अधिकारी काम करते हैं। जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी हैं, जनपद पंचायतें हैं, परन्तु वे मालिकों से मिलकर, जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिये, वह नहीं देते है। उसे नजर-अंदाज किया जाता है। यदि इस बात को पकड़कर उसकी निगरानी को लेकर, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रावधान करेंगे तो ठीक हो जायेगा अन्यथा जैसा आपने लिखा है, हम उसका भावनात्मक समर्थन करेंगे। इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। यह अधिनियम में, कानून में, धारा में लिखा हुआ है लेकिन व्यवहार में नहीं हो रहा है। उसे व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। उसे करने के लिये आपको और हम सब को नैतिक जिम्मेदारी मानकर प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि नैतिकता नहीं होगी तो इंस्पैक्टर जा रहा है और पैसे ला रहा है।

सभापति महोदय, मैं ट्रेड यूनियन लीडर्स के बारे में कहना चाहूंगा। वे गेट पर भाषण देते हैं कि यह होना चाहिये, वह होना चाहिये परन्तु गेट के बाहर आकर होटल चलाते हैं, कोई साईकिल की दुकान चलाता है। उस दुकान पर लिख दिया जाता है कि कर्मचारियों को दैनिक वेतन दिया जाता है। इसलिये लिख दिया कि उसके ऊपर श्रम कानून लागू नहीं है। होटल पर लिखा दिया जाता है कि यहां गाय का दूध बेचा जाता है जबकि भैंस के दूध में पानी मिलाकर रखा जाता है। यदि इंस्पैक्टर जांच के लिये आ जाये तो पकड़ा नहीं जा सकता। होटल में एक आदमी से सुबह 6-7 बजे से काम लिया जाता है जो रात 10 बजे तक काम करता रहता है। अगर गिलास टूट जाये तो उसके वेतन में से पैसा काट लिया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि मिल में नेतागिरी करते हैं, भाषण करते हैं और होटल में मजदूरों से 12-14 घंटे काम लिया जाता है। जब तक इस प्रकार की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी, हम सब लोग यहां भाषण देते रहें, कानून बनाते रहें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप और हम सब इस बात की जिम्मेदारी लें तो इस देश में सुधार किये जाने की दिशा में काम हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं भी एक समय मजदूर था और बड़ा भाषण देता था कि यह होना चाहिये, वह होना चाहिये, 7 दिन की कैजुअल लीव मिलनी चाहिये। मेरे भी खेत हैं जहां मजदूर काम करते हैं। मैं साल भर में उसे 1500 रुपया देता हूं। जो दैनिक मजदूरी के हिसाब से दिया जाता है। यह दैनिक मजदूरी 8 घंटे के लिये तय है लेकिन काम 10-11 घंटे लेता हूं। जब ट्रेड यूनियन लीडर से हटकर मालिक के रूप में काम करता हूं तो उनका शोषण करता हूं। हर व्यक्ति इसी प्रकार से काम करने की कोशिश कर रहा है। सभापति जी, आप बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है।

सभापति जी, आपने जो बिन्दु उठाये हैं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि व्यावहारिक रूप में इन बिन्दुओं में कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों के मद्देनजर कई कानून बने हुए हैं। उन कानूनों में कहीं न कहीं सुधार किये जाने की आवश्यकता है। फिर कानून सख्त हो जाये तो सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। सख्ती से पालन करवाने के लिये नीयत और नियति की जरूरत है। सरकार ठीक काम करे, हम सब मिलकर काम करें। आज इस देश में ट्रेड यूनियन्स का बड़ा महत्व है। ट्रेड यूनियन्स को देखना चाहिये कि श्रमिक जिस संस्था में काम कर रहे हैं, उनका फायदा हो और संस्था भी चले। उस संस्था के कारण देश को लाभ हो, तभी देश विकास कर सकेगा। यदि श्रमिक का विकास होगा तो वह अपने संस्थान को प्रगति के रास्ते ले जा सकेगा। यदि यह सब हो सकेगा तो ठीक है अन्यथा कुछ भी नहीं होगा।

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

मैं आपके विधेयक का भावनात्मक रूप से समर्थन करते हुये सरकार से आग्रह करूंगा कि जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, इन बिन्दुओं के संबंध में जो कानून बने हुए हैं, उनके लिये राज्य सरकारों, श्रमिक संगठनों के साथ केन्द्र कुछ चुनिन्दा लोगों के साथ इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग को साथ लेकर किसी न किसी प्रकार से कुछ उपाय करें।

सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि इस सरकार ने द्वितीय श्रम आयोग बनाया था। उस आयोग ने गुण-दोष के हिसाब से विचार-विमर्श करके, इधर-उधर सुनवाई की। श्रम आयोग के अध्यक्ष श्री रविराय जी श्रमिकों के हितों में काम करने वाले उनके हितैषी रहे हैं। उन्होंने आयोग की रिपोर्ट सरकार को दे दी है। सरकार आयोग की रिपोर्ट पर जल्दी से जल्दी गंभीरता से विचार-विमर्श करके श्रमिकों के हितों में जो कुछ ठीक से किया जा सकता है, उसे करने की कार्रवाई करे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, बड़ा ही सुअवसर मुझे मिला है कि आप के द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आप ही के सभापतित्व में बहस करने का मुझे मौका मिला है। अनुमानतः 102 करोड़ की देश की आबादी है, जिनमें 40 करोड़ मजदूर और मेहनतकश लोग वर्तमान में हैं। इस सरकार का जो हिसाब-किताब है, उसमें इन मेहनतकशों का इस देश में क्या होगा।

सभापति महोदय, पहले श्रम मंत्री जटिया जी थे, वह दूसरे विभाग में चले गये। अभी श्री साहिब सिंह वर्मा श्रम मंत्री हैं। वह दिल्ली के मुख्य मंत्री थे, लेकिन अभी वह लेबर मिनिस्टर हैं। अभी यहां इनमें कोई नहीं हैं, ऐसा लगता है। उधार के मंत्री लोग उस बात के लिए यहां बैठे हैं। यह 40 करोड़ लेबर का विषय है। यहां पुराने मंत्री हैं, नये मंत्री कहां गये, यहां स्टेट मिनिस्टर भी नहीं हैं, इस पर वे क्या सुनेंगे और विचार करेंगे। पुराने आंकड़ों के हिसाब से चालीस करोड़ मजदूरों में दो करोड़ अस्सी लाख संगठित मजदूर हैं। अब उसमें भी घट गये होंगे। अभी जो छंटनी और देश को बेचने का जो काम हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): स्टेट लेबर मिनिस्टर यहां है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अच्छा अभी वह लेबर मिनिस्टर हैं?

डा. सत्यनारायण जटिया: आपको पता नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमें क्या पता लगना है। इसमें कुछ बर्खास्त होते हैं, कुछ नये बदलते हैं, आपके मंत्रिमंडल में फेरबदल होती रहती है। पुराने जमाने में हम लोग जो याद कर लेते थे तो वह पांच वर्ष तक याद रहता था। अब दो महीने, छः महीने में मंत्री हटाते और बर्खास्त करते हैं, कभी विभाग बदलते हैं। इन्हें अफसरों से भी ज्यादा जल्दी-जल्दी बदलते हैं, इसलिए हम गड़बड़ा जाते हैं। अभी संतोष गंगवार जी स्टेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, आप ही सुनिये, यह आपका ही विषय है। दो करोड़ अस्सी लाख संगठित मजदूर देश में हैं। संगठित मजदूर का मतलब है कि जो संगठित हैं, जिनमें लड़ने की क्षमता है, बार्गेनिंग कैपेसिटी है, वे लड़कर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन इस राज्य में उन पर भी वज्रपात हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, संगठित मजदूरों का हड़ताल करने का जो मौलिक अधिकार था, उसे छीन लिया गया। हम समझ सकते हैं कि इस राज में मजदूर और मेहनतकश लोगों का क्या होगा, जो पसीना बहाने वाले, देश का निर्माण करने वाले, उत्पादन करने वाले, कारखाने और किसानी में माल पैदा करने वाले लोग हैं, जिनका पुराने जमाने से शोषण होता रहा है। मार्क्स साहब आये, उन्होंने कहा कि श्रमिक का भी महत्व होता है, श्रमिक की भी प्रतिष्ठा होती है। हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने कहा कि श्रमिकों की प्रतिष्ठा के बिना, उन्हें सम्मान दिये बिना, उनका उचित हक दिये बिना यह समाज ठीक से नहीं चल सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन जो संगठित मजदूर थे, उन पर वज्राघात हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है। हड़ताल करने का जो उनका मौलिक अधिकार था, जो उनकी क्षमता थी, जिससे वे अपने शोषण के खिलाफ लड़ते थे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज, पूंजीपति, फैक्टरी मालिक ये सभी जो मजदूरों का शोषण करते थे और उन पर जुल्म करते थे, उसके खिलाफ जो उन्हें हड़ताल करने का मौलिक अधिकार मिला हुआ था, उन्हें कह दिया गया कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, यह नाजायज है।

महोदय, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सरकार ऐसा कौन सा कानून बनाने जा रही है जिससे संगठित मजदूरों का हित हो सके। देश में असंगठित मजदूरों की संख्या पुराने आंकड़ों के अनुसार 36.9 करोड़ है, यानी देश में कुल मजदूरों की संख्या के 92 प्रतिशत असंगठित मजदूर हैं। कुल 40 करोड़ में से केवल 2 करोड़ 80 लाख संगठित मजदूर हैं। यदि मजदूरों की कुल संख्या में से संगठित मजदूरों की संख्या को घटा दिया जाए, तो 37 करोड़ से ज्यादा असंगठित मजदूर बचते हैं। उसमें से 10 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं। 23.7 करोड़ कर्मकार, कृषि क्षेत्रों में नियोजित हैं। 1.7 करोड़ विनिर्माण कार्य में लगे हैं। 4.1 करोड़ उत्पादन कार्य में लगे हैं। 3.7 करोड़ मजदूर व्यापार में और 3.7 करोड़ मजदूर परिवहन एवं संचार सेवाओं में नियोजित हैं। ये पुराने आंकड़े हैं, जिनके आधार पर मैं बता रहा हूं अर्थात् ये आंकड़ें वर्ष 2001 के हैं। इन आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 40.2

करोड़ मजदूरों में से 37.2 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्रों में सेवारत हैं।

महोदय, आपने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह ऐसे मजदूरों के लिए किया है, ऐसे मेहनतकश मजदूरों के लिए किया है, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, लेकिन इस सरकार पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका कारण हैं। मैं विवरण बताऊंगा कि उसमें क्या-क्या कठिनाइयां हैं। हम इस सरकार से अपेक्षा नहीं करते हैं। क्यों अपेक्षा नहीं करते हैं, उसका कारण मैं बताता हूं। महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह मरणासन्न अवस्था में बाण-शैय्या पर थे। उच्च दर्शन का उपदेश दे रहे थे। द्रोपदी, भीष्म पितामह के उच्च दर्शन के उपदेश को सुनकर हंसी। उसने कहा कि जब मेरा चीर-हरण हुआ, मेरे साथ अन्याय किया गया, तब आप कुछ नहीं बोले और अब अंतिम समय में आप ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा उस समय मैंने दुर्योधन का अनाज खाया था। मैं उसका अनाज खाकर भ्रष्ट हो गया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए अन्याय देखता रहा और कुछ नहीं बोला। अब इन बाणों की शैय्या पर लेटने से मेरे शरीर से सब गंदा खून बह गया और शुद्ध रक्त का संचार हुआ है, जिससे मैं उच्च दर्शन और ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं।

महोदय, एक महान, प्रागैतिहासिक पुरुष गंगा पुत्र भीष्म पितामह के संबंध में ऐसी बात कही गई है। उस समय के जब एक महान् आदमी का दुर्योधन का अन्न खाने के कारण ज्ञान नहीं रहा, तो यह सरकार जो मल्टी नैशनल, पूंजीपति और ब्लैकमार्कीटियर्स के सहयोग से और उनकी मन्नत से बनी हुई सरकार है, वह मजदूरों के भले की, उन्हें सुविधाएं देने की नीतियों की कैसे सोचेगी। जिन मल्टी नैशनल कंपनियों और ब्लैक मार्कीटियर्स की मदद से ये आए हैं, इनसे मजदूरों का भला नहीं हो सकता, उनकी कोई अपेक्षा इनसे पूरी नहीं हो सकती। यह संगठित और असंगठित, दोनों प्रकार के मजदूरों को बड़ा भारी लाभ पहुंचाने वाला संकल्प है, लेकिन यह सरकार इसे नहीं मानेगी।

महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संबंध में बनाया गया सरकारी विधेयक आपने क्यों रोक दिया। सुना था कि विधेयक तैयार हो गया है। कैबीनेट में जा रहा है, कैबीनेट से आ रहा है। इसी मानसून सत्र में, वर्षाकालीन सत्र में आएगा, वह विधेयक कहां है, कौन सी ताकत उसे रोके हुए है, इस सरकार पर कौन सी ताकत हावी है? मैं कहना चाहता हूं कि मल्टी नैशनल, उद्योगपति, ब्लैक मार्कीटियर और धन-पशुओं के कब्जे में यह सरकार है। इसी कारण से वह विधेयक रूका हुआ है। वह विधेयक क्यों रूका हुआ है? जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सरकार उस विधेयक को प्रस्तुत तो करे। वह प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, वह रुका हुआ है। श्रम विभाग ने भी पास कर दिया, कानून विभाग ने भी पास कर दिया, वित्त विभाग ने रोक रखा है। वित्त विभाग पर धन-पशुओं का कब्जा है। जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, वे लोग इसमें रुकावट डाल रहे हैं, वे उसे रोके हुए हैं। जब ऐसा है, तो 37 करोड़ मजदूरों के हितों का संरक्षण कैसे होगा? श्री बसुदेव आचार्य जी, माननीय सदस्य, जो बराबर मजदूरों और गरीबों के लिए लड़ते-भिड़ते और बहस करते रहते हैं, उनका यह संकल्प आया है कि सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उनको सामाजिक सुरक्षा ही नहीं है, बल्कि पहले नम्बर पर उन्हें काम नहीं मिलता, वे साल भर काम नहीं करते। अगर कटनी का समय है तो काम मिल गया, रोपनी का समय है तो खेती में काम मिल गया, फिर जब रोपनी खत्म हो गई तो बेरोजगार हो गये, अर्ध बेरोजगार हो गये। इस तरह से उनको साल भर काम की गारण्टी नहीं है, इसीलिए उनको पलायन करना होता है, उनको शहर की तरफ भागना पड़ता है। बिहार से काम के अभाव में मजदूर लोग पंजाब, हरियाणा या देश के विभिन्न हिस्सो में पलायन करते हैं, जाते हैं। क्यों नहीं, उनके काम को पैदा करके, रोजगार पैदा करके मेहनतकश लोग जो पसीना बहाना चाहते हैं, इसलिए साल भर काम की कमी है, अर्धरोजगारी है, रोजगार की कमी है, यह समस्या नम्बर एक है।

समस्या नम्बर दो में असंगठित मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी है। सरकार बताये, सरकार ने दावा किया है और सरकार दावा करेगी कि हम न्यूनतम मजदूरी कानून लागू किये हुए हैं, लेकिन सरकारी महकमों में न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं मिल रही है और सरकार के विरुद्ध क्यों मामला नहीं बन रहा है। एक नहीं, दर्जनों उदाहरण हैं कि सरकारी महकमें में भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। दूसरे किसी आदमी को कैसे पकड़ा जाये, जब सरकार के अपने विभाग में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही, जबकि सरकार का अपना कानून है। हमारे यहां स्वर्गीय भिखारी ठाकुर लोक कवि थे, उन्होंने कहा कि हुकूमत के हाथी के दांत दो हैं, खाने के दूसरे और दिखाने के दूसरे हैं। यह लोककवि भिखारी की भोजपुरी की कविता है। उसी तरह से न्यूनतम मजदूरी के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन सरकारी महकमें में जब न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है तो उसके साथ कैसे न्याय होगा। जब सरकारी महकमे में न्यूनतम मजदूरी नहीं है तो दूसरे जो मजदूरों का शोषण करने वाले हैं, वे भी नहीं देंगे और कहेंगे कि जब सरकार ही अपने विभाग में नहीं देती है तो यह न्यूनतम मजदूरी का कानून असत्य है, धोखा है, गलत है।

समस्या नम्बर तीन में, किसानों में सभी तरह के किसान हैं, बड़ा किसान है, मझौला किसान है, छोटा किसान है, लघु कृषक है, सीमान्त कृषक है, उसके यहां भी मजदूरी होती है, लेकिन

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

उसकी उतनी आदमनी नहीं है, उसके पास उतनी पूंजी नहीं है कि वह न्यूनतम मजदूरी दे सके। केन्द्र सरकार अपना पल्ला झाड़ती है कि इसे राज्य सरकार दे, जिसमें ये अक्षम हैं, जिसमें ये सक्षम नहीं हैं, ये अपना सारा जिम्मा राज्य सरकार के ऊपर थोपते हैं, कहते हैं कि हमारा कुछ जिम्मा नहीं है। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति वैसी नहीं है कि सामाजिक सुरक्षा मजदूरों को राज्य सरकार दे सके, इसलिए राज्य सरकार जहां पर उसकी कमजोरी है, राज्य सरकार तो अपने वित्तीय संकट से तबाह है, इस सभा में भी बहस हुई है, राज्य सरकार के वित्तीय संकट पर, कठिनाइयों पर वित्त मंत्री निरुत्तर हो जाते हैं कि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति कैसे सुधरेगी, यह जानते हुए यह कहना कि यह जिम्मा राज्य सरकार का है, इसलिए यह मजदूरों के साथ अन्याय है। केन्द्र सरकार को इसका जिम्मा लेना पड़ेगा कि यदि राज्य सरकार की वित्तीय हालत वैसी नहीं है कि मजदूरों को जो न्याय मिल सके, उनको सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी दी जा सके तो इन्हें जिम्मा लेना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

हम बातें क्रमवाइज बता रहे हैं। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। सामाजिक सुरक्षा में काम करने के वक्त डैथ हो गई तो कोई उसे देखने वाला नहीं है। दिल्ली के कारखाने में काम करते हुए हाथ कट गया तो कोई कुछ नहीं करता। मैं नार्थ ईस्ट में तवांग गया था, वहां मैंने देखा कि 2-4 गरीब आदमी, आदिवासी बीमारी की हालत में टहल रहे हैं, हमने गाड़ी रोककर पूछा कि भाई, आप कौन हैं, तो बताया कि हम तो बिहार के आदिवासी हैं, अब वह झारखण्ड हो गया। हमने पूछा कि यहां कैसे आये तो बताया कि हमारा ठेकेदार काम करने के लिए बुलाकर ले आया, हम बीमार हो गये तो अब हमें कोई देखने वाला नहीं है। न वहां से उनके आने का उपाय है, न दवाई का उपाय है। न भोजन का उपाय है। उसे ठेकेदार ठग कर प्रदेश ले गया लेकिन वहां उसे कोई देखने वाला नहीं है। उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। मैं लेबर मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी मेहनत करने के लिए, रोजी-रोटी के चक्कर में प्रदेश जाता है और अस्वस्थ हो जाता है तो वहां उसकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं है, उसे देखने वाला कोई नहीं है, उसकी कठिनाई में मदद करने वाला कोई नहीं है। आपका कोई कानून उस संबंध में नहीं है। इसके लिए आपका क्या कानून है?

अब आपने किस्त देने के बारे में कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब उस गरीब को रोटी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता तो वह किश्त कहां से देगा? आपने ऐसा कानून बना दिया कि उसे प्रीमियम देना पड़ेगा। जिसकी आमदनी रेगुलर है, वह तो अपनी प्रीमियम कटा देगा लेकिन जिसे काम नहीं मिलेगा, वह कहां से भोजन करेगा, कहां से प्रीमियम देगा? इस पर गहन चिंता करने की जरूरत है कि कैसे उसे सुरक्षा मिल सके, कैसे उसकी हिफाजत हो सके।

आपने संकल्प में पी.एफ. के बारे में कहा है। जिस गरीब को काम नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती तो उसे प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए। यदि उसे प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा तो उसके भविष्य का क्या होगा? अब आप सभी योजनाओं पर इंटरैस्ट रेट कम करते जा रहे हैं। वर्किंग क्लास इनसे नाराज है क्योंकि ये उनका इंटरैस्ट कम करते जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्यों पूंजीपतियों के दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों वर्किंग क्लास के खिलाफ आप यह निर्णय ले रहे हैं जिसके चलते मजदूर और मेहनतकश लोगों को कठिनाई हो रही है।

आपने भविष्य निधि योजना आरंभ करने के लिए कहा है। भविष्य निधि की ब्याज दर को पुनः 12 परसेंट करने की मांग की जा रही है। इसमें बोनस भुगतान को समाप्त करने, श्रमिकों को सभी सांविधिक बकायों का भुगतान सुनिश्चित करने तथा उन्हें स्वास्थ्य प्राप्त हो, आदि के बारे में कहा गया है। अब मजदूरों के स्वास्थ्य का कोई इंतजाम नहीं है। वह रोजी-रोटी के लिए दर-दर भटकता है। इससे उसे कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रधान मंत्री कोष से कुछ मदद दी जाती है। उनको यदि हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या ट्यूमर की बीमारी है तो डाक्टर उसे एक लाख रुपये का ऐस्टीमेट दे देता है जबकि प्रधान मंत्री कोष से उसे 20 या 25 हजार रुपये ही मिलते हैं। हम लोग मंत्री को लिखते-लिखते थक जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। एक लाख रुपये में आने जाने और दवाई का खर्चा अलग है। वह गरीब कैसे बचेगा? मैं पूछना चाहता हूं कि जो मेहनतकश लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए आपने क्या इंतजाम किया है? अब उस गरीब के बाल-बच्चे भी होते हैं। वह खुद को मेहनत करके अपना पेट नहीं भर पाता फिर वह अपने बाल-बच्चों का कैसे पेट भरेगा? उनकी शिक्षा का कहां से इंतजाम करेगा। क्या आप उसकी पुश्त दर पुश्त को मजदूर ही रखना चाहते हैं? आपने उनकी पढ़ाई का क्या प्रबन्ध किया है ताकि मेहनतकश आदमी के भी बच्चे पढ़ सकें। उनकी हिफाजत हो सके, उनको सहूलियत मिल सके। उसका बेटा भी अफसर, मजिस्ट्रेट या कलैक्टर बन सके। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आपने क्या इंतजाम किया है?

आपने संकल्प में कहा है कि 40 करोड़ में से तीन करोड़ संगठित मजदूर हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मजदूर विरोधी फैसला हुआ है, उससे संगठित मजदूरों पर वज्रपात हुआ है। उसके लिए हम अलग से लड़ेंगे, भिड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उसे कैसे सुधारा जायेगा? महामहिम राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि संगठित मजदूरों को सामाजिक

सुरक्षा मिलनी चाहिए। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए सरकार के मन में क्या आदर है। वे मजदूर, जिन्होंने देश के लिए अनाज पैदा किया, उनकी एक पीड़ा नहीं है। समाज में पुराने जमाने से एक बीमारी चली आ रही है। खेत में पसीना बहाने से अनाज पैदा होता है, मेहनत करने से ईंट बनती है, मेहनत करने से कारखाना चलता है, मेहनत करने से सड़क बनती है, मकान बनता है लेकिन मेहनतकश लोगों को कहा जाता है कि ये छोटे लोग हैं। लोग कपड़े गंदे करते हैं लेकिन जो धोबी उसे धोते हैं, उनको कहा जाता है कि ये छोटे लोग हैं। जो लोग गंदगी साफ करते हैं, उनको कहा जाता है कि ये मेहतर हैं, सबसे खराब हैं लेकिन जो लोग गंदगी करते हैं, वे सबसे बड़े हैं। समाज में सोशल इनजस्टिस हटाने के लिए संविधान निर्माताओं ने फैसला किया और सोचा कि इस देश में सोशल जस्टिस होना चाहिए। जो लोग अछूत माने गए, छोटे माने गए, जिन्होंने मेहनत की, सफाई का इंतजाम किया, उत्पादन किया, पसीना बहाया, उन्हें छोटा कह दिया गया और जिन लोगों ने बैठकर खाया, वे बड़े हो गए। इस बीमारी को हटाने की दवाई सोशल जस्टिस है। मैं जानना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के बारे में इस सरकार की क्या धारणा है। ...*(व्यवधान)* इन सारी समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे नहीं चलने वाला है, ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। जब तक मेहनतकश लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, दवाई आदि का प्रबंध करना पड़ेगा। बीमारी में दवाई आदि का इंतजाम करना पड़ेगा।

इस देश में ऐसे 37 करोड़ लोग हैं। जब वे खड़े हो जाएंगे तो कोई पूंजीपति उनके सामने नहीं टिक सकेगा। उन्हें असंगठित छोड़ दिया गया है। वे अनपढ़ हैं, उनको समझ नहीं है, वे भाग्य के भरोसे जी रहे हैं, पीड़ा होगी तो कहेंगे कि हमारा भाग्य खराब है। देश में वैचारिक क्रान्ति लाने की जरूरत है। गरीब आदमी को यह नहीं बताया जाता कि भगवान के घर से कोई गरीब, अमीर होकर नहीं आता, यहां छल के चलते कुछ लोग गरीब हैं और कुछ लोग धन्ना सेठ हैं। आजादी मिलने से कुछ लोगों की पूंजी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। पहले 26 प्रतिशत लोग भूमिहीन थे लेकिन अब उनकी संख्या 40 प्रतिशत हो गई है। गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है, मजदूर खुशहाल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस संकल्प के बारे में सरकार को आगे आना चाहिए। उस विधेयक का क्या हुआ, वह कहां रुका हुआ है। 37 करोड़ मेहनतकश लोगों, पसीना बहाने वाले लोगों, देश का निर्माण करने वाले लोगों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। क्या इसी तरह उनका शोषण होता रहेगा और अमीर आदमी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करता रहेगा?

होश करो, दिल्ली के देवो होश करो
अब न तुम्हारी यह मोहिनी चलने वाली है
सिंहासन खाली करो
कि जनता आती है।

यह कवि दिनकर ने कहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ किसान, मजदूर नौजवान एकता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पेश किए गए संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। इस संकल्प को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें मूल रूप से सात पहलुओं पर विचार किया गया है। उसमें मुद्दा है कामगारों के हितों की रक्षा करना।

कामगारों के हितों की रक्षा कैसे की जाए इसे स्पष्ट करने के लिए सात महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया गया है। पहला है असंगठित क्षेत्रों के सभी कामगारों के लिए भविष्य निधि योजना लागू करना। मैं उन सभी बिन्दुओं पर सिलसिलेवार ढंग से आऊंगा। जैसाकि कहा गया है, असंगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या लगभग 37 करोड़ हैं और संगठित क्षेत्रों में इनकी संख्या तकरीबन दो करोड़ से अधिक है। किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान को भविष्य निधि में अंशधान करना पड़ता है। यदि यह प्रतिष्ठान कतिपय मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए एक या दो दिनों के लिए दैनिक मजदूरी के आधार पर राजमिस्त्री को नियोजित करता है, यदि यह कतिपय मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए पलम्बर को नियोजित करता है, यदि वह कतिपय मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए बढ़ई को नियोजित करता है तो प्रतिष्ठान के साथ-साथ ऐसे राजमिस्त्री, पलम्बर और कार्पेन्टर को भी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में धन जमा करना होता है। अब चूंकि इस अधिनियम को लागू किया जा चुका है, फिर भी मुझे आशंका है कि क्या दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करने वाले किसी व्यक्ति को भविष्य निधि का फायदा मिलता है। उसे यह फायदा कभी नहीं मिलता क्योंकि वह असंगठित क्षेत्र का कामगार है। हम असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर चर्चा कर रहे हैं। यह योजना 1952 में बनाई गई थी और तदुपरान्त इसे संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए संशोधित किया गया। संगठित क्षेत्र के कामगारों को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ न जोड़ा जाए। संगठित क्षेत्रों के कामगारों की ईपीएफ और ईएसआई वाली योजना में कमियां है। निःसंदेह इसमें सुधार की जरूरत है। किन्तु, इसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों की योजना के साथ न जोड़ा जाए। यह मेरा विनम्र सुझाव है क्योंकि मैंने स्वयं देखा है और संगठित क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कई लोग भी इस

[श्री भर्तृहरि महताब]

बात से अवगत हैं कि उन्हें किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

दूसरी बात यह है कि भविष्य निधि की ब्याज दर 12 फीसदी फिर से बहाल की जाए। जैसाकि मेरे दोस्त श्री गेहलोत ने कहा है, जब सरकार की ब्याज दर कम हो रही है तो मैं समझता हूं कि सरकार का इस मामले में अलग विचार है और उसने अलग से नीति बनाई है। भविष्य निधि के लिए जो ब्याज दर तय की गई है वह अधिकतम और सर्वोत्तम है। शेष राशि बनाए गए अन्य प्रावधानों में सम्मिलित की जा सकती है।

बोनस भुगतान की अधिकतम सीमा को समाप्त करने के मामले में मैं समझता हूं कि 20 फीसदी अधिकतम राशि ठीक है। बोनस की अधिकतम राशि को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। एक बार इसे समाप्त करने से यह समाप्त नहीं हो जाएगा। इससे आक्रामक श्रमिक संघ बोनस संबंधी मुद्दे को उठाने का एक व्यापक असर पड़ेगा और यह श्रम सौहार्द्रता और उद्योग के विकास को बनाए रखने के लिए अनुकूल नहीं है।

सभापति महोदय: हमारा आवंटित समय पहले ही पूरा हो चुका है। अब हमें समय बढ़ाना होगा। क्या हमें मंत्री के हस्तक्षेप और प्रस्तावक के उत्तर के लिए अगले 45 मिनट के लिए समय बढ़ाया जाए? हम समझते हैं कि आज सभा की कार्यवाही 7 बजे तक कर दी जाए। अत: यदि हम इसे 6.45 बजे तक समाप्त कर लें, तो दूसरे संकल्प पर चर्चा शुरू कराई जा सकती है। ठीक है। समय अगले 45 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री भर्तृहरि महताब: चौथी बात कामगारों के सभी सांविधिक बकायों का भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में है जिसे मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। सरकार को चाहिए वे कामगारों के सभी सांविधिक बकायों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रावधान करें।

संकल्प में उद्धृत किया गया पांचवीं बात स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाएं पर्याप्त रूप में मुहैया कराया जाना है। स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाएं पर्याप्त रूप में मुहैया कराए जाने के लिए संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के कामगारों के लिए प्रयास किया जा रहा है। जैसाकि कहा गया है, संगठित क्षेत्र के कामगारों को गत 50 वर्षों के दौरान क्रियान्वित विभिन्न श्रम कानूनों और अन्य कानूनों के माध्यम से कतिपय फायदे हैं।

किन्तु, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कुछ नहीं किया गया है। अब, हमारे यहां असंगठित क्षेत्र में दो तरह के कामगार हैं। एक वह है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और दूसरा वह है जो शहरी क्षेत्रों में रहता है। हमारे यहां अर्द्ध-संगठित क्षेत्र में भी कामगार हैं। अर्द्ध-संगठित क्षेत्र के कामगार अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है। जब हम अर्द्ध-संगठित क्षेत्र के कामगारों की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में बीड़ी बनाने वाले कामगारों की बात आती है और मेरा अनुभव है कि उनके विकास और उनके लिए विभिन्न सामुदायिक केन्द्र बनाने हेतु के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। किन्तु, इस कार्य के पर्यवेक्षण के लिए हमारे पास कितने इंजीनियर या ओवर सियर हैं? यद्यपि बीड़ी कामगारों के लिए घर एवं उन्हें सामुदायिक केन्द्र तथा बाजार की सुविधा प्रदान करने हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की जा रही है फिर भी उन्हें परेशान होना पड़ता है। अर्द्ध-संगठित श्रमिकों के लिए ओवरसीयर, कनिष्ठ इंजीनियर्स, या सहायक इंजीनियरों के रूप निरीक्षण के लिए पर्याप्त व्यक्ति नहीं हैं। यह मुख्य कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे ढांचों को समय पर पूरा नहीं किया गया है।

कुछ श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें आसानी से शिकार बनाया जा सकता हैं और उनमें बाल श्रमिक प्रमुख श्रम शक्ति हैं जिन्हें आसानी से शिकार बनाया जा सकता। हर रोज गली पार करते समय हम उन्हें देखते हैं। यद्यपि अधिनियम पारित हो गया है, फिर भी सही अर्थ में बाल श्रम को खत्म करने हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। हमने बंधुआ मजदूरी के बारे में चर्चा की है और डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने प्रवासी श्रमिकों के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन हमारी एक और समस्या है। हमारे पास "दमन" श्रमिक हैं। ठेकेदार कुछ क्षेत्रों में जाते हैं, श्रमिकों को कुछ राशि देते हैं और उन्हें दूसरे राज्य में ले जाते हैं जैसा कि पूर्वोत्तर में हुआ है और जिसका उल्लेख डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा किया गया है। हम उन्हें "दमन" श्रमिक कहते हैं। उन्हें 1000 रु. या 5000 रु. की राशि मिलती है। जिसे वे अपने-अपने परिवारों को दे देते हैं। वे फिर दूसरे राज्य में चले जाते हैं और चार या पांच महीनों तक काम करते हैं। उनमें से कई शायद ही लौटते हैं। कोई नहीं जानता कि उनका क्या होता है। अचानक हिमाचल प्रदेश में बादल फटता है या केरल में बाढ़ आ जाती है और राजस्थान में किसी अन्य समस्या के कारण इन "दमन" श्रमिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उनका कहीं भी कोई रिकार्ड नहीं रहता है, न उस राज्य में ही जहां से वे आते हैं या न उसी राज्य में जहां वे काम करने जाते हैं। उनको पंजीकृत करने हेतु पर्याप्त कदम उठाना चाहिए।

जब भी ठेके पर काम हो तो विभिन्न राज्यों में ठेकेदारों को उन कामगारों की एक सूची बनानी चाहिए जो उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, या कम से कम उनके पते का ही रिकार्ड रखना चाहिए। इस तरह का एक रिकार्ड रखा जा सकता है कि ये वे व्यक्ति हैं जो इस बांध या सड़क या और कुछ में काम कर रहे हैं। ऐसा किया जा रहा है।

छठा मुद्दा कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए एक व्यापक कानून बनाना है। मैं इस विचार का पूर्ण समर्थन करता हूं। यह बिल्कुल आवश्यक है कि कृषि श्रमिकों के लिए एक व्यापक कानून होना चाहिए जो कि सर्वाधिक वंचित समुदाय है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में जिनकी सर्वाधिक संख्या है।

मैं दूसरे पहलू का जिक्र करता हूं। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने दो वर्ष पहले जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, एक विचार रखा था। उन्होंने उल्लेख किया था कि लघु उद्योग में कार्यरत कामगारों के संबंध में एक संशोधन किया जाना चाहिए।

अपराह्न 5.55 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था और कार्य संस्कृति में बदलाव जाने-अनजाने हमारे देश और हमारी कार्य प्रणाली में प्रविष्ट हो गए हैं। हम विकास चाहते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। इसके साथ ही, हम अपने उत्पादों को बाजार में बनाए रखने और उत्कृष्ट स्थिति में रखना चाहते हैं। यही मुख्य कारण है कि विशेषज्ञता की आवश्यकता है। हमें मशीनों को उन्नत बनाने हेतु वित्त की भी आवश्यकता है।

एक समय था जब श्रम सस्ता था। लेकिन अब यह सस्ता नहीं है। न तो विद्युत सस्ती है और न ही समय सस्ते का है। इसीलिए, हमें अधिक निवेश और शीघ्र प्राप्त होने वाले परिणामों की आवश्यकता है। विभिन्न प्रतिष्ठानों में श्रम शक्ति न्यूनतम होने का मुख्य कारण भी यही है।

वर्ष 1973 तक, यह नियम था कि 300 तक के कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले प्रतिष्ठान को कतिपय श्रमिकों को निकाले अथवा कतिपय इकाइयों को बंद करने के लिए राज्य सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब बहुत कम उद्योग अथवा प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो एक ही खंड में संयुक्त इकाई अथवा बहुत सारी इकाइयां स्थापित करते हैं। आजकल, लघु इकाइयां अस्तित्व में आ रही है। कोई और प्रतिष्ठान उनके द्वारा उत्पादित सभी उत्पाद को एकत्र करता है और एक पूरा उत्पाद तैयार करके उसे बाजार में भेज देता है। आज यही प्रणाली अस्तित्व में है। उस इकाई को लगभग 100 लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुत: वह सभी श्रमिकों को हटाना चाहते है लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिल रही है। वर्ष 1973 से, इस सीमा को 100 श्रमिक से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दिया गया है। इसलिए, त्रुटि यही है। मैं सोचता हूं कि दो वर्ष पहले अथवा एक वर्ष पहले अथवा उससे भी एक वर्ष पहले वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया था। किन्तु आज तक विधेयक नहीं आया है। श्रम मंत्रालय कृपया इस पर चिंतन करे और विचार करे। समुचित औद्योगिक विकास के लिए और उचित औद्योगिक वातावरण बनाए ताकि जिन इकाइयों में 100 से कम कर्मचारी हैं वे अपने कर्मचारियों की संख्या सीधे कम कर सकें। इस आशय का संशोधन करना आवश्यक है। उन्हें राज्य सरकारों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

जैसा पहले कहा गया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी गई स्वास्थ्य सुविधाएं उचित नहीं हैं। मुझे इसे बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है मैंने बहुत से उन श्रमिकों से बातचीत की है जो कि विभिन्न कारखानों में काम करते हैं। उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि से अपना बकाया देय प्राप्त करने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि से बहुत कम सहायता प्राप्त होती है। इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अन्तिम बात जो संकल्प में नहीं गई है वह यह है कि हमें श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करनी चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में न्यूनतम मजदूरी लागू कर दी है। उड़ीसा में श्री बीजू पटनायक ने अचानक न्यूनतम मजदूरी 10 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दी थी। उससे पहले यह मुश्किल से दस रुपये थी। न केवल औद्योगिक घरानों से बल्कि विपक्ष ने भी इसका विरोध किया। उस समय विपक्ष में कांग्रेस पार्टी थी। यह बताना आवश्यक है कि वह उन आंकड़ों अथवा निर्णय पर किस प्रकार पहुचे। एक बार वह आदिवासी जिलों में दौरे पर थे तो उन्होंने एक आदिवासी महिला से पूछा कि जीवन यापन के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है। उसने कहा कि उसे अपने परिवार के भरण-पोषण हेतु कम से कम पांच किलो चावल की आवश्यकता है। उस समय चावल की कीमत 5 रुपये अथवा 5.50 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इस प्रकार बीजू बाबू ने न्यूनतम मजदूरी को 25 रुपये प्रतिदिन कर दिया। इसे पुन: संशोधित किया गया। यह जरूरी है कि परिवार के भरण-पोषण हेतु न्यूनतम आवश्यकता को किसी श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का आधार बनाया जाना चाहिए।

मैं कुछ शर्तों सहित इस संकल्प का समर्थन करता हूं- जैसा मैंने पहले उल्लेख किया था कि पहले दो प्रावधानों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्य श्री बसुदेव आचार्य से संकल्प को परिवर्तित करने का अनुरोध करता हूं। मैं संकल्प के अंतिम तीन प्रावधानों का समर्थन करता हूं।

सायं 6.00 बजे

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): सभापति महोदय, मैं आम तौर पर इस संकल्प का समर्थन करता हूं। इस संकल्प की एकमात्र समस्या यह है कि इसमें कई विषय समाहित है। लेकिन मैं इन सभी की

[श्री ए.सी. जोस]

विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा। मैं अपनी बात एक अथवा दो विषयों तक ही सीमित रखूंगा।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेंशन योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में आ रही कई कठिनाइयों के कारण यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा विश्व भर में ब्याज दरों में यकायक हुई गिरावट के कारण सामाजिक सुरक्षा एक समस्या बन गई है। संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप में पेंशन योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अपेक्षाकृत तबाही की ओर है। यह प्रणाली यहां भी ध्वस्त होने के कगार पर है। मैं माननीय श्रम मंत्री से भविष्य निधि योजना पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं। भविष्य निधि योजना में काफी दोष हैं। सर्वप्रथम, भविष्य निधि संगठन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ संगठन है। इस संदर्भ में कई कार्य किए गए परन्तु कामगारों की अभी भी इस संगठन तक पहुंच नहीं है। उन्हें इस संगठन से मिलने वाले लाभों की जानकारी नहीं है। अत: माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि उन्हें भविष्य निधि संगठन के वर्तमान अस्तित्व के बारे में गंभीरतापूर्वक मनन करना चाहिए। क्या कभी मंत्री महोदय ने भविष्य निधि संगठन के प्रशासनिक व्यय के बारे में विचार किया है? मेरी जानकारी के अनुसार 460 करोड़ रु. एक मात्र प्रशासन पर व्यय होता है। प्रशासन तंत्र के अत्यधिक होने के कारण अंशदान और योगदान के रूप में जिस धन का भुगतान उन्हें प्राप्त होता है, उसे मात्र प्रशासनिक कार्यों पर व्यय किया जा रहा है। प्रशासनिक कार्य प्रणाली में संशोधन अथवा उसको सुदृढ़ करके भविष्य निधि संगठन के प्रशासनिक व्ययों को तत्काल कम किया जाना चाहिए।

दूसरी बात, हाल के आंकड़ों के अनुसार 1386.70 करोड़ रु. बकाए के रूप में वसूल किए जाते हैं। यदि भविष्य निधि संगठन ने सही ढंग से कार्य किया होता तो बकाए के रूप में इतनी धन राशि एकत्रित नहीं हुई होती। हमें इस संबंध में क्या करने वाले है? इस मामलों में किसी अभियोजन से सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत सी कम्पनियां गायब हो गई है, कई कम्पनियों का दिवाला पिट गया और इस तरह भविष्य निधि को वसूला नहीं जा सकता है। अत: जो धन श्रमिकों को मिलना चाहिए था वह भविष्य निधि में नहीं है।

दूसरी बात ब्याज दर के बारे में है। जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं। वह इस समय अपने उपर काफी दबाव महसूस कर रहे हैं और उन्होंने ब्याज दर को 9.5 प्रतिशत रखा है। लेकिन क्या वह इस ब्याज दर को जारी रख सकते हैं? मैं यह सोचता हूं कि देश के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में इस प्रतिशतता को एक मात्र ब्याज के आधार पर जारी नहीं रखा जा सकता है। इसके लिए कतिपय तंत्र की खोज करनी होगी। हमें यह जांचना होगा कि क्या भविष्य निधि प्रणाली में विभागीय प्रबंधन आवश्यक है, क्या म्युचुअल फंड हो सकता है अथवा क्या भविष्य निधि के जरिए पूंजी निवेश किया जा सकता है। इसके अभाव में देश में भविष्य निधि संगठन के साथ ही सामाजिक सुरक्षाएं भी एक बड़ी समस्या बनने वाली हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि भविष्य निधि संगठन को गहन परीक्षा की आवश्यकता है। उन्हें वित्त संबंधी मंत्रालयों और वित्त मंत्रालय के दबाव की वजह से इसे कम करना पड़ा है। दो महीना पहले मैंने उन्हें 9.5 प्रतिशत ब्याज दर जारी रखने के प्रयासों हेतु बधाई दी थी। परन्तु मुझे आशंका है कि वह इसे दीर्घावधि तक कायम नहीं रख पाएंगे। तब इससे गरीब कामगारों को ही समस्या होगी। सरकार को कोई ऐसी तरकीब खोजनी होगी जिससे भविष्य निधि पर ब्याज दर को ऊंचा रखा जा सके।

महोदय, एक भविष्य निधि पेंशन योजना है। भविष्य निधि की यह पेंशन योजना वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। इसमें खामी थी। सर्वप्रथम जब 1972 पेंशन योजना आरम्भ की गई अथवा इसकी चर्चा चली थी, उस समय कई श्रमिक संघों जिसमें एक का इस संकल्प ने प्रस्तावक ने भी समर्थन किया था ने इसका विरोध किया था। परिणामस्वरूप जो कामगार 1972 में कार्य कर रहे थे वे 1995 के आने पर परिवार पेंशन के लिए अयोग्य हो गए। इसलिए सरकार को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके द्वारा 1972 से 1995 तक के सम्पूर्ण बकाया राशि को जोड़ा जा सके और वे परिवार पेंशन के लिए योग्य हो जाए। कुछ लोगों ने यह विकल्प चुना था और कुछ ने इसका विकल्प नहीं चुना था। इसके परिणामस्वरूप आज स्थिति यह है कि जो पेंशन 1995 में निर्णीत की गई थी वह अभी भी विद्यमान है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 1995 में यह 500 करोड़ थी और इस समय भी इसी राशि का भुगतान होता है। उन्हें कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलता और उनके पेंशन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। उन्होंने अपना अंशदान छोड़ दिया है। अथवा उन्हें अपनी धनराशि मिल गई होती और वे इसे बैंक में जमा कर दिये होते और ब्याज मिलने की वजह से कुछ अधिक राशि अर्जित कर चुके होते।

भविष्य निधि पेंशनभोगी इस वास्तविक समस्या का सामना कर रहे हैं लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि वे संगठित नहीं है। सरकार को गम्भीरतापूर्वक उनकी इस समस्या पर विचार करना चाहिए। वर्ष 1995 में निर्णीत की गई पेंशन अभी भी जारी है। इसलिए एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें पेंशन भोगियों को भविष्य निधि पेंशन से कुछ अधिक पेंशन दी जा सके।

देश में इस समय आर्थिक परिदृश्य व रोजगार परिदृश्य दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो रहे है। अब कामगारों को कोई सुरक्षा नहीं रह गई है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियां और अन्य कम्पनियां कर्मचारियों को स्थायित्व नहीं दे रही है। सरकार द्वारा व्यक्तिगत भविष्य निधि संख्या प्रदान करके शुरू की गई पेंशन योजना एक

तरह अच्छी है परन्तु इसके साथ ही अधिकांश व्यक्ति न्यून पारिश्रमिक पाने वाले कामगार और शिक्षित कर्मचारी दोनों ही इस भविष्य निधि योजना के अंतर्गत नहीं आ सकते है। अत: मैं श्रम मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजना लाए जिसमें सभी श्रमिकों, चाहे वेतन भोगी हो अथवा नहीं, चाहे कम्पनी मालिक उन्हें भविष्य निधि उपलब्ध करा रहे हों अथवा नहीं, को शामिल किया जा सके जैसा कि कनाडा और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में किया गया है। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा वह दिन दूर नहीं है, जब भविष्य निधि स्वयं ही मिट जाएगी। यह स्वयं ही पुरातन हो जाएगी क्योंकि इसमें नए लोग शामिल नहीं होंगे।

दूसरी बात, श्रम मंत्री असंगठित क्षेत्र के कामगारों की समस्या से अच्छी तरह वाकिफ हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लाभार्थ कुछ कानून बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, मैं उसके लिए उनकी सराहना करता हूं। परन्तु मैं उसे सूचित करना चाहता हूं कि इस सम्माननीय सभा ने 11वीं लोक सभा की कार्यावधि के दौरान भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि बोर्ड के लिए 1996 में विधि पारित की थी। लेकिन उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। मैंने उनसे बार-बार इस बारे में चर्चा के लिये सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों या कम से कम श्रम मंत्रियों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। मैंने उनके पूर्ववर्ती श्री शरद यादव से भी इस मामले के संबंध में अनुरोध किया और उन्होंने मेरी बात पर सहमति जताई थी। माननीय मंत्री महोदय इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि गत 20 वर्षों में निर्माण श्रमिक कल्याण कोष बोर्ड की केवल दो बार बैठक हुई है। सांविधि के अनुसार हर छह वर्ष में उसकी बैठक होनी चाहिये। लेकिन आज की तिथि तक केवल दो बैठकें हुए हैं, जिनमें से दो में मैंने हिस्सा लिया है। बोर्ड बैठक में भी मैंने श्रम मंत्री से आग्रह किया कि वे श्रम मंत्रियों की बैठक के लिये राज्य सरकारों पर दबाव डालें।

केवल तीन राज्यों- केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ने अपनी कल्याणकारी योजनायें क्रियान्वित की हैं। किसी अन्य राज्य ने ऐसा नहीं किया है। प्रमुख राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है। इस मामले में कानून पारित करने का क्या प्रयोजन है? हमने 1996 में कानून पारित किया था और बोर्ड का गठन किया गया था। पहले बोर्ड का कार्यकाल कल या परसों समाप्त हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्रम मंत्रालय की इस मामले में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। विभाग को नहीं पता कि निर्माण श्रमिकों या कृषि श्रमिकों की स्थिति कैसी है। वे हमेशा कहते हैं कि इसे समवर्ती सूची में ले आइये और ऐसी ही अन्य बातें! वे यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि यह राज्य का विषय है। इसे करने का कोई मतलब नहीं है। यदि मैं बोलचाल की भाषा में कहूं तो केन्द्रीय श्रम विभाग नियुक्त हो गया है। इस विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है।

अब ई.एस.आई. के बारे में क्या कहेंगे? मेरे पास समय कम है। ई.एस.आई. की भ्रष्टाचार की शरणगाह है। जैसा कि श्री गेहलोत ने बताया है। श्रमिक धन का भुगतान करके ही छुट्टी पर जाता है। आपको इस पर पुनर्विचार करना है। इसका प्रशासन केन्द्र सरकार के पास है लेकिन राज्य सरकार क्रियान्वयन करती है। केन्द्र सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। राज्य का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह ऐसा क्षेत्र है, जिस पर किसी का दावा या जिम्मेदारी नहीं है। यह अनाथ है। मैं अनुरोध करता रहा हूं कि ई.एस.आई. के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र विशेषकर निर्माण श्रमिकों को कुछ चिकित्सा सुविधायें दी जानी चाहिए। हमने कई बार अनुरोध किया है। लेकिन यह कहते हुये मुझे गर्व है कि केरल में निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। हम 60 वर्ष की उम्र के बाद सामान्य श्रमिक को 200 रुपये की पेंशन दे रहे हैं। मैंने आपको वह विधेयक दिखाया है। मैंने आपसे अनुरोध किया है कि अन्य राज्य सरकारों को भी आप वैसा करने को कहें। लेकिन उस मामले में किसी ने भी उंगली नहीं उठाई है। अत: इसका कोई मतलब नहीं है।

मेरा आपसे बार-बार अनुरोध है कि यदि वाकई आपकी असंगठित क्षेत्र में रुचि है, तो इस सभा ने 1996 में कानून पारित कर आपको प्राधिकार दिया है। सात वर्ष बीत चुके हैं। श्रम विभाग ने कुछ नहीं किया है। मैंने बैठक बुलाने के लिये अनुरोध किया। जो भी हो, यह हो नहीं पाया। उसके बिना हम असंगठित श्रमिकों की रक्षा कैसे कर पायेंगे? श्री मेहता ने 37 करोड़ श्रमिकों का उल्लेख किया। मैं इस बात से सहमत हूं कि 37 करोड़ श्रमिक हैं। लेकिन उन 37 करोड़ श्रमिकों हेतु इस मामले में कुछ नहीं किया जा रहा है। अत: मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस प्रस्ताव से आप सशक्त होते हैं। मैं अन्य बातों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं केवल दो या तीन बातों का उल्लेख कर रहा हूं। हमें काफी देर हो चुकी है। जब तक आप श्रमिकों के भविष्य निधि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में तुरन्त कार्रवाई नहीं करते, हमें देर हो जायेगी और देश में मुश्किलें उत्पन्न हो जायेंगी। यह पूरी तरह ठप्प हो जायेगा।

दूसरी बात असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में है। मुझे पता है कि वर्तमान श्रम मंत्री उनके प्रति गंभीर हैं। लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड अधिनियम के क्रियान्वयन और कृषि श्रमिकों के लिये आपको कुछ करना होगा। इन सबका घालमेल हो गया है। गांवों में कृषि श्रमिक और निर्माण श्रमिक में कोई अन्तर नहीं है। अत: असंगठित क्षेत्र को समग्र तरीके से लेना होगा। भविष्य निधि और स्वास्थ्य देख-रेख योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुछ कदम उठाये जाने चाहिये।

अब भी स्वास्थ्य देख-रेख पर काफी हो-हल्ला होता है कोई भी असंगठित क्षेत्र के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं है। हमारे

[श्री ए.सी. जोस]

पास उनके लिये कोई योजना है। संगठित क्षेत्र में बैंक कर्मचारी और फैक्ट्री श्रमिक हैं। उनको ऐसी योजना मिली हुई है चाहे वह अच्छी है, बुरी है, अथवा अपर्याप्त है। ई.एस.आई. वहां है। उन्हें लाभ मिल रहा है। उन्हें अच्छा भुगतान मिलता है। अत: मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसी योजना लायें जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को चिकित्सा, स्वास्थ्य देख-रेख और सुरक्षा की सुविधायें मिल सकें।

मैं इस मामले की गहराई में नहीं जा रहा हूं। लेकिन अब सही समय आ गया है जब हम इन मामलों पर विचार करें। कल हमारी आजादी की 56वीं जंयती है और 56 वर्ष बाद हम असंगठित क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। एक के बाद एक मंत्री असंगठित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है।

मैं इस उम्मीद के साथ इस संकल्प का समर्थन करता हूं कि इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिये।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं, देश की स्वतंत्रता की 56वीं वर्षगांठ की पूर्ण संध्या पर इस अतिमहत्वपूर्ण संकल्प को रखने के लिए श्री बसुदेव आचार्य को धन्यवाद देता हूं।

असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में कामगार कार्यरत हैं। जैसाकि उन्होंने उल्लेख किया है, हमारे देश में 37 करोड़ कामगार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। वर्तमान या भविष्य में उनके हितों के संरक्षण के लिए किसी समुचित कानून का प्रबंध नहीं है। सामाजिक सुरक्षोपाय पर्याप्त नहीं हैं और जैसाकि पूर्व वक्ता ने कहा है जो थोड़े-बहुत कानून उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकांश का कार्यान्वयन समुचित ढंग से नहीं किया गया है। यह बहुत ही गंभीर समस्या है।

असंगठित क्षेत्र के लिए, असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों के लिए भविष्य निधि योजना लागू करने जैसे कुछ सुझाव दिए गए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में प्रयास भी किए हैं। हमने पश्चिम बंगाल राज्य में यह देखा है, जहां राज्य सरकार ने कृषि मजदूरों के लिए भविष्य निधि योजना आरंभ की है। परन्तु आप जानते हैं कि राज्य सरकारों की अपनी सीमाएं होती हैं क्योंकि उनकी वित्तीय और अन्य समस्याएं होती हैं। प्रश्न यह है कि, हम ऐसा पूरे देश के लिए कैसे कर सकते हैं? केन्द्र सरकार को कुछ पहल करनी होगी और वह राज्य सरकारों की बैठक बुला सकती है और यह निर्णय ले सकते हैं कि हम इस योजना को पूरे देश में कैसे लागू कर सकते हैं।

पुन: जहां तक भविष्य निधि पर ब्याज दर को 12 प्रतिशत पर पुनर्बहाल करने का संबंध है, हमने कुछ सुझाव दिए हैं। परन्तु माननीय मंत्री कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वे विश्व बैंक, आई एन एफ और डब्ल्यू टी ओ से दबे हुए हैं और धीरे-धीरे झुकना पड़ेगा। अंतत: हम यह नहीं जानते कि हम ऐसा कर सकेंगे या नहीं। यदि हम भविष्य में, बैंक में धन रखते हैं तो संभवत: हमें धन का संरक्षण करने हेतु बैंकों को ब्याज का भुगतान करना होगा। वे ब्याज नहीं देंगे क्योंकि श्री शौरी की एल पी जी और तेजी से अग्रसर है। संभवत: हमें, धन का संरक्षण करने वाले बैंक को भुगतान करना होगा। यह घट रहा है। यह एक नई चुनौती है। हमें धन जुटाना है। हमें इन सभी चीजों को करने के लिए अन्यत्र कहां से धन जुटाना होगा। ब्याज दरों में कमी के कारण हम काफी जूझ रहे हैं। माननीय श्रम मंत्री को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के संरक्षण हेतु अपने सहयोगियों से काफी लड़ना होगा।

जहां तक बोनस की सीमा को हटाने का संबंध है। मेरे विचार से यह माननीय मंत्री को अधिकार है। आप जानते हैं। बोनस अधिनियम काफी पहले पारित किया गया था और तब यह सीमा रखी गई थी कि 2500 प्रति माह अर्जित करने वाले कामगारों को ही बोनस मिलेगा। अब, मूल्य वृद्धि और रुपए के अवमूल्यन के कारण 2500 रुपए की यह धनराशि उनके परिवारों का पूरे माह तक पालन-पोषण करने के लिए बहुत कम है। मेरे विचार से, असंगठित क्षेत्र, व्यापार संघों आदि की लंबी समय से मांग रही है कि बोनस की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। इसे 2500 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए होना चाहिए। यह माननीय मंत्री के क्षेत्राधिकार में है और वह इस पर विचार कर सकते हैं। यह कामगारों की लंबे समय से मांग रही है। चिंता का दूसरा विषय वैधानिक बकायों का भुगतान भी है। अब कारखानों को बंद किया जाना और सभी नए प्रकार के हमले किए जा रहे हैं। जब वे उन कारखानों को बंद कर रहे हैं, अपने बकायों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, भविष्य निधि के स्वामित्व शेयरों को जमा नहीं कर रहे हैं, और ई.एस.आई. निधि जमा नहीं कर रही है। ये नई समस्याएं हैं और-आपको इनका सामना करने के तरीके ढूंढने होंगे।

स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के संबंध में उन्होंने एक व्यापक विधान को लागू करने का उल्लेख किया है। मैं दो मिनट में कृषि कामगारों के कल्याण हेतु एक व्यापक विधान लागू करने के प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हूं। वर्ष 1980 से इस सभा में मैं लगातार यह मांग कर रहा हूं। जैसा कि मैं कृषि मजदूरों के बीच काम कर रहा हूं, मैं यह पाता हूं कि वे बड़े संकट में है। अब 11 करोड़ कृषि मजदूर हमारे देश में हैं परन्तु कार्य की कोई गारंटी नहीं है। पहले उन्हें 120 से 135 दिन तक काम मिलता है। अब उन्हें पूरे वर्ष में 70 से अधिक दिन का काम नहीं मिल रहा है। वे कैसे जीवन व्यतीत करें। हम कुछ स्थानीय सर्वेक्षण कर रहे हैं। हरियाणा में एक गांव में एक सर्वेक्षण कर रहे हैं। वहां हमने पाया कि पूरे वर्ष में कृषि कामगारों को केवल 30 दिन काम

मिलता है। यह बहुत गंभीर स्थिति है। इस प्रकार, कृषि कामगारों की स्थिति बहुत बुरी है। अनेक योजनाएं है। प्रत्येक वर्ष हमें किसी मंत्री या किसी महापुरुष के नाम से हम 4, 5 या 10 योजनाओं को आरंभ करते हैं। इससे कोई मदद नहीं मिल रही। हमें उन सभी को एक साथ इकट्ठा करना चाहिए। आप योजनाओं की संख्या में वृद्धि करते हैं परन्तु उनके कार्यान्वयन की बड़ी बुरी स्थिति है। यदि हमारे पास कम कार्यक्रम हैं और अधिकतम धन इकट्ठा किया जाता है और उसकी समुचित निगरानी की जाती है, तो मेरे विचार से यह पर्याप्त होगा। मैं नहीं जानता कि यहां कितनी ग्रामीण विकास योजनाएं हैं। संभवत: मंत्री महोदय यह सोचते हैं कि उनका नाम इतिहास में बना रहेगा, वे भविष्य में स्मरणीय बने रहेंगे, इसलिए वे प्रत्येक वर्ष इन कार्यक्रमों को रख रहे हैं। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर सरकार नए कार्यक्रमों की घोषणा करती है। हम सभी योजनाओं को इकट्ठा करें। हमें कुछ कार्यक्रमों का पता लगाया जाना चाहिए ताकि अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके। ये सब प्रशासनिक समस्याएं हैं। हम जानते हैं कि दिए गए एक रुपए में से, केवल 16 पैसे का कार्य ही ग्रामों तक पहुंचता है, जैसाकि सामान्यत: विश्वास किया जाता है। यह कार्यक्रमों की बहुलता और कुप्रबंधन के कारण हैं। यदि कम कार्यक्रमों को इकट्ठा किया जाता है, प्रत्यक्षत: और समुचित रूप से निगरानी की जाती है तो मेरा विचार है कि यह कार्यक्रमों के लिए ठीक है।

कृषि कामगारों के संबंध में मेरा सुझाव है कि हमारे पास केन्द्रीय विधान होना चाहिए। हमें इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए जो राज्य सरकारें कह रही हैं। कुछ राज्य सरकारें सहमत हैं और कुछ असहमत हैं। हमें केन्द्रीय विधान पारित करना चाहिए। इसमें कृषि कामगारों की परिभाषा दी जानी चाहिए। उनकी पहचान की जानी चाहिए। उनके पास परिचय पत्र होना चाहिए। उनका पंजियन के अंतर्गत किया जाना चाहिए। उनकी पहचान के आधार पर, उन्हें कार्य हेतु रखा जा सकेगा।

दूसरे, मैं उनके पारिश्रमिक की बात करता हूं। यह न्यूनतम मजदूरी केवल उल्लंघन के लिए है। ज्यादातर क्षेत्रों में इसे कार्यान्वित नहीं किया जाता है। इसमें भिन्नताएं है। एक राज्य में 3 या 4 प्रकार की न्यूनतम मजदूरी है। हमें समुचित न्यूनतम निर्धारित करनी है, और यह कि इसे कृषि कामगार अधिकारी के माध्यम से पूरे देश में कार्यान्वित किया जाना चाहिए जो उनके अंतर्गत प्रखंड स्तर पर कार्य करेगा।

तीसरा यह कि इसमें एक सुलह तंत्र होगा। यदि भूस्वामियों और कृषि श्रमिकों के बीच विवाद होगा तो वे सुलह हेतु कहां जाएंगे? कृषि श्रमिकों के लिए कोई सुलह तंत्र नहीं है। यद्यपि हम कहते हैं कि यहां कतिपय श्रम कानून है तो भी यह कृषि श्रमिकों पर लागू नहीं होते। हमें इनके लिए अलग से विवाद निपटान तंत्र स्थापित करना चाहिए। हमें विशिष्ट कानूनों में इसका प्रावधान करना चाहिए।

चौथा, यह कि इन श्रमिकों के लिए कार्य घंटे भी निर्धारित होने चाहिए। उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी छुट्टियां और तत्पश्चात् उनके संबंध में मुआवजे को भी निर्धारित होना चाहिए। कृषि श्रमिक गंभीर प्रकार की बीमारियां से ग्रसित है। सामान्य बीमारियों तो हैं ही। कीटनाशियों, खेतों में कार्य और दुर्घटनाओं के कारण उनके सामने कई समस्याएं आ रही हैं। इसलिए हमें इस व्यापक केन्द्रीय विधान में कतिपय प्रावधान करने चाहिए।

उनके भविष्य के संबंध में केरल की तरह ही कल्याण कोष की स्थापना करनी चाहिए। हम उनके लिए धनराशि जुटा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार 300 करोड़ या 500 करोड़ रुपये का आरम्भिक कोष स्थापित कर सकती है और वह राज्य सरकारों से इसमें थोड़ा बहुत योगदान के लिए कह सकती है। भूस्वामी जो कृषि श्रमिकों की सेवाएं लेते हैं उनसे भी इसमें कुछ राशि के योगदान हेतु कहा जा सकता है। इस प्रकार से हम कृषि श्रमिकों के लिए कोष बना सकते हैं। इस कल्याण कोष से हम उन्हें पेंशन दे सकते हैं। इसे भी केरल प्रणाली के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

कृषि श्रमिकों का कार्य न मिलने के कारण बड़ी संख्या में प्रवास हो रहा है। आपको प्रत्येक राज्य में बिहार से आने वाले कृषि श्रमिक मिल जाएंगे। बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश से हजारों श्रमिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और अन्य राज्यों में जा रहे हैं। सूखे के कारण यह प्रवास बढ़ता ही जा रहा है और वे काम की तलाश में प्रवास करते जा रहे हैं। हमें प्रवासी श्रमिकों तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान किस प्रकार से की जाए के बारे में सोचना है। अधिनियम में भी प्रावधान होना चाहिए।

यह नई बात नहीं है। इस संबंध में कई बैठकें हो गई है, दर्जनों बैठकें हुई है। स्थायी समिति, राज्य स्तरीय समितियों और श्रम आयोग ने उनके लिए कई बातों की सिफारिश की है। इस विषय पर कई सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री से इसे शीघ्र अन्तिम रूप देने का अनुरोध करता हूं। यह तैयार पड़ा हुआ है। आपके मंत्रालय में कृषि श्रमिकों से संबंधित कई मसौदे सड़ रहे हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह पहल करें और इन दस्तावेजों को अद्यतन करें। यदि माननीय मंत्री जी इस सदन में कृषि श्रमिकों के लिए इस सभा में कोई व्यापक केन्द्रीय विधान लाते हैं तो वह ग्रामीण क्षेत्रों के बड़ी संख्या में हमारे श्रमिकों के बेहतर सेवा होगी।

[श्री हन्नान मोल्लाह]

मैं एक बार फिर मंत्री जी से कृषि श्रमिकों के लिए व्यापक केन्द्रीय विधान लाने का अनुरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संकल्प में उल्लिखित सुझावों पर विचार करेंगे और सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वतंत्रता की इस 56वीं वर्षगांठ में हम अपने देश के 37 करोड़ श्रमिकों को बेहतर जीवन देने में सफल हो पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार): सभापति महोदय, माननीय सदस्य बसुदेव आचार्य जी द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 2003 को निम्नलिखित शब्दों में सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया था, उसके ऊपर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं:

> "कि यह सभा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में निरन्तर हो रही कमी पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह सभी असंगठित श्रमिकों के लिए भविष्य निधि योजना आरम्भ करके; भविष्य निधि की ब्याज दर को पुन: 12 प्रतिशत करके; बोनस भुगतान की सीमा को समाप्त करके; श्रमिकों को सभी सांविधिक बकायों का भुगतान सुनिश्चित करके; पर्याप्त स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं प्रदान करके; कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए एक व्यापक विधान अधिनियमित करके और ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करके श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए उपाय करे।"

महोदय, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए, इस बारे में संगठित श्रमिकों के लिए तो कानून बने हैं।

लेकिन असंगठित या ठेका मजदूरों के लिए कानून बनाने की जरूरत है। जो कानून बने हैं, उन्हें लागू करने का काम श्रम मंत्रालय देखता है, लेकिन असंगठित मजदूरों का कोई भी नहीं है, उनका सिर्फ भगवान मालिक है, ऐसा मैं मानता हूं।

भारत सरकार के बड़े-बड़े उपक्रमों में भी ठेका पद्धति चालू है, जैसे टेलीफोन डिपार्टमेंट में केबल बिछाने में या कोई कारखाना खड़ा करने में ठेकेदार की ओर से ठेका श्रमिक लगाये जाते हैं। भारत सरकार के लगभग सभी उपक्रमों में ठेका पद्धति चालू है, जैसे तेल कम्पनियां, कोयला खदानें, रेलवे और सभी मंत्रालयों में सफाई मजदूर ठेके पर लगाये जाते हैं, यह पद्धति बन्द होनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

यहां पर मेरे सभी साथियों ने जो विचार रखे हैं, उनसे मैं अपने को जोड़ता हूं। इस देश में जो असंगठित और ठेका मजदूर हैं, उनके लिए सरकार को, श्रम मंत्रालय को कानून में संशोधन करके प्रावधान करना चाहिए, ताकि इनको भी न्याय मिले, यह देखना भी बहुत जरूरी है। जो बड़े-बड़े ठेकेदार होते हैं, वे दिल्ली जैसे बड़े-बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें किसी का अपघात होता है या कोई बीमार होता है, उसके ऊपर ठेकेदारों का ध्यान नहीं होता। गरीब लोग जो दूसरे प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनके लिए इस कानून में कोई प्रावधान बहुत ही जरूरी है। ये लोग अपना पेट भरने के लिए कभी इस स्टेट में, कभी दूसरे स्टेट में जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। ठेकेदार जहां ठेका लेगा, वहीं पर वह लोगों को ले जाता है और बहुत सी जगहों पर ठेका मजदूरों का एक्सीडेंट वगैरह होता है, जैसे कोयला खदान में या रेलवे में जो काम करने वाले ठेका मजदूर हैं, जहां कहीं दुर्घटना होती है, वहां उन्हें कोई मुआवजा सरकार की ओर से या ठेकेदार की ओर से नहीं मिलता। इस ओर सरकार को, श्रम मंत्री महोदय को देखना चाहिए, यह भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को विनती करता हूं।

मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए फिर से इस संकल्प के लिए बसुदेव आचार्य जी को धन्यवाद देता हूं और मैं इसका समर्थन करते हुए मेरे दो शब्द यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय: इस संकल्प की कार्यावधि समाप्त है, इसलिए यदि सभी की सहमति हो तो 15 मिनट के लिए समय बढ़ा दिया जाये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): 15 मिनट में यह कैसे समाप्त होगा?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): समय तो सात बजे तक है न?

सभापति महोदय: इस संकल्प की अवधि समाप्त होने वाली है। अब सरकार की तरफ से मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय सभापति जी, सदन के विद्वान सदस्य श्री बसुदेव आचार्य जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और सामयिक विषय संकल्प के लिए चर्चा के रूप में रखा और उतना ही योग्य समर्थन सभी अन्य माननीय सदस्यों ने भी किया, जिसमें आप स्वयं भी सम्मिलित थे।

वर्तमान में दुनिया में सुधारों का दौर चल रहा है और मजदूरों की चिन्ता सभी तरफ हो रही है। हमारे देश में करीब 40 करोड़ के लगभग संगठित और असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की संख्या आंकी गई है। वर्तमान सरकार जहां प्रति वर्ष एक करोड़ नई

नौकरियां उपलब्ध कराने की बात कर रही है वहीं पर इस समय जो लोग कार्यरत हैं, उनकी भी हम चिंता कर रहे हैं। जैसे आप सब परिचित हैं कि करीब तीन लाख से अधिक प्रतिष्ठानों में 3.74 करोड़ के करीब ऐसे कामगार हैं जो विभिन्न सुरक्षा योजनाओं में आते हैं, जिनकी चिंता की जाती है। सरकार ने इससे और आगे बढ़कर असंगठित क्षेत्र में जहां 37 करोड़ के करीब श्रमिक हैं, उनकी चिंता की है। उनके हिसाब से कैसे हम व्यवस्थित करें, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि पिछले दिनों में आई.एल.ओ. की कांफ्रेंस में जिनेवा में था। वहां हिन्दुस्तान के पक्ष को बहुत अच्छे ढंग से रखा गया। दुनिया में हमारे पक्ष को सराहा भी गया है। मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि देश के अंदर विभिन्न संगठन चाहे कुछ भी कहें, वहां पर हम सबने एक स्वर में हिन्दुस्तान में जो कुछ हो रहा है, उस दिशा में कार्य करना शुरू किया था। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माननीय बसुदेव आचार्य जो कि इस क्षेत्र के बहुत अच्छे जानकार हैं, ने जो बातें लिखी हैं, मैं आपका ध्यान भविष्य निधि की ब्याज दर पर लाऊंगा। भविष्य निधि की ब्याज दर जिस समय निश्चित हो रही थी, तब सब लोगों की नजर माननीय श्रम मंत्री के ऊपर थी। कोई भी अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि जब दुनिया के अंदर ब्याज की दरें निरंतर कम हो रही हैं तो हम कैसे इसको इस रूप में लायें जिससे मजदूरों का हित हो सके। हमने वह कर दिखाया।

जहां तक आगे का विषय है, हम ऐसा महत्वपूर्ण कदम लेकर आ रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र के अंदर कैसे इन 37 करोड़ मजदूरों को शामिल करें। उसका बिल आया हुआ है। वह मंत्रिमंडल में विचार के लिए रखा है। इस समय वह ग्रुप्स आफ मिनिस्टर के बीच में चर्चा के लिए सर्कुलेट है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत जल्दी यह बिल सदन में आयेगा और माननीय सदस्य ने यहां जो कुछ कहा है, उसको हम एक अच्छे ढंग से यहां पर प्रस्तुत कर पायेंगे। एक सही दिशा में देश के अंदर मजदूरों के हित में जो काम होना चाहिए, उसकी शुरूआत इस प्रकार से हो रही है। यह बात हम मानते हैं।

अभी कुछ मित्रों ने ई.एस.आई. अस्पताल के बारे में कहा। ई.एस.आई. अस्पताल करीब 3.10 करोड़ कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब यहां पर उस संबंध में कुछ समस्याएं बताई गयी हैं। सामान्यत: अधिकांश ई.एस.आई. हास्पिटल राज्यों में है जो कि राज्यों द्वारा संचालित होते हैं। दिल्ली में ई.एस.आई. अस्पताल केन्द्र द्वारा संचालित होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने हर राज्य में एक माडल अस्पताल बनाना तय किया है जिसे केन्द्र द्वारा संचालित करेंगे। उसमें सारी सुविधायें मिलेंगी। मैंने कुछ ई.एस.आई. डिस्पेंसरियों को भी देखा है। मैंने महसूस किया कि इसमें बहुत कुछ कार्य करना बाकी है। हम इसको इस रूप में कैसे आगे ले जायें, इस दिशा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जिस ढंग से ई.एस.आई. अस्पताल काम कर रहे हैं, इस समय केवल 141 अस्पताल हैं। हम इसमें हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं चाहे वह आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो। इसे हम आगे बढ़ाने की दिशा में भी ले जा रहे हैं परन्तु इसमें कुछ कमियां समझ में आ रही हैं। उन्हें कैसे सुधारा जाये, इस बात की कोशिश की जायेगी। ई.एस.आई. अस्पताल में जो भी जायें, वे इस रूप में न जायें कि वे केवल छुट्टी के लिए जा रहे हैं जैसा कि हमारी समझ में आ रहा है।

माननीय साहिब सिंह वर्मा जी इसके बारे में चिंतित हैं। वे कई ई.एस.आई. डिस्पेंसरियों का स्वयं भी मुआयना कर चुके हैं। उसको हम कैसे एक सही दिशा में ले जायें, उस हिसाब से आगे बढ़ने के काम भी करें। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम जो बिल लाये हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, वे इस बिल में शामिल हो जायेंगे। उन सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। समय-समय पर जो मीटिंगें चल रही हैं, उन मीटिंगों के अंदर चाहे बीड़ी श्रमिक हो या कोई भी श्रमिक हो, उनको हम कैसे सहायता सुविधा बढ़ा पायें, कैसे हम उसको एक ही दिशा में ले जायें। देश के बाहर जो श्रमिक जाते हैं, उनको वहां पर सुविधायें मिलें, उनकी समस्याओं को हम किस प्रकार से हल करें ताकि देश के बाहर जाने के बाद उन्हें ऐसा महसूस न हो कि वह अकेले खड़े हुए है। इसका भी एक सही ढंग से, सही स्वरूप में लाने का काम कर रहे हैं। बोनस के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अगर बोनस को फ्री कर देंगे तो मैं समझता हूं कि जितना आर्थिक भार आयेगा, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सब परिचित हैं कि किस यूनिट ने जितना मुनाफा रखा गया है, वह चाहे जितना भी देना चाहे, जिस रूप में देना चाहे, दे सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य: उनकी सेलरी 2,500 रुपये है। उसको आप बढ़ाइये। यह तो 30 साल पहले तय हुआ था।

श्री संतोष कुमार गंगवार: सरकार इन सारे विषयों पर विचार कर रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जब हमारा अनआर्गनाईज्ड सैक्टर वाला बिल आएगा तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि हम इन विषयों पर कितने लिबरलाइज हैं और लाजिकली उसके हिसाब से चल भी रहे हैं। आज के समय में यदि 20-25 साल पहले वाला कोई कानूनी है, तो यह हमारी समझ में भी आता है, हम भी अखबार में पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन्स हैं जहां एक साल का वेतन एक करोड़ रुपये से अधिक है। अगर हम मजदूर की सुविधाओं की पूर्ति न कर पाए तो निश्चित रूप से यह सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। आप हमारी बात निश्चित रूप से मानेंगे कि इस सरकार के

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

आने के बाद से महंगाई नहीं बढ़ रही है। हम कोशिश में हैं कि आम आदमी को खाने-पीने की चीजें सही मूल्य पर उपलब्ध हों, हम उनकी समस्याओं का हल करें। हम यह नहीं चाहते कि महंगाई बढ़ती रहे, वेतन बढ़ता रहे और हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाएं।

जहां तक वसूली का सवाल है, हम बहुत प्रयत्नशील हैं। अगर आप पिछले चार-पांच वर्षों के आंकड़े उठाकर देखें तो हमने दुगुनी-तिगुनी भविष्य निधि की वसूली की है। इस समय करीब 1511 करोड़ रुपया ऐसा है जो वसूल नहीं हो रहा है और उसमें से भी दो-तिहाई धन ऐसा हो जो विभिन्न न्यायालयों, बीआईएफआर आदि के कारण लंबित है और जिसे वसूलने में हमें असुविधा हो रही है। बाकी के लिए हमने एक कार्यदल गठित किया है कि अगर 300-400 करोड़ रुपया है तो उसे तुरंत वसूला जाए। मजदूर का एक रुपया भी बाकी न रहे। उसमें सरकारी, गैर-सरकारी राज्य और केन्द्र के लोग हैं। इसके लिए पीनल कार्यवाही हो रही है।

मैं इस महकमे में दो-तीन महीने से हूं। मैंने देखा है कि माननीय श्रम मंत्री जी ने इन दो-तीन महीनों में कम से कम चार-पांच मीटिंग केवल इसी बात को लेकर की हैं कि हम इस वसूली को कैसे सुनिश्चित करें। जहां कोर्ट का स्टे है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय मंत्री जब आप भविष्य निधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान 2001-02 की ओर आकर्षित कर रहा हूं। 1,100 करोड़ रुपए के लगभग एकत्र किए गए थे और प्रशासनिक तथा निरीक्षण प्रभार के रूप में 498.86 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह 500 करोड़ रुपए के करीब है ...*(व्यवधान)* इसलिए क्या आज प्रशासनिक खर्चों को न्यूनतम करने जा रहे हैं? ...*(व्यवधान)* ऐसा इसलिए है क्योंकि भविष्य निधि से संबंधित प्रशासनिक खर्चे लगभग पांच प्रतिशत हैं जो कि नहीं होने चाहिए। यह किसी भी प्रतिष्ठान में दो प्रतिशत से कम होने चाहिएं ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम देखेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: माननीय मंत्री, आपने पिछले वर्ष 1,100 करोड़ रुपए एकत्र किए परन्तु बकाया राशि 1,386.75 करोड़ रुपए थी और प्रशासनिक खर्चे 486 करोड़ रुपए होगा। इसलिए, यह कठिनाई है। इसकी तरफ ही हम ध्यान दिला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा: मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि वे जिस एरियर की बात कर रहे हैं, वह एक साल का एरियर नहीं है, अनेक वर्षों का एरियर इकट्ठा होकर आया है।

[अनुवाद]

वह अनेक वर्षों का है। वह एक वर्ष का नहीं है। इसलिए, कृपया ऐसा नहीं कहिए कि 1,100 करोड़ रुपए एकत्र नहीं किए गए और 1,300 करोड़ रुपए बचे थे। यह एक वर्ष का हीं था। यह अनेक वर्षों का था।

[हिन्दी]

दूसरी बात बताना चाहूंगा कि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि खर्च कम से कम हो। चाहे राधाकृष्णन जी हों, श्री गहलोत हैं, गावीत जी हों, रघुवंश प्रसाद जी हों, मेहताब जी हों, हन्नान मोल्लाह हों, सब सदस्यों ने इस बारे में अपनी बातें कही हैं। मैं यह ऐडमिट करता हूं कि जो न्याय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है। वह न्याय देने की बेहद आवश्यकता है। आप सच पूछें तो मुझे इस बात के लिए रोना आता है कि आखिर देश किसके लिए आजाद किया गया था, क्या केवल कुछ संगठित लोगों के लिए या बड़े लोगों के लिए? समाज की 37 करोड़ वर्कफोर्स, जो गरीब लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, जिनके बारे में जोस जी ने ठीक कहा कि उनको 365 दिनों में से कहीं 39 दिन, कहीं 70 दिन काम मिलता है। इस प्रकार के कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको केवल 10 दिन, 20 दिन ठेके पर काम मिलता है। कभी बारिश हो जाती है, कोई और दिक्कत हो जाती है, ठेकेदार को परेशानी हो जाती है तो उसे 30 दिन में से केवल 10 दिन का ही वेतन मिलता है। बीस दिन में ऐसे ही इधर-उधर से उधार लेकर खाते-पीते रहते हैं। उनकी जितनी दिक्कतें हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): व्यवधान पहुंचाएं बिना मैं भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष बोर्ड विधेयक के कार्यान्वयन के बारे में जानना चाहता हूं।

डा. साहिब सिंह वर्मा: मैं निर्माण श्रमिकों के आपके कार्यक्रम में भाग लेने गया था। मैं जानता हूं कि आप इन लोगों के लिए कितने कार्य कर रहे हैं और आप उनके बारे में कितना चिंतित हैं। मुझे भी उतनी ही चिंता है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता

हूं कि यहां ऐसा श्रम मंत्री है। उन्होंने भी इन सभी कठिनाईयों को उतना ही महसूस किया है जितना आपने महसूस किया है। मैं पूर्ण ईमानदारी से इसका भरोसा दिला सकता हूं।

[हिन्दी]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बेहद दिक्कतें हैं, बेहद परेशानियां हैं। मैं एक वर्ष पहले मंत्री बना, मेरा ध्यान इस ओर गया क्योंकि मैं एक छोटे से किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मैंने जिन्दगी की सारी दिक्कतें जो एक मजदूर को गांव में होती हैं, जो उसकी तकलीफ होती है और उसको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, मैंने नजदीक से वे सारी दिक्कतें देखी हैं और मेरी चिंता का विषय है कि जल्दी से जल्दी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कोई कानून बने। एग्रीकल्चरल वर्कर्स की बात आप करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात आप करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्षों से लगातार कोशिश करने के बावजूद भी कितने राज्यों में एग्रीकल्चरल वर्कर के लिए कानून बनाया। उन्होंने कहा कि आप बनाएं। हम इन एग्रीकल्चरल वर्कर्स को असंगठित क्षेत्र में शामिल करके उस पर कानून बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हमने बिल में शामिल किया है। अलग से भी जो आपने बात कही, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कितने राज्यों ने उसके ऊपर काम करना प्रारम्भ किया, मुश्किल से तीन-चार राज्यों ने अभी तक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लाभ देना प्रारम्भ किया है, बाकियों ने नहीं किया है। उनकी बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि मैंने गहन अध्ययन किया है कि रास्ते निकाले जा सकते हैं। इस तबके के लोगों को, गरीब लोगों को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के रास्ते निकाले जा सकते हैं। मैं महसूस करता हूं कि देश में आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहां 40 करोड़ वर्क फोर्स में से 37 करोड़ लोगों को हम सामाजिक सुरक्षा नहीं देते हैं, इससे बड़ी तकलीफ की बात और दूसरी नहीं हो सकती, इससे बड़ी समस्या और कोई दूसरी नहीं हो सकती। संगठित क्षेत्र के जो तीन करोड़ लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि असंगठित क्षेत्र के 37 करोड़ जो लोग हैं, वे उनसे बारह गुना हैं, उनके लिए कुछ नहीं हैं। वे इस देश की आबादी का अस्सी प्रतिशत है।

[अनुवाद]

ये सैंतीस करोड़ रोजी कमाने वाले कर्मकार देश की आबादी का 80 प्रतिशत हैं।

[हिन्दी]

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बिल में कहीं कोई मैं कहूं कि बारह प्रतिशत ब्याज की बात कही गई। ठीक है, उनकी इच्छा है कि 12 प्रतिशत मिले लेकिन आप जानते हैं कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए, इसमें 12 प्रतिशत जितना मिलता है, हम इनवेस्ट करते हैं। बैस्ट पासिबिल इंवेस्टमेंट करते हैं, पैनल्टीज भी जो लेते हैं, वह भी इसमें जोड़ते हैं तब हम वर्कर को दे पाते हैं। इसलिए मेनटेन कर रहे हैं, ससटेन कर रहे हैं और मेरी कोशिश है कि उसके और क्या-क्या उपयोग हो सकते हैं, उस पैसे का और क्या सदुपयोग हो सकता है। मैंने सिंगापुर की स्टडी की है कि किस तरह से प्रोवीडेंट फंड को उन्होंने हाउसिंग में इंवेस्ट किया है। किस तरह से पैसा इकट्ठा करके वर्कर्स को अधिक से अधिक दिया है। ये सब चीजें हमारे ध्यान में हैं। इस वक्त असंगठित क्षेत्र को चार चीजें देनी हैं, जैसे मैडिकल फैसिलिटीज देना, कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसमें अगर किसी की मौत हो जाए तो पैसा देना, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का इन्तजाम करना, बुढ़ापे के लिए पेंशन का इन्तजाम करना हमारी सरकार का संकल्प है कि जितना भी जल्दी हो सकेगा, हम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये चार-पांच चीजें देने का प्रयास करेंगे।

आपको जानकारी होगी कि अभी 14 जुलाई को माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसी सैक्टर के लोगों के लिए एक मैडिकल स्कीम लांच की है। उस मैडिकल स्कीम के साथ जिसमें केवल पांच लोगों के परिवारों को केवल 548 रुपया देना है और उस 548 रुपये में और अगर 600 बीपीएल के लोग हैं तो 448 रुपया देना है और उसमें जनश्री में जोड़ दें तो ज्यादा से ज्यादा 548 रुपया देना है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस 548 रुपये में अगर कोई आरगेनाइज करने वाला हो क्योंकि वालन्ट्री स्कीम है, किसी न किसी को आरगेनाइज करना पड़ेगा, मजदूर संघों को ही आरगेनाइज करना पड़ेगा, किसी एनजीओ को आरगेनाइज करना पड़ेगा तो इतने पैसे में हम उनको तीस हजार रुपये का हास्पिटेलाइजेशन का एक्सपेंसेज रीइम्बर्स कर सकते हैं। थोड़ा-बहुत नहीं है, पूरे 30,000 रुपये तक का है। जितने दिन वह बीमार रहेगा, अगर साल में 15 दिन भी बीमार रहता है तो भी उसको 50 रुपए रोज के हिसाब से 750 रुपए नकद वापस देंगे। इस तरह से देखा जाए तो वह दे रहा है 548 रुपए और उसको मिलेंगे 750 रुपए। उसके अलावा हास्पिटेलाइजेशन के 30,000 रुपए का खर्चा अलग है। इसके अलावा 75,000 रुपए का इंशोरेंस भी है। इसके अलावा अगर उनके बच्चे नौवीं, दसवीं या ग्यारहवीं में पढ़ते हैं तो उनके दो बच्चों तक 200 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अब सवाल यह है कि इसको करे कौन, सरकार तो जोर-जबर्दस्ती कर नहीं सकती। किसी के पास जाकर, उसको पकड़कर तो नहीं कह सकती कि तुम अपना हिस्सा दो, हम अपना हिस्सा देंगे और तुम इसमें शामिल हो जाओ। यह सब लोगों को करना पड़ेगा। कई ऐसी संस्थाएं हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को आर्गेनाइज्ड किया है। उनको पैसा देती हैं और पेंशन भी देती हैं। उनमें से एक संस्था सेवा भी है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस काम को कर रही हैं। अभी दिल्ली में एक संस्था ने कैम्प लगाया था और एक हजार

[डा. साहिब सिंह वर्मा]

असंगठित वर्करों को इस योजना में लाया गया। उनको रसीद दी, उनको प्रोविडेंट फंड के लिए यूनिक सोशल सिक्योरिटी नम्बर जो सबसे जरूरी है, वह दिया। पहले यह होता था कि कोई मजदूर कहीं दस दिन काम करता है, फिर दूसरी जगह जाकर बीस दिन काम करता है, तो उसका पैसा कटता था, वह जमा होता था, लेकिन मिल नहीं पाता था, क्योंकि नम्बर अलग-अलग हो जाते थे। इसलिए हमने एक यूनिक सोशल सिक्योरिटी नम्बर लागू किया, जो सारी जिंदगी उसके साथ रहेगा। उसी नम्बर से उसका एकाउंट होगा, उसकी पहचान होगी। वह पूरे देश में कहीं भी जाएगा, तो उसका पैसा उसको उपलब्ध हो जाएगा। पहले क्लेम के लिए छः-छः महीने तक लगते थे, अब हमने इसको ठीक करने की कोशिश की है। जोस साहब जानते हैं, बाकी सदस्यों को भी पता है। हम यह काम 30 दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारा बिजनेस प्रोसेस आफ इंजीनियरिंग का काम पूरा हो जाएगा, पूरे विभाग में यह उपलब्ध होने वाला है। हमें आशा है कि 31 मार्च, 2004 तक 50 लाख लोगों को इस तरह के कार्ड इश्यू कर दिए जाएंगे। यह चीज उसके पास जिंदगी भर रहेगी। जहां कहीं उसका पैसा कटेगा, उसके एकाउंट में चला जाएगा और उसको फायदा होगा।

मैं मानता हूं कि ई.एस.आई. में बहुत सारी कमियां हैं। मैं मानता हूं कि कई जगह डुअल एडमिनिस्ट्रेशन है। कहीं केन्द्र सरकार का है तो कहीं राज्य सरकार का है। उसका समाधान हम निकाल रहे हैं। कुछ सुधार भी किया है, लेकिन मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं। उस पर और काम करने की कोशिश कर रहे हैं।

कई माननीय सदस्यों ने ठेका पद्धति के बारे में जिक्र किया कि वह इस तरह से काम करती है कि उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। हम यह चाहते हैं कि ठेका पद्धति कहीं पर हो, कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, वीकली आफ मिलना चाहिए। उसको सोशल सिक्योरिटी हो और मेडिकल स्कीम की व्यवस्था हो। अगर उसको हटाया जाता है तो रिट्रेंचमेंट का अलाउंस मिले। ये जो पांच-छः चीजें ठेका पद्धति में जो काम करते हैं, उनके लिए होनी चाहिए।

मैं माननीय सदस्य की भावना से पूरी तरह से सहमत हूं और जो चिंताएं तथा जो विषय उन्होंने सदन में रखा है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इन पर चिंतित है और बहुत जल्दी इस बारे में एक बिल लेकर आपके सामने आएगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने इस संकल्प को वापस ले लें, इस विश्वास के साथ कि जो उनकी चिंताएं हैं, उनको दूर करने का हम प्रयत्न करेंगे।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोसः महोदय, एक प्रश्न भवन और निर्माण कर्मकार अधिनियम से संबंधित है। इसे सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्माः जो चिंता माननीय सदस्य ने जाहिर की है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ जल्दी ही बैठक करके जितनी जल्दी दे सकते हैं, देने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूपः महोदय, मेरा संकल्प भी यहां है। मुझे कम से कम अपना संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः आप एक मिनट पहले अपनी बात समाप्त कर देना।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, मैं चार मिनट में कैसे समाप्त कर सकता हूं। आप समय को 7 बजे के बाद तक बढ़ा सकते हैं ताकि श्री सुरेश कुरूप भी अपना संकल्प प्रस्तुत कर सकें। आप 10-15 मिनट समय और बढ़ाने की कृपा करें ताकि हम भी अपना संकल्प प्रस्तुत कर सकें। वह केवल एक मिनट लेंगे। महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संकल्प को अपना समर्थन दिया जो कि हमारी 40 करोड़ की आबादी के लिए है। महोदय, मुझे आशा थी कि मैंने यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत करते हुए जो मुद्दे उठाये थे उनमें से कुछ को श्रम मंत्री कोई उत्तर देंगे।

महोदय, उन्होंने उन मुद्दों को छुआ ही नहीं। मैंने उल्लेख किया था कि वर्तमान कानूनों की कैसे खुलेआम अवहेलना की जा रही है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए बहुत से कानून हैं। मैंने बीड़ी कामगारों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। मैंने भविष्य निधि योजना शुरू करने हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। मैंने अपने जिले के एक मामले का उल्लेख किया है कि 50,000 बीड़ी कामगारों में से केवल 17,500 बीड़ी कामगारों के लिए भविष्य निधि योजना लागू की गई है।

मैंने बीड़ी कामगार कल्याण कोष से खर्च की बात कही है। डा. जटिया इसके बारे में जानते हैं। मैंने उनके पत्र को देखा है।

उन्होंने मेरे जिले में बीड़ी कामगारों के लिए एक अस्पताल को स्वीकृति दी है, भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी गई थी परन्तु आज तक कोई पैसा जारी नहीं किया गया है। श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस का उत्तर देते समय जब मैंने यह प्रश्न उठाया था तो उन्होंने कहा था कि बीड़ी कामगारों के लिए एक क्षय रोग अस्पताल स्वीकृत करने की बजाय वह पुरूलिया जिले में माल्दा में एक ई.एस.आई. अस्पताल स्थापित करने पर विचार करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि बीड़ी उपकर से कितना पैसा एकत्र किया जा रहा है और कितना पैसा बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए खर्च किया जा रहा है। पैसा बीड़ी कर्मकार कल्याण कोष से संबंधित है। वित्त मंत्रालय निर्देश दे रहा है अथवा दिशानिर्देश जारी कर रहा है कि भविष्य में बीड़ी कामगारों के लिए कोई टी.बी. अस्पताल नहीं होगा; यहां तक कि विद्यमान अस्पतालों को भी राज्य सरकार अथवा गैर-सरकारी संगठनों को सौंप दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी, मेरे पास सचिव, श्रम मंत्रालय का पत्र है। मुर्शिदाबाद जिले में धूलिया में अस्पताल को एक गैर-सरकारी संगठन को सौंपे जाने का प्रस्ताव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अस्पताल को बीड़ी कर्मकार कल्याण कोष से चलाया जा रहा है।

महोदय, मैंने असंगठित श्रमिकों के लिए प्रस्तावित विधेयक का उल्लेख किया है। मैंने भारतीय मजदूर संघ से शुरू कर सीटू तक लगभग सभी मजदूर संघों द्वारा दिए गए सुझावों का उल्लेख किया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे यह बताया गया था कि तीसरा प्रारूप जारी किया गया था और तीसरा प्रारूप दूसरे और पहले प्रारूप से भी अधिक अधोगामी है।

अपना संकल्प प्रस्तुत करने के बारे में उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के रूप में एक नया आयाम जुड़ गया है। कल मैं साक्षात्कार सुन रहा था और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि श्रमिकों को हड़ताल पर जाने का अधिकार होना चाहिए। परन्तु सभी मामलों में नहीं। आपने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कहा कि यह अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि यह श्रमिकों का एक अहरणीय अधिकार है। इसे अब वापस लिया जा रहा है। इस पर सरकार का क्या रूख है?

सायं 7.00 बजे

क्या सरकार श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून बनाएंगी? सभा में अव्यवस्था के कारण आज मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सका। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें उठा सकता था कि विनिवेश के बाद और प्रबंधन में प्रतिवर्तित के पश्चात् श्रमिकों के हित कैसे प्रभावित होते हैं और समझौते का कैसे उल्लंघन किया जा रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। क्या सरकार कानून बनाएगी? क्या कामगारों को सामूहिक लेनदेन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार होगा? संघ बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। हड़ताल पर जाने का अधिकार कामगारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में दिया गया है।

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो आई डी एक्ट में है, वह आज भी बरकरार है। आई डी एक्ट के प्रोवीजन के मुताबिक लीगली वर्कर्स स्ट्राइक पर जा सकते हैं। आई डी एक्ट के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कैसे नोटिस देना होता है। इसमें कहीं भी पीछे हटने की बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: किन्तु यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के विरुद्ध है।

डा. साहिब सिंह वर्मा: महोदय, वह इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

[हिन्दी]

जितनी जानकारी आपको है, उतनी जानकारी मुझे नहीं है। आईडी एक्ट वर्कर्स के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में मामला तमिलनाडु राज्य से कर्मचारियों का मामला है, जो कन्डक्ट रूल्स से गवर्न होता है। वह अलग मामला है। दोनों से कन्फ्यूज न करें। आपको मेरे से ज्यादा मालूम है। अगर आप कुछ और कहना चाहें, तो अलग बात है।

श्री बसुदेव आचार्य: सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे हैं, तो कामगारों और कर्मचारियों को यह अधिकार देने के लिए कामगारों की सांविधिक बकाया धनराशि देने के लिए क्या आप कानून ला रहे हैं? 2200 करोड़ रु. अब देना हैं। इस बात की चर्चा नहीं की है कि कब तक चलेगा। आप इस बारे में बताइए?

डा. साहिब सिंह वर्मा: मैंने अच्छी तरह से बता दिया है कि स्टैचुटरी ड्युज लेने के लिए हमने काफी सख्ती की है। लोग जेल जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमने काफी पैसा रिकवर किया है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं पूछना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स के सरकार के पास ड्युज हैं।

डा. साहिब सिंह वर्मा: उनके ऊपर सख्ती कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: कहां कर रहे हैं। आप किस को जेल भेज रहे हैं, किस मंत्री को जेल भेज रहे हैं। कितना पैसा ग्रेच्युटी का और प्रोविडेंट फंड का बकाया है।

सभापति महोदय: श्री बसुदेव जी, आप कृपया करके संकल्प वापिस लीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्री जी आश्वासन दे दें कि जो-जो बातें कही गई हैं, उनपर आप विचार करेंगे और स्टेचुटरी ड्युज को आप जल्दी से जल्दी क्लीयर कर देंगे।

डा. साहिब सिंह वर्मा: उनको क्लीयर करने पर जरूर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, चूंकि मंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि जिन समस्याओं का मैंने उल्लेख किया है, उन पर सरकार द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। इसलिए मैं अपना संकल्प वापस लेने के लिए तैयार हूं।

सभापति महोदय: क्या सभा श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सायं $7.03^1/_2$ बजे

(दो) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण-विचाराधीन

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह देश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों विशेषकर केरल में कोची, शिपयार्ड लि. फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि. और हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि. का निजीकरण किए जाने के बारे में अपनी नीति की समीक्षा करे।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री सुरेश कुरूप, आपका संकल्प प्रस्तुत हुआ। आपका भाषण जारी रहेगा। अब सभा सोमवार 18 अगस्त, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 18 अगस्त, 2003/27 श्रावण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.—48.36.17/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।